लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवाँ सत्र
Eleventh Session]

Preservation Unit
Parliament Library
PARLIAMENT LIBRARY
No. 61642
Date 11.12.70

सत्यमेव जयते

[खण्ड 43 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 16, मंगलवार, 18 अगस्त, 1970/ 27 श्रावण, 1892 (शक)

No. 16, Tuesday, August 18, 1970/ Sravana 27, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र.संख्या /S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
452	उद्योगों के विस्तार के लिए प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के निपटन की प्रक्रिया	Procedure for Disposal of Applications for Expansion of Industries	1–4
454	लोह अयस्क तथा इस्पात के बिलेटों का उत्पादन	Production of Pig Iron and Steel Bieel Billets	5–7
455	आसाम में उद्योग	Industries in Assam	7–10
456	लघु उद्योगों के लिए इस्पात	Steel for Small Scale Industries	10–11
457	स्वदेशी तकनीकी जानकारी से स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters with Indigenous Know-How	12
459	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उद्योग	Industries in Public and Private Sectors ..	14
461	बांसपानी खान मालिक एसोसिएशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) द्वारा बांसपानी-जरूरी रेलवे लाइन की लागत की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of Cost of Railway Line between Banspani and, Jaruri by Bas-Pani Mine Owners' Association (South Eastern Rly.)	18

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
451	सोवियत संघ के शिष्ट मंडल द्वारा जम्मू तथा काश्मीर का दौरा	Visit to Jammu and Kashmir Soviet Union Delegation	19

---

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

ता. प्र. संख्या/ S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
453	बाल कल्याण चार्टर के लिए राज्यों की स्वीकृति	Approval of States to Children's Welfare Charter	20
458	लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति	Licensing Policy	20
460	मैसर्स देवीदयाल ट्यूब इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बम्बई का सावधिक जमा धन की वापसी के लिए सरकारी परिसमापक द्वारा जांच	Examination by Official Liquidator of M/s. Devidayal Tube Industries Ltd. Bombay for repayment of fixed Deposit Money...	21
462	विदेशी सहयोग के बिना ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors without Foreign Collaboration ...	22
463	इस्पात की नई वितरण-नीति का प्रभाव	Effect of New Steel Distribution Policy ...	22
464	उद्योगों में विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration in Industries ...	23
465	नई दिल्ली स्टेशन तथा अन्य स्थानों पर रेलवे टिकटों की बिक्री में भ्रष्टाचार	Corruption in Sale of Railway Tickets at New Delhi Station and other Places... ...	24
466	बिजली उद्योग में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw materials in Electrical Industry	25
467	वृद्धावस्था पेंशन तथा पुन: रोजगार पेंशन	Old Age and Re-employment Pensions ...	25
468	इस्पात का आयात	Import of Steel	26
469	कुटीर उद्योगों का सम्बर्धन	Promotion of Cottage Industries	27
470	सरकारी क्षेत्र में सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का निर्माण	Manufacture of Sodium hydrosulphide in Public Sector	28
471	रेलवे के डिब्बों में वर्गीकरण की समाप्ति	Abolition of classification of Railway compartments	28
472	सरकार द्वारा यवतमाल-मुरताजापुर छोटी रेलवे लाइन को अपने अधिकार में लिया जाना	Taking over by Government of Yeotmal-Murajapur Narrowgauge Railway line	29

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
		प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.	
473	रूरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादकर्ता प्रधान प्रोत्साहन योजना	Productivity oriented incentive scheme in Rourkela Steel Plant ...	29
474	विदेशी सहयोग सम्बन्धी नीति	Foreign collaboration Policy ...	29
475	औद्योगिक कारखानों के उत्पादन में विविधता	Diversification of production by Industrial units	30
476	सीमेंट की चोर बाजारी	Black-market in Cement	31
477	केरल में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में की गई अनियमितताओं की जांच के लिए आयोग की स्थापना की मांग	Demand for a Commission to go into irregularities re. Revision of Electoral Rolls in Kerala	32
478	शक्तिचालित हलों का निर्माण	Production of Power Tillers	32
479	ड्रम तथा बैरल उद्योग की लाइसेंस प्राप्त क्षमता	Licensed Capacity of Drum and Barrel Industry	33
480	रायबरेली में लेम्प निर्माण करने वाली कम्पनी की स्थापना	Setting up of Lamp Manufacturing Company in Rae Bareli	34
अता. प्र. संख्या/U S.Q.Nos.			
2991	भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा बुक किये गये इस्पात माल से भरे हुए रेलवे माल-डिब्बों को गलत स्थानों को भेजना	Diversion of Railway wagons to wrong Destinations Containting Steel Products Booked by Bhilai Steel Plant	34
2992	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल, का कार्य	Working of Heavy Electricals Ltd. Bhopal ...	35
2993	बोकारो इस्पात कारखाने के लिए भारी इंजीनियरिंग निगम के उपकरण	H.E.C. Equipment for Bokaro Steel Plant ...	36

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
2994	अमरीका में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के लम्बित क्रयादेश	Pending Orders with H.M.T. in U.S. ...	38
2995	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा अमरीका के वितरकों के साथ करार	Agreement with U.S. Distributors by H.M.T. ...	39
2996	उत्तर रेलवे में चोरी हुई रेलवे सम्पति	Railway Property stolen on Northern Railway	40
2997	मैसर्स देवीदयाल ट्यूब इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बम्बई द्वारा लेखाओं का प्रस्तुत किया जाना	Filing of Accounts by M/s Devidayal Tube Industries Ltd., Bombay	40
2998	उत्तरी रेलवे के कालका शिमला सेक्शन पर 'ए' श्रेणी के गार्ड तथा 'बी' श्रेणी के ड्राइवर	Guards 'A' Grade and Drivers 'B' Grade on Kalka Simla Section (Northern Railway)	41
2999	1. डी० एस० बी० गाड़ी को रोहतक तक बढ़ाने के प्रस्ताव की क्रियान्वित	Implementation of proposal Re. extension of path upto Rohtak of 1 D.S.B. Train ...	41
3000	इलाहाबाद टूंडला सेक्शन में रेलवे विद्युतीकरण संस्था के नैमित्तिक कर्मचारियों की नियमित रूप से काम पर लगाना	Absorption 'Casuals' in the Allahabad Tundla Station of Railway Electrification Organisation	42
3001	सामान्य चुनाओं का संपन्न कराना	Holding of General Elections	43
3002	राज्य विधान मंडलों का वघटन	Dissolution of State Legislatures	43
3003	भूमि सुधार संशोधन के अधिनियम के अधीन भूतपूर्व नरेशों की भू-सम्पत्ति के बारे में केरल के महाधिवक्ता का मत	Opinion of Advocate-General of Kerala re-landed properties Rulers under land Reforms Amendment Act ... –	44

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

3004	सरकारी धन का गबन करने पर कलकत्ता में समाज कल्याण केन्द्र के सचिव की गिरफ्तारी	Arrest of Secretary of Social Welfare Centre in Calcutta for Misappropriation of Government money	44
3005	औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सार्थ-संघ	Consortium for Industrial Projects	45
3006	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण	Income-tax Appeliate Tribunals	45
3007	तीन वर्ष से कम कम आयु के बच्चों के लिए पोषक-आहार	Nutritious Food to Children Under three Years of Age	46
3008	कपाड़िया ब्रदर्स का ऋण	Borrowing of Kapadia Bros	48
3009	न्यासों तथा फर्मों द्वारा राजनैतिक दलों को चन्दे	Donations to Political Parties by Trusts and Firms	48
3010	मध्य प्रदेश में सरकारी उद्योग	Public Sector Industries in Madhya Pradesh ...	48
3011	नमक उपकर से प्राप्त आय और उसमें से किया गया व्यय	Revenue and Expenditure out of Cess on Salt	49
3012	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा टरबाइन और जनरेटरों का निर्माण	Manufacture of turbines and generators by Heavy Electricals Ltd.	51
3013	जमशेदपुर में टाटा बन्धुओं को पट्टे पर दिये गये औद्योगिक क्षेत्र को अधिकार में लेना	Taking over of Industrial Area in Jamshedpur leased to Tata	52
3014	निर्यात प्रधान एककों का विस्तार	Expansion of export Oriented Units ...	52
3015	1970-71 में मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले उद्योग	Industries proposed to be set up in Madhya Pradesh during 1970-71	53

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3016	दिल्ली में महिलाओं द्वारा व्यभिचार की घटनायें	Incidence of Traffiking in Women in Delhi...	53
3017	दिल्ली नगर निगम के निर्माण कार्यों के लिए सीमेंट की कमी	Shortage of Cement for Construction work of Delhi Municipal Corporation ...	54
3018	नेपा मिल्स द्वारा कार्य-निष्पादन तथा अखबारी कागज का निर्यात तथा आयात	Working Results of Nepa Mills and Imports and Exports of News Papers	54
3019	लोक सभा के चुनाव	Lok Sabha Elections	55
3020	संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा दिये गये अनुदानों में वृद्धि	Increase in Grants given by UNICEF ..	56
3021	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का प्रशासन	Administration of Hindustan Steel Ltd. ...	56
3022	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के सेंट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो के लिये तकनीकी सहायता तथा सेंट्रल इंजीनियरिंग ब्यूरो में प्रबन्धक-पदों पर भारतीयों तथा विदेशियों की नियुक्ति	Technical aid for C.E.D B. of Hindustan Steel Limited and appointment of Indians and Foreigners on Managerial Posts in C.E D.B. ... —	57
3023	दक्षिण में नये इस्पात कारखानों की स्थापना के बारे में प्रस्ताव	Proposal re. Setting up of New Steel Plants in South — ...	58
3024	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कोका भट्टी में खराबी	Defects in the Coke ovens in the Durgapur Steel Plant	59

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3025	स्टेण्डर्ड मोटर कारों की मरम्मत तथा फालतू पुर्जों के निर्माण की व्यवस्था	Arrangements of Manufacture of Spare Parts and repairs of Standard Motor Cars ...	59
3026	दक्षिण में नये इस्पात कारखानों के लिए चयन समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee for Selection of Sites for New Steel Plants in South ...	59
3028	उद्योगों को लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति की भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के अध्यक्ष द्वारा आलोचना	Criticism of Industrial Licensing Policy by President of F. I. C. C. I.	61
3029	विधि मंत्रालय के कुछ अधिकारियों द्वारा निर्धारित आकस्मिक अवकाशों से अधिक अवकाश लेना	Casual Leave availed of in excess by certain officials of Law Ministry	62
3030	दिल्ली और बान्दीकुई के बीच अपर्याप्त रेलगाड़ी सेवा	Inadequate Train Service between Delhi and Bandikui	62
3031	औद्योगिक एककों के विस्तार कार्यक्रम के लिए विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Expansion Programme of Industrial Units	62
3032	भारी इंजीनियरिंग निगम रांची में उत्पादन	Production in H. E. C. Ranchi	63
3033	संयुक्त उद्यम	Joint ventures	64
3034	सलेम में प्रस्तावित कारखाने में इस्पात के उत्पादन का मूल्य	Cost of Production of Steel at the Proposed Plant at Salem	64
3036	मध्य प्रदेश के भोपाल, सिहोर तथा देवास जिलों में उद्योग	Industries in Bhopal, Sehore and Dewas Districts of Madhya Pradesh	65

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

3037	शान्तिपुर रेलवे स्टेशन (पूर्वी रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय पर नक्सलवादियों द्वारा लाल झंडा फहराया जाना	Hoisting of Red Flag by Naxalites at the Office of Assistant Station Master of Shantipur Railway Station (Eastern Railway)	66
3038	सहायक रेल पथ निरीक्षकों के रूप में समाहित किये गये कर्मचारियों की भविष्य निधि तथा सेवा अभिलेखों का हस्तातरण	Transfer of Provident Fund and Service Records of Staff absorbed as Assistant Permanent way Inspectors	66
3039	पश्चिम रेलवे के ए०आई० ओ० डब्ल्यु०कर्मचारियों को शीघ्र वैकल्पिक रोजगार	Alternative Job to AIOWs under western Railway	67
3040	गोहाटी तक बड़ी लाइन	Broad-Gauge Line upto Gauhati	67
3041	बड़े औद्योगिक गृहों को मध्यम स्तर के उद्योगों में धन लगाने के लिये लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of Licences to large Industrial Houses for investment in Middle Sector	68
3042	दक्षिण पूर्व रेलवे के कुछ स्टेशनों पर लौह अयस्क के लदान की कुल क्षमता	Capacity for loading Iron Ore at certain Stations on South Eastern Railway ...	68
3043	लौह अयस्क के लदान के लिए स्टेशन	Iron Ore Loading Stations	69
3044	रेलवे सम्बन्धी समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिये सम्मेलन	Conference to discuss Railway Problems ...	70

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/ U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3045	स्कूटरों का निर्माण करने वाली फर्में	Scooter Manufacturing Firms	70
3046	टिकटों की जांच करने वाले कर्मचारियों द्वारा जारी करने की तिथि को मिटाकर उपयोग किए गए टिकटों की पुनः बिक्री	Re-sale of used Tickets by Tampering date of issue by Ticket Checking Staff ...	71
3047	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के पूरी क्षमता के उपयोग के लिए कच्चे माल का उपलब्ध न होना	Non-Availability of Raw Materials for full utilization of Capacity of Diesel Locomotive Works	71
3048	चौथी पंचवर्षीय योजना की अवस्था में प्रत्येक राज्य में रेलवे लाइनें	New Railway Lines during Fourth Five Year Plan period	72
3049	कोयला खनन-मशीनों की आवश्यकता	Requirement of Coal Mining Machinery ...	73
3050	पूना-बंगलौर लाइन को बड़ी लाईन में बदलना	Conversion of Poona-Bangalore line to Broad-Gauge ..	73
3051	बंगलौर-हैदराबाद रेल मार्ग को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना	Conversion of Bangalore-Hyderabad Rail Route to Broad-gauge ...	74
3052	दूर स्थित उद्योगों तथा पहाडी क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को लाने ले जाने के खर्चों में राहत देना	Relief on Transportation Charges to industries located in far off places or in Hilly areas	74
3053	कलर फिल्मों के निर्माण के लिए कारखाने की स्थापना	Establishment of a Unit for Manufacture of Colour Films	75
3054	औद्योगिक लाइसेंसों का जारी करना	Issue of Industrial Licences	75

3055	त्रिवेणी स्ट्रक्चुरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद का उत्पादन	Production of Triveni Structurals Ltd. Allahabad ...	78
3056	सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के बीच तनाव	Tension between Government Railway Police and Railway Protection Force ...	78
3057	जस्तीकृत नालीदार लोहे की चादरें तथा जस्तीकृत चादरें	G.C.I. Sheets and Galvanised Sheets ..	78
3058	महाराष्ट्र में शराब का निर्माण करने के लिए लाइसेंसों का दिया जाना	Licences for Manufacture of Liquor in Maharashtra	
3059	महाराष्ट्र राज्य में गैर-आदिम जाति के व्यक्तियों को आदिम जाति छात्रवृति	Tribal Scholarship to Non-Tribal persons in Maharashtra	79
3060	महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सहकारी समितियां	Co- Operative Societies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Maharashtra	80
3061	विधि मंत्रालय द्वारा अन्य विभागों को दी गई कानूनी सलाह	Legal opinion given by Law Ministry to the other Departments ... —	80
3062	विदेशी सहयोग से वस्तुओं का निर्माण	Manufacture of Items with Foreign Collaboration	81
3063	मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौरान सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग	Misuse of Government Machinery during Bye-election in Madhya Pradesh ... —	82
3064	रेलवे स्कूलों पर किया गया खर्च	Expenditure on Railway Schools — ...	82
3065	रेलवे में नैमित्तिक कर्मचारियों की संख्या	Strength ef Casual Workers on Railways ...	83

3066	रेलवे कर्मचारियों के श्रेणीवार संगठनों की संख्या	Catergory-wise number of Association of Railway Employees ... —	83
3067	उद्योग की प्रगति के लिये विद्युत शुल्क का हटाया जाना	Abolition of Electricity Duty for Growth of Industry ...	84
3068	स्टेन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी बम्बई	Standard Drum and Barrel Manufactruing Co. Bombay ... —	84
3069	बांदा में पत्थर तथा बांस उत्पादों का कारखाना (उत्तर प्रदेश)	Stone and Bamboo Products Factory in Banda (U. P)	85
3070	उत्तर रेलवे पर रेल दुर्घटनाएं	Railway Accidents on Northern Railway ...	85
3071	लेखा परीक्षा कम्पनियों में प्रशिक्षण के लिए दाखिला	Admission for Training in Audit Compaines	85
3072	पूर्व रेलवे सलाहकार समिति के लिये पटना सिटी में मरूफगंज से व्यापारियों के प्रतिनिधि	Representation of Businessmen from Maroofganj in Patna City in Eastern Railway Advisory Committee ...	86
3073	पकौड़ से पटना (पूर्वी रेलवे) के बीच एक्सप्रेस गाड़ी का चलाया जाना	Introduction of Express Train between Pakaur and Patna (Eastern Rly.) ...	87
3074	औद्योगिक उपक्रमों के उत्पादन में विविधता तथा विस्तार सम्बन्धी नीति	Policy on diversification and Expansion of Production in Industrial Undertakings...	87
3076	औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production ... —	88
3077	स्टैन्डर्ड मोटर कम्पनी, मद्रास का बन्द होना	Closure of Standard Motor Co. Madras ...	89

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3078	उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर कारखाना स्थापित करने के लिए विदेशी फर्म को लाइसेंस दिया जाना	Issue of a Licence to Foreign firm for setting up a Tractor Factory in U. P. ...	90
3079	मालडिब्बों में से चोरी करने वालों की गतिविधियों के कारण पश्चिम बंगाल में रेलवे के माल को क्षति	Loss of Railway goods in West Bengal due to Wagon Breakers Activities	90
3080	वे स्टेशन जिन पर राष्ट्रपति के शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में आक्रमण हुए	Stations raided in West Bengal during Presidents Rule	90
3081	सियालदह स्टेशन क्षेत्र से विस्थापितों का हटाया जाना	Removal of displaced persons from Sealdah Station area	91
3082	दिल्ली रेलवे स्टेशन की इमारत के सामने वाले भाग में लगे हिन्दी में लिखे उत्तर रेलवे वाले नियोन साइन बोर्ड का हटाया जाना	Shifting of Neon Sign in Hindi Uttar Railway on Delhi Railway Station Building Frontage	92
3083	पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम के कार्य संचालन के परिणाम	Working results of West Bengal Agro-Industries Corporation	92
3084	लेलैण्ड मोटर्स की सहायता से स्टैन्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड को फिर से चालू करना	Reopening of Standard Motor Products of India Ltd. with the help of Layland Motors	93
3085	जे० आर० डी० टाटा द्वारा कार निर्माण करने का प्रस्ताव	Offer by J.R.D. Tata to Under take manufacture of Car	93

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3086	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को हुई हानि	Loss incurred by H. E. C. Ranchi	94
3087	दिल्ली में इस्पात की कमी	Shortage of Steel in Delhi	94
3088	खड़गपुर तथा बरहामपुर के बीच दोहरी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अतिरिक्त धन	Additional Funds for Construction of Double Railway Line between Kharagpur and Berhampur	95
3089	बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण	Construction of Bokaro Steel Plant... ...	96
3090	माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन का निष्पादन कार्य	Performance of Mining and Allied Machinery Corporation	97
3091	जालन्धर सिटी (उत्तरी रेलवे) में कुलियों की लाइसेंस फीस में वृद्धि	Increase in Licence Fee of Porters at Jullunder city (Northern Rly.)	98
3092	नैरों-गेज सेक्शन के लिये डीजल इंजनों का निर्माण	Manufacture of Diesel Engines for Narrow Gauge Sections	99
3093	फिरोजपुर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में रेलवे स्टेशनों पर भुनी हुई मूंगफली बेचने पर रोक	Stoppage of Sale of roasted Moongphali at Railway Stations in Ferozepore Division (Northern Railway)	100
3094	वाराणसी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा डीजल से चलने वाले रेल इंजनों के निर्यात का कार्यक्रम	Programme of Export of Diesel Locomotive Works, Varansi	100
3095	बिना टिकट यात्रियों से वसूल हुए जुर्माने	Fines Recovered from Ticketless Travellers...	100

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3096	माल यातायात में कमी	Fall in Freight Traffic	101
3097	मोटर उद्योग कम्पनी को आशय-पत्र का जारी किया जाना	Issue of Letter of Intent to Motor Industries Company	102
3098	फोम रबड़ के स्थान पर रबड़दार नारियल जटा का प्रयोग	Use of Rubberised Coir in Place of Foam Rubber	103
3099	मध्य रेलवे पर माल तथा पार्सल लादने और उतारने के लिए गैर-सरकारी फर्मों और रेलवे के कुलियों को दिये गये ठेकों से प्राप्त राशि	Proceeds from Contracts given to Private Firms and Railway Porters for Loading and Unloading of Goods and Parcels on Central Railway	103
3100	मध्य प्रदेश औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in M.P.	104
3101	मध्य प्रदेश में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Madhya Pradesh ...	105
3102	औद्योगिक संस्थानों में इंजीनियरों को रोजगार दिलाने के लिए विधान	Legislation for Absorption of Engineers by Industrial Houses	105
3104	देश में उत्पादित आक्सीजन तथा अन्य गैसों और उपकरणों में मैसर्स इन्डियन आक्सीजन कम्पनी लिमिटेड का भाग	Share of M/s. Indian Oxygen Co. Ltd., in Country's Production of Oygen and other Gases and Equipments	105
3105	दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र में अशान्ति	Unrest in Durgapur Steel Plant	106
3106	कागज उद्योग पर नियंत्रण	Control on Paper Industry	106

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3107	मथुरा–हाथरस मीटर लाइन पर क्रासिंग स्टेशन का निर्माण करने के लिए अर्जित भूमि के लिए मुआवजा	Compensation for land acquired for contruction of crossing station at Mathura-Hathras metre gauge line ...	107
3108	हिंडौन नगर और गंगापुर नगर(पश्चिम रेलवे) के मध्य हुई दुर्घटना की जांच रिपोर्ट	Enquiry report re. Train accident between Hindaun City and Gangapur City (Western Railway)	107
3109	हिंडौन सिटी और गंगापुर सिटी (पश्चिम रेलवे) के बीच हुई रेलगाडी की दुर्घटना में हताहत व्यक्तियों को दी गई सहायता	Relief to victims of train accident between Hindaun City and Gangapur City (Western Railway)	108
3110	कोटा और जयपुर डिवीजनों (पश्चिम रेलवे) के क्षेत्राधिकार में कृषि भूमि का क्षेत्रफल	Acreage of agricultural land under Kota and Jaipur divisions (Western Railway) ...	108
3111	पावन कस्बों तथा नगरों में मध्य निषेध करना	Enforcement of Prohibition in Holy towns and cities	109
3112	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कार्य की जांच करने के लिये एक जांच समिति का गठन	Constitution of an enquiry Committee to go into the working of Durgapur Steel Plant	110
3113	विशाल उद्योग समूह के नियंत्रणाधीन कम्पनियों की प्रगति के बारे में आंकड़े	Data Relating to Progress of Companies Under the Control of Big Busines Group ...	111
3114	टाटा बन्धुओं को लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of licences to the Tatas	111

3115	पंडौल तथा खजौली स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) पर यात्रियों के लिये प्रतीक्षालय	Waiting Room facility for passengers at Pandaul and Khajauli (North Eastern Railway) ...	112
3116	देश से जाति व्यवस्था तथा जातिवाद समाप्त करने के लिये विधान	Legislation for abolishing castes and Casteism from country	112
3117	मैसर्स मणीन्द्र काटन मिल लिमिटेड, पश्चिम बंगाल द्वारा की गई अनियमिततायें	Irregularities by Messrs. Manindra Cotton Mill Ltd. West Bengal	113
3118	मैसर्स बंगाल टक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, पश्चिम बंगाल द्वारा की गई अनियमिततायें	Irregularities by Messrs Bengal Textile Mills Ltd. West Bengal	113
3120	सीमेंट के कारखानों की स्थापना के लिये आवेदन-पत्र	Applications for setting up of Cement factories	114
3121	पश्चिम निमाड़ (मध्य रेलवे) में प्लाई लकड़ी का कारखाना	Plywood factory in West Nimar (Madhya Pradesh)	114
3122	सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर स्कूटरों का अलाट किया जाना	Allotment of Scooters to Government servants on priority basis	115
3123	भारतीय रेलवे परामर्श-दात्री सेवा	Indian Railway consultancy Service ...	115
3124	सहयोग की नीति	Collaboration Policy	116
3125	बच्चों के लिये राष्ट्रीय नीति बनाना	Formulation of National Policy for Children	117
3126	वारनिशों और पेन्ट(रंगों) के लिये कच्चा माल	Raw material for paints and varnishes ...	117

3127	खनन तथा सहायक उद्योग मशीन निगम के कर्मचारियों के लिये बढ़ा हुआ वेतन	Enhanced pay for employees of mining and allied machinery Corporation	118
3128	इस्पात का आयात	Import of Steel	119
3129	भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन	Production in Bhilai Steel Plant ...	120
3130	जलपान ठेकेदारों की लाइसेंस फीस में वृद्धि	Increase in Licence fee of refreshment contractors	120
3131	राजधानी एक्सप्रेस के साथ चलने वाले रेलवे कर्मचारियों को भत्ता	Running allowance for Railway Staff attached to Rajdhani Express	121
3132	राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों को टिकट जारी करना	Issuse of tickets to passengers of Rajdhani Express	121
3133	मैसूर में उद्योग	Industries in Mysore	122
3134	मध्य प्रदेश के सहकारी मार्केटों में शराब की बिक्री	Sale of Wine in Cooperative Markets of Madhya Pradesh	122
3135	बिना टिकट यात्रा रोकने के लिये सवारी गाड़ियों पर सशस्त्र पुलिस गारद तैनात करना	Posting of Armed Police Guards in Passenger Trains to check ticketless travelling ...	122
3136	जनता गाड़ियों में तीसरी श्रेणी के अतिरिक्त डिब्बे	Additional III Class Coaches Janta trains ...	123
3137	ग्वालियर-शिवपुर तथा ग्वालियर भिण्ड लाइनों (मध्य रेलवे) पर कृषि उत्पादों की परिवहन क्षमता में वृद्धि	Increase in transportation capacity for Agriculture produce on Gwalior-Sheopur Gwalior-Bhind Lines (Central Railway)...	123

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

3138 अजमेर डिवीजन में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में सुझाव	Proposals for increase in Strength of Staff in Ajmer Division ...	123
3139 पश्चिमी रेलवे के स्टेशनों पर विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को काम सौंपा जाना	Assignment of work to various categories of Staff at Stations on Western Railway ...	124
3140 पश्चिमी रेलवे के कुछ स्टेशनों पर दावों का मौके पर भुगतान	Settlement of Claims on-the-spot at certain Stations on Western Railway	125
3141 आगरा फोर्ट स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के पार्सल क्लर्कों की मुअत्तिली	Suspension of Parcel Clerks of Agra Fort Station (Western Railway)	126
3142 भावनगर डिवीजन(पश्चिम रेलवे) के स्टेशनों के नाम पर डाले गये न्यूनशुल्क तथा ट्रैफिक डैबिट्स बढ़ाने सम्बन्धी नियम	Rules for raising undercharges and traffic Debits against station Bhavnagar Division (West Railway)	126
3143 रेलवे कर्मचारियों के गैर-मान्यता प्राप्त संघों को विचार-विमर्श सम्बन्धी सुविधाएं	Negotiating facilities to unrecognised Unions of Railway Employees	128
3144 डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की पूरी क्षमता का उपयोग	Full utilization of Diesel Locomotive Works potential	128
3145 रूरकेला के निकट बोन्डमुन्डा रेलवे स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा स्कूल में शिक्षा मे माध्यम के सम्बन्ध में हड़ताल	Demand by students of Bondamunda Railway School near Rourkela for Oria as Medium of education in the School	129

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

3146	दक्षिण पूर्व रेलवे पर सिगनल और दूर-सचार व्यवस्था की देखरेख करने वालों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	Training centre for Signal and Tecommunications maintainers on South Eastern Railway ...	129
3147	भारतीय रेलवे में सिगनल दूरसंचार बनाये रखने वालों के लिये कार्य विश्लेषण	Job-analysis for Signal Telecommunications Maintainers of Indian Railways ...	130
3148	सभी क्षेत्रीय रेलों में स्वत: मुद्रण टिकट मशीनों की व्यवस्था	Self-printing Ticket Machines in all Zonal Railways	130
3149	इस्पात की कमी	Shortage of Steel	131
3150	लाइसेंसों के लिए आवेदन	Applications for licences ...	132
3151	24 घंटे या इससे अधिक समय तक चलने वाली रेलगाड़ियों में भोजन यान की व्यवस्था	Dining Cars for trains running for 24 hours or more	134
3152	फोटोग्राफी के कागज की कमी	Shortage of Photographic Paper ...	134
3153	अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्जातीय विवाहों के लिए पुरस्कार देने का प्रस्ताव	Awards for Inter-State Caste Marriages ...	135
3154	शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे को बन्द करने का नोटिस	Notice for closure of Shahdara Saharanpur Light Railway	135
3155	इस्पात का वितरण	Distribution of Steel	136
3156	पंखों के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Fans	137

3157	बाराबंकी तथा गोंडा के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण और गोण्डा-गोरखपुर मीटर लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्तन करने हेतु इंजीनियरिंग तथा यातायात सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन	Reports on Engineering and traffic survey for construction of Broadgauge line between Barabanki and Gonda and conversion of Gonda-Gorakhpur Metregauge into broad-gauge line	137
3158	ब्रिटिश इण्डियां कारपोरेशन सम्बन्धी जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Inquiry Commission on British India Corporation	138
3159	लघु उद्योगों के सम्बन्ध में लोकनाथन समिति का प्रतिवेदन	Lokanathan Committee Report on Small Scale Industsies	138
3160	विधि मंत्रालय द्वारा अनुदित अधिनियम संविधिक नियम तथा आदेश	Acts/S.R.Os. Translated by Law Ministry ...	138
3161	सहायक इंजीनियरों को प्रथम श्रेणी की रेलवे सेवा में लेना	Absorption of Assistant Engineers in Class I Railway Service	139
3162	संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किए गए अधिकारियों का स्थायीकरण	Confirmation of Officers recruited through Union Public Service Commission ...	139
3163	रेलवे अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण	Fixation of seniority of Railway Officers ...	140
3164	आशुलिपिकों का दर्जा बढ़ाये जाने के लिए विभिन्न मापदण्ड	Different Yard Stick for upgradation of posts of Stenographers	141
3165	दिल्ली में रेलवे के स्टेनोग्राफरों के लिए आवास	Accommodation for Railway Stenographers in Delhi	141

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
3166	विकी मोपेड के लिये टायरों और ट्यूबों की कमी	Shortage of tyres and tubes for Vicky Moped ...	142
3167	11 सूची कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विभिन्न रेलवे स्टेशनों की अचानक जांच	Surpise checks at different Railway stations in connection with implementation of 11-Point Programme	142
3168	सिगरेटों का उत्पादन	Production of cigarettes ... —	143
3169	सिगरेटों का निर्माण करने वाले समवाय	Cigarette manufacturing companies... ...	144
3170	बैलर्ड एस्टेट, बम्बई में तीसरे टर्मीनल की योजना	Plan for a Third Terminal of Bailard Eastate Bombay	144
3171	टेकटर स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर सभी जोनल रेलवे टिकटों की बिक्री	Sale of tickets for all zonal Railways at Tektar station (North Eastern Railway) ...	145
3172	आरक्षण तथा पूछताछ कार्यालय दरभंगा (पूर्वोत्तर रेलवे) के लिए नियंत्रण फोन की व्यवस्था	Control Phone for reservation-cum-Enquiry Office, Darbhanga (North Eastern Railway)	146
3173	27 जुलाई, 1970 को रेलगाड़ी सेवाओं का ठप होना	Disruption of Train services on 27th July, 1970 ... —	146
3174	छीलन (स्क्रेप) का निर्यात	Export of Scrap ... —	147
3175	ओलावाक्कोट (केरल) के क्रिओसोटिंग कारखाने का मैसूर में स्थानान्तरण	Shifting of Creosoting Plant, Olavakkot (Kerala) to Mysore ... —	147
3176	इस्पात का उत्पादन	Production of Steel — ...	148

3177	कटक स्टेशन के निकट रेलवे पुल का निर्माण	Construction of Railway Bridge near Cuttack station	148
3178	रेलगाड़ियों का समय पर चलना	Observance of punctuality in running of Trains	148
3179	हिन्दुस्तान मशीनटूल्स से प्रतिभा पलायन	Brain drain in Hindustan Machine Tools ...	149
3180	दिल्ली में उद्योगों का अस्वीकृत क्षेत्रों से स्वीकृत क्षेत्रों में स्थानान्तरण	Shifting of industries from non-conforming areas to conforming areas in Delhi ...	150
3181	27 जुलाई, 1970 को रेलवे कर्मचारियों द्वारा किया गया प्रदर्शन	Demonstration by Railway Employees on 27th July, 1970	150
3182	गोआ में रेयन की लुगदी बनाने वाले कारखाने की स्थापना	Setting up of Rayon Grade Pulp Plant in Goa	151
3183	उद्योगों को फिर से सक्रिय बनाने के लिए पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to West Bengal for Reviatilising Industries	151
3184	विभिन्न मदों में विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration in various items ...	152
3185	मोहाली (चण्डीगढ़) में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना	Tractor plant at Mohali (Chandigarh) ...	152
3186	मद्रास स्थित बेतार तथा तार घर (दक्षिण रेलवे) में सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of amenities in wireless and telegraph office, Madras (Southern Railway) ...	153
3187	दक्षिण रेलवे में सूक्ष्म तरंग संचार पद्धति को आरम्भ करना	Introduction of microwave system on Southern Railway	154

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
3188 दक्षिण रेलवे के दूर संचार मुद्रकों पर कार्य करने वाले बेतार प्रचालकों को विशेष वेतन	Special pay to wireless operatiors working on Teleprinters on Southern Railway ...	155
3189 सूक्ष्मतरंग (दक्षिण रेलवे) के बारे में बेतार प्रचालकों का प्रशिक्षण	Training to wireless operators on Microwave Techniqne (Southern Railway)... ...	156
3190 दक्षिण रेलवे के वायरलैस ऑपरेटरों को अर्जित छुट्टी दिया जाना	Grant of earned leave to wireless Operators (Southern Railway) ...	156
अतारांकित प्रश्न संख्या 7755 दिनांक 28-4-1970 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Corrceting statement to the Answer to U.S.Q. No. 7755 dated 28.4.1970	156
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाया जाना	Calling attention to Matter of Urgent Public Imporatance	157
देश के अनेक भागों में सूखे की स्थिति	Drought conditions in several parts of the country	157
श्री क. लकप्पा	Shri K. Lakappa	157
श्री फखरूद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed ...	157
लाल किले पर ध्वजारोहण समारोह के बारे में	Re. Flag Hoisting ceremony at the Red Fort	161
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	162
श्री श्री. अ. डांगे, संसद सदस्य, की गिरफ्तारी के बारे में	Re. Arrest of Shri S. A. Dange, M.P. ...	163
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya-Sabha	164
भारतीय औषधि केन्द्रीय परिषद् विधेयक	Indian Medicine Central Council Bill ...	164
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—सभा पटल पर रखा गया	As Passed by Rajya-Sabha	165

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public undertakings ..	165
सत्तावनवें प्रतिवेदन के बारे में कागजात	Papers re. fifty-seventh Report ...	165
सदस्यों की रिहाई	Release of Members	165
श्री क. मि. मधुकर और श्री ईश्वर रेड्डी	Shri K. M. Madhukar and Shri Eswar Reddy	165
सरकारी क्षेत्र में स्कूटर के निर्माण के बारे में वक्तव्य	Statement re. Manufacture of Scooter in Public Sector	165
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	165
अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक	Advocates (Second Amendment) Bill ...	166
वापस लिये जाने के लिये सहमत होने के लिये राज्य-सभा से सिफारिश	Recommendation to Rajya-Sabha to agree to withdrawal	167
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त तथा अस्पृश्यता संबंधी समिति के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव	Motion re. Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Committee on Untouchability ...	168
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi	168
श्री एन. ई. होरा	Shri N. E. Horo ...	169
श्री दिनकर देसाई	Shri Dinkar Desai	171
श्री तु. राम	Shri T. Ram ..	174
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी	Shri Ram Swarup Vidyarthi	175
श्री कृ. म. कौशिक	Shri K. M. Koushik	177
श्रीमती मिनिमाता अगमदास गुरु	Shrimati Minimata Agam Dass Guru ...	178

विषय	Subject			पृष्ठ/Pages
श्री शिवकुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri	...	...	179
श्री अब्दुल गनी डार	Shri Abdul Ghani Dar	...	...	180
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता के बारे में चर्चा	Discussion re, interim relief to Central Government Employees	...	...	181
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	...	...	181
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	...		182
श्री प्रेमचन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	...	...	183
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	..	...	784
श्री म. ला. सोंधी	Shri M. L. Sondhi	...	...	185
श्री जी. विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	...		186

लोक–सभा
LOK--SABHA

मंगलवार, 18 अगस्त, 1970/27 श्रावण, 1892 (शक)
Tousday, August, 18 1970/Srawan 27, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए}
{Mr. Speaker *in the Chair*}

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उद्योगों के विस्तार के लिए प्राप्त हुए आवेदन–पत्रों के निपटाने की प्रक्रिया

***452. श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार आयोग की स्थापना के बाद सरकार ने बड़े और प्रमुख औद्योगिक उपक्रमों द्वारा अपने एककों का विस्तार अथवा उनके एकीकरण करने या नए एकक स्थापित करने की अनुमति के लिए प्राप्त आवेदन–पत्रों के निपटाने की कोई प्रक्रिया निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या आयोग ने कार्य करना आरंभ कर दिया है ; और

(घ) अब तक आयोग को कितने आवेदन पत्र निर्दिष्ट किये गये हैं ?

समवाय–कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) और (ख) . एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अध्याय 3, के भाग क के अन्तर्गत, दिये गये प्रार्थना–पत्रों के निपटाने की प्रक्रिया, अधिनियम

में दी गई है। धारा 21 के अन्तर्गत, अत्यधिक विस्तार, धारा 22 के अन्तर्गत नवीन उपक्रमों की स्थापना, तथा धारा 23 के अन्तर्गत एकीकरण व विलीनीकरण एवं अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले अन्य संबंधित विषयों के लिए, नियम तथा प्रपत्र विहित कर लिये गये हैं। सरकार, उन प्रार्थना-पत्रों, जो एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को जांच एवं रिपोर्ट के लिये निर्देशित किये गये थे, परन्तु उनमें से कुछ, इसके द्वारा ले लिये गये थे, सहित, उपक्रमों की स्थापना से संबंधित, धारा 21 व 22 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्रों की परीक्षा के विषय में, उनके निर्णय से पहले, अपनी सहायता के लिये, संबंधित आर्थिक मंत्रालयों तथा योजना आयोग के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर, एक अन्तः मंत्रालय सरकारी समिति की स्थापना का विचार कर रही है। अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत आने वाले विलीनीकरण इत्यादि के विषय में, अधिनियम में तथा नियमों में दी गई प्रक्रिया ही अपनाई जायेगी।

(ग) आयोग ने 6 अगस्त, 1970 से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है।

(घ) कमीशन को अभी कोई प्रार्थना-पत्र निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या एकाधिकार अधिनियम की धारा 20, 22 तथा 26 उन बड़े बड़े गैर-प्रभुत्व वाले कारखानों पर भी लागू होती है जिन्हें इस अधिनियम के बनने से भी बहुत पहले से औद्योगिक लायसेंस प्राप्त हैं तथा जिन्होंने इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की दिशा में ठोस तथा कारगर प्रयास किये हैं परन्तु अधिनियम की परिभाषा के अनुसार अभी तक उपक्रम नहीं बन सके हैं?

श्री रघुनाथ रेड्डी : हम कानूनी मामलों पर कोई विचार व्यक्त नहीं कर सकते। यदि किसी मामले में कोई विशिष्ट आवेदन-पत्र प्राप्त होता है, तो उस पर विचार किया जायेगा तथा उससे संबंधित कानून की दृष्टि से गुण दोषों के आधार पर उस बारे में निर्णय किया जायेगा।

श्री रा० कृ० बिड़ला : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार कम्पनी कानून तथा एकाधिकार आयोग को इन परियोजनाओं के बारे में तुरन्त कार्यवाही करने को कहेगी विशेष रूप से राष्ट्रीय महत्व वाली तथा करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा कमाने वाली तथा जिन का उत्पादन प्रतिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आवश्यक है उन परियोजनाओं के बारे में एक मास की अवधि में कार्यवाही करने के लिये कहेगी?

श्री रघुनाथ रेड्डी : एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं से संबंधित कानून में एक ऐसी अवधि का विधान है जिसके भीतर सरकार तथा एकाधिकार आयोग को यह मामला निपटाना होता है।

श्री उमानाथ : बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, मेरे विचार से बड़े बड़े व्यापार-गृहों का यह प्रयास है कि शेयर-धारियों को उनके शेयर प्राप्त करने से रोका जाये तथा बैंकिंग फर्मों का इन बड़े बड़े व्यापार-गृहों में विलय कर दिया जाये। सबसे नवीन जो मुझे जानकारी मिली है वह यह है कि टाटा बंधुओं ने सेंट्रल बैंक का टेलको में विलय करने का निर्णय

किया है। अतः उनका यह उद्देश्य बड़ा अन्यायपूर्ण है जिससे शेयर-धारियों पर कुप्रभाव पड़ेगा तथा इन बड़े बड़े व्यापार-गृहों को और अधिक बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसलिये, मैं जानना चाहूँगा कि क्या मंत्री महोदय सभा को आश्वासन दे सकते हैं कि टाटा बंधुओं को सैन्ट्रल बैंक का टेल्को में विलय करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैंने यह समाचार पढ़ा है। मुझे कोई जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य से निवेदन है कि वह अलग प्रश्न पूछ लें।

श्री उमानाथ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि इस विलय की अनुमति नहीं दी जायेगी ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह तो काल्पनिक प्रश्न है। जब कोई आवेदन-पत्र आता है तो उस पर योग्यता के आधार पर तथा कानून के अनुसार निर्णय किया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि एकाधिकार आयोग तथा अन्य आयोगों द्वारा विशिष्ट सिफारिशें किये जाने के बाद भी उन बड़े बड़े उद्योग-पतियों तथा व्यापारियों के विस्तार संबधी आवेदन-पत्रों को स्वीकार किया जा रहा है जो कि पहले से ही देश में एकाधिकार प्राप्त किये बैठे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने भविष्य में विस्तार हेतु उन फर्मों को लायसेन्स न देने का निर्णय किया है जहां जांच की जा रही है तथा जिन्हें देश में पहले से ही एकाधिकार प्राप्त हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम का संबंध है, यह विभाग उन आवेदनों पर विचार करता है जो इस अधिनियम के अधीन पेश किये जाते हैं। यदि औद्योगिक लायसेन्स अधिकरण का कोई हवाला दिया जाता है तो माननीय सदस्य अलग से प्रश्न पूछें।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रधान मंत्री सहित अनेक मंत्रियों ने सभा में तथा सभा से बाहर आश्वासन दिया था कि देश में एकाधिकार को बढ़ने नहीं दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस दिशा में सरकार ने कौन से कारगर उपाय किये हैं। हम देखते हैं कि उन्हीं उद्योगपतियों को लायसेंस दिये जा रहे हैं जिन्हें पहले से ही एकाधिकार प्राप्त है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं का संबंध है, उक्त अधिनियम के अध्याय III के अधीन जारी किये गये आदेश के विरुद्ध उच्चतम् न्यायालय में अपील करने की भी व्यवस्था है। अतः माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि इस बारे में मैं कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि मुझे प्राप्त होने वाले आवेदनों पर योग्यता के अनुसार तथा संबंधित कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करनी होती है।

श्री लोबो प्रभु : इस प्रश्न का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि जिस ढंग से तथा रफ्तार से आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया जाये। दिये गये उत्तर में प्रतीत होता है कि आवेदनों पर कार्यवाही करने संबंधी उपबंध तो पहले से ही मौजूद हैं परन्तु उनके रिकार्ड से ऐसा लगता है कि एकाधिकार आयोग के पास अभी तक एक भी आवेदन नहीं भेजा गया है। अतः मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या उनके पास अभी कोई आवेदन पत्र

विचाराधीन पड़े हैं, और यदि हां, तो कितने समय से निर्णयाधीन हैं ? मेरा दूसरा सामान्य प्रश्न यह है कि क्या आप इन आयोगों की नियुक्ति करते हैं तथा उन्हें कोई काम नहीं देते ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अधीन अभी तक कोई आवेदन-पत्र पेश नहीं किया गया है....

श्री लोबो प्रभु : मैंने निर्णयाधीन आवेदन पत्रों के बारे में पूछा है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यही तो कह रहा हूं।

श्री लोबो प्रभु : यदि कोई आवेदन-पत्र नहीं आया है तो फिर आप आयोग किस लिये गठित करते हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : एकाधिकार आयोग 6 अगस्त को ही तो बना है। बहुत थोड़ा समय गुजरा है और इतनी अल्प अवधि में कोई निष्कर्ष निकाल लेना हमारे लिये सही नहीं है।

Shri Achal Singh : I want to know what efforts are being made by the Government to encourage Small Scale and Cottage Industries ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह प्रश्न औद्योगिक विकास मंत्रालय से पूछा जाये।

श्री क० लकप्पा : संवर्धन तथा विलय के बारे में मंत्री महोदय ने कहा है कि इस बारे में निर्णय प्रत्येक आवेदन पत्र पर गुणावगुणों के आधार पर किया जाता है। श्रीमन्, इस मामले से देश के लोगों के दिलों में कुछ सन्देह पैदा हो गया है.......

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री क० लकप्पा : कुछ ऐसे बड़े उद्योगपति हैं जो एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम से पारित होने के बाद संवर्धन तथा विलय के नाम में, अपने व्यापार में वृद्धि तथा उसमें विलय के उद्देश्य से अधिकारियों की मुट्ठियां गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार एकाधिकारियों द्वारा किये जा रहे इस विस्तार को रोकने के लिये कोई दृढ़ तथा कारगर कार्यवाही करेगी ? वे लोग औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधिकारियों की मुट्ठियां गर्म कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य ने संवर्धन तथा विलय का जिक्र किया है। विलय और संवर्धन को अलग अलग मानकर कार्यवाही की जाती है। संवर्धन के संबंध में कार्यवाही एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम की धारा 21 के अधीन की जाती है।

श्री क० लकप्पा : श्रीमन, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा निवेदन यह है कि इस अधिनियम की आड़ में बड़े उद्योगपति लायसेन्स प्राप्त करने के लिये अधिकारियों की मुट्ठियां गर्म कर रहे हैं। इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : अधिकारियों के बारे में ऐसा कहना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है तथा मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह ऐसी बात न कहें।

उनका दूसरा प्रश्न लायसेंस के बारे में है। लायसेंस औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन दिये जाते हैं। विस्तार के लिये तथा विस्तार अथवा नये उपक्रमों की स्थापना के बारे में अनुमति एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अध्याय–III के अधीन दी जाती है। इसके लिये कुछ प्रक्रियायें निर्धारित की गई हैं। अन्ततः जब सरकार कोई आदेश पास करती है तो इस को चुनौती भी दी जा सकती है तथा धारा 29 के अधीन संबंधित आवेदन पत्रों को अवसर दिया जाता है। अतः माननीय सदस्य को इस बारे में कोई सन्देह नहीं रखना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे मित्र श्री लोबो प्रभु के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि आयोग के सामने कोई भी आवेदन-पत्र निर्णयाधीन नहीं है। परन्तु वह उत्तर (घ) भाग के उत्तर में सभा–पटल पर रखे गये विवरण से कुछ भिन्न है जिसमें कहा गया है कि आयोग को कोई पत्र नहीं भेजा गया है। क्या हम यह समझें कि संबंधित आवेदन–कर्ता सीधे ही आयोग को अपना आवेदन पेश करते हैं या कि सरकार ही उनके आवेदन पत्रों को आयोग के पास भेजती है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : क्षमा करें, मुझे विस्तार से उत्तर देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : वह उठाये गये प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : धारा 21 विस्तार के विषय में है। धारा 22 में नये उपक्रमों की स्थापना का विधान है। जो मामले एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अधीन आते हैं उन्हें सरकार आयोग के सुपुर्द कर देती है। जहां तक निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं का संबंध है आयोग को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं तथा उन सब मामलों पर आयोग ही कार्यवाही करता है। जहां तक एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं का संबंध है या तो सरकार मामले को आयोग के सुपुर्द कर देती है या फिर स्वयं आयोग ही अपनी ही जानकारी तथा विवेक के अनुसार इस बारे में जांच आरंभ कर सकता है।

लौह अयस्क तथा इस्पात के बिलेटों का उत्पादन

*454. **श्री मृत्युंजय प्रसाद :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के सभी इस्पात कारखानों का लौह अयस्क का कुल उत्पादन कितना है, देश में इसकी मांग तथा खपत कितनी-कितनी है और विदेशों को कितनी मात्रा में इसका निर्यात अथवा विदेशों द्वारा कितनी मात्रा में इसका आयात किया जाता है।

(ख) देश में इस्पात के बिलेटों का कुल कितना उत्पादन होता है, देश में इनकी मांग तथा खपत कितनी-कितनी है और इनका विदेशों को कितनी मात्रा में निर्यात अथवा विदेशों द्वारा इनका कितनी मात्रा में आयात किया जाता है ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के विभिन्न इस्पात कारखानों में उत्पादित विभिन्न प्रकार के लौह अयस्क तथा इस्पात के बिलेटों की उत्पादन लागत कितनी-कितनी है और उनका विक्रय मूल्य कितना-कितना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल. टी. 3990/70]

Shri Mrityunjay Prasad: The hon. Minister had mixed up the issue of export and internal consumption in his statement. He has mentioned the productions, the total availability, the quantity exported out of it and the total quantity consumed out of it internally and thus there was neither any surplus nor any shortage of goods for internal consumption. I, therefore, want to know whether there was any shortage of goods for internal consumption and there was any demand which could not be met or there has been so much internal consumption of goods that nothing was left ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The production of pig iron in 1969-70 was 1.7 million tonnes. Out of it, 6 million tonnes of pig iron was exported and 0.8 million was utilised in the country. It is expected that during the next few years the demand of pig iron in the country will be 1.95 million tonnes and its production will be increased to the extent that it will be sufficient to meet the country's demand. The pig iron left after meeting the necessary requirements will be exported.

Shri Mrityunjay Prasad : My second question is regarding prices. It has been mentioned in this statement that "Data regarding cost of production of pig iron and steel billets are regarded as confidential and so they are not available."

If the hon. Minister terms its production as confidential then how one can decide whether the prices of steel finished goods or billets fixed are proper or not and whether the cost of production has increased or it has remained stable ?

It has also been mentioned in the statement that "The installed capacity of registered billet re-rolling mills on two shift capacity was about 2.76 million tonnes per annum ?

But the internal consumption is about half a million tonnes, It shows that the re-rolling mills are not working to their full capacity or they are not getting goods hon. Minister may clarify the position in this regard an he may also tell the position regarding the prices.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It is not in the interest of the business to tell the cost of production of steel. In case the cost of production is disclosed, it will result in a lot of bargaining in the foreign markets. It is, therefore, not in the interest of business to disclose the cost of production of steel.

So far as the availability of billets is concerned, it is expected to be 60 thousand tonnes per month this year. It means that the total production will be 7,27,000 tonnes, but the production will be more than 20 lakhs tonnes in two shift basis. As and when the availability of pig iron increases the quota of billets will also be increased. But the hon. member is very well aware of the position of our plants. The production in Durgapur has considerably decreased. We are not able to increase the production of billets in our plants due to some reasons. As soon as the position improves the production will increase.

Shri Mrityunjay Prasad : The hon. Minister has stated that he does not want to disclose the cost of production of steel because as a result of it there will be a lot of bargaining in foreign markets. Besides he had also stated that our production is decreasing. He has also mentoined the name of Durgapur in this connection. I want to know

whether the hon. Minister does not like to tell the cost of production because it will have repercussions in the market, or because the cost of production has been rising unduly on account of the unrest in the public sector and the hon. Minister does not want to make it clear.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : So far as the prices of billets are concerned they are not confidential. Its J. P. C. price this year is slightly more than Rs. 725/-.

श्री शशि रंजन : नियम के अनुसार सरकार कोई भी जानकारी देने से इंकार नहीं कर सकती सिवाय उस जानकारी के जिसका दिया जाना जनहित में नहीं है। माननीय मंत्री ने बताया है कि उत्पादन लागत का बताना व्यापार के हित में नहीं है। वह किस नियम के अन्तर्गत जनहित का आश्रय ले रहे हैं।

श्री उमानाथ : व्यापार हित जनहित है।

श्री शशि रंजन : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : समितियों में भी हम उक्त नियम का पालन करते हैं।

श्री शशि रंजन : हम ऐसे नियम नहीं बना सकते जो नियमों के अन्तर्गत न आते हों।

श्री द्वा० ना० तिवारी : माननीय मंत्री के वक्तव्य से दो बातें स्पष्ट हैं। पहली यह कि हम अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर रहे हैं और दूसरे, हम देश की खपत को ध्यान में न रखकर बिलेटों का निर्यात कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि देश की मांगों को पूरा किये बिना बिलेटों का निर्यात करने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि अनेक वर्कशापों को कच्चे माल की कमी के कारण हानि हो रही है ? और यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : सरकार ने इस बारे में विभिन्न सरकारों को पहले वचन दिये थे। हमें उन वचनों को पूरा करना है। उन वचनों के आधार पर ही हमें उन्हें बिलेटों का निर्यात करना पड़ रहा है। अन्यथा इसका उत्पादन पर्याप्त नहीं है।

श्री हेम बरूआ : क्या यह सच है कि देश में इस्पात का अकाल पड़ जायेगा और इससे बिलेटों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस्पात के बिलेटों के उत्पादन के लिये पुनर्बेलन उद्योग पर नियंत्रण लगाने का है या नहीं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं समझ सका। यदि माननीय सदस्य का इससे अभिप्राय इस्पात पर नियंत्रण लगाने का है तो सरकार का इस समय ऐसा करने का कोई विचार नहीं है।

आसाम में उद्योग

* 455 **श्री हेम बरुआ :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आसाम में नये उद्योग स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार आसाम में सीमेंट फैक्टरी स्थापित करने का है और यदि हां, तो क्या इस बात का निर्णय कर लिया गया है कि उक्त फैक्टरी कहां स्थापित की जायेगी और उसकी क्षमता कितनी होगी ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं. र. कृष्ण) : (क) जी, हां । ऐसी औद्योगिक परियोजनाओं का नाम जिन्हें सरकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आसाम में स्थापित करना चाहती हैं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रतिवेदन के खनिज तथा उद्योगों के अध्याय के अनुबन्ध 2, पृष्ठ 326–330 पर दिये गये हैं ।

(ख) जी, हाँ । आसाम में सीमेंट कारखाने की स्थापना के लिए बोकाजन का चयन किया गया है और इसकी प्रस्तावित क्षमता 2,00,000 मी. टन प्रतिवर्ष है ।

श्री हेम बरूआ : आसाम में उद्योगों के अभाव के कारण वहां बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है । गोहाटी में तेल शोधन कारखाने और नामरूप में उर्वरक कारखाने के अतिरिक्त आसाम में केन्द्रीय सरकार द्वारा और कोई उद्योग नहीं चलाये जा रहे हैं । क्या सरकार का विचार आसाम की हमेशा इस प्रकार उपेक्षा करने का है ? मुझे याद है कि सभा में सरकार की ओर से इस बात का आश्वासन दिया गया था कि 500 रुपये या इससे कम रुपये के किसी भी पद पर स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी । लेकिन उक्त आश्वासन का उल्लंघन किया गया है । क्या सरकार का विचार आसाम में और उद्योग स्थापित करने का है और क्या सरकार अपने उन निदेशों का पालन करेगी जिनके अनुसार 500 रुपये या इससे कम वेतन के पदों पर केवल स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त करेगी जिससे राज्य में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या हल की जा सके ?

श्री मं र. कृष्ण : आसाम में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के बारे में मैं माननीय सदस्य को सूचित करूंगा । राज्य में एक कागज का कारखाना स्थापित किया जायेगा, जिसके बारे में सब आवश्यक कार्यवाही पूरी करली गई है । यहां तक कि उसके लिये आवश्यक मशीनों के खरीदने के क्रयादेश भी दे दिये गये हैं । सीमेंट उद्योग का दूसरा यूनिट भी आसाम में स्थापित किया जायेगा । आसाम में इस समम भी सीमेंट उद्योग काम कर रहा है । पैट्रोलिय मंत्रालय द्वारा आसाम में पेट्रो-रसायन सार्थ समूह स्थापित किया जायेगा । जहां तक वहां के स्थानीय लोगों के वेतन आदि का तथा किन्हीं पदों पर वहां के लोगों को नियुक्त करने का सम्बन्ध है, यह भिन्न मामला है और इसे अन्य मंत्रालय से पूछा जा सकता है ।

श्री हेम बरूआ : पेट्रो-रसायन सार्थ समूह की स्थापना के बारे में केवल कागजी कार्यवाही की गई है । प्रधान मंत्री ने इस बारे में 5 दिसम्बर, 1969 को एक वक्तव्य दिया था । लेकिन इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

क्या आसाम के कचार जिले से एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधान मंत्री से भेंट की थी और किसी कारखाने की स्थापना के बारे में स्थान की मांग की थी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : आसाम के कुछ विधान सभा के तथा संसद के सदस्यों ने मेरे से भी भेंट की थी और इस बात का उल्लेख किया था कि कागज परियोजना को चार जिले में स्थापित किया जाना चाहिये। मैंने उन्हें बताया था कि हम इस बारे में विचार करेंगे और इस सम्बन्ध में आसाम सरकार से भी सलाह करेंगे।

श्री बेदब्रत बरूआ : क्या यह सच नहीं है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के गत 22 वर्षों के बाद आसाम राज्य औद्योगिक दृष्टि से और अधिक पिछड़ गया है और क्या ऐसा देश के विभाजन के बाद आसाम राज्य की संचार व्यवस्था के अस्त-व्यस्त हो जाने के कारण हुआ है ?

इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार आसाम राज्य को रेल भाड़े में रियायतें देकर औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिये कोई विशेष कार्यवाही करने के बारे में विचार कर रही है ? जब हम भूतपूर्व उद्योग मंत्री तथा प्रधान मंत्री से मिले थे तब इस बारे में विचार किया जा रहा था।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने आसाम का उद्योगीकरण करने का उल्लेख किया है। मूल प्रश्न के उत्तर में हमने आसाम में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के बारे में उल्लेख किया है। यह बात हमारे ध्यान में है। आसाम का देश से भूमि के मार्ग से बहुत कम सम्पर्क है। अतः हम यह चाहेंगे कि आसाम में अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना की जाये क्योंकि इससे आसाम में लोगों को नौकरी के और अवसर प्राप्त होंगे।

श्री हेम बरूआ : आसाम की समस्याओं की ओर सबका ध्यान है। लेकिन आसाम के लिये कोई कुछ नहीं करता।

श्री दिनेश सिंह : इस मामले में मैं माननीय सदस्य से विचार विमर्श करने के लिये तैयार हूं।

श्रीमती ज्योत्सना चंदा : माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि कागज की लुगदी का कारखाना आसाम सरकार से विचार-विमर्श कर स्थापित किया जायेगा। क्या माननीय मंत्री ने इस बारे में बातचीत की है और यदि हां, तो आसाम में कागज की लुगदी का कारखाना स्थापित करने के बारे में आसाम सरकार ने क्या उत्तर दिया ?

श्री दिनेश सिंह : यह कागज उद्योग का पृथक प्रश्न है। मूल प्रश्न सीमेंट उद्योग से सम्बन्धित है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि जब मैं विचार विमर्श करूंगा तो मैं इस विषय पर भी आसाम सरकार से विचार-विमर्श करूंगा।

Shri Om Prakash Tyagi : The plains of Assam are more developed as compared to the hilly areas. I want to know whether Government has prepared any scheme for establishing some industries in the backward areas like Mikir Hills and if so, which industries are likely to be established there ?

Shri Dinesh Singh : If the hon. member reads the Fourth Five Year Plan he will get an idea about the new industries to be established there.

Shri Om Prakash Tyagi : I want to know whether there is any scheme for the establishment of some industries in the backward areas like Mikir Hills in Assam ?

Shri Dinesh Singh : Please see the Fourth Five Year Plan first and then ask any specific questions.

श्री स. कुण्डू : ग्रासाम की कठिनाईयां केवल ग्रासाम तक ही सीमित नहीं हैं। यह ऐसा मामला है जिसका समर्थन प्रत्येक भारतीय करेगा माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि इस देश में प्रादेशिक ग्रसंतुलन में वृद्धि हो रही है ग्रौर श्री वान्चू की ग्रध्यक्षता में नियुक्त एक समिति ने उक्त पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने तथा उनके लिये वित्तीय साधनों की व्यवस्था करने की सिफारिश की थी। क्या उन सिफारिशों को ग्रासाम के बारे में ग्रब तक क्रियान्वित किया गया है ग्रौर यदि हां, तो इन सिफारिशों को कैसे क्रियान्वित किया गया है ?

श्री दिनेश सिंह : समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता। यदि कोई विशेष प्रश्न पूछा जाये तो मैं उन्हें उसका उत्तर दूंगा।

जहां तक ग्रासाम को सहायता देने का प्रश्न है, वित्तीय संस्थाएं ग्रासाम के विकास के लिये विशेष सहायता दे रही हैं। इस बारे में यह विचार है कि राज्य में उद्योगों की स्थापना में उद्यमकर्ताग्रों को राज सहायता देने के लिये ग्रासाम के दो जिलों को चुना जाये।

श्री बासुमतारी : क्या यह सच नहीं है कि ग्रासाम राज्य ग्रभी भी सबसे पिछड़ा क्षेत्र है ग्रौर इसका किसी राज्य से न तो रेल ग्रौर न हां सड़क द्वारा सम्बन्ध है ? यदि वहां कोई सड़कें हैं तो वे सब चाय बागानों की ग्रोर जाती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गैर-सरकारी उद्यमकर्ता उद्योगों का विकास करने के लिये वहां जाने के इच्छुक नहीं हैं ग्रौर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार उक्त राज्य का विकास करने की इच्छुक नहीं है, मैं यह जानना चाहता हूं कि उक्त राज्य के विकास के लिये क्या कार्यवाहीं की जा रही है, विशेष कर ग्रब जब कि वह क्षेत्र सामरिक महत्व का क्षेत्र है ?

श्री दिनेश सिंह : जी, नहीं। सरकार इस बारे में ग्रनिच्छुक नहीं हैं बल्कि सरकार यह चाहती है कि ग्रासाम राज्य का विकास हो। मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि उन उद्यमकर्ताग्रों को सहायता देने के लिये विशेष योजनाएं हैं जो वहां उद्योग स्थापित करने के इच्छुक हैं। प्रश्न केवल लोगों के ग्रासाम जाने का नहीं है। मुझे ग्राशा है कि ग्रासाम के लोग भी इसका लाभ ऊठायेंगे।

लघु उद्योगों के लिए इस्पात

*456 **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के लिए 10 करोड़ रुपये की कीमत का ग्रायातित इस्पात ग्रारक्षित रखने की सरकार की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस्पात किन देशों से ग्रायात करने का प्रस्ताव है ; ग्रौर

(ग) ग्रब तक कितना इस्पात प्राप्त हुग्रा है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लि. द्वारा 10 करोड़ रुपये के मूल्य तक इस्पात का आयात करने की सिद्धान्ततः अनुमति दे दी गई है। आयात किये गये इस इस्पात का वितरण मुख्यतः लघु उद्योगों को किया जायेगा।

(ख) आयात संयुक्त राज्य अमरीका और योरूप के पूर्वीय देशों में, जिनमें रूस भी शामिल है, किया जायेगा।

(ग) अभी तक कोई इस्पात प्राप्त नहीं हुआ है। इस्पात की पहली किस्त अक्तूबर के अन्त तक अथवा नवम्बर, 1970 के शुरू में भारत पहुंचने की सम्भावना है।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि यदि हमारे देश में इस्पात का उत्पादन कम है तो क्या अब हमें देश में विशेष इस्पात की कमी को पूरा नहीं करना चाहिए और क्या सरकार इस्पात का उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रयत्न कर रही है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिये हमें इस्पात कारखानों की वर्तमान क्षमता का उपयोग करना होगा। हम इस सम्बन्ध में प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री नि. रं. लास्कर : मैंने अपने देश में विशेष इस्पात के उत्पादन की कमी का उल्लेख किया था। सरकार इस कमी को किस प्रकार पूरा कर रही है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : उपलब्धता और मांग में लगभग 18 लाख से 20 लाख मीटरी टन तक का अन्तर है।

श्री नि. रं. लास्कर : क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की है कि यह इस्पात लघु उद्योगों को मिल सके, बड़े उद्योगों को नहीं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इस्पात वितरण की नई नीति में इस बात की व्यवस्था है कि विदेशों से जितना इस्पात आयात किया जायेगा वह वास्तविक उपभोक्ताओं को बांट दिया जायेगा।

Shri Molahu Prasad : May I know whether it is a fact that G. P. Sheets B. P. Sheets G.B.Sheets and black sheets are being imported from Japan since 1964-65 and if so, the names of agencies through which they have been distributed each year as also the quantity distributed through each ?

Mr. Speaker : How is it relevant

Shri Mohalu Prasad : The item of imported steel has been mentioned in part (c) of the question.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I do not have the break up of white and black sheets imported from Japan. I can inform the hon. member later on.

Shri Molahu Prasad : He should give an assurance to the effect **(Interruption)**.

स्वदेशी तकनीकी जानकारी से स्कूटरों का निर्माण

×

*457. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : श्री शिवचरण लाल :**
श्री शिवकुमार शास्त्री : श्री गोपाल साबू :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र का कोई व्यक्ति पूर्ण-तया स्वदेशी तकनीकी जानकारी तथा सामान से स्कूटरों का उत्पादन शुरू करने को तैयार है तो उसको ऐसा करने की अनुमति दे दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो स्कूटरों के निर्माण के लिए जो पार्टियां आगे आई हैं तथा जिन्होंने लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिये हैं उनके नाम क्या हैं; और

(ग) कुल कितनी क्षमता के लिए लाइसेंस दिये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : स्कूटरों का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु जिन पार्टियों ने आवेदन पत्र दिए हैं, उनके नामों को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3991/70) इस समय, सभी आवेदनों पर विचार किया जा रहा है।

Shri Raghubir Singh Shastri : Is it a fact that Government had appointed a high level expert committee and that committee had suggested that the said factory should be set up in public sector instead of private sector and only then the demand could be met and if so, the time by which the said factory would start functioning and what are the other specific details thereof ?

The Minister of Industrial Development and Internal Trade (Shri Dinesh Singh): It had been decided to set up this factory in public sector even prior to the appointment of this committee. The said committee was to examine the feasibility of setting up of this factory in public sector. They had to see whether this factory could be set up with indigenous know-how and the material available here or we have to seek help from outside. The Government has teken a decision in this regard and I have been asked to give a statement after some time. I shall furnish all the details at that time.

Shri Raghuvir Singh Shastri : May I know whether model of the proposed factory would be indigenous or foreign and whether any negotiations have been held for taking the model or design of the existing two factories in the country. If so. the results thereof ?

श्री दिनेश सिंह : इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर उस वक्तव्य में आ जायेगा जो मैं सभा में दूंगा और जहां तक दो वर्तमान निर्माताओं से सहाय - ा लेने का सम्बन्ध है। उसका उत्तर नकारात्मक है।

Shri Shiv Kumar Shastritri : May I know the time by which the production will start ? Moreover, major defect in the present scooters is that they automatically stop while negotiating a turn and accidents occur as a result thereof. May I know whether the instructions are being issued to remove this defect in the new type of scooters ?

Shri Dinesh SinghL : I should get this point examined. I have however no personal experience.

श्री वी० कृष्णामूर्ति: छोटी कार के मामले की तरह इस देश में निहित स्वार्थ सरकार पर दवाब डाल रहे हैं कि वह सरकारी क्षेत्र में स्कूटर निर्माण के लिये विदेशी फर्मों के साथ सहयोग न करे। स्कूटरों की मांग लगभग दो लाख है जबकि भारत में केवल 50,000 स्कूटर बनते हैं। गत वर्ष सरकारी क्षेत्र में 50,000 स्कूटर बनाने के बारे में निर्णय किया गया था। इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने में इतना विलम्ब क्यों किया गया है और मंत्रिमंडल द्वारा स्कूटर निर्माण के लिये विदेशों के साथ सहयोग करने के बारे में केवल कुछ ही दिन पहले निर्णय किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार कम से कम एक वर्ष के भीतर उपर्युक्त कारखाना चालू कर देगी ?

श्री दिनेश सिंह : इस मामले में विलम्ब का कारण यह है कि हमने इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी। उस समिति का प्रतिवेदन मिल गया है और सरकार ने निर्णय भी कर लिया है और कुछ समय बाद मैं उसकी घोषणा कर दूंगा। हमें आशा हैं कि हम शीघ्र ही इस सम्बन्ध में ब्यौरा तय कर लेंगे। हम कोशिश कर रहें हैं कि यह कार्य 6 महीने में पूरा हो जाये और इसके बाद किसी भी समय निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

Shri Bhola Nath Master : May I know whether Rajasthan State Industrial and Mineral Development Corporation had also applied for industrial licence for manufacturing scooters and whether government is contemplating to give them licence in Public Sector ?

Shri Dinesh Singh : Yes Sir. That is also under consideration.

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister has stated that Government is contemplating to set up a factory for manufacturing scooters in public sector. May I know whether it is a fact that Government is seeking foreign collaboration also and if so, the amount of foreign exchange involved and whether the hon. Minister can give an assurance that the demand of scooters would be fully met after the Fourth Five Year Plan because the scooters are being sold in black market at present ? May I also know the demand as well as production of scooters at present ?

Shri Dinesh Singh : This factory will be able to produce one lakh scooters. The present capacity of production is about 50,000 scooters. Two or three factories are manufacturing them. In other words 1,50,000 scooter will be manufactured annually in all these factories and the demand of this country will be met to a great extent. In the meantime if demand increases, we can sen to it, but it is expected that the demand will be met.

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister has not stated the requirement of foreign exchange.

Shri Dinesh Singh : It has been included in the statement. He can read the same.

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, I had asked about foreign exchange involved in foreign collaboration but there is no reply.

Shri Dinesh Singh : Mr. Speaker, I am likely to give a statement in this connection. The hon. member may kindly wait till that time and he will come to know.

Industries in Public and Private Sectors

\+
***459. Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Sharda Nand :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the present nnmber of industries in the public and private sectors in the country separately with capital investment of rupees one crores and more;

(b) the names of the industrialists who own the said industries in the private sector; and

(c) the capital invested in 1967 in these private sector industries ?

औद्योगिक विकास तथा आतंरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). चालू वित्तीय वर्ष के आरम्भ में केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध व नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र में एक करोड़ या उससे अधिक पूंजी विनियोजन वाले 85 उपक्रम थे, इनके अतिरिक्त 12 उपक्रम ऐसे हैं जिसमें सरकार ने दिन प्रतिदिन के प्रबन्ध का सीधा उत्तरदायित्व न लेकर पूंजी लगाई है। इनका ब्यौरा सरकारी उपक्रमों के विभाग द्वारा प्रकाशित वर्ष 1968-69 के लिए केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है। सरकारी क्षेत्र में ऐसे भी कई उपक्रम हैं जिनकी देखभाल विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध नियंत्रण के सहित या उसके बिना विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों के बारे में सरकार ऐसा कोई दिन प्रतिदिन का अभिलेख नहीं रखती कि कितने-कितने कारखानों में कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है, उद्योगपतियों के क्या-क्या नाम हैं और प्रत्येक वर्ष के आधार पर इनमें से प्रत्येक उपक्रम में कितनी-कितनी पूंजी लगाई गई है। तथापि एकाधिकार जांच आयोग के रिपोर्ट के सम्बन्ध में 75 व्यापार गृहों की सूची तैयार की गई थी जो कि उस रिपोर्ट में दी गई है। उस सूची के अनुसार इन व्यापार गृहों के एक करोड़ या उससे अधिक के विनियोजन वाले उस समय 839 औद्योगिक करखाने थे। ऐसा अनुमान है कि अब इन 75 व्यापार गृहों के औद्योगिक कारखानों की संख्या लगभग 900 तक हो गई होगी।

Shri Ram Gopal Shalwale : Mr. Speaker, Sir, According to the statement laid on the Table of the House, a list of 75 industrial houses had been complied which has

been given the Monopoly Commission Report. According to that list, there were at that time 839 industrial units with a capital investment of Rs. 1 crore or more, but now the number of industrial units owned by these 75 Business Houses is estimated to be about 900.

I would like to know whether the Government had issued licences for new units only to these 75 Industrial Houses whose ownership of 839 industrial units before has now gone up to 900 and whether it is proposed to distribute the wealth of the nation only among the old big industrial houses ?

The Minister of Industrial Development and Internal Trade (Shri Dinesh Singh): No, Sir. The hon. Member knows that it is our constant effort to broad-base it and those who have already flourished are given licences for specific items only due to special reasons. Our policy is to extend all possible help to small entrepreneurs.

Shri Ram Gopal Shalwale : I want a reply to my question as to how many of the old Industrial Houses whose units increased from 839 to 900, got licences.

Shri Dinesh Singh : In our publication, all details regarding the grant of licences including the names of those to whom they were issued are given. A copy of the same is placed in the Library.

Shri Ram Gopal Shalwale : All the public sector undertakings are running in loss. Can the hon. Minister name a single unit in the public sector which is yielding profit ? Contrary to this, the undertakings in the private Sector are making profit. However, if the Minister thinks that they are running in loss, will he please mention the names of such undertakings ?

Shri Shashi Bhushan : There are certain foreign monopoly companies functioning in this country. In this connection, I would like to mention cigarettes manufacturers, particularly the Wazir Sultan Tobacco Company which has sought permission for expansion. In this company, everything from production to export is in the hands of foreign monopolists. I would like to know whether the Government would give priority to indigenous companies or foreign companies ?

Shri Dinesh Singh : We are surely giving priority to indigenous companies. We have given a large number of licences to them, although they have not been able to set up their units. Also, many Indian Companies have expanded.

As far as the Wazir Sultan Tobacco Company is concerned, the application they submitted for expantion seeks to indianise the company, by which it will come into the hands of Indians to the extent of 51 per cent. The matter is under consideration.

Shri Prakash Vir Shastri : Just now, there was a mention of the monopoly of Wazir Sultan Company and the Minister said that the Government is considering the question of indianisation of this company. Similarly, there is the Imperial Tobacco Company in which majority of shares is owned by foreigners. Every year, foreign exchange worth lakhs of rupees goes out of the country through such companines. Do the Government propose to indianise these companies ? Has the Minister received any memorandum to this effect, on the basis of which he is going to take a decision in the matter ?

The other alternative can be to nationalise these tobacco companies, where the foreign capital investment is of a very high order, and through which much of our money

goes out. Even if such a course of action might adversely affect the cigarette industry, its nationalisation would be in the interest of the country.

Shri Dinesh Singh : Nationalisation is another big question. We have got to see which companies should be nationalised and which not. But it is certainly our effort to indianise these companies as far as possible. If we are not in a position to nationalise them, it is our effort at least to indianise them.

Shri Prakash Vir Shastri : In fact these companies were already Indianised, when most of the relatives of our Ministers were employed there. Hence, Indianisation does not make such sense. These companies should be notionalised.

Shri Denesh Singh : That is not cerrect, if we see the number of relatives, the number of the Ministers' relatives would be far less than the relatives of others. We would find that their number is far less than that of others.

Shri Prakash Vir Shastri . You might have no relatives there but most of them are the relatives of other Ministers.

श्री रंगा : ग्राई० टी० सी० एल० के बारे में विशिष्ट प्रश्न था। सरकार को पहले ही एक ग्रभ्यावेदन दिया जा चुका है। हममें से ग्रनेक सदस्यों को भी उसकी प्रतियां प्राप्त हुई हैं। इसका क्या कारण हैं कि मन्त्री महोदय एक निश्चित प्रश्न का निश्चित उत्तर नही दे रहे है कि उन्होंने कोई विचार किया भी है या नहीं ?

श्री दिनेश सिंह : निश्चित प्रश्न क्या है ?

Shri Shashi Ranjan : The Minister had stated in this House that new licences would not be given to the people against whom some inquiry was pending. May I know whether the Government have issued licences to any such firms or concerns against whom an inquiry was pending and, if so, what are the names of such firms ?

श्री दिनेश सिंह : हमने ऐसा कोई सामान्य वक्तव्य नहीं दिया है कि इस प्रकार की किसी कम्पनी को कोई लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। इस सदन में नहीं, बल्कि दूसरे सदन में मैंने जो कुछ कहा था वह यह हैं कि उन कम्पनियों के मामले में, जिनका सरकार ग्रायोग द्वारा विशेष रूप से उल्लेख किया गया था ग्रौर जिनके बारे में प्रत्यक्षत: कदाचरण ग्रथवा ग्रनियमितता का मामला बनता है, हम तब तक उनके विस्तार ग्रथवा विकास की ग्रनुमति नहीं देंगे जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती।

Shri Ram Sewak Yadav : Has the Government formulated any basic policies for indianisation of companies which have submitted applications in this respect ? If so, what are those policies ? Do these policies also include consideration of the financial position of the company that has sought to Indianise itself ? It is possible that a company is bankrupt and the Government may have to incur loss by pruchasing its shares ?

Shri Dinesh Singh : Before purchasing shares of the company, the people concerned would have to look into this themselves. The Government is not supposed to give any certificate regarding the purchasing of shares or otherwise of a company. As

far as Indianisation is concerned, our guideline is that if the big foreign companies want to expand, we make efforts to see that the share of Indian nationals increases. At present it is difficult to say whether we would be able to Indianise other companies also or how much time it would take. There my be some companies which do not want indianisation or even expansion. But our effort is to see that when these companies approach us for any kind of expansion or diversification, the share of Indian nationals is increased and they are Indianised. But this involves some other difficulties also as in the case of cigarettes.

Mr. Speaker : The Sikhs do not have any shares in these companies ?

Shri Prakash Vir Shastri : They also have shares in these.

श्री कार्तिक उरांव : यह मार्गदर्शक सिद्धान्त है और यह होना भी चाहिए कि किसी कारखाने द्वारा तीन वर्ष तक उत्पादन में लगे रहने के पश्चात् उसमें लगाई गई पूंजी के कम से कम 10 प्रतिशत का लाभ होना चाहिए। यह एक सर्व विदित तथ्य है कि विदेशी सहयोग वाले कारखानों सहित सरकारी क्षेत्र के हमारे अधिकांश कारखाने घाटे में चल रहे हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में लगी पूंजी पर लाभ का अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत अनुपात क्या है और सरकारी क्षेत्र में लगी पूंजी पर लाभ अथवा हानि का अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत अनुपात क्या है और सरकार इस बात के लिए क्या उपाय कर रही है कि कारखाने लाभ में चलें ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अधिक सामान्य प्रश्न है।

श्री दिनेश सिंह : मेरे पास सरकारी क्षेत्र के सभी उद्योगों के बारे में आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत संगत भी नहीं है।

Shri Abdul Ghani Dar : All the companies which are manufacturing drugs, earn a great deal of profit and whole of the profit goes out of the country. The Government invested crores of rupees in public sector but they could not succeed. In view of this, will the Government think of nationalising these foreign drug companies so that it may not be possible for them to earn exorbitent profits ? Almost all the shares in these copanies are owned by foreigners and crores of rupees are going out of the country. Will these drug companies be nationalised, because the public sector has utterly failed ?

Mr. Speaker : You are deviating from the subject.

Shri Dinesh Singh : I only wanted to say that drugs are being manufactured in the public sector also.

Shri Abdul Ghani Dar : How much loss is being incurred by the bublic sector ?

Mr. Speaker : What kind of question you are asking ?

Shri Abdul Ghani Dar : They are making the country bankrupt and what is wrong if we take a little advantage under your protection ? Let them then issue licences to Sanjay or anybody else.

Mr. Speaker : You are completely deviating from the subject.

बांसपानी खान मालिक एसोसिएशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) द्वारा बांसपानी-जोरूरी ? रेलवे लाइन की लागत की प्रतिपूर्ति

461. श्री दे० अमात: श्री गु० च० नायक:
श्री धी० ना० देव: श्री अ० दीपा:

श्री महेन्द्र माझी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय को बांसपानी खान मालिक एसोसियेशन की ओर से दक्षिण-पूर्व रेलवे में बांसपानी तथा जोरूरी के बीच रेलवे लाइन का विस्तार करने की लागत की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इस नई रेलवे लाइन के निर्माण की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो किये गये प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही की गई ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रोहनलाल चतुर्वेदी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). खनिज और धातु व्यापार निगम ने यह संकेत दिया है कि बांसपानी से जोरूरी तक रेलवे लाइन बढ़ा देने से खनन कार्य में सहायता मिलेगी और इस क्षेत्र के खान–उत्पादन में वृद्धि होगी। तदनुसार बांसपानी से जोरूरी तक लाइन का विस्तार करने के सम्बन्ध में विस्तृत जांच का काम उस सर्वेक्षण दल को सौंपा गया है जो तालचेर–बिमलगढ़ रेल सम्पर्क (कोइरा घाटी तक विस्तार सहित) के बारे में जांच पड़ताल कर रहा है और यह काम हो रहा है।

श्री दे० अमात : तालचेर–बिमलगढ़ एक अलग लाइन है और बांसपानी से जोरूरी एक अन्य लाइन है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब खान-मालिक संघ रेलवे–लाइन के निर्माण की समग्र लागत को अदा करने के लिए सहमत हो गया है, तो बांसपानी से जोरूरी तक नई लाइन के निर्माण के बारे में सरकार कब तक प्रमुख नीति सम्बन्धी निर्णय लेगी ?

श्री रोहनलाल चतुर्वेदी : यह कहना गलत है कि खान मालिक बांसपानी से जोरूरी तक के इस खण्ड के निर्माण की लागत को अदा करने के लिए सहमत हो गये हैं। पता नहीं यह गलतफहमी कैसे पैदा हो गई। फिर भी, मैं यह बता देना चाहता हूं कि दक्षिण–पूर्व रेलवे प्राधिकारियों के साथ एक अनौपचारिक चर्चा के दौरान, खान मालिकों ने यह कहा था कि वे बढ़े हुए खर्चे को अदा करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे इस लाइन के निर्माण की लागत की अदायगी करने के लिए तैयार हैं।

श्री प्र० के० देव : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिकतम लौह अयस्क भण्डारों अर्थात् 20000 लाख टन अयस्क के इस क्षेत्र में होने का अनुमान है, विशेष रूप से मलनटोली

क्षेत्र में 6000 लाख टन अयस्क होने का अनुमान है और नयागढ़ क्षेत्र में एक इस्पात कारखाने के स्थापित किये जाने की सम्भावना है और इस क्षेत्र से अधिकांश लौह अयस्क बोकारो जायेगा और नया गढ़ के नये इस्पात कारखाने को कोयला भी मिल सकेगा, और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा इसके विस्तार को प्राथमिकता दिये जाने को ध्यान में रखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस रेलवे लाइन का कब तक विस्तार कर दिया जायेगा ?

श्री रोहनलाल चतुर्वेदी : इस बारे में किसी समय–सीमा का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि खनिज तथा धातु व्यापार निगम की सलाह पर 1967 में एक सर्वेक्षण किया गया था। इसकी लागत के बारे में खनिज तथा धातु व्यापार निगम को, सूचना दे दी गई है। इस पर 294 लाख रुपये की लागत आयेगी। उन्होंने कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया है। इसके बारे में खान-मालिकों और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के बीच बातचीत चल रही है और जब वे किसी समझौते पर पहुँच जायेंगे, हम अवश्य ही इस पर विचार करेंगे।

श्री प्र० के० देव : जब तक उन्हें खनिज तथा धातु व्यापार निगम की सहमति न मिल जाय, वे इसे अपने आप नहीं कर सकते ?

श्री स० कुण्डू : बांसपानी से जोरूरी तक की 4 किलोमीटर लम्बी यह लाइन तालचेर-बिमलगढ़ लाइन से पूर्णतया भिन्न है। क्या मंत्री महोदय इस क्षेत्र में होने वाले यातायात और वहां से निकलने वाले अयस्कों को ध्यान में रखते हुए, अपने अधिकारियों से इस लाइन की आर्थिक स्थिति के बारे में अलग से विचार विमर्श करेंगे और अलग से अनुमान तैयार करके लाइन का निर्माण करायेंगे ?

श्री रोहनलाल चतुर्वेदी : बांसपानी से जोरूरी तक इस लाइन की लम्बाई 4 किलो–मीटर नहीं है। वह 9 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया इस पर लगभग 294 लाख रुपये लागत आयेगी। चूंकि हम तालचेर-बिमलगढ़ लाइन का सर्वेक्षण कर रहे हैं और इसका कोइरा घाटी तक विस्तार भी कर रहे हैं। अतः हमने उसमें ही इसे भी शामिल कर लिया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सोवियत संघ के शिष्ट-मंडल द्वारा जम्मू तथा काश्मीर का दौरा

***451. श्री एन० शिवप्पा :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या औद्योगिकविकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ के एक शिष्ठ मंडल ने इस वर्ष जम्मू तथा काश्मीर का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो केवल काश्मीर का ही दौरा करने का क्या उद्देश्य था ; और

(ग) क्या यह दौरा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं०र० कृष्ण)(क) से (ग). जम्मू-काश्मीर राज्य में वन संपदा के विदोहन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए रूसी विशेषज्ञों के एक दल ने राज्य का दौरा किया। राज्य सरकार से उनकी हुई बातचीत का व्यौरा अभी उपलब्ध नहीं हुआ।

बाल कल्याण चार्टर के लिए राज्यों की स्वीकृति

* 453. **श्री कोलाई विरूआ : श्री मयावन : श्री नारायणन : श्री दण्डपाणि :**

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांच राज्यों ने बाल कल्याण चार्टर को स्वीकृति प्रदान कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो समाज कल्याण विभाग द्वारा तैयार किये गये बाल कल्याण सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के प्रस्ताव के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) उस पर अन्य राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या सरकार ने अब एक राष्ट्रीय बाल बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है, और यदि हां, तो उसके सदस्य तथा अध्यक्ष कौन होंगे ; और

(ङ) इस बोर्ड की क्या जिम्मेदारियां होंगी ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तय्या) : (क) सात राज्यों ने बाल-नीति संकल्प से अपनी सहमति की सूचना दी है।

(ख) गुजरात, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, केरल, मैसूर, उड़ीसा और पंजाब।

(ग) शेष राज्यों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

(घ) और (ङ). बाल सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति संकल्प के अपना लिए जाने के पश्चात राष्ट्रीय बाल बोर्ड स्थापित करने के सुझाव पर विचार किया जायेगा।

लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति

* 458. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अप्रेल में घोषित ला;सेंस देने सम्बन्धी नीति के बारे में जनता की प्रतिक्रिया जान ली गई है ;

(ख) इस नीति के बारे में प्रतिनिधि निकायों अथवा व्यक्तियों से प्राप्त सुझावों अथवा अभ्यावेदनों का व्यौरा क्या है ; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). सरकार लाइसेंस नीति में किये गये परिवर्तनों पर, विभिन्न हितों के प्रतिनिधियों, जिनमें उद्योग भी सम्मिलित हैं, की प्रतिक्रिया पर निरन्तर नजर रखती है । इस समय देश की विकास की वर्तमान स्थिति तथा विशद सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह बहुत कुछ स्वीकार कर लिया गया है कि नई नीति देश के हित में अनुकूलतम है । इसमें संशोधन तथा परिवर्तन के लिए भी कुछ सुझाव प्राप्त हुए है जो विचाराधीन हैं ।

मेसर्स देवीदयाल ट्यूब इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बम्बई का सावधिक जमा धन की वापसी के लिये सरकारी परिसमापक द्वारा जांच

*** 460 श्री बेदव्रत बरूआ** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स देवीदयाल ट्यूब इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई के सरकारी परिसमापक ने जमा कर्ताओं द्वारा 30 जून, 1970 तक किये गये सावधिक-जमा धन वापिस लौटाने के दावों की जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ; और

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की है कि इस वर्ष के अंत तक जमाकर्ताओं को सावधि जमा धन वापिस मिल जाय ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). मै० देवीदयाल ट्यूब इण्डस्ट्रीज लि० को, बम्बई उच्च न्यायालय के दिनांक 20 सितम्बर 1968 के आदेश द्वारा, परिसमापन के आदेश दिये गये है । कम्पनी के निदेशकों ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 454 के अन्तर्गत अपेक्षित अवस्था-विवरण, अभी तक सरकारी समापक को प्रस्तुत नहीं किया है । तथापि, 9 निदेशकों में से सर्वश्री एच० एम० पटेल, एस० ए० क्यूरिम, एस० जे० पटेल, तथा आर० ई० नेगुस नाम के चार निदेशकों ने, सरकारी समापक को एक अवस्था-विवरण प्रस्तुत किया है, परन्तु यह दोषपूर्ण व अपूर्ण है । कथित विवरण, निहित प्रपत्र में भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । अवस्था विवरण की त्रुटियां तथा चूके, पहले निदेशको के अधिवक्ता को बतलाई गई थीं, परन्तु उन्होंने उन्हें अभी तक दूर नहीं किया है । अत; सरकारी समापक ने, कम्पनी अधिनियम की धारा 454 (5) के अन्तर्गत, सभी भूतपूर्व निदेशकों के विरुद्ध आपराधिक परिवाद प्रस्तुत करने के लिये, न्यायालय के निर्देशन प्राप्त किये हैं, तथा न्यायालय द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने की स्वीकृति दे दी गई है ।

(घ) वह व्यक्ति, जिन्होंने कम्पनी के पास सावधि निक्षेप में धन जमा किया हैं, उनका साधारण जमाकर्ताओं के साथ समानतया का स्थान है। इस प्रकार के जमाकर्ताओं को, देने की अवस्था, परिसम्पतियों की वसूली तथा अधिमान्य व प्रतिभूति जमाकर्ताओं को दे देने के पश्चात ही उत्पन्न होगी। सरकारी समापक, बम्बई उच्च न्यायालय के निदेशनों के अन्तर्गत, आवश्यक पग उठा रहा है।

विदेशी सहयोग के बिना ट्रैक्टरों का निर्माण

*462. **श्री रामचरण :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 14 से 75 अश्व शक्ति के कृषि ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए कुछ योजनाएं मंजूर की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल क्षमता कितनी होगी ;

(ग) क्या कुछ पार्टियों ने यह संकेत दिया है कि वे बिना किसी विदेशी सहयोग अथवा विदेशी मुद्रा के व्यय के देश में ही ट्रैक्टर बनाना चाहती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां,

(ख) दो पार्टियों को 16,000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष की क्षमता के औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं तथा 44,000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष बनाने की क्षमता वाली चार अन्य पार्टियों को आशय पत्र जारी किये गये हैं।

(ग) और (घ). चार पार्टियों ने बिना किसी विदेशी सहयोग अथवा बिना कोई विदेशी मुद्रा व्यय किये ट्रैक्टरों का उत्पादन करने का प्रस्ताव किया है। ये योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं। सरकार देशी नमूने और जानकारी से निर्मित ट्रैक्टरों को देखना चाहेगी और ऐसी योजनाओं को प्रत्येक प्रोत्साहन देगी।

इस्पात की नई वितरण-नीति का प्रभाव

*463. **श्री इसहाक सम्भली :** **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 मई, 1970 को सरकार द्वारा घोषित इस्पात के वितरण की नई नीति के निर्यात बढ़ाने में सहायक होने की कोई सम्भावना नहीं है जैसा कि वैदेशिक व्यापार मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में अनुमान लगाया था ;

(ख) यदि हां, तो इस पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वितरण की नई नीति में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). इस्पात के वितरण की नई नीति में इस्पात के निर्यात तथा इसकी आन्तरिक मांग दोनों का ध्यान रखा गया है परन्तु इस्पात की व्यापक कमी होने के कारण इन दोनों में संतुलन स्थापित करना आवश्यक हो गया है ।

उद्योगों में विदेशी सहयोग

*** 464. श्रीमती इलापाल चौधरी :**
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री राम किशन गुप्त :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ उद्योगों में विदेशी सहयोग की अनुमति देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ये उद्योग कौन कौन से हैं ; और

(ग) किन शर्तों के अन्तर्गत विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी जावेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार की यह नीति रही है कि ऐसे आधुनिक अत्यावश्यक क्षेत्रों में जहां भारतीय प्रोद्योगिकी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई है उनमें उसने आधुनिक प्रोद्योगिकी के बराबर लाए जाने की वांछनीयता को सर्वदा ही मान्यता प्रदान की है ।

(ख) सरकार ने हाल ही में ऐसी 121 चीजों की एक विस्तृत सूची प्रकाशित की है जिनमें देश की अर्थ-व्यवस्था में काफी प्रोद्योगिकीय कमी विद्यमान है और जिनमें विदेशी सहयोग की काफी गुन्जाइश है दिनांक 20 जुलाई, 1970 की प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है । [**ग्रन्थालय में रखा गया ! देखिए संख्या एल. टी.** –3992/70]

(ग) विदेशी विनियोजन के बारे में सामान्यत: उद्योग के उच्च प्राथमिकता प्राप्त ऐसे क्षेत्रों में विचार किया जाता है । जहां काफी प्रोद्योगिकीय कमी विद्यमान है और जहां काफी पूंजीगत सामान के आयात की आवश्यकता हो सकती है और साथ ही ऐसी परियोजनाओं में भी विदेशी पूंजी के बारे में भी विचार किया जाता है जो काफी निर्यातोन्मुख है । जिन शर्तों पर विदेशी पूंजी लगाने के बारे में अनुमति दी जाती है उसके बारे में प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है । तथापि सामान्यत: यह पसन्द किया जाता है कि सामान्य पूंजी में विदेशी पूंजी का भाग 40 प्रतिशत अथवा उससे कम रहे । यदि उसमें रायल्टी के

भुगतान की बात भी निहित होती है तो सामान्यत: केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए रायल्टी के भुगतान की अनुमति दी जाती है। इस बात की सावधानी रखी जाती है कि जहां तक संभव हो सहयोग संबंधीकरारों में निर्मित माल के निर्यात पर कोई बन्धन न लगाएं जाए और करारों में इस बात की व्यवस्था कर दी जाए कि तकनीकी जानकारी अन्य भारतीय कम्पनियों को भी दी जा सके यदि ऐसा विदेशी सहयोगी सहित सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा आपस में तय की गई शर्तों पर वैसा करना आवश्यक हो जाए। इसके लिए सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी।

नयी दिल्ली स्टेशन तथा अन्य स्थानों पर रेलवे टिकटों की बिक्री में भ्रष्टाचार

465. श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :
श्री भगवान दास :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि नई दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर रेलवे टिकटों की बिक्री में भ्रष्टाचार बिना रोक-टोक जारी है ;

(ख) क्या यह आरोप लगाया गया है कि (1) नयी दिल्ली में अनेक जालसाज टिकट एजेन्सियां बन गई हैं और (2) इन एजेन्सियों को या तो भूतपूर्व रेलवे कर्मचारी अथवा रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्धी चला रहे हैं तथा उनका मुख्य कार्य टिकटों को इकट्ठा करना तथा फिर उन्हें मुनाफे पर बेचना है ; और

(ग) यदि हां, तो टिकटों की बिक्री में इस गड़बड़ी को रोकने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) रेलों में स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री के विषय में भ्रष्टाचार की शिकायतें समय समय पर मिलती रही हैं।

(ख) नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जांच और निगरानी करते समय, नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के समीप तीन यात्रा एजेंसियों का पता चला है जिन्हें रेल प्रशासन से मान्यता प्राप्त नहीं है। जांच पड़ताल से मालूम हुआ है कि गैर-मान्यता प्राप्त एजेंसियों में से एक को चलाने में एक बर्खास्त रेल कर्मचारी सम्बद्ध है। जांच करने पर यह भी पता लगा है कि दूसरी एजेंसी एक ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही हैं जिस पर एक रेल कर्मचारी का सम्बन्धी होने का सन्देह हैं। जहां तक तीसरी एजेंसी का सम्बन्ध है, जांच करते समय उससे किसी भूतपूर्व या सेवारत रेल कर्मचारी का सम्बन्ध प्रमाणित नही हुआ है। ये एजेंसियां उन निर्दिष्ट यात्रियों से, जिनके लिए वे टिकट खरीदती हैं, कुछ अतिरिक्त रकम सेवा प्रभार के रूप में वसूल करती हैं। जांच पड़ताल से यह भी पता लगा है कि ये यात्रा एजेंसियां लम्बी दूरी की महत्वपूर्ण गाड़ियों के आरक्षित स्थान हथियाने का भी काम करती हैं।

(ग) नीचे लिखे उपाय बरते गये हैं :—

(i) रेलवे अधिनियम में एक धारा की व्यवस्था की गयी है जिसके अनुसार आरक्षणों का अन्तरण दन्डनीय अपराध बना दिया गया है।

(ii) श्री 'क' और पार्टी के लिए बहुस्थान आरक्षण के बदले प्रत्येक के नाम में आरक्षण करना।

(iii) आरक्षणों पर नियंत्रण रखने के लिए टोकन प्रणाली का प्रचलन।

(iv) गाड़ियों में समय-समय पर उपलब्ध शायिकाओं और सीटों को आरक्षण कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना।

(v) आरक्षणों की अचानक जांच।

इन गैर मान्यता प्राप्त एजेंसियों की गतिविधियों को कारगर रूप से समाप्त करने के लिए आगे कार्यवाई करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

बिजली उद्योग में कच्चे माल की कमी

*** 466. श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिजली का सामान बनाने वाले छोटे पैमाने के 500 कारखानों को 'युरिया फार्मलडीहाइड मोल्डिंग पाउडर' सहित कच्चे माल की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने देशी कच्चा माल उपलब्ध किये बिना कच्चे माल के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है; और

(ग) इन कारखानों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) यूरिया फार्मलडिहाइड मोल्डिंग पाउडर की कमी के बारे में छोटे कारखानों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख और ग) : यूरिया फार्मल डिहाइड के आयात पर काफी समय से प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि देश में इस वस्तु का उत्पादन खूब होने लगा है। इसके बनाने के काम आने वाला मुख्य कच्चा माल है यूरिया, फार्मलडिहाइड और लकड़ी की लुगदी। यूरिया और फार्मलडिहाइड देश।

वृद्धावस्था पेंशन तथा पुनः रोजगार पेंशन

*** 467. श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **विधी तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन और पुनः रोजगार पेंशन देने के प्रश्न पर विचार किया है जिससे आय के साधन रहित वृद्ध व्यक्ति तथा बेरोजगार युवक समाज पर भार न बनें;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है और यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार करेगी कि बेरोजगार युवकों को जब तक वे बेरोजगार रहें कुछ बेरोजगार-पेंशन दी जाये तथा रोजगार मिलने पर वे मिले हुए धन को वापस कर दें; और

(घ) क्या सरकार ब्यौरों की जांच करने तथा सरकार वृद्ध आय पेंशन तथा बेरोजगार पेंशन किस प्रकार दे इसके बारे में सिफारिश करने के लिये एक समिति नियुक्त करने के बारे में विचार करेगी; और यदि हां, तो कब तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तय्या : (क) से (घ) : वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करने के प्रश्न पर पहले विचार किया गया था। संसाधन सीमित होने तथा बाल-कल्याण को प्राथमिकता देने के कारण वृद्धों के लिए कोई योजना पंच वर्षीय योजना में शामिल नहीं की गई। तो भी नौ राज्य अर्थात् आंध्र प्रदेश, केरल, तामिल-नाडू, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा गैर-योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमित तौर पर वृद्धावस्था सहायता प्रदान करते हैं। वृद्धावस्था पेंशन सम्बन्धी कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है। बेरोजगार पेंशन सम्बन्धी योजना भी नहीं है। इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को उद्योगों में प्रशिक्षण-अवधि के दौरान शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिशु-प्रशिक्षण-वृत्ति दी जाती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय उन उद्योग-मजदूरों जो कर्मचारी भविष्य-निधि तथा कोयला खान भविष्य निधि राशि के सदस्य हैं तथा जो छोटी अवधि के लिए बेरोजगार हो जाते हैं, के लिए बेरोजगारी-बीमा की एक सीमित योजना आरम्भ करने के विषय पर विचार करता रहा है।

इस्पात का आयात

*** 468 श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि हमारे इस्पात कारखाने अपेक्षित कच्चा माल तथा तकनीकी जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद और काफी समय बीत जाने पर भी पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं; जिसकी वजह से करोड़ों रुपयों का आयात करने की आवश्यकता पड़ती है;

(ख) क्या इस्पात की कुछ ऐसी किस्में भी हैं जिनका उत्पादन इन कारखानों में नहीं किया जा सकता और उनका आयात करना आवश्यक है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी मदों के आयात पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है और उनका क्या उपयोग किया जाता है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) इस्पात का आयात अंशत: इस्पात कारखानों द्वारा निर्धारित–क्षमता पर उत्पादन न करने और अंशत: कुछ प्रकार का इस्पात देश में तैयार न होने के कारण करना पड़ता है । प्रमुख उत्पादकों के उत्पादन में कमी के कई कारण हैं । जिनमें विक्षुब्ध औद्योगिक सम्बन्ध विशेषकर दुर्गापुर, बर्नपुर और राउरकेला में संधारण कार्य पूरा न होने, ऊष्मसह और फालतू पुर्जों की कम मात्रा में उपलब्धि आदि शामिल है ।

(ख) और (ग) : अपेक्षित उपकरणों और प्रौद्योगिकी के अभाव में देश में कुछ प्रकार के इस्पात का उत्पादन नहीं किया जा सकता जैसे कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियन्टड शीट्स जिनका ट्रांसफार्मरों पर मुहर लगाने के लिये प्रयोग किया जाता है और कोल्ड रोल्ड नॉनग्रेन ओरियन्टड शीट्स जिनका बड़े बड़े एयनमों और जैनरेटरों पर मुहर लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है । इस समय प्रतिवर्ष लगभग 20 हजार टन पहली किसम का इस्पात आयात किया जाता है । जिस पर 10 करोड़ रुपये के लगभग विदेशी मुद्रा खर्च होती है और दूसरी किसम का 3000।4000 टन इस्पात प्रतिवर्ष आयात किया जाता है । जिस पर 1.5 करोड़ रुपये के लगभग विदेशी मुद्रा खर्च होती है । इस समय इन किसमों की चादरों का देश में निर्माण करने के लिये सुविधाएं लगाने पर विचार किया जा रहा है ।

Promotion of Cottage Industries

*** 469. Shri Om Prakash Tyagi** : Will the **Minister of Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the target fixed by Government for promotion of Cottage Industries during the Fourth Five Year Plan;

(b) the names of the industries proposed to be run as Cottage Industries; and

(c) the remedial measures adopted to protect the Cottage Industries from the competition of big industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b). No physical targets of production have been prescribed for Cottage Industries under the Fourth Five Year Plan. However trends of production have been taken in to account in respect of (i) cloth produced by khadi, handlooms and power-looms and raw silk, and (ii) village Industries. Trends of exports have also been taken into account in respect of these industries, silk fabric and waste, coiryarn and products, and handicrafts. Keeping these factors in view, the following allocations have been made in the Fourth Five Year Plan :

	Amount in Rs. crores
1. Handlooms and Powerlooms.	42.98
2. Khadi and Village Industries.	96.43
3. Sericulture.	11.37
4. Coir Industries	4.42
5. Handi crafts.	14.52
6. Rural Industries Projects.	4.50

(c) Besides providing Tariff Protection as in the case of silk Industry, the Fourth Plan envisages a variety of positive measures of assistance including liberal credit facilities, supply of raw materials, provision of technical assistance and improved appliances, tax concessions, differential rates of excise duties and reservation of production.

सरकारी क्षेत्र में सोडियम हाईड्रोसल्फाइड का निर्माण

*** 470. श्री यमुना प्रसाद मण्डल**
डा० सुशीला नैयर
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने सोडियम हाईड्रोसल्फाइड के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का उत्पादन करने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का उत्पादन करने के लिए राज्य के दो उपक्रमों अर्थात मैंसर्स ट्रावनकोर कोचीन केमिकल्स लिमिटेड केरल को अपने वर्तमान उत्पादन में पर्याप्त विस्तार करने तथा तमिल नाडु औद्योगिक विकास निगम, मद्रास को नई क्षमता उत्पन्न करने के बारे में आशय पत्र जारी किये गये है।

(ख) उद्योग मंडल में स्थित केरल परियोजना की विद्यमान क्षमता 3000 मी० टन है और 1200 मी० टन वार्षिक अतिरिक्त क्षमता के लिए उन्हें एक आशय पत्र जारी किया गया है। 3300 मी० टन वार्षिक क्षमता वाली तमिलनाडु परियोजना को चिंगलपेट जिले के एन्नूर नामक स्थान में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Abolition of classification of Railway Compartments

***471. Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to abolish the classification of compartments such as Ladies, Gents, First, Second and Third Class compartments on the Railways; and

(b) the names of other countries where such classification exists ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No, Sir.

(b) This information is not available. However, this will be obtained and placed on the Table of the House in due course.

सरकार द्वारा यवतमाल-मुरताजपुर छोटी रेलवे लाइन को अपने अधिकार में लिया जाना

***472. श्री देवराव पाटिल :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, का ध्यान यवतमाल-मुरताजपुर छोटी रेलवे लाइन तथा इससे सम्बन्धित इंजन, रेल डिब्बों आदि की दशा तथा उनका उपयोग करने वाली जनता को उनके खतरे के बारे में रेलवे सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है।

(ख) क्या उन्होंने घोषणा की है कि सरकार इस रेलवे लाइन को अपने अधिकार में ले लेगी, और यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त लाइन पर रेल सेवा में त्रुटियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं, ऐसा कोई वक्तव्य हमारे नोटिस में नहीं आया है।

(ख) सवाल नहीं उठता, क्योंकि यह रेलवे पहले से ही मध्य रेलवे के जरिये सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, हालांकि इसकी मालिक सी० पी० रेलवे कम्पनी लिमिटेड है।

(ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

रूरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादकता-प्रधान प्रोत्साहन योजना

***473. श्री जनार्दनन: श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री धीरेश्वर कलिता : श्री डा० रानेन सेन :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादकता-प्रधान प्रोत्साहन योजना आरम्भ की गई है।

(ख) यदि हां, तो उस योजना की प्रमुख बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना का उत्पादन, उत्पादकता तथा कर्मचारियों की आय पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : यूनियन और हिन्दुस्तान स्टील लि० के बीच बातचीत चल रही है और इसके पूरा हो जाने के पश्चात् ही इस योजना के अन्तिम रूप के बारे में मालूम हो सकेगा।

विदेशी सहयोग सम्बन्धी नीति

***474. श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी पार्टियों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्हें गत वर्ष विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए अनुमति दी गई थी ;

(ख) किन वस्तुओं के लिए विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई है तथा विदेशी सहयोगों की अनुमति देने के क्या कारण हैं ;

(ग) विदेशी सहयोगों सम्बन्धी प्रमुख शर्तें क्या हैं ;

(घ) इनमें से कौनसी वस्तुएं विदेशी सहयोग के बिना भारत में ही बनाई जा सकती थी ; और

(ङ) ऐसी वस्तुओं के लिए सरकार द्वारा विदेशी सहयोग प्राप्त करने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क)से(ङ) . सरकार ने 1 जुलाई, 1969 से 30 जून, 1970 की अवधि में ऐसे मामलों में जहां महत्वपूर्ण औद्योगिकीय व्यवधान को पूरा करने की आवश्यकता थी विदेशी सहयोग के 147 प्रस्ताव मंजूर किये हैं। ये मामले कृषि ट्रैक्टर तथा शक्ति चालित हल, रेल संस्तेन उपकरण, मोटरगाड़ियों के पूर्जों, वेल्डिंग इलेक्ट्राड, टंगस्टन फिलामेंट तार, औद्योगिक मशीनें, सूखे सेल, ग्लास फाइवर फिसिंग ट्रोलर, इन्सूलेशन तथा पैक करने के सामान तथा विभिन्न प्रकार के अन्य उद्योग जैसी विभिन्न वस्तुओं की जानकारी के आयात करने से सम्बन्धित हैं। निर्मित की जाने वाली वस्तु का विस्तृत व्यौरा, जिसमें सम्बन्धित पार्टियों के नाम और पते भी शामिल हैं, जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड में प्रकाशित किये जाते हैं, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

इन मामलों में स्वीकृत शर्तें भिन्न भिन्न मामलों में अलग-अलग होती हैं। उपरिलिखित 147 मामलों में से 28 मामले विदेशी पूंजी लगाये जाने से सम्बन्धित हैं। तकनीकी सहयोग करार में प्रायः 5 वर्ष तक रायल्टी के भुगतान पर पूर्ववत रोक लगा दी गई है। इस बात का सुनिश्चय करने पर भी बल दिया गया है कि जहां तक संभव हो सहयोग करार के निर्मित की जाने वाली वस्तुओं के निर्यात पर रोक न लगे तथा करार में यह भी व्यवस्था है कि जानकारी किसी दूसरी भारतीय कम्पनी को सरकार की स्वीकृति के अधीन ऐसी शर्तों पर जो सभी पार्टियों को जिसमें विदेशी सहयोगकर्ता शामिल हैं, मान्य हों, दिया जा सके।

सरकार द्वारा ऐसे मामलों में विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं है। जहां वाणिज्यिक विदोहन के लिए उपयुक्त देशी जानकारी उपलब्ध है, फिर भी पर्याप्त निर्यातोन्मुख योजनाएं अपवाद स्वरूप हैं।

औद्योगिक कारखानों के उत्पादन में विविधता

475. श्री जी० वेंकटस्वामी :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक नई नीति तैयार की है जिसके अन्तर्गत बड़े व्यापार गृहों तथा विदेशी कम्पनियों के औद्योगिक कारखानों के उत्पादन में विवधिता लाने पर रोक लगा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या बड़े व्यापार गृहों ने इसके विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन भेजा है ; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख): सरकार ने उत्पादन में विविधता (नई वस्तु का बिना औद्योगिक लाइसेन्स के निर्माण) लाने की नीति की पुनः परिभाषा की है। यह मुख्यतः इस उद्देश्य से किया गया है कि इस विषय पर पहले से विद्यमान अनुदेशों को संशोधित औद्योगिक लाइसेन्स नीति के अनुरूप किया जाये। इस संशोधित लाइसेंस नीति के अन्तर्गत बड़े-बड़े औद्योगिक समूहों तथा विदेशी कम्पनियों से सम्बन्धित अथवा नियन्त्रित उपक्रमों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त करने के उपबन्धों से मुक्त नहीं किया गया है। ऐसी कम्पनियों को बड़े औद्योगिक घरानो से सम्बन्धित अथवा नियन्त्रित है अथवा जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक अंश विदेशी अंश धारियों के हैं, को नई वस्तुओं के निर्माण करने से रोका नहीं गया है किन्तु उन मामलों में पहले से ही औद्योगिक लाइसेन्स प्राप्त करना आवश्यक है। एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक पद्धति अधिनियम 1969 के अन्तर्गत जहां आवश्यक हो, स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। जब कभी भी ऐसे आवेदन प्राप्त होंगे तो ऊपर लागत कौशल, निर्यात सम्बर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन इत्यादि को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। इस हेतु 18 जुलाई, 1970 को जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति 11 अगस्त, 1970 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 2357 के उत्तर के साथ सभा पटल पर रखी गई थी।

(ग) और (घ). पुनर्परिभाषित विविधीकरण की नीति के विरुद्ध बड़े औद्योगिक गृहों से कोई विशिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार यह समझती है कि विशद सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम उत्पादन करने की पर्याप्त व्यवस्था लाइसेंस नीति में की गई है।

सीमेंट की चोर बाजारी

***476. श्री स०मो० बनर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सीमेंट के व्यापारी सीमेंट को नियन्त्रित मूल्य से बहुत अधिक मूल्य पर बेच रहे है ; और

(ख) यदि हां, तो सीमेंट की इस चोर बाजारी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) इस वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीनों में मुख्य रूप से रेल के माल डिब्बों के न मिलने और श्रमिकों सम्बन्धी व साथ ही मशीनी गड़बडियों के कारण विशेष रूप से देश के उत्तरी व पूर्वी भागों में अस्थायी रूप से कमी रही। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरयाना और चण्डीगढ़ वाले उत्तरी क्षेत्र में भी इसकी कमी की कुछ शिकायतें थी।

(ख) इस अस्थायी कमी को दूर करने के लिए अधिक्य वाले क्षेत्रों से अधिक मंहगे मार्गों से होकर इन महीनों में 62,000 मी० टन सीमेंट ले जाने तथा जुलाई, अगस्त व सितम्बर, में 1,20,000 मी० टन सीमेंट ले जाने की अनुमति दी गई। सीमेंट नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत थोक व खुदरा मूल्य निर्धारित करने तथा उन्हें लागू करनेका उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकारों का है।

केरल में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण में की गई अनियमितताओं की जांच के लिए आयोग की मांग

***477. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण में की गई अनियमितताओं की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किये जाने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) . सरकार को कोई विशिष्ट मांग प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु लोक सभा में विरोधी पक्ष के नेता डा० राम सुभग सिंह ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 28 जुलाई, 1970 को बोलते समय यह मांग की थी कि "सरकार को मतदाता सूची की शुद्धता की जांच करने के लिए तत्काल जांच-आयोग नियुक्त करना चाहिए।" 29 जुलाई, 1970 को लोक सभा में उपर्युक्त "अविस्वास प्रस्ताव" पर बहस के बीच में बोलते समय विधि मन्त्री ने यह कहा था कि "निर्वाचन आयोग की अधिकारिता में आने वाले मामलों के बारे में कोई जांच आयोग नियुक्त नहीं किया जा सकता।"

शक्तिचालित हलों का निर्माण

***478. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में शक्तिचालित हलों द्वारा प्रतिवर्ष कितना उत्पादन किया जाता है ; और

(ख) क्या भारत में शक्तिचालित हलों की कुल मांग के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) गत 6 वर्षों में शक्तिचालित हलों के निर्माण का ब्यौरा निम्नलिखित हैं :—

		संख्या
1965	—	266
1966	—	561
1967	—	264
1968	—	228
1969	—	217
जून 1970 तक	—	153

(ख) कृषि विभाग ने पहले अनुमान लगाया था कि वर्ष 1973-74 तक प्रतिवर्ष 80,000 शक्तिचालित हलों की मांग होगी। गत पांच वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में अब पुनः अनुमान लगाया जा रहा है।

ड्रम तथा बैरल उद्योग की लाइसेंस प्राप्त क्षमता

***479. श्री जार्ज फरनेन्डीज:** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री** 14 अप्रेल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 995 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्रम तथा बैरल उद्योग में प्रतिदिन एक शिफ्ट के आधार पर लाइसेंस शुदा क्षमता उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ;

(ख) यदि नहीं तो, क्या सरकार प्रतिदिन दो शिफ्टों के आधार पर लाइसेंस प्राप्त एककों को इस्पात की चादरें देने का विचार करेगी ;

(ग) क्या सरकार ने एककों के विस्तार तथा नई क्षमताओं के निर्माण की अनुमति देने से पूर्व बेकार पड़ी क्षमताओं के उपयोग के बारे में गम्भीरता से विचार किया है. यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या तेल शोधक कारखाने जिसके ड्रम आदि बनने के अपने कारखाने नहीं है परन्तु जिनको बिटुमेन चादरों के आयात के लिए लाइसेंस मिलता है वे लाइसेंस प्राप्त क्षमताओं के बिटुमेन ड्रमों के निर्माण के लिए चादरों का वितरण कर देते हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार यह किस प्रकार कह सकती है कि निर्माताओं को लाइसेंस देने की आयात नीति राष्ट्रीय हित में खतरनाक नहीं है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) 40–45 गैलन तेल के पीपे बनाने वालों को इस्पात की चद्दरों का आवंटन एकल पारी की आंकी गई क्षमता के आधार पर किया गया है न कि लाइसेंस क्षमता पर। पीपों की कुल आवश्यकता 9,15,000 लाख टन की आंकी गई है जिसमें 7,30,000 लाख टन तेल

कम्पनियों के लिए है जबकि विद्यमान क्षमता 677780 लाख टन की आंकी गई है। जैसा कि निर्णय किया गया है कि आवंटित सामान कुछ देशी हो और कुछ आयातित, तथा उपभोक्ताओं को भी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्पात की चद्दरों के आयात की स्वीकृति दी जाती है, ऐसा विचार है कि मार्ग को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त होगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) सरकार की नीति यह रही है कि, जहां आवश्यक हो, उन उपभोक्ताओं को कुछ आयात लाइसेंस दिये जायें जिनके पास बनाने की क्षमता नहीं है जिससे कि वे अपनी मर्जी के निर्माताओं से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। निर्माताओं को, आयात नीति में दी गई आवश्यक शर्तों को पूरा करने के उपरान्त, आयात लाइसेंस के लिए आवेदन करने की छूट है। तथापि, बिटुमैन ड्रमों के निर्माताओं के मामले में यह निर्णय किया गया है कि केवल तेल शोधक/तेल कम्पनियों को ही ड्रम चद्दरें उपलब्ध की जायें जिससे कि उनके द्वारा उत्पादित बिटुमैन को पैक करने की उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

Setting up of Lamp Manufacturing Company in Rae-Bareli

***480. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state:**

(a) whether any talks in regard to the setting up of a Lamp manufacturing company in Rae-Bareli have recently been held with the Chairman of the Indian Lamp Manufacturers, Association affiliated to the Bengal National Chamber of Commerce and Industry and, if so, the details thereof ; and

(b) whether any final decision to set up the aforesaid company has been taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R Krishna) : (a) & (b). No talks on this subject have been held recently with the Chairman of the Indian Lamp Manufacturers' Association. In regard to the question of setting-up of a factory for manufacturing incandescent lamp making machineries, accessories and spare parts at Rae-Bareli, attention of the Hon'ble Member is invited to the reply given to Unstarred Question No. 9398 in the Lok Sabha on 12th May, 1970,

भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा बुक किये गये इस्पात माल से भरे हुये रेलवे माल डिब्बों को गलत स्थानों को भेजना

*2991. श्री बाबू **राव** पटेल : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा उत्तरी भारत के विभिन्न स्थानों के लिए बुक किये गये $6\frac{1}{2}$ लाख रुपये की कीमत के इस्पात माल से भरे हुए 13 रेलवे माल डिब्बों को चोरों के एक गिरोह ने हाल में दक्षिण भारत के स्थानों को भेज दिया था और उन्हें केवल 90,000 रुपये में बेच दिया था ;

(ख) यदि हां, तो माल डिब्बों को भेजने की तारीख क्या है ;

(ग) क्या 8 सरकारी डिपुओं तथा 5 गैर-सरकारी डिपुओं में, जिनको माल डिब्बे मिलने चाहिए थे माल डिब्बे प्राप्त न होने के बारे में भिलाई प्राधिकारियों को कोई अभ्यावेदन दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो चुप रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में पकड़े गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां। 1969 में $3\frac{1}{2}$ लाख रुपये के मूल्य के इस्पात माल से लदे 14 मालडिब्बों को धोखे से दक्षिण भारत को भेज दिया गया था और वहां कम मूल्य पर माल बेचा गया।

(ख) माल की बुकिंग की तारीखें इस प्रकार हैं:—

(i) 16 जनवरी को 2 माल डिब्बे (ii) 27 फरवरी को 3 माल डिब्बे
(iii) 22 अप्रेल को 2 माल डिब्बे (iv) 23 अप्रेल को एक माल डिब्बा
(v) 30 जुलाई को 2 माल डिब्बे (vi) 31 अगस्त को 2 माल डिब्बे; और
(vii) 12 नवम्बर को 2 माल डिब्बे—सभी 1969 में।

(ग) जी हां।

(घ) सवाल नहीं उठता।

(ङ) निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है: —

(1) श्री परशुराम प्रकाश
(2) श्री जानकी दास
(3) श्री अब्दुल रशीद
(4) श्री मोहम्मद इब्राहिम
(5) श्री अन्ना कृष्णमूर्ति
(6) श्री अन्ना देव प्रसाद
(7) श्री पी० कोटेश्वर राव
(8) श्री वैलमपल्ली कोटेश्वरलू
(9) श्री कानी की चैरला नारायण राव
(10) श्री रामी सेट्टी वेंक्टेश्वरा राव

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल, का कार्य

***2992. श्री बाबू राव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के अध्यक्ष द्वारा 19 जुलाई, 1970 को दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को अधिकतम कार्य-कुशलता प्राप्त करने के लिए दीर्घकाल तक कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है और हमारी प्रारम्भिक कठिनाइयां अभी दूर होनी बाकी हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये प्रारम्भिक कठिनाइयां कब तक दूर होंगी;

(ग) क्या यह सच है कि कुप्रबन्ध तथा कार्मिक संघ प्रतिस्पर्धा ने हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का नाश कर दिया हैं; और

(घ) यदि हां, तो हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का सुचारू रूप से तथा लाभदायक ढंग से चलना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). जी, हां। इस प्रकार के आधुनिक जटिल उपकरणों का निर्माण करने वाले सयंत्रों को काफी लम्बे समय तक अर्थात् कई वर्षों तक कठोर परिश्रम करना पड़ता है। यह बात विकसित तथा अल्प विकसित दोनों देशों के इस प्रकार के संयंत्रों के साथ लागू होती है यद्यपि अविकसित देशों के साथ कार्यकुशलता प्राप्त करने की अवधि और भी लम्बी होती है क्योंकि इस प्रकार के आधुनिक उद्योगों में तकनीकी जानकारी को आत्मसात करने, स्थानीय लोगों को कार्यकुशल और उत्पादन शक्ति बढ़ाने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। जहां तक इस विशेष उपक्रम का सम्बन्ध है, परामर्शदाता की परियोजना रिपोर्ट में 1957 में ही इस प्रकार की आशंका प्रकट की गई थी कि 1970 तक इस परियोजना में हानि होती रहेगी। इस परियोजना पर अब तक जो हानि हुई है उसके बारे में इस पृष्ठभूमि को और इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए ही विचार करना चाहिए कि परियोजना रिपोर्ट के पश्चात् भी इस संयंत्र में उत्पादन के स्वरूप और पूंजी विनियोजन को काफी बढ़ाया गया। इन सब बातों के होते हुए भी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न करने की आवश्यकता है कि इस संयंत्र की उत्पादन शक्ति में शीघ्र सुधार हो। इस समय जो बड़े टर्बाइन व जैनेरेटर बनाये जा रहे हैं उनके बन जाने पर ऐसी आशा है कि चतुर्थ योजना काल के अन्त तक यह उपक्रम लाभ की स्थिति में पहुँच जायेगा।

(ग) जी, नहीं। तथापि, श्रमिक संघ की प्रतिस्पर्धा से कुछ श्रामिक समस्याएं अवश्य पैदा हुई हैं जिनका सामना उपक्रम को समय-समय पर करना पड़ा है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि हानि की मात्रा कम से कम हो जाये और उत्पादन तथा उत्पादन-शक्ति बढ़ जाये ताकि संयंत्र जल्दी से जल्दी लाभ करने की स्थिति में पहुंच जाये। इन उपायों में अन्य उपायों के साथ-साथ ये उपाय भी शामिल हैं, नयी भर्ती पर कठोर नियंत्रण, अधिक अच्छी निगरानी रखकर विभिन्न कर्मशालाओं की उत्पादन शक्ति बढ़ाना, उत्पादन के प्रतिमानों व लक्ष्यों की स्पष्ट व्याख्या करना और अधिक प्रभावशाली प्रोत्साहन प्रणाली लागू करना तथा सामान की सूची पर अधिक नियंत्रण रखना। उत्पादनों में विविधता लाने और उनका मानकीकरण करने के लिए पहले से अधिक कोशिश की जा रही है। उत्पादन बढ़ाने के लिए पुरस्कारों की योजना सहित विशेष अल्पकालीन उत्पादन आन्दोलन भी आरम्भ किए गये हैं। उत्पादन की लम्बी प्रक्रिया की योजना बनाने तथा उस पर नियंत्रण रखने के लिए आधुनिक प्रबन्ध के आधुनिक तरीकों को काम में लाया जा रहा है। इस संयंत्र के प्रबन्धकों के साथ इस संयंत्र के कार्य का निरन्तर व नियमित रूप से समय-समय पर अवलोकन किया जा रहा है।

बोकारो इस्पात कारखाने के लिये भारी इंजीनियरिंग निगम के उपकरण

2993. श्री बाबू राव पटेल : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात लिमिटेड किस तिथि को आरम्भ किया गया था, उस पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया है और इस समय बोकारो इस्पात परियोजना किस चरण में है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस परियोजना को आरम्भ करने में विलम्ब भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के कारण हुआ है क्योंकि उसने अपेक्षित उपकरण तथा निर्मित संरचनाएं समय पर नहीं सप्लाई की थी ;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के उपकरण तथा निर्मित संरचनाएं सप्लाई की गई है तथा अभी की जानी है ;

(घ) इस से कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के उष्मसह माल का आयात करने का प्रस्ताव है, और

(ङ) बोकारो किस तिथि तक इस्पात धातु पिण्डो और कच्चे लोहे का निर्माण करने लगेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) बोकारो स्टील लि० 29 जनवरी, 1964 को निगमित की गई थी। जून, 1970 के अन्त तक इस परियोजना पर लगभग 370 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। इस समय इस परियोजना का निर्माण-कार्य चरम सीमा पर है। जून, 1970 के अन्त तक 56 प्रतिशत के लगभग कंक्रीट और आर० सी० सी० का काम, 32.09 प्रतिशत भूमिगत सचार-कार्य, 17.47 प्रतिशत ढांचे खड़े करने का काम और 6.29 प्रतिशत उपकरण स्थापित करने का काम पूरा हो चुका था। मई, 1970 से कोक बैटरी नम्बर 4 और धमन भट्टी नम्बर 1 में उष्मसह ईंटों पर पलस्तर करने का काम तथा इस्पात पिघलाने वाले कारखाने में कन्वर्टर्स लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है।

(ख) कारखाने के उत्पादन आरंभ करने के कार्यक्रम में विलम्ब कई बातों का संयुक्त परिणाम है। भारी इंजीनियरी निगम द्वारा सप्लाई में देरी उन कारणों में केवल एक है। दूसरे कारणों में सबसे बड़ा कारण यह है कि उष्मसह के देशीय निर्माता ठेके की शर्तों के अनुसार समय पर उष्मसह सप्लाई नहीं कर सके।

(ग) भारी इंजीनियरी निगम को 1971–72 तक 72,235 टन उपकरण और 1970-71 तक 27,210 टन संरचनात्मक सप्लाई करने हैं जिनकी कुल कीमत 102 करोड़ रुपये के लगभग है। जून, 1970 के अन्त तक 15045 टन उपकरण और 21,878 टन संरचनात्मक सप्लाई किये जा चुके हैं। जून, 1970 के अन्त तक सप्लाई किये गये तथा किये जाने वाले माल का ठीक ठीक मूल्य अभी नहीं निकाला गया है।

(घ) रूस से 47,621 टन के लगभग उष्मसह का आयात किया जायेगा जिसका अनुमानित मूल्य 6.27 करोड़ रुपये है।

(ङ) संशोधित कार्य-क्रम के अनुसार प्रथम धमन भट्टी, जो कच्चा लोहा तैयार करेगी, दिसम्बर, 1971 तक तैयार हो जायेगी तथा समस्त प्रथम चरण, जिसमें प्रति वर्ष 17 लाख टन

इस्पात पिण्ड का उत्पादन होगा, मार्च,1973 तक पूरा हो जायेगा। मशीनों की स्थापना का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् 3 से 6 महीनों में उत्पादन होना शुरू होगा।

अमरीका में हिंदुस्तान मशीन टूल्स के लम्बित क्रयादेश

2994. श्री बाबू राव पटेल : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने किस तिथि को न्यूयार्क में अपना कार्यालय स्थापित किया था, उस पर अब तक कितना व्यय आया है तथा इस अवधि में अमरीका तथा कनाडा को कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का सामान बेचा गया हैं,

(ख) क्या सरकार को आर. जी. गार्नर मशीनरी लिमिटेड के हाल ही के उस गोपनीय बिक्री विश्लेषण के बारे में पता है जिसमें कहा गया है"कि हमें कनाड़ा और अमरीका में विवरण के लिए बात चीत करते समय यह स्पष्ट हो गया था कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स तैयार न था" और कि हिंन्दुस्तान मशीन टूल्स में निर्मित वस्तुए' घटिया किस्म की, घटिया कारीगरी की और सृजनरहित हैं ;

(ग) अमरीका में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पास कितने क्रयादेश लम्बित पड़े हैं, वे कितने मूल्य के हैं और वितरकों के क्या नाम हैं ;

(घ) क्या यह सच हैं कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अपने सारे कारोबार को स्वयं करने की बात सोच रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उन अधिकारियों के क्या नाम हैं जो विदेशों में वस्तुओं की बिक्री से सीधे सम्बन्धित हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं. र. कृष्ण) : (क) न्यूयार्क में अक्टूबर, 1966 में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कार्यालय खोला गया था। इस पर अक्तूबर, 1966 से 31–3–1970 की अवधि में हुआ कुल व्यय 11.60 लाख रुपये है। 1966–67 से 1969–70 की अवधि में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कैनाडा को 30.14 लाख रुपये के मूल्य की 131 मशीनों का निर्यात किया गया।

(ख) सरकार को इस बात का पता है कि कैनाडा के मैसर्स आर० जी० गार्डनर मशीनरी लि० द्वारा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलोर को भेजी गई रिपोर्ट में इस प्रकार का विचार व्यक्त किया गया है। फिर भी यह कहना ठीक नहीं है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उत्पाद घटिया किस्म के हैं, अथवा उनमें घटिया कारीगरी है अथवा उनके उत्पादन में किसी प्रकार की कमी रही है क्योंकि वैसी मशीनों की कैनाडा के बाजारों में अनुकूल मांग रही है तथा उन्हें यू० एस० ए० के मैसर्स हानीवेल इनकारपोरेटेड को बेचा गया था जो मशीनों की किस्म और कार्य क्षमता से पूर्ण रूपेण संतुष्ट है।

(ग) इस समय (एच० एम० टी०) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पास 5.42 लाख रुपये मूल्य की 25 मशीनों के क्रयादेश पड़े हैं जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मे० हानीवेल इनकारपोरेटेड और मैंसर्स वर्शन आल स्टील प्रेस कम्पनी, यू० एस० ए० से प्राप्त हुए हैं। कम्पनी के पास 29.27 लाख रुपये की कीमत की 27 मशीनों के क्रयादेश यू० एस० ए० के मे० आर० जी० गार्डनर मशीनरी लि० द्वारा दिये गये पड़े हैं जिनकी सप्लाई करनी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) विदेशी कार्य संचालक के महा प्रबन्धक श्री आर० योगेश्वर यूरोप और अमेरिका स्थित प्रतिनिधियों से सीधे कार्य व्यवहार करते हैं तथा क्रयादेश प्राप्त करते हैं। निर्यात बिक्री प्रबन्धक श्री एम०जी० श्रीधर मेलबोर्न, आस्ट्रेलिया में हैं तथा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड के लिए किए जाने वाले मशीन टूल्स के निर्यात को देखते हैं। बंगलौर स्थित निर्यात प्रबन्धक श्री वी० ए० एस० शेट्टी, निर्यात आदेशों के कार्यान्वियन का कार्य देखते हैं। बंगलौर स्थित प्रमुख वाणिज्यिक प्रबन्ध श्री एम० नागेश्वर राव कम्पनी के निदेशक मण्डल अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक द्वारा विहित नीतियों के अधीन निर्यात का समान्व्य करते हैं।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा अमरीका के वितरकों के साथ करार

2995. श्री बाबू राव पटेल : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अध्यक्ष, मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक तथा महाप्रबंधक (निर्यात) 1 जून 1969 से 30 जुलाई 1970 तक कितनी बार विदेश-यात्रा पर गये थे और प्रत्येक यात्रा में उनके द्वारा कुल कितना विमान-किराया और विदेशी मुद्रा व्यय की गयी ; प्रत्येक यात्रा की अवधि कितनी थी तथा उन्होंने किन-किन स्थानों की यात्रा की थी ; और

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने अमरीका के किन वितरकों के साथ करार किये, वे करार किस प्रकार के थे और उनका मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का भूतपूर्व एजेन्ट "वर्निकल्स" का दिवाला निकल गया है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने यह जानने के लिए, कि क्या वर्निकल्स की वित्तीय स्थिति मजबूत है या नहीं, उचित पूर्वोपाय क्यों नहीं किये थे ; और

(ङ) इस कारण से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को कुल कितनी हानि हुई ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3993/70**]

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेडे, बंगलौर और विदेशों में उनके एजेंटों के बीच हुए एजेंसी करार वाणिज्यिक ठेकों की तरह हैं और इनका ब्यौरा बताना उचित नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Railway Property Stolen on Northern Railway

*2996. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the value of the Railway property stolen on the Nothern Railway during the last two years ;

(b) the number of persons arrested in this connection and the number of cases registered ;

(c) the number of persons convicted and of those acquitted and the number of cases in which departmental enquiries were conducted ; and

(d) the number of cases pending with the courts at present ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) :

(a) :

Year	Value of property stolen (Rs. in lakhs).
1968	9.77
1969	6.11

(b) :

Year	Number of Persons arrested	Number of Cases registered
1968	555	2,658
1969	110	1,983

(c) :

Year	Number of persons Convicted	Number of persons Acquitted
1968	144	Not available at present
1969	6	Not available at present

Year	Number of cases in which departmental enquiries were conducted.
1968	Not available at present.
1969	Not available at present.

(d)

Year	Number of cases pending with the courts.
1968	Not available at present.
1969	Not available at present.

मैसर्स देवीदयाल ट्यब इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बम्बई द्वारा लेखाओं का प्रस्तुत किया जाना

*2997. **श्री शशि भूषण :** क्या समवाय कार्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स देवीदयाल ट्यूब इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बम्बई ने अपने समापन से पूर्व कभी अपना संतुलन-पत्र, क्या लाभ व हानि का लेखा सरकार को प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) कम्पनी के, बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा, दिनांक 20-9-68 के परिसमापन के आदेश तक, यह कम्पनी प्रति वर्ष अपने तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि के लेखे की प्रतियां, कम्पनी रजिस्ट्रार, बम्बई को प्रस्तुत करती रही है । कम्पनी का अन्तिम, तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि का लेखा, जो कम्पनी रजिस्ट्रार को मिसिल किया गया, 30-6-67 के आर्थिक वर्ष समाप्ति का था । 30-6-68 को वर्ष समाप्ति का तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि का लेखा, रजिस्ट्रार को 30-1-69 को प्रस्तुत करना था, परन्तु तब तक यह कम्पनी परिसमापित हो गई; अतः 30-6-1968 को वर्ष समाप्ति का लेखा, रजिस्ट्रार को प्रस्तुत नहीं किया गया था ।

(ग) और (घ) : उत्पन्न नहीं होते ।

उत्तरी रेलवे के कालका-शिमला सेक्शन पर 'ए' श्रेणी के गार्ड तथा 'बी' श्रेणी के ड्राइवर

2998. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालका-शिमला सेक्शन पर 'ए' श्रेणी के गार्ड तथा 'बी' श्रेणी के ड्राइवर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) 'ए' श्रेणी के ड्राइवरों के पदों को 'बी' श्रेणी में परिवर्तित करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि वहां 'ए' श्रेणी के ड्राइवरों के पद पर फिर से बनाये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो किस तारीख से यह पद अस्तित्व में आ जायेंगे ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल रख दी जायेगी ।

1 डी० एस० वी० गाड़ी को रोहतक तक बढ़ाने के प्रस्ताव की क्रियान्विति

2999. श्री अब्दुल गनी डार : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहादुरगढ़–(एस० सी० आर० सैक्शन) से आगे के स्टेशनों को जाने वाले यात्रियों के लिए 18.45 म० प० तथा 4.50 म० पूर्व के बीच कोई सामान्य यात्री गाड़ी नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि 4 फरवरी, 1970 को दैनिक यात्री संघ के प्रतिनिधियों (रोहतक-दिल्ली सैक्शन) के साथ हुई बैठक के आधार पर डिवीजनल आथारिटीज ने 1 डी०एस० बी० (इस समय बहादुरगढ़ तक चलने वाली) गाड़ी को रोहतक तक बढ़ाने की विधिवत अनुमति प्रदान कर दी थी;

(ग) क्या उक्त संघ द्वारा चीफ आपरेटिंग सुपरिटेंडेंट उत्तर रेलवे, डिवीजनल सुपरिटेंडेंट उत्तर रेलवे के साथ 25 जुलाई, 1970 की वैसी ही बैठक में डिवीजनल सुपरिटेंडेंट के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था और डिवीजनल सुपरिटेंडेंट द्वारा प्रस्तावित इसके विस्तार की समय–सूची वाला संगत अनुबन्ध सम्बन्धित फाइलों में से गायब पाया गया था ताकि डिवीजनल सुपरिटडेंट का प्रस्ताव कार्यान्वित न हो सके ; और

(घ) यदि हां, तो डिवीजनल सुपरिटेंडेंट की सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) : 25–2–70 को दैनिक यात्री संघ के साथ हुई बैठक में उत्तर रेलवे के मुख्य परिचालन अधीक्षक ने 1डी एस बी शटल को रोहतक तक बढ़ाने के बारे में संघ के प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में जो कठिनाइयां हैं, उन्हें स्पष्ट किया था। मण्डल अधीक्षक ने 1डी एस बी को रोहतक तक बढ़ाने की सिफारिश नहीं की है। इसलिए क्रियान्वयन को टालने या कुछ कागजातों के गायब होने का सवाल नहीं उठता।

इलाहाबाद-टूंडला सैक्शन में रेलवे विद्युतीकरण संस्था के नैमितिक कर्मचारियों को नियमित रूप से काम पर लगाना

3000. **श्री गणेश घोष** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति माथुर ने हाल ही के एक निर्णय को घोषणा की है कि रेलवे विद्युतीकरण संस्था अस्थायी परियोजना नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इलाहाबाद–टुन्डला सैक्शन में जिन कई सौ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को "नैमितिक" पदनाम दिया गया है वे रेलवे विद्युतीकरण संस्था के अधीन निरन्तर पांच से पन्द्रह वर्ष तक की अवधि से सेवा करते आ रहे है ;

(ग) न्यायाधिपति माथुर के उक्त निर्णय की दृष्टि से उक्त सैक्शन के रेलवे विद्युतीकरण संस्था के उन चतुर्थ श्रेणी के नैमितिक कर्मचारियों को उत्तर रेलवे में नियमित कर्मचारियों के रूप में रखने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) 1 अप्रेल, 1968 से अब तक यह कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग केवल 250 नैमितिक कर्मचारी ही ऐसे थे जिन्होंने परियोजना विशेष के पूरे होने के परिणामस्वरूप सेवा-भंग के साथ रेलवे बिजली योजना में 5 से 15 वर्ष तक सेवा की थी। उन लोगों ने उपर्युक्त अवधि में लगातार काम नहीं किया ।

(ग) और (घ) : यह निर्णय, रेलवे बिजली योजना में नियुक्त नैमितिक कर्मचारियों से सम्बन्धित नहीं है । यह निर्णय रेलवे बिजली योजना में तीसरे दर्जे के कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया से सम्बन्धित है । फिर भी, इस निर्णय के विरुद्ध एक अपील दायर कर दी गयी है ।

साधारण निर्वाचनों का कराया जाना

3001. **श्री समर गुह** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पश्चिमी बंगाल निर्वाचन कार्यालय को छह सप्ताह के नोटिस पर राज्य में निर्वाचन कराने के लिये तैयार रहने को कहा है ;

(ख) क्या अन्य राज्यों को भी ऐसे ही अनुदेश दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार साधारण निर्वाचन की तारीख की घोषणा कब करेगी ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) निर्वाचनों के संचालन के बारे में संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा अपने को सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए निर्वाचन आयोग को निर्वाचन का इन्तजाम सदा ही तैयार रखना पड़ता है । इस प्रयोजन के लिए आयोग को सब राज्यों (जिसके अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल राज्य भी हैं) और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन आफिसरों के नाम समय-समय पर अनुदेश निकालने पड़ते हैं कि वे सब निर्वाचनों के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रकार के कानूनी और अकानूनी प्ररूप तथा निर्वाचन की सामग्रियां तैयार रखें और सब निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन नामावलियों को ठीक-ठीक और अद्यतन बनाए रखें ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य विधान-मंडलों का विघटन

3002. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य विधान-मण्डलों के विघटन सम्बन्धी संकल्प प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्यों के नाम क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई विधान लाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (घ) : जी नहीं। यदि प्रश्न राज्य विधान परिषदों के उत्सादन के लिए राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित संकल्पों के बारे में है तो कहा जा सकता है कि ऐसे संकल्प केवल पश्चिमी बंगाल, पंजाब और बिहार राज्यों से प्राप्त हुए थे और उनके अनुसरण में पश्चिमी बंगाल और पंजाब की विधान परिषदों का तो संसदीय विधान बना कर उत्सादन भी किया जा चुका है। बिहार विधान परिषद् के उत्सादन के लिए विधान बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

भूमि सुधार संशोधन अधिनियम के अधीन भूतपूर्व नरेशों की भू-सम्पत्ति के बारे में केरल के महाधिवक्ता की राय

3003. श्री विश्वम्भरन् :
श्री सं० चं० सामन्त :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने महाधिवक्ता से इस सम्बन्ध में राय मांगी है कि क्या भूतपूर्व नरेशों (जिन्हें निजी थैलियां मिलती हैं) की भू-सम्पत्तियां राज्य के भूमि सुधार संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत आती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो महाधिवक्ता ने क्या सलाह दी है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : **(क) और (ख)** : विधि मंत्रालय के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

सरकारी धन का गबन करने पर कलकत्ता में समाज कल्याण केन्द्र के सचिव की गिरफ्तारी

3004. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **विधि तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि कलकत्ता में प्रकाशित होने वाले एक प्रमुख बंगाली समाचार पत्र ने 19 जून, 1970 के अपने अंक में समाचार दिया है, क्या कलकत्ता में पुलिस ने, कल्याणकारी कार्यों के लिये एकत्रित किये गये 73 हजार रुपये की धनराशि का गबन करने के आरोप में एक "समाज कल्याण केन्द्र" के सचिव को अभी हाल में गिरफ्तार किया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान उक्त समाचार पत्र के उसी अंक में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि उक्त समाज कल्याण केन्द्र को अमरीका से भेजे गये दुग्ध चूर्ण जैसे राहत पदार्थों को नियमित रूप से काले बाजार में बेचा जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो गबन के आरोप पर गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से सम्बन्धित जानकारी सहित इस केन्द्र का तथा इस मामले का ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : **(क) से (ग).** जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

औद्योगिक परियोजनाओं के लिये सार्थ-संघ

3005. श्री वासुदेवन नायर : श्री अदिचन :
श्री जनार्दनन : डा० रानेन सेन :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक परियोजनाओं के लिये भारतीय सार्थ-संघ गठित करने का उद्देश्य क्या है ; और

(ख) सरकार इसको प्रभावी बनाने के लिये क्या उपाय करना चाहती है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इंडियन कंसोर्शियम फार इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लि० निम्नलिखित कार्य करेगी:—

(1) इस्पात संयंत्रों, खानों, उर्वरक कारखानों तथा अन्य औद्योगिक प्रायोजनाओं और उनके सहायक कार्यों के लिये लक्ष्य क्षमता की आपूर्ति का समस्त काम ;

(2) रूपांकन, निर्माण निरीक्षण, उपर्युक्त काम के लिये सभी प्रकार के उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना तथा उनको चालू करने हेतु सम्पूर्ण काम के लिये अथवा अन्यथा ठेके लेना। इन कार्यों के लिये कन्सोर्शियम साथी कम्पनियों के पास उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग करेगी और शेष यथावश्यक अन्य स्रोतों से प्राप्त करेगी।

(3) ग्राहकों की ओर से टेन्डर जारी करना और इनकी जांच आदि करना ;

(4) ग्राहकों को सप्लाई किये गये सभी उपकरणों का निरीक्षण करना और उसकी क्वालिटी परखना ;

(5) औद्योगिक प्रायोजनाओं और उसकी अनुसंगी सेवाओं के उत्पादन प्रारम्भ करने और परिचालन सम्बन्धी किसी भी ऐसे कार्य को हाथ में लेना।

(ख) कंसोर्शियम ने हाल में ही अपना कार्य शुरू किया है। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिये यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

आयकर अपील अधिकरण

***3006. श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण देश में आय कर अपील अधिकरण न्यायपीठों की संख्या कितनी है तथा उनके सदस्यों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) कितने लेखापाल सदस्य आयकर विभाग से और कितने व्यवसाय में से नियुक्त किए गए ?

(ग) क्या विभाग से आये सदस्यों और व्यवसायों में से आये सदस्यों का अनुपात युक्तियुक्त है ; और

(घ) लेखापालन का व्यवसाय करने वालों में से उपयुक्त उम्मीदवारों के अधिकरण में आकर्षित न होने के क्या कारण हैं ;

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) इस समय 23 न्यायपीठें है जिनमें से हर एक में एक-एक न्यायिक सदस्य और एक-एक लेखापाल सदस्य हैं ।

(ख) 23 लेखापाल सदस्यों में से 17 सेवा करने वालों में से और 6 व्यवसाय करने वालों में से भरती किए गए हैं।

(ग) सदस्यों के स्थानों के लिए वरण, आयकर अपील अधिकरण सदस्य (भरती और सेवा की शर्तें) नियम 1963 के अनुसार प्रधानतः सम्बद्ध उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर इस बात का ध्यान रखे बिना किया जाता है कि वे सेवा करने वाले हैं या व्यवसाय करने वाले। अतः दोनों के बीच किसी अनुपात के नियत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इन स्थानों पर नियुक्तियां, इन की सेवा के निबन्धनों और शर्तों के विवरण देकर प्रेस में किए गए खुले विज्ञापन के जरिए आवेदन आमंत्रित करके की जाती हैं। मामूली तौर से वे उम्मीदवार, जो लेखापालन के व्यवसाय में से हो सकते हैं, इन निबन्धनों और शर्तों को वास्तव में आकर्षक नहीं समझते हैं और इसी लिए काफी संख्या में आवेदन नहीं भेजते हैं।

तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पोषक-आहार

3007. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या **विधि तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजधानी में गन्दी बस्तियों के 3 वर्ष से कम आयु के 17,000 बच्चों को पोषक-आहार उपलब्ध कराने की एक योजना तैयार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह आहार कितने केन्द्रों पर वितरित किया जायेगा ; और

(घ) इस योजना पर कुल कितनी लागत आयेगी तथा इस सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जायेगी ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) दिल्ली में गन्दी बस्तियों के 3 वर्ष से कम आयु के 11550 बच्चों के लिए पोषक-आहार की व्यवस्था की एक योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा हैं।

(ख) इस योजना का ब्यौरा सामान्य योजना के नमूने पर होगा जैसा कि अनुबन्ध में स्पष्ट किया गया है।

(ग) लगभग 51 केन्द्रों पर।

(घ) 6.70 लाख रुपये। सारी लागत भारत सरकार ही वहन करेगी।

विवरण

विशेष पोषण कार्यक्रम

0–3 वर्ष के आयु-वर्ग में बच्चों के पोषण पर विशेष बल दिए जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप समाज कल्याण विभाग ने 1970–71 के दौरान 7 लाख बच्चों के लिए एक पूरक पोषण कार्यक्रम शुरू किया है। इन 7 लाख बच्चों में से आधे आदिमजातीय क्षेत्रों में तथा शेष आधे शहरों गंदी बस्तियों में रहते हैं। यह केन्द्रीय योजना है तथा इसे राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जायेगा। अगले वर्ष में इसके अन्तर्गत 20 लाख बच्चों को लाने का प्रस्ताव है। चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम के लिए इस विभाग के बजट प्राक्कलनों में 4 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

0–3 वर्ष के आयु–वर्ग के बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के आहार तथा पोषण के विभिन्न स्तरों की आवश्यकता होने के कारण उन्हें निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित करने का निश्चय किया गया है:—

(1) 0–1 आयु-वर्ग—इन्हें ऐसा आहार दिया जायेगा, जिसमें लगभग 200 कैलोरी तथा 8–10 ग्राम अच्छी प्रकार की प्रोटीन होगी। इस प्रोटीन का कुछ भाग दूध से प्राप्त होगा।

(2) 1–3 आयु-वर्ग—के बच्चों के आहार में लगभग 300 कैलोरी तथा 12 ग्राम अच्छी प्रकार की प्रोटीन होगी।

यह आहार वर्ष में 250 दिनों तक दिया जाएगा।

शहरी इलाकों में तैयार आहार दिया जाएगा ; आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय अनाज और दालें दी जाएंगी।

जहां कही सुविधाजनक होगा, बालाहार (जिसे खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने तैयार किया है)। केयर द्वारा प्रदान किए गए सी० एस० एम० को शहरी क्षेत्रों में दी जाने वाली खुराक में शामिल किया जाएगा। मोडर्न बेकरीस (लिमिटेड) ने घटी दरों पर विटामिन युक्त दूध की डबल रोटी देने का वचन दिया है।

जहां कही सम्भव हुआ शहरी क्षेत्रों में दूध प्रदान करने के लिए स्थानीय डेरी सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों समेत अन्य क्षेत्रों में दूध पाउडर से दूध बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए अपेक्षित दूध पाउडर का कुछ भाग आंतरिक/अन्तर्राष्ट्रीय मार्किटों से खरीदा जाएगा। बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद तथा दिल्ली में ओपरेशन फ्लड के अधीन घटी दरों पर दुग्ध प्रदाय (कम आय वर्ग के लिये) कार्यक्रम को इस योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। दूध पाउडर की प्रदाय के लिए केयर की सहायता भी मांगी जा रही है।

अन्दाजा लगाया गया है कि विभिन्न रूपों में दी गई पोषाहार के एक एक पर प्रति बालक प्रतिदिन 18 पैसे अथवा (250 दिन) 45 रुपये खर्च होंगे। इसके साथ साथ 13.75 रुपये

प्रशासन पर, जिसमें सर्वेक्षण तथा परिवहन भी शामिल हैं,खर्च होंगे। आदिवासी तथा शहरी क्षेत्रों में7 लाख बच्चों के लिए 1970-71 के दौरान 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी गई है।

इस योजना को राज्य सरकारों द्वारा बच्चों को आहार के वितरण के लिए विभिन्न एजेंसियों, जैसे कि स्कूलों, स्वास्थ्य केन्द्रों, बालवाड़ियों, स्थानीय निकायों द्वारा चलाई गई संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, इत्यादि का उपयोग किया जा रहा है। यह वितरण केन्द्रों में किया जाएगा। प्रत्येक केन्द्र के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 100 बच्चे तथा शहरी क्षेत्रों में 200 बच्चे आएंगे।

(ग) लगभग 51 केन्द्रों पर।

(घ) 6.70 लाख रुपये। सारी लागत भारत सरकार ही वहन करेगी।

कपाडिया ब्रदर्स का ऋण

3008. श्री सीताराम केसरी : क्या **समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार किलिक निक्सन, नेशनल रेयन आदि फर्मों के शेयर खरीदने के लिये कपाडिया ब्रदर्स ने जिन फर्मों/व्यक्तियों से 2.80 करोड़ रुपये का ऋण लिया था, उनके नाम तथा ऋण की शर्तों की सूची, सभा पटल पर रखेगी ?

समवाय कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

न्यासों तथा फर्मों द्वारा राजनैतिक दलों को चन्दे

3009. श्री विभूति मिश्र : क्या **समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जून, 1970 के "सन्डे स्टेट्समैन" (कलकत्ता संस्करण) में "राजनैतिक दल—न्यासों तथा फर्मों द्वारा चन्दों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कम्पनियों, फर्मों तथा न्यासों से चन्दा लेने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद राजनैतिक दल कैसे अपनी सामान्य गतिविधियां तथा चुनाव कार्य करेंगे ?

समवाय कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान, स्पष्टतः स्टेट्समैन (कलकत्ता संस्करण) में दिनांक 6 जून, 1970 को प्रकाशित उस समाचार की ओर है, जिसमें न्यासों तथा साझेदारी फर्मों द्वारा, राजनैतिक दलों को चन्दा देने पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश था। जैसा कि 11 अगस्त 1970 को दिये गये, लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 341 के उत्तर में कहा गया था, कि कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों में इस बाबत, कोई संशोधन विचाराधीन नहीं है।

मध्य प्रदेश में सरकारी उद्योग

3010. श्री रामावतार शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सहायता से सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों को पूरा करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने क्या सुविधायें दी हैं और ऐसी कितनी परियोजनाओं का विचार किया जा रहा है; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने नये सरकारी उद्योग खोले जायेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) :
(क) आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं का उल्लेख "फोर्थ फाइव इयर प्लान रिपोर्ट" के पृष्ठ 326-330 में किया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं का भी उल्लेख उसमें किया गया है। चौथी योजना की अवधि में मध्य प्रदेश के कोरबा में कोयले से बनने वाले उर्वरक की परियोजना तथा दण्डकारण्य में कागज तथा लुगदी का संयंत्र स्थापित किया जाने वाला है।

राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित औद्योगिक परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं, राज्य उद्योग निगम, औद्योगिक क्षेत्र भिलाई, अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को पूरा करना, औद्योगिक विकास निगम, वस्त्र निगम तथा औद्योगिक सर्वेक्षण तथा प्रतिवेदन।

नमक उपकर से प्राप्त आय और उसमें से किया गया व्यय

3011. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा नमक उपकर के रूप में वसूल की गई वर्ष-वार और राज्य-वार राशि क्या है;

(ख) इसी अवधि के दौरान नमक उपकर निधि से मंजूर की गई और खर्च की गई वर्ष-वार और राज्य-वार राशि क्या है;

(ग) उक्त निधि से किस प्रयोजन के लिये धन का उपयोग किया गया;

(घ) क्या किसी राज्य विशेष से वसूल किये गये नमक उपकर की राशि और दूसरी ओर नमक उपकर निधि से वितरित राशि द्वारा उस राज्य के नमक उद्योग को पहुंचाये गये लाभों के बीच संतुलन करने का कोई प्रयास किया गया है; और

(ङ) विशेषत: गुजरात में नमक उद्योग के साथ हो रहे अन्याय को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) :
(क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में नमक उपकर के रूप में जितनी राशि एकत्र हुई तथा जितना व्यय हुआ उसके वर्ष-वार आंकड़े इस प्रकार हैं—

वर्ष	एकत्र राशि	व्यय
1967—68	1,04,28,286 रुपये	47,18,720
1068—69	1,11,08,712 रुपये	66,84,897
1969—70	99,22,497 रुपये	69,15,869

चूंकि यह आंकड़े प्रादेशिक आधार पर रखे जाते हैं अतः राज्यवार आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) लगाये गये उपकर से जो प्राप्ति होती है उसमें से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित रूप में संग्रह करने का व्यय घटा दिया जाता है और फिर उसमें से जितनी राशि संसद द्वारा स्वीकृत कर दी जाती है वह राशि नीचे लिखे सभी कार्यों या उनमें से किसी एक पर खर्च की जाती है:—

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा नमक संगठन को कायम रखने के सम्बन्ध में किये गये व्यय की पूर्ति;

(2) संघीय अधिकरणों द्वारा उत्पादन, पूर्ति और वितरण के सम्बन्ध में किये गये उपायों तथा अन्य अभिकरणों द्वारा नमक के उत्पादन, पूर्ति व वितरण के विनियमन और नियन्त्रण पर होने वाले व्यय की पूर्ति करना और विशेष रूप से नीचे लिखे कार्यों पर होने वाले व्यय की पूर्ति करना:—

(1) अनुसंधान केन्द्रों और आदर्श नमक फार्मों की स्थापना तथा उनका रख-रखाव;

(2) नमक के कारखानों की स्थापना; रख-रखाव और विस्तार;

(3) नमक की श्रेणियां निश्चित करना;

(4) नमक के उत्पादकों में सहकारिता के प्रयास को बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहन देना; और

(5) नमक उद्योग में लगे श्रमिकों के कल्याण के उपायों को बढ़ावा देना।

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों की संहिता के अनुसार नमक के कारखानों में उपकर के रूप में प्राप्त राशि में से जितना योगदान दिया जाता है वह सामान्यतः इस आधार पर ही दिया जाता है कि सम्बन्धित क्षेत्रों में उपकर के रूप में प्रतिवर्ष कितनी राशि एकत्र होती है और इस सम्बन्ध में मझोले व लघु उत्पादकों के हितों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तथापि, नमक उपकर से प्राप्त राशि में से ऐसे रूप में धन को बांटने का अधिकार देने का कोई प्रयास नहीं किया गया है जिससे किसी राज्य से इकट्ठी की गई नमक उपकर की राशि और उस राज्य को पहुँचाये गये लाभों के बीच कोई संतुलन बन जाए। हां, किसी भी नमक के कारखाने को, चाहे वह किसी भी राज्य में स्थित हो, अभी तक उपकर से प्राप्त राशि में से सहायता देने से वंचित नहीं किया गया है बशर्ते वह वर्तमान नियमों को पूरा करता हो।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा टरबाइन और जनरेटरों का निर्माण

3012. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यपार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने टरबाइन और जनरेटरों का निर्माण करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी टरबाइन बढ़ाई गई हैं और वे किन एजेंसियों को सप्लाई की गई हैं ;

(ग) क्या हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को विदेशों से कोई अन्य क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं, और कितने क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) क्या सरकार को पता है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को इस कठिनाई का सामना गैर–सरकारी क्षेत्र में करना पड़ रहा था कि उनके प्रशिक्षित कर्मचारी गैर–सरकारी क्षेत्र में जा रहे हैं ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी हां, हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड ने पहले से ही वाटर टरबाइनों, स्टीम टरबाइनों तथा मशीन जनरेटरों का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, ने अब तक 33 मेगावाट तथा 13 मेगावाट की क्षमता की टरबाइनों, जनरेटरों तथा 30 मेगावाट के स्टीम टरबाइनों और जनरेटरों का उत्पादन किया है। 120 मेगावाट की क्षमता के स्टीम टरबाइनों और मैचिंग जनरेटरों तथा 1,65,000 किलोवाट तक की विभिन्न क्षमताओं वाले हाइड्रो टबाइनों तथा जनरेटरों का उत्पादन कार्य प्रगति पर है।

(ख) अब तक 30 मेगावाट की क्षमता के 9 एकक तथा 15 मेगावाट की क्षमता के एककों का कंपनी ने उत्पादन किया है। इन्हें उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के विद्युत बोर्डों को दिया गया है।

(ग) और (घ) : हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० को हाइड्रो जनरेटिंग और थर्मल जनरेटिंग उपकरणों के लिए विदेशों से कोई क्रयादेश नहीं मिले हैं। फिर भी कुछ देशों से स्विचगीयर, कंट्रोलगीयर और मोटरों जैसे उत्पादों के लिए कुछ क्रयादेश मिले हैं। विवरण इस प्रकार है :—

देश	क्यादेश की कीमत (लाख रु० में)
स्विटजरलैंड	0.05
यूरोपीय देश	1.65
संयुक्त अरब गणराज्य	1.43
ईराक	2.71
मलेशिया	12.03
सिंगापुर	0.05
घाना	1.78
कुवैत	0.62

(ङ) देश में प्रशिक्षित इंजीनियरिंग विशेषज्ञों की सामान्य कमी के कारण अधिकारियों के परिवर्तन किये गये हैं साथ ही यह सुनिश्चित करने के प्रयास भी किये गये हैं कि इससे कारखाने की उत्पादन क्षमता और उत्पादिता में कोई कमी न होने पाये।

जमशेदपुर में टाटा बन्धुओं को पट्टे पर दिये गये औद्योगिक क्षेत्र को अधिकार में लेना

3013. **श्री लोबो प्रभु :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार को जमशेदपुर में, टाटा बन्धुओं को पट्टे पर दिये गये औद्योगिक क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है क्योंकि यह क्षेत्र राज्य-इस्पात कारखानों को पट्टे पर दिये गये क्षेत्र से बहुत कम है तथा इससे औद्योगिक विकास में जनता के विश्वास को ठेस पहुंचेगी ;

(ख) क्या बिहार सरकार इस्पात मीलों के कर्मचारियों द्वारा अब दिये जा रहे कर में वृद्धि किये बिना ही उक्त क्षेत्र के रख-रखाव के लिये अपेक्षित 1.5 करोड़ रुपया उपलब्ध करा सकेगी ; और

(ग) यदि बिहार सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिये इस्पात के उत्पादन पर कर लगाती है तो इसके फलस्वरूप सारे देश में इस्पात के मूल्यों में कितनी वृद्धि हो जायेगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). सरकार ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। यह बिषय सवार्शतः राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और यहां इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

निर्यात प्रधान एककों का विस्तार

3014. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री गणेश घोष :
श्री मुहम्मद इस्माईल :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों के निर्यात प्रधान एककों के विस्तार की अनुमति देने के लिये एक सूत्र तैयार कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार यह समझती है कि उक्त सूत्र को लागू करने का परिणाम यह होगा कि हाल हीं में घोषित औद्योगिक लाइसेंस नीति पूरी तरह निरर्थक हो जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मं. र. कृष्ण) : (क) से (ग) संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति के अन्तर्गत बड़े 2 औद्योगिक गृहों और कुछ अन्य कोटियों के उपक्रमों से साधारणत: यह अपेक्षा की जाती है कि वे महत्वपूर्ण तथा भारी विनियोजन वाले क्षेत्रों में भाग लेंगे। फिर भी इन कोटियों में आने वाले उपक्रमों से अन्य क्षेत्रों के बारे में प्राप्त प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा यदि इन योजनाओं में पर्याप्त निर्यात की जिम्मेवारी ली गई हो या आन्तरिक बिक्री के लिए अपने उत्पादन का अनुपात इतना अधिक न हो कि वह अन्य उत्पादकों पर हावी हो जाए। यह सामान्य औद्योगिक लाइसेंस नीति से असंगत नहीं है।

Industries Proposed To Be Set Up In Madhya Pradesh During 1970-71

3015 : **Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up any industry in Madhya Pradesh in the pudlic sector during the Annual Plan for 1970-71; and

(b) if so, the nature of the proposed industries and whether Government have granted sanction for those industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M, R. Krishna) : (a) and (b) . The Central industrial projects located in Madhya Pradesh are: Bhilai Steel Plant, Bhilai Heavy Electrical Plant, Bhopal; Nepa Paper Mills, Nepanagar; Security Paper Mills, Hoshangabad; Korba Aluminium, Korba; Alkaloid Factory, Neemuch; Mandhar Cement Factory, Mandhar. Provision has been made in 1970-71 for completion/expansion of these projects.

In the State sector the State Government propose to invest in the State Industries Corporation in addition to the investment in the private sector projects through Madhya Pradesh Audyogik Vikas Nigam-Industrial schames, such as industrial areas, textile corporation and promotion of industrial research and surveys are also proposed to be taken up during 1970-71

Under the State Industries Corporation, it is proposed to increase the installed capacity of the spinning Mill, Sanawad,to rennovate Gwalior Potteries, Gwalior, and to start a foot-wear section in the Gwalior Leather and Tent Factory.

दिल्ली में महिलाओं द्वारा व्यभिचार की घटनायें

3016. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में महिलाओं द्वारा व्यभिचार की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है क्या जी० बी० रोड से वेश्याओं ने नगर की विभिन्न सुसभ्य बस्तियों में बसकर दलालगीरी का कार्य किया है ;

(ख) गत वर्ष से आज तक इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कितने मामले/शिकायतें दर्ज की हैं ; और

(ग) समाज से इस अभिशाप को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) आवश्यक जानकारी दिल्ली प्रशासन द्वारा एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

Shortage of Cement For Construction Work Of Delhi Municipal Corporation

3017. : Shri Ram Sewak Yadav : Will the **Minister of Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that most of the construction works of the Delhi Municipal Corporation are lying incomplete for want of cement; and

(b) if so, the causes of the shortage of cement and the action taken or proposed to be taken to remove them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development And Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) No such complaint has been received from the Delhi Municipal Corporation.

(b) Does not arise.

Working Results of Nepa Mills And Imports And Exports of Newsprint

3018. Shri G. C. Dixit : Will the **Minister of Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the quantity and value of newsprint produced by the Nepa Mills in Madhya Pradesh during the years 1966-67 and 1968-69;

(b) the quantity and value of imports and, if any, made during the above period, Country-wise;

(c) the quantity and value of exports and, if any, made during the above period, country-wise ; and

(d) the net profit or loss therefrom during the above period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) The quantity and value of Newsprint produced by Nepa Mills are as follows:-

Year	Quantity in tonnes	Value in Rs. lakhs
1966-67	29,506	310.62
1968-69	30,562	335.70

(b) A statement is attached

Statement

Country-wise Imports of newsprint during 1966-67 and 1968-69

Quantity in tonnes
Value in Rs. '000'
(Post Devaluation Rate)

S. No.	Country	1966-67 Qty.	1966-67 Val.	1968-69 Qty.	1968-69 Val.
1.	Canada	41166	47236	28468	32705
2.	Finland	5988	7309	7066	8129
3.	German Dem. Rep.	129	161	413	483
4.	German Fed. Rep.	372	444	636	726
5.	Norway	355	440	1240	1252
6.	Sweden	1804	1960	3314	3720
7.	U. S. A.	2246	2838	11725	13853
8.	U. S. S. R.	45071	52248	53135	58760
9.	Czechoslovakia	7355	7765	5118	5961
10.	Poland	2740	3135	2944	9436
11.	U. K.	124	139	7	11
12.	Other countries	42	60	392	482
	Total :	107392	123735	114458	129518

(c) Nil

Does not arise

Lok Sabha Elections

3019. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of Law And Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to hold Elections for the Lok-Sabha next year, i.e., in 1971 and instead of in 1972; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State In The Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा दिये गये अनुदानों में वृद्धि

3020. श्री क. प्र. सिंह देव : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को बाल-कल्याणार्थ संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से मिलने वाले अनुदान में 80 प्रतिशत तक वृद्धि कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा किये गये आवंटन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) किन राज्यों को यह धन राशि दी जाती है और इन राज्यों को संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के अनुदान में से कितना आवंटन मिलने की संम्भावना है; और

(घ) इस धन का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) हां, श्रीमान । वर्ष 1969 का नियतन 41.84 लाख डालर था और उसकी तुलना में 1970 में 75.81 लाख रूपये का नियतन 80 प्रतिशत अधिक है जिसमें भाड़ा खर्च की थोड़ी राशि भी शामिल है।

(ख) 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के कार्यक्रमों के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा किए गए आवंटन नीचे दिए जाते हैं :-

1967-68	6,294,000 डालर
1968-69	4,923,000 डालर
1969-70	4,184,000 डालर

(ग) और (घ) : संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से जो सहायता सामान और सम्भरण के रूप में प्राप्त होती है उसे राज्यों के नाम से नहीं बांटा जाता अपितु स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, समाज कल्याण इत्यादि के क्षेत्र में देश के गरीब बच्चों, माताओं इत्यादि के लाभार्थ चलने वाली परियोजनाओं । कार्यक्रमों पर उपयोग में लाया जाता है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का प्रशासन

3021. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का प्रशासन अच्छी स्थिति में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस कम्पनी के कार्य की स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या विभिन्न इस्पात कारखानों की प्रशासन को विभिन्न स्वायत्तशासी एककों में विकेन्द्रीयकृत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कम्पनी के घाटों को रोकने और कम करने तथा इस्पात कारखानों के संचालन में सुधार करने के लिये उठाए गये कदमों का उल्लेख परफारमेन्स आफ हिन्दुस्तान स्टील लि० नामक पुस्तिका में किया गया है जिसकी प्रति 5 अप्रेल, 1968 को सभा पटल पर रखी गई थी। इन उपायों का अनुसरण किया जा रहा है। उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके रास्ते में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों को यथाशीघ्र दूर करने के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। आशा है कि हिन्दुस्तान स्टील लि० को पिछले दो वर्षों की तुलना में वर्ष 1969–70 में काफी कम हानि होगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Technical aid for C. E. D. B. of Hindustan Steel Limited and appointment of Indians and Foreigners on Managerial Posts in C. E. D. B.

3022. Shri Mrityunjay Prasad : Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) the details regarding the technical aid sought from various countries by the Hindustan Steel Ltd. for its newly set up Central Engineering and Design Bureau' stating the names of such countries, their terms and conditions and the period of the agreements concluded ;

(b) the number of Indian technicians and non-technicians appointed so far in the said Bureau on high managerial posts and their pay scales ; and

(c) the number of foreign technicians and non-techniiacns appointed or likely to be appointed on managerial posts, the names of the countries to which they belong,the subject of their specialisation,the period for which they have been appointed or are to be appointed and the pay scales and other terms and conditions applicable to them?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel & Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Hindustan Steel Ltd. have two agreements for collaboration with its Central Engineering and Design Bureau. One is with M/s. Tiajpromexport of the USSR and the other with the United Engineering and Foundry Co. of the United States. The broad terms of the agreements are as follows:—

1. Agreement with Tiajpromexport of the USSR

(i) The scope of this agreement is to strengthen and enable CEBD to plan and design integrated steel plants.

(ii) The agreement will be for a period of five years, extendable, if required, with the mutual consent of both the parties.

(iii) The norms, guiding material and other documentation required for designing iron and steel enterprises will be supplied within a period of twelve months from the date the agreement comes into effect.

(iv) Soviet experts, covering a period of 1500 man-months, would be deputed to the CEDB and would work as Consultants in regard to any project work or preparation of drawings, which the Bureau may undertake.

(v) Indian engineers, also covering a period of 1500 man-months, would be sent to the U. S. S. R. for training in their main Design Institute 'Gipromez' and other allied Institutes.

(iv) The payment to the Russian experts would be on the same lines as for other Russian assisted projects. The payment to be made for the guiding material, norms and other documentation is approximately Rs. 48.5 lakhs.

2. Agreement with United Engineering and Foundry Co. of U.S.A.

(i) Under this agreement, the United would furnish to the HSL the know-how for designing and manufacture of rolling mill equipment in India,

(ii) The duration of the agreement will be ten years.

(iii) HSL would pay a lump sum fee of 1 million dollers divided into ten equal instalments.

(iv) In addition to the lump sum payment, HSL would also pay to the United an amount equal to $4\frac{1}{4}$% of the net sales prices of the equipment made in India as per their know-how.

(b) As on June 30, 1970, the Central Engineering & Design Bureau had 74 officers in senior managerial positions, 77 in supervisory positions and 261 in the Class I Grade.

(c) No foreign technician has been appointed so far under these two agreements. Under the agreement with M/s. Tiajpromexport, services of Soviet experts will be available, as stated in reply to part (a) of the Question, upto 1500 man-months. There is no specific provision for foreign experts under the agreement with the United Engineering. The need for such experts would depend on the nature and number of orders received by the Bureau.

Proposal re : Setting up of New Steel Plants in South

3023. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) the date on which the proposal regarding the setting up of new steel plants in Salem, Hospet, Vishakhapatnam was submitted to the Cabinet for its consideration ;

(b) the date on which Cabinet gave a decision thereon ;

(c) the date on which this decision was duly communicated to the Planning Commission;

(d) the date of reference of this proposal to his and the date when it was approved by that Ministry ; and

(e) the date on which an announcement was made by the Prime Minister about this decision ?

The Dy. Minister in the Ministry of Steel & Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (e) . The question of location of new steel plants has been under consideration of Government for several years and a number of studies have been made by expert bodies in this respect. As a result of these studies, Government came to the conclusion that during the 4th Plan work should be started on three new steel plants at Salem, Vishakhapatnam and Hospet. This decision was announced by the Prime Minister on the 17th April, 1970.

Defects in the Coke Ovens in the Durgapur Steel Plant

3024. **Shri Mrityunjay Prasad : Will the Minister of Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether the Coke Ovens in the Durgapur Steel Plant have developed serious defects ;

(b) if so, the time by which they will be repaired and the amount to be spent on it ;

(c) whether these defects have occurred due to wear and tear or inferior components or faulty routine inspection and maintenance ;

(d) the views expressed by the experts in this connection ;

(e) the estimated loss likely to be sustained due to less work and closure of work till the plant starts production at its full capacity including the amount that would have been saved on repairs if proper and efficient arrangements had been made ; and

(f) the steps proposed to be taken to avoid such losses in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel & Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) All the three batteries constructed under the One Million tonne stage have developed defects

(b) Battery No. 1 is already down for rebuilding and is likely to be ready for commissioning by May/June, 1971. Estimated cost of its reconstruction is Rs. 34.2 million. Rebuilding of the remaining two betteries, will be taken one by one at a later stage.

(c) As per the findings of the Pande Committee, the defects developed due to (i) wrong operating tactics, (ii) insufficient maintenance and (iii) ineffective inspection.

(d) The Committee of Experts recommended complete rebuilding of all the theree batteries under 1 M. T. stage, one by one.

(e) At the present level of production, coke produced in the existing batteries including one additional battery under 1.6 M. T. stage, is adequate. For increased production, requirement of coke will have to be met by purchase from outside. The loss can be determined at that stage only.

(f) The recommendations of the Pande Committee, i. e. stepping up of pace of repairs, training of the staff, good housekeeping, introduction of standard 3 shift system, re-examination of bonus system, etc. are being implemented.

Arrangements for Manufacture of Spare Parts and Repairs of Standard Motor Cars

3025. Shri Mrityunjay Prasad : Will the **Minister of Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the arrangement being made to make spare parts available for the maintenance and repairs of Standard Motor Cars ; and

(b) the extent to which suspension of production of this car would affect the total production of cars ?

The Deputy Minister in Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) It is the responsibility of the manufacturers to make available spare parts for the cars manufactured by them. Government have not made any special arrangements in this regard. Government have also not received any complaint so far about the non-availability of spare parts for Standard Herald Cars.

Normally, there should be no difficulty about the availability of such of the components of Standard Herald Car as were being bought out by the manufacturers from the ancillary manufacturers, as such components would continue to be manufactured and sold by the ancillary manufacturers. As regards components manufactured by the manufacturers themselves, there may be temporary shortage of spare parts till the factory re-starts.

(b) Out of the total average production of about 3,400-3,500 cars a month, M/s Standard Motor Products of India were producing about 125-150 cars a month and its closure is not likely to make any serious impact on the availability of passenger cars in the country.

दक्षिण में नये इस्पात कारखानों के लिये चयन समिति का प्रतिवेदन

3026. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दण्डपाणि :
श्री मयावन् :
श्री सामिनाथन् :
श्री नारायणन् :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को दक्षिण में नये इस्पात कारखानों के लिये स्थलों का चुनाव करने के लिये नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या राज्य सरकारों ने समिति की सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : (क) जी, नहीं । समिति अगस्त, 1970 के अन्त तक अपनी सिफारिशें दे देगी ।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठते ।

उद्योगों को लाइसेंस देने संबंधी नीति की भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के अध्यक्ष द्वारा आलोचना

3028. श्री बे० कु० दास चौधरी : क्या **औद्योगिक** विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के अध्यक्ष ने जुलाई, 1970 में उद्योगों को लाइसेंस देने संबंधी नीति की आलोचना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख) . इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के फेडरेशन के अध्यक्ष द्वारा समाचार पत्रों को 22 जुलाई 1970 को दिए गए अपने वक्तव्य में लाइसेंसीकरण की नीति में किए गए परिवर्तनों जिनमें बिना लाइसेंस प्राप्त किए उत्पादन में विविधता लाने सम्बन्धी नीति और सरकारी क्षेत्र के कार्यक्षेत्र के प्रसार तथा विस्तार और विशेषकर उपभोक्ता उद्योगों में सरकारी क्षेत्र के विस्तार की नीति की आलोचना की है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह आलोचना नीति में किए गए परिवर्तनों की विशेषताओं के पर्याप्त मूल्यांकन न किए जाने का परिणाम है । यह परिवर्तन सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति तथा वृद्धि के दोहरे उद्देश्य से किए गए हैं । सरकार यह आशा करती है कि नई लाइसेंसी करण की नीति से उधमियों की और विशेषकर लघु उद्योग तथा दरम्याने पैमाने के उद्यमियों की (चाहे वह विद्यमान हों अथवा नए) स्वतन्त्रता तथा अवसरों में वृद्धि सुनिश्चित होगी, उत्पादन वृद्धि को गति मिलेगी और देश में विविधतायुक्त औद्योगिक आधार की स्थापना होगी इसके साथ साथ बड़े बड़े औद्योगिक समूहों से सम्बन्धित है तथा विदेशी कम्पनियों के भावी विकास का विनियमन भी जन हित में होगा । जहा तक उत्पादन में विविधता की नीति का सम्बन्ध है, ऐसे उपक्रम जो बड़े औद्योगिक समूहों से सम्बन्धित है तथा विदेशी कम्पनियां और ऐसे उपक्रम जिनकी अचल आस्तियां 5 करोड़ रु० से अधिक हैं बिना लाइसेंस प्राप्त किए उत्पादन में विविधता नहीं लाएगी और उनके लाइसेंस प्राप्त करने के आवेदनों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा । बिना लाइसेंस प्राप्त किए उत्पादन में लाइसेंस प्राप्त क्षमता से 25 प्रतिशत अधिक उत्पादन करने की सुविधा पहले की भांति अब भी विद्यमान हैं । ऐसी आशा है कि इससे उत्पादिता में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा काम अधिक सुचारु रूप से चलेगा और स्थापित क्षमता का और अधिक उपयोग हो सकेगा ।

विधि मंत्रालय के कुछ अधिकारियों द्वारा अधिक ली गई आकस्मिक छुट्टी

3029. **श्री अदिचन :**
श्री दे० अमात :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपके मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने वर्ष 1969 में नियमों के अधीन अनुज्ञेय 12 दिन से अधिक की आकस्मिक छुट्टी ली है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारी कितने हैं तथा इस संबंध में उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली और बान्दी कुई के बीच अपर्याप्त रेलगाड़ी सेवा

3030. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :** **श्री राम चरण :**
श्री शिव कुमार शास्त्री : **श्री शिव चरण लाल :**

श्री श्री गोपाल साबू : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली और बान्दी कुई के बीच यात्री तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की अपर्याप्त सेवा की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सैक्शन पर और अधिक शटल रेलगाड़ियां चलाने तथा दिल्ली और फुलेरा के बीच इस समय चलने वाली रेलगाड़ियों को रिवाड़ी-अलवर-बान्दी कुई मार्ग से चलाने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख), दिल्ली-बान्दी कुई खंड पर फिलहाल चार जोड़ी सीधी गाड़ियां चल रही हैं जिनमें तीन जोड़ी डाक/एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल हैं। इनके अलावा इस मार्ग पर खंडीय गाड़ियां भी चल रही हैं जिनसे स्थानीय यातायात होता है। मोटे तौर पर दिल्ली-बान्दी कुई खंड पर होने वाले यातायात की आवश्यकताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए ये गाड़ियां पर्याप्त समझी गयी हैं। अतिरिक्त शटल गाड़ियां चलाने या दिल्ली-फुलेरा गाड़ियों को बान्दी कुई के रास्ते चलाने के लिए यातायात का औचित्य नहीं पाया जाता। इसके अलावा, फिलहाल जयपुर बान्दी कुई संतृप्त खंड पर अतिरिक्त लाइन क्षमता भी उपलब्ध नहीं है ।

औद्योगिक एककों के विस्तार कार्यक्रम के लिए विदेशी मुद्रा

3031. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान औद्योगिक कारखानों के विस्तार कार्यक्रमों के लिए विदेशी मुद्रा देने के बारे में कोई योजना बनाई गई है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं०र० कृष्ण) : (क) और (ख). कोई नई योजना नहीं बनाई गई है। परन्तु औद्योगिक एककों के विस्तार कार्यक्रमों के लिए विदेशी मुद्रा स्वीकार करने वाले विद्यमान नियमों की समय-समय पर संवीक्षा की जाती है जो विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

भारी इंजीनियरिंग निगम रांची में उत्पादन

3032. श्री एस० आर० दामानी :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) गत वर्ष भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची, में कितना उत्पादन हुआ था तथा यह 1968-69 की तुलना में कितना है ;

(ख) इसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग न करने और बोकारो इस्पात कारखाने के क्रयादेशों को पूरा करने के लिये धीमे काम करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस एकक में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वर्ष 1968-69 और 1969-70 में कम्पनी के कारखानों का उत्पादन इस प्रकार था :

	उत्पादन			
	1968-69		1969-70	
	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रुपये)	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रुपये)
फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट	16643	319.72	28152	779.20
भारी मशीनें बनाने का कारखाना	23853	1066.79	24511	1374 22
भारी उपयंत्र बनाने का कारखाना	348 (8 उपयंत्र भी शामिल हैं)	27.06	542 (27 उपयंत्र भी शामिल हैं)	82.70

(ख) इस प्रकार की प्रायोजनाओं को पूर्ण क्षमता प्राप्त करने में अनिवार्यतः काफी समय लगता है क्योंकि कामगारों को भारी और नवीनतम प्रोद्योगिक उपकरणों और मशीनों को चलाने में दक्षता प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है और इस अवधि में उसकी उत्पादिता में धीरे धीरे वृद्धि होती है। इन कारखानों में अभी निर्धारित क्षमता पर उत्पादन नहीं होने लगा है।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

(1) ढ़ली और गढ़ी वस्तुओं और खरीदी जावे वाली वस्तुओं की प्राप्ति पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

(2) उत्पादन आयोजन और नियंत्रण संगठन और दूसरे कार्यों को सुचारू रुप से किया जा रहा है।

(3) कामगारों को कारखानों और प्रशिक्षण संस्थानों दोनों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(4) आयात संबंधी काम की देख-रेख के लिये मास्को में एक सम्पर्क अधिकारी रखा गया हैं।

संयुक्त उद्यम

3033. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त उद्यमों के लिए जैसा कि दत्त समिति द्वारा सिफारिश की गई है ठोस प्रस्ताव तैयार किये गये हैं ;

(ख) इस प्रकार के संयुक्त उद्यमों के लिए किन पदों को उचित समझा गया है ;

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रतिक्रिया का पता लगाया गया है, और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (घ) . शायद यह संदर्भ औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा सुझाये 'संयुक्त क्षेत्र' के विचार के बारे में है। सरकार ने सिद्धान्त रूप में इस विचार को मान लिया है और भविष्य में मुख्य परियोजनाओं के मामलों में जिनमें सरकारी वित्तीय संस्थाओं का पर्याप्त सहयोग निहित है, सरकार का उनके प्रबन्ध में, विशेषकर नीति संबंधी स्तर पर अधिकाधिक हिस्सा रहेगा। ये संस्थायें एक निर्धारित अवधि में ऋण को ईक्विटी में या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से अपनी इच्छानुसार परिवर्तित करा सकती हैं। इस सम्बन्ध में वित्तीय संस्थाओं के विचार-विमर्श से बैंक विभाग द्वारा ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। विभिन्न हितों के प्रतिनिधियों द्वारा सामान्यतः संयुक्त क्षेत्र के विचार का स्वागत किया गया है।

सलेम में प्रस्तावित कारखाने में इस्पात के उत्पादन का मूल्य

3034. **श्री एस आर. दामानी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सलाहकार इंजीनियरों की एक फर्म के प्रबन्ध निदेशक श्री बी० दास द्वारा संवाददाताओं को दिये गये उस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है "इंडियन

एक्सप्रेस" के बम्बई संस्करण में 3 जुलाई, 1970 को पृष्ठ 8 पर प्रकाशित जो, सलेम में प्रस्तावित कारखाने में बनाये जाने वाले इस्पात के अलाभप्रद होने के बारे में है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने श्री दास द्वारा सम्पूर्ण स्वदेशी मशीनों तथा जानकारी से अन्य इस्पात कारखानों की स्थापना के बारे में व्यक्त विचारों पर भी ध्यान दिया है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सरकार को उपर्युक्त कथित वक्तव्य का पता है।

(ख) भूतकाल में भी कई अवसरों पर इस प्रकार के मत व्यक्त किये गये हैं। परन्तु सरकार सन्तुष्ट है कि प्रस्तावित सलेम प्रायोजना विशिष्ट इस्पात के उत्पादों की दृष्टि से तथा अपनाई जाने वाली प्रविधि की दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होगी। सरकार के इस विचार की पुष्टि मैसर्स दस्तूरकों द्वारा किये गये अध्ययन तथा उनके द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन से और जापानी परामर्शदातृ सस्था, जिसने प्रायोजना के आर्थिक पहलू का मूल्यांकन किया था, के विचारों से होती है।

(ग) और (घ) . कथित वक्तव्य सरकार के ही इस नीति विषयक निर्णय की ओर संकेत करता है कि भविष्य में इस्पात कारखाने पूर्णतया भारतीय परामर्शदाताओं द्वारा लगाये जायेंगे और यथा-संभव उनमें देशीय उपकरण और यंत्र लगाये जायेंगे। अतः यह ऐसा विषय नहीं है जिसकी फिर से जांच करना आवश्यक हो।

Industries in Bhopal, Sehore and Dewas Districts of Madhya Pradesh

3036. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Industrial** Development **and Internal Trade** be pleased to state:

(a) the number of Central, State, Semi-Governments and private sector industries in Bhopal, Sehore and Dewas Districts of Madhya Pradesh at present;

(b) the amount of grants given to each of these industries during the financial year 1967-68; and

(c) the amount of grants and loans likely to be made available by the Central Government for the development of industries in those Districts during the financial year 1970–71 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Iuternal Trade (Shri M. R. Krishana) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Hoisting of Red Flag by the Naxalites at the office of Assistant Station Master of Shantipur Railway Station (Eastern Railway)

3037 Shri Bans Narain Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Railways** be pleased to **state** :

(a) whether it is a fact that a red flag was hoisted by the Naxalites at the Office of the Assistant Station Master of Shantipur Railway station of Krishna Nagar (Eastern Railway) in the second half of May, 1970;

(b) the action taken by Government in this regard; and

(c) the action Government propose to take to prevent the recurrence of such incidents in future ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes, at Shantipur Railway Station on 22.5.1970.

(b) The Government Railway Police of Ranaghat brought down the red flag and registered a case under sections 143/447/407 IPC which is under investigation.

(c) Prevention of lawlessness being the responsibility of the State Governments, attention of the Government of West Bengal has been specially drawn to the incidents of hooliganism by Naxalites etc. at railway premises and they have been requested to take necessary remedial steps.

Railway protection Force/Railway Protection Special Force are also being increasingly deployed to protect Railway property and to assist the State Police in handling such situations. Closest liaison is being maintained with the State Police authorities who deal with law and order, with a view to securing their assistance.

सहायक रेल पथ निरीक्षकों के रूप में समाहित किये गये कर्मचारियों की भविष्य निधि तथा सेवा अभिलेखों का हस्तान्तरण

3038. श्री वंश नारायण सिंह **श्री शारदा नन्द :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **रेलवे** मंत्री 28 अप्रैल, 1970 के उत्तर रेलवे में सहायक रेल-पथ निरीक्षकों के तौर पर समाहित किये गये कर्मचारियों की भविष्य निधि तथा सेवा अभिलेखों के हस्तांतरण के सम्बन्ध में अतारांकित प्रश्न संख्या 7800 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे अधिकारियों को शेष 25 फालतू सहायक निर्माता निरीक्षकों के अभिलेख प्राप्त हो गये हैं जिन्हें उत्तर रेलवे में सहायक रेल पथ निरीक्षकों के तौर पर समाहित किया गया है;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं तथा अभिलेख हस्तान्तरण के लिए कितना समय अपेक्षित है; और

(ग) सम्बद्ध अधिकारी के विरुद्ध अभिलेख हस्तान्तरित न करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जबकि लगभग 19 महीने व्यतीत हो गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 17 सहायक रेल पथ निरीक्षकों का रिकार्ड अभी नहीं मिला है।

(ख) और (ग) बाकी रेकार्डों को यथासम्भव शीघ्र प्राप्त करने के लिए उत्तर रेलवे सम्बन्धित रेलों के साथ तत्परतापूर्वक लिखा-पढ़ी कर रही है।

पश्चिम रेलवे के ए० आई० ओ० डब्ल्यू कर्मचारियों को शीघ्र वैकल्पिक रोजगार

3039. श्री बंश नारायण सिंह : **श्री शारदा नन्द :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1957 के पैरा 25 (जी०) तथा रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई० (एन० जी०) 60 एस० आर० 612, दिनांक 16 नवम्बर, 1961 के अनुसार फालतू कनिष्ठ ए० आई० ओ० डब्ल्यू० कर्मचारियों की छटनी की जानी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम रेलवे के फालतू ए० आई० ओ० डब्ल्यू० कर्मचारियों की छंटनी उनकी वरिष्ठता के अनुसार नहीं की गई;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या गांधीधाम के ए० आई० ओ० डब्ल्यू (सी) जिसे ए० एल० ओ० डब्ल्यू के पद पर काम करते रहने दिया गया था, पश्चिम रेलवे के बहुत से उन ए० आई० ओ० डब्ल्यू० कर्मचारियों से कनिष्ठ नहीं था जिन्हें पहले सेवा से निकाल दिया गया था तथा उसके पश्चात उन्हें वैकल्पिक रोजगार दिया था ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गोहाटी तक बड़ी लाइन

3040. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके हाल के आसाम के दौरे के दौरान उनसे बड़ी लाइन यथाशीघ्र गोहाटी तक बढ़ाने के बारे में अनुरोध किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने इन मामलों पर तत्परता दिखाने के लिए असमर्थता प्रकट की थी क्योंकि आसाम रेलवे को उससे हानि हो रही है; और

(ग) क्या फरक्का बांध के पूरा होने तक बड़ी लाइन का विस्तार कार्य पूरा हो जाएगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). बोंगाईगांव-गुवाहाटी मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने का काम रेलों की आमान परिवर्तन सम्बन्धी संदर्श योजना में शामिल कर लिया गया है। यह योजना अगले लगभग दस वर्षों में कार्यान्वित की जायेगी। आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है। जांच कार्य पूरा होने पर परिवर्तन संबंधी विनिश्चय किया जायेगा। इस खण्ड के परिवर्तन का वास्तविक काम इसी प्रकार के अन्य कार्यों की तुलना में इसकी प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

बड़े औद्योगिक गृहों को मध्यम स्तर के उद्योगों में धन लगाने के लिए लाइसेंसों का दिया जाना

3041. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बड़े औद्योगिक गृहों को मध्य स्तर के उद्योगों में धन लगाने के लिए लाइसेंस देने का निर्णय किया है यदि वे अपने उत्पादन के 60 प्रतिशत उत्पादन का निर्यात करें; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय दत्ता समिति की सिफारिशों के अनुसार है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एम० आर० कृष्ण) : (क) बड़े औद्योगिक गृहों तथा विदेशी कम्पनियों से सम्बन्धित अथवा नियंत्रित उपक्रमों से प्राप्त मध्यम तथा लघु उद्योग क्षेत्रों के आवेदनों पर विचार किया जायेगा यदि वह पर्याप्त निर्यात का वचन दें और यदि आंतरिक बिक्री के लिए उनके उत्पादन का अनुपात इतना अधिक न हो कि वह अन्य उत्पादकों पर हावी हो जायें। मध्यम पैमाने के क्षेत्र में निर्यात की न्यूनतम जिम्मेवारी या अतिरिक्त उत्पादन की 60 प्रतिशत या उससे अधिक और लघु उद्योग क्षेत्रों में 75 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। इस स्तर तक निर्यात की जिम्मेवारी अधिक से अधिक 3 वर्षों में पूरी करनी होगी।

(ख) निर्यातोन्मुख उत्पादक एक[ा]ों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में दत्त समिति ने कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की हैं।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के कुछ स्टेशनों पर लौह अयस्क के लदान की कुल क्षमता

3042. **श्री क० प्र० सिंह देव** :
श्री धी० ना० देव :
श्री अ० दीपा :
श्री महेन्द्र माफी :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में बारबिल, बोलानी खादम, बाराजाम्दा गुआ, नोमन्डा, बांसपानी तथा देश देवभार रेलवे स्टेशनों पर लौह अयस्क के लदान की कुल क्षमता कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों में औसतन वास्तव में प्रतिदिन कितने टैंकों का लदान किया गया ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) दक्षिण पूर्व रेलवे के बारबिल, बोलानी–खंदान, बड़ाजामदा, गुश्रा, नौश्रामुन्डी, बांसपानी और देवझर स्टेशनों पर लौह अयस्क के लदान की कुल क्षमता प्रतिदिन 2500 चौपहिये माल डिब्बे हैं।

(ख) गत तीन वर्षों में रेकों के लदान का दैनिक औसत इस प्रकार रहा है :–

वर्ष	प्रतिदिन रेकों की औसत संख्या
1967–68	12
1968–69	11
1969–70	11

एक रेक लगभग 100 चौपहिये माल डिब्बों के बराबर है।

लौह अयस्क के लदान के लिए स्टेशन

3043. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री महेन्द्र मारली :**
श्री धी० ना० देव : **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री अ० दीपा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में क्षेत्रवार तथा डिवीजनवार लौह अयस्क का लदान सबसे अधिक किन स्टेशनों पर किया जाता है; और

(ख) इन स्टेशनों पर प्रतिदिन कितने लौह अयस्क का लदान होता है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). देश में लौह अयस्क का सबसे अधिक लदान करने वाले 10 स्टेशनों की क्षेत्रवार और मंडलवार सूची तथा 1969–70 में इन स्टेशनों से लौह अयस्क के लदान का दैनिक औषत नीचे दिया गया है :–

स्टेशन का नाम	क्षेत्र	मंडल	1969-70 में लौह अयस्क के लदान का दैनिक औसत (मीटरिक टनों में)
दल्ली–राजहरा	दक्षिण-पूर्व	बिलासपुर	11066
किरांदुल	,,	वाल्टेयर	7500
नौश्रामुंडी	,,	चक्रधरपुर	5786
बासपानी	,,	,,	5192
बोलानी	,,	,,	4730
किरिबुरु	,,	,,	4004
बरसुत्रा	,,	,,	2838
बड़ाजामदा	,,	,,	2838
गुंश्रा	,,	,,	2794
कारीगनुरु	दक्षिण (बड़ी लाइन) रेलवे	गुंतकल्ल	2385
	दक्षिण मध्य (मीटर लाइन)	हुबली	

रेलवे सम्बन्धी समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए सम्मेलन

3044. श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा 15 जून, 1970 को रेलवे की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने और उसके कार्य-संचालन में सुधार लाने के उपाय करने के लिए जो सम्मेलन बुलाया था, उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : सम्भवत: आशय 11.6.70 की आल इन्डिया रेलवे मेन्स फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन आफ इन्डियन रेलवे मेन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक से है। रेल कर्मचारियों से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। ये समस्याएं (क) रेलों पर संघों के छिन्न-भिन्न होने से रोकने के लिए कार्रवाई (ख) स्थायी-वार्ता तंत्र का कार्य कलाप और (ग) शिकायतों और परिवेदनाओं का मान्य सरणियों आदि के माध्यम से भेजने से सम्बन्धित हैं। इन विचार विमर्शों के अनुसार जहां भी आवश्यक होती है, आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

स्कूटरों का निर्माण करने वाली फर्म

3045. श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष : श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में स्कूटरों का निर्माण करने वाली कितनी फर्में हैं।

(ख) 31 मार्च, 1969 को प्रत्येक फर्म द्वारा इस उद्योग में कितना पूंजी निवेश किया गया था;

(ग) प्रत्येक देश की उन विदेशी फर्मों के नाम क्या-क्या हैं जो स्कूटर का निर्माण करने वाली भारतीय फर्मों का सहयोग दे रही हैं; और

(घ) भारत में स्कूटरों का निर्माण करने वाली प्रत्येक फर्म के कुल पूंजी निवेश में प्रत्येक विदेशी फर्म का कितना अंश है।

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी नीचे दी जा रही है :—

	फर्म का नाम	उनकी अधिष्ठापित अचल आस्तियों का मूल्य (भूमि, इमारत तथा मशीनों पर किया गया विनियोजन)	स्कूटर उत्पादन के विदेशी सहयोगी का नाम (रुपये लाखों में)	विदेशी सहयोगी का अंश (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
		(रुपये लाखों में)		
1.	मे० आटोमोबाइल	275.00	इन्नोसेंटी	2.5 लाख

1	2	3	4	5
	प्रो० ग्राफ इंडिया प्रो० लि० बम्बई		मिलानों, इटली	
2.	मे० बजाज ग्राटो लि०पूना	349.40	मे० पियागिनो एण्ड कं० जनेवा, इटली	कुछ नहीं
3.	मे० एस्कोर्ट्स लि० नई दिल्ली	171.52	कोर्ट विदेशी सह योगनी	कुछ नहीं
4.	मे० एनफील्ड इंडिया लि० मद्रास	195.00	मे० विलियर्स इंजो० कं० लि०, यू० के०	कम्पनी की इक्विटी पूंजी का 27.71 प्रतिशत ।

मैसर्स एस्कोर्ट्स तथा मे० एनफील्ड इंडिया लि० स्कूटरों के साथ-साथ ही मोटर साइकिलों का उत्पादन भी करते हैं । इन फर्मों के उपर्युक्त उल्लिखित विनियोजन केवल स्कूटरों के बारे में नहीं हैं बल्कि सम्पूर्ण कार्यकलापों के बारे में हैं ।

टिकटों की जांच करने वाले कर्मचारियों द्वारा जारी करने की तिथि को मिटाकर उपयोग किए गए टिकटों की पुनः बिक्री

3046. **श्री सु० कु० तापड़िया ।**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकारियों ने एक गिरोह पकड़ा है जहां टिकटों की जांच करने वाले कर्मचारियों ने बुरे लोगों की साठ-गांठ से टिकटों से जारी करने की तिथि को मिटाकर उपयोग की गई टिकटों की पुनः बिक्री की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है तथा इस अपराध को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के पूरी क्षमता के उपयोग के लिए कच्चे माल का उपलब्ध न होना

3047. **श्री सु० कु०-तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कुछ अपेक्षित कच्चे माल के उपलब्ध न होने के कारण जिसका आयात किया जाना था, अपेक्षित तथा निर्धारित संख्या में विद्युत डीजल रेलवे इंजनों का निर्माण नहीं कर सका;

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए मामले की जांच करेगी कि महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन में ऐसी भूलें, बाधा न डालें तथा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की रेल इंजनों और अन्य उपकरणों का क्रयादेश देने वाले देशों को दिये जाने वाले निर्यात पर बुरा प्रभाव न पड़े; और

(ग) विदेशों से मिलने वाले ऐसे क्रयादेशों से सरकार कितनी बचत करना चाहती है तथा आन्तरिक उपयोग के लिए डीजल विद्युत रेल इंजनों का आयात न करके इस वर्ष कितनी बचत की गई है ?

रेल मंत्री (श्री नन्दा) : (क) डीज़ल रेल इंजन कारखाना अपने उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करता रहा है। केवल 1964–65 और 1967–68 के वर्षों में आयात सामान की प्राप्ति में अपरिहार्य विलम्ब और खराब धुरे सप्लाई होने के कारण उत्पादन कम रहा।

(ख) रेल इंजनों का उत्पादन स्वदेशी और आयात पुर्जों की उपलब्धता पर निर्भर करता है और पुर्जों और कच्चे सामान की सप्लाई में तेजी लाने के लिए सर्वोच्च स्तर पर कार्रवाई की जाती है।

(ग) चूंकि रेल इंजनों के निर्यात के लिए डीजल रेल इंजन कारखाने को अभी तक कोई आर्डर प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए उस लेखे बचत होने का प्रश्न नहीं उठता।

1969–70 में डीजल रेल इंजन कारखाने ने बड़ी लाइन के 58 और मीटर लाइन के 24 डीजल रेल इंजन बनाये जिसमें 60 लाख डालर विदेशी मुद्रा खर्च हुई। इन रेल इंजनों के आयात पर लगभग 220 लाख डालर खर्च होता। अतः इस वर्ष लगभग 160 लाख डालर की विदेशी मुद्रा की शुद्ध बचत हुई है।

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवस्था में प्रत्येक राज्य में रेलवे लाइनें

3048. श्री एन० शिवप्पा :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रत्येक राज्य में नई रेलवे लाइनें बिछाने के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में रेलवे लाइनों की लम्बाई कितनी है और देश में रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई की तुलना में उनकी प्रतिशतता कितनी–कितनी है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) चौथी योजना की नयी लाइनों के प्रस्तावो अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और यह कहना सम्भव नहीं है कि जिन लाइनों को चुना वे किस राज्य में पड़ेगी।

(ख) रेलों की लम्बाई सम्बन्धी सूचना राज्यवार नहीं बल्कि केवल रेलवेवार संकलित की जाती है। 31 मार्च, 1969 को चालू मार्ग किलोमीटर, निर्माणाधीन लाइनों आदि का ब्यौरा, भारतीय रेलों पर रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट का पूरक-सांख्यिकीय विवरण 1968–69 के विवरण 8 में दिया गया है जिसकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

कोयला खनन–मशीनों की आवश्यकता

3049. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय भारत कोयला खनन मशीनों की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को वस्तुतः पूरा करने की स्थिति में है; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार उन खनन-उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का है जो देश में उपलब्ध है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) सरकारी क्षेत्र मे माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर की स्थापना कोयला खनन की अनेक प्रकार की मशीने बनाने के लिए, जिनकी कि देश में आवश्यकता है, की गई है। गैर–सरकारी क्षेत्र के बहुत से एकक कोयला काटने की मशीनें, बिजली की कोक ड्रिल, पता लगाने की कोर ड्रिलें, हालेजेज, बिडर्स आदि का भी उत्पादन कर रहे हैं। एक बार सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में पूरा उत्पादन हो जाता है तो आशा है कि देश के लिए अपेक्षित कोयला खनन मशीनों की सम्पूर्ण मांग प्रायः पूरी हो जायेगी।

(ख) सामान्यतया, कोयला खनन मशीनें जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है, के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। फिर भी विशेष मामलों में तथा कठिन परिस्थितियों में देश में निर्मित वस्तुओं के वास्तविक उपभोक्ताओं से प्राप्त आयात आवेदनों पर ग्राहक द्वारा बताये गये विशिष्टीकरण तथा डिलीवरी को तारीख को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

पूना-बंगलौर लाईन को बड़ी लाईन में बदलना

3050. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूना बंगलौर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य की क्या स्थिति है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ख) क्या इस मार्ग पर दुहरी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). समूचे पुणे–बेंगलुरू मीटर लाइन खण्ड को तत्काल बड़ी लाइन में बदलने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस लाइन में मीटर लाइन के चार खण्ड अर्थात् मिरज, भिरज–लोंडा, लोंडा–हुबली और हुबली–बेंगलूरू शामिल हैं। पुणे-मिरज खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने का काम पहले से ही जारी है। हुबली-हास्पेट और लोंडा–मामुंगोवा मीटर लाइन खण्डों सहित मिरज–लोंडा–हुबली खण्ड के आमान परिवर्तन को काम को अगले लगभग दस वर्षों के अन्दर किये जाने वाले आमान परिवर्तन से सम्बन्धित रेलवे की संदर्श योजना में शामिल कर लिया गया है। ज्योंही यातायात में वृद्धि के लिए आवश्यक होगा, इस खण्ड के आमान परिवर्तन पर विचार किया जायेगा। इस समय हरिहर के रास्ते हुबली-बेंगलूरू मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आमान परिवर्तन के लिए रेलवे की संदर्श योजना के एक भाग के रूप में गुंतकल्लु-बेंगलूरू मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए भी एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इस काम के लिए सर्वेक्षण किये जा चुके है और इस समय इनकी रिपोर्टों की रेलवे बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है। इस खण्ड के आमान–परिवर्तन का वास्तविक काम धन की उपलब्धता पर और इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों के मुकाबले इस काम को मिलने वाली अग्रता पर निर्भर करता है।

इन खण्डों पर आमान-परिवर्तन के प्रस्ताव इकहरी लाइन वाले रेल पथ के लिए ही हैं। इन खण्डों पर मीटर लाइन का दोहरा रेल पथ बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

बंगलौर–हैदराबाद रेल मार्ग को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना

3051 श्री एन० शिवप्पा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बंगलौर–हैदराबाद रेल मार्ग को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की व्यवहार्यता पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा।

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). फिलहाल बंगलूरू–हैदराबाद मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन गुन्तकल–बंगलूरू मीटर लाइन खण्ड को जो इसका एक भाग है, बदलने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। इस खण्ड को बदलने से सम्बन्धित सर्वेक्षण रिपोर्ट की रेलवे बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है। यह उन खण्डों में से एक खण्ड है जिसे रेलवे की उस आमान परिवर्तन सम्बन्धी भावी योजना में शामिल किया गया है जो अगले लगभग दस वर्षों में कार्यान्वित की जायेगी। लेकिन इस खण्ड का वास्तविक परिवर्तन धन की उपलब्धता पर और इस बात पर निर्भर करता है कि इस काम को ऐसे अन्य प्रस्तावों के मुकाबले कितनी प्राथमिकता प्राप्त होती है।

Relief on Transportation Charges to Industries Located in far off Places or in Hilly Areas

3052. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be Pleased to state :

(a) whether in order to have balanced development of industries in all parts of the country. Government propose to make such arrangements that the industries located at far off or in hilly areas are relieved of their additional expenditure being incurred by them on the transportation of raw material requirved by them on the goods Produced by them in order to enable them to compete with other industries in the market;

(b) if so, the manner in which Government propose to extend help to them; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishan) (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

कलर फिल्मों के निर्माण के लिए कारखाने की स्थापना

3053. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** **श्री के० रमानी :**
श्री प० गोपालन : **श्री उमानाथ :**
श्री सी० के चक्रपाणि : **श्री एस० एम० कृष्ण :**
डा० सुशीला नैयर : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'कलर फिल्मों,' का निर्माण करने के लिए कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर कितना खर्च आयेगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क)से(ग). हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी का कि एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, भारत में रगीन पोजेटिव फिल्म के उत्पादन के लिए किसी उपयुक्त विदेशी सहयोगी की खोज में है। मैसर्स कोडक्स भी उन कम्पनियों में से एक है जिनमे बातचीत की गई थी किन्तु उन्होंने अभी कोई निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये हैं। इनके साथ सहयोग की पूर्वापेक्षा सम्भाव्यता अध्ययन है जो कि अभी तक नहीं किया गया है। उनसे प्राप्त सहयोग की प्रारम्भिक पेशकश अन्य पार्टियों से प्राप्त पेशकशों के साथ सरकार के विचाराधीन है।

औद्योगिक लाइसेंसों का जारी करना

3054. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
डा० सुशीला नैयर : **श्री देवराव पाटिल :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों । व्यवसाय गृहों के नाम क्या हैं जिनको 1–4–67 से लेकर 31–3–70 तक की अवधि में विभिन्न राज्यों में (राज्यवार) उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस दिये गये थे ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों । व्यवसाय गृहों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक उद्योगों की स्थापना नहीं की है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसे दोषी व्यक्तियों/व्यवसाय गृहों के विरुद्ध इस बीच कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) (क) से (घ) : जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों के अलग–अलग आंकड़े वितीय वर्षों के अनुसार नहीं रखे जाते हैं। 1 जनवरी, 1967से 31 मार्च, 1970 की अवधि में 793 लाइसेंस तथा 803 आशय पत्र जारी किये गये थे। इन लाइसेंसों तथा आशय पत्रों के वर्षवार तथा राज्य वार वितरण के बारे में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। सभी लाइसेंसों तथा आशय पत्रों के विस्तृत ब्यौरे, व्यक्ति/फर्मों के नाम समेत जिन्हें कि लाइसेंस दिये जाते हैं, समय–समय पर वीकली 'बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज, एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज, 'दि वीकली' इण्डियन ट्रेड जर्नल' तथा दि मंथली "जर्नल आफ इन्डस्ट्री एण्ड ट्रेड' में प्रकाशित किये जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं :

लाइसेंसों के कार्यान्वियन के बारे में राज्यवार तथा वर्षवार जानकारी नहीं रखी जाती है। ऐसे मामलों में जहां लाइसेंस प्राप्तकर्ता निर्धारित अवधि के अन्दर (या जिस अवधि तक लाइसेंस की वैधता ठोस कारणों से बढ़ाई गई हो) लाइसेसों को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने में असमर्थ रहा हो, वहां सरकार द्वारा पार्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा लाइसेंसों का प्रतिसंहरण करने की आवश्यक कार्यवाई की जाती है। अतः 546 लाइसेंस या तो उल्लिखित अवधि में समाप्त कर दिये गये हैं या वापस कर दिये गये हैं।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	1967	1968	1969	31 मार्च, 1970 तक	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्रप्रदेश	11	4	5	5	23
2.	आसाम	3	4	1	–	8
3.	बिहार	20	12	8	1	41
4.	दिल्ली	3	3	2	1	9
5.	गुजरात	31	25	19	3	78
6.	हरियाणा	9	10	6	3	28
7.	केरल	7	4	2	3	16

1	2	3	4	5	6	7
8.	मध्यप्रदेश	6	2	3	1	12
9.	तमिल नाडू	17	9	13	7	46
10.	महाराष्ट्र	101	80	81	13	275
11.	मैसूर	7	12	5	4	28
12.	नागालैण्ड	–	1	–	–	1
13.	उड़ीसा	2	2	3	–	7
14.	पंजाब	4	4	1	2	11
15.	राजस्थान	11	4	–	2	17
16.	उत्तर प्रदेश	13	11	8	5	37
17.	पश्चिमी बंगाल	48	34	64	9	155
18.	चण्डीगढ़	–	1	–	–	1
	योग	293	222	221	57	793

जारी किए गए आशय पत्र

राज्य31 मार्च, 1970 की अवधि तक जारी किए गए कुछ आशय पत्रों की संख्या

	1967	1968	1969	31 मार्च, 1970 तक	योग
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	9	6	15	3	33
असम	–	–	1	–	1
बिहार	8	5	5	3	21
दिल्ली	1	1	4	1	7
गोआ	1	–	2	–	3
गुजरात	21	21	39	9	90
हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–
हरियाणा	13	6	13	8	40
जम्मू तथा काश्मीर	–	–	–	2	2
केरल	7	2	10	2	21
मध्य प्रदेश	3	–	1	4	8
तमिलनाडू	15	12	22	5	54
महाराष्ट्र	100	53	122	15	290
मनीपुर	–	–	–	–	–
मैसूर	14	7	25	4	50
नागालैण्ड	–	1	–	–	1
उड़ीसा	3	2	1	1	7
पांडिचेरी	–	1	–	1	2

1	2	3	4	5	6
पंजाब	5	4	11	–	20
राजस्थान	4	3	7	2	16
त्रिपुरा	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	15	16	24	3	58
पश्चिमी बंगाल	30	18	26	3	77
चण्डीगढ़	–	–	–	–	–
एक से अधिक राज्य	–	–	1	1	2
योग	250	158	331	65	803

Production of Triveni Structurals Ltd., Allahabad

3055. **Shri Janeshawar Misra :** Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) whether the production of Triveni Structurals Ltd., Allahabad has gone down during the last two years ; and

(b) if so, whether Government propose to take action against the Officers responsible therefor ?

The Depnty Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Tension Between Government Railway Police and Railway Protection Force

3056. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether tension prevails between the Government Railway Police and the Railway protection Force ;

(b) if so, whether it is because of the fact that one is a department of the State Government and the other of the Central Government ; and

(c) whether Government are seized of the inconveniences resulting from this tension ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

जस्तीकृत नालीदार लोहे की चादरें तथा जस्तीकृत चादरें

3057. **श्री देवराव पाटिल :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जस्तीकृत नालीदार लोहे की चादरों तथा जस्तीकृत चादरों की मांग उनके उत्पादन से अधिक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार मांग को पूरा करने के लिए इन चादरों का पर्याप्त मात्रा में निर्माण करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). इस्पात कारखानों के पास इन वर्गों के बकाया आर्डर उत्पादन से कहीं अधिक है। राउरकेला इस्पात कारखाने के द्वितीय चरण में इनके उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता स्थापित की गई है। बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा तैयार किये जाने वाले माल में भी इनको शामिल किया गया है।

महाराष्ट्र में शराब का निर्माण करने के लिये लाइसेंसों का दिया जाना

3058. श्री देवराव पाटिल : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में महाराष्ट्र राज्य में शराब का उत्पादन करने के लिए कितने नये लाइसेंस दिये गये थे और चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में इसके लिए कितने नये लाइसेंस देने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि में महाराष्ट्र में शराब बनाने के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया था। किन्तु 1970 में महाराष्ट्र की एक पार्टी को शराब बनाने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है। महाराष्ट्र में शराब बनाने हेतु लाइसेंस के लिए इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव अनिर्णीत नहीं पड़ा है।

महाराष्ट्र राज्य में गैर-आदिम जाति के व्यक्तियों को आदिमजाति छात्रवृत्ति

3059. श्री देवराव पाटिल : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में कुछ व्यक्तियों को अनुसूचित आदिम जाति का न होने पर भी आदिम जाति छात्रवृतियां दी गई थीं ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इन व्यक्तियों को अनुसूचित आदिम जाति का मानने के लिए परिपत्र संख्या सी० वी० सी० 1466/91837/एम० दिनांक 27 सितम्बर, 1967 जारी किया था और आदेश दिया था कि अनुसूचित आदिम जातियों को मिलने वाले सभी लाभ इन्हें दिये जायें ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) से (ग). राज्य सरकार से ब्यौरा प्राप्त किया जा रहा है और जब वह प्राप्त होगा तो उसे सदन-पटल पर रख दिया जायेगा।

महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सहकारी समितियाँ

3060. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968–69 और 1969–70 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कितनी सहकारी समितियां आरम्भ की गई ; और

(ख) इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को क्या लाभ हुआ है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से जानकारी का पूरा ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और जब वह प्राप्त होगा तो उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

विधि मंत्रालय द्वारा अन्य विभागों को दी गई कानूनी राय

3061. **श्री कंवरलाल गुप्त :** **श्री शारदानन्द :**
श्री जि० ब० सिंह : **श्री रामावतार शर्मा :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में विधि मंत्रालय को विभिन्न मंत्रालयों से कानूनी राय के लिए कुल कितने मामले प्राप्त हुए हैं ;

(ख) गत चार महीनों में गृह मंत्रालय ने विधि मंत्रालय को राय के लिए किन विषयों के मामले भेजे थे ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया है कि देश के उच्चतम न्यायालय ने विधि मंत्रालय की कितनी प्रतिशत राय का समर्थन किया है ;

(घ) क्या यह सच है कि बहुत से मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि मंत्रालय की राय का समर्थन नहीं किया जाता ; और

(ङ) सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधि मंत्रालय द्वारा अन्य विभागों को सही कानूनी राय दी जाये, क्या कार्यवाही करने का है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क). 1 जुलाई, 1969 से 30 जून, 1970 तक की कालावधि के दौरान कानूनी राय के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त फायलों की संख्या देने वाला एक विवरण उपबन्ध-1 में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3994/70]**

(ख) अप्रैल से जुलाई, 1970 के महीनों के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा किए गए निर्देशों की संख्या और विभिन्न विषय दर्शित करने वाला एक विवरण उपबन्ध–II में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3994/70**]

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं। कुछ मामलों में इस मंत्रालय द्वारा दी गई राय का भारत के उच्चतम न्यायालय ने समर्थन नहीं किया है। कानून के मामले में दो रायों का होना बहुत मामूली बात है और यह कहना आसान नहीं है कि न्यायालय द्वारा अधिमान किस राय को दिया जाएगा।

(ङ) इस मंत्रालय द्वारा इस बात के लिए हर प्रयत्न किया जाता है कि जो भी प्रश्न अधिकारियों को निर्दिष्ट किए जाते हैं उन पर उनको अद्यतन विधि से अवगत रखा जाए।

विदेशी सहयोग से वस्तुओं का निर्माण

3062. श्री कंवर लाल गुप्त : श्री शारदानन्द :
श्री जि० ब० सिंह : श्री रामावतार शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऐसी वस्तुओं की एक सूची निकाली है जिनके निर्माण हेतु विदेशी सहयोग प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस सूची को जारी करने का क्या आधार है ;

(ग) क्या सरकार यह गारंटी देगी कि इस सूचि में वर्णित वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं के लिये विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी ; और

(घ) क्या यह सच है कि गत वर्ष ऐसी अनेक वस्तुओं के निर्माण में विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई है जिन्हें देश में ही बनाया जा सकता है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). सरकार ने ऐसी 121 वस्तुओं की विस्तृत सूची प्रकाशित की है जिनमें देश के आर्थिक क्षेत्र में विद्यमान विशेष तकनीकी व्यवधानों और विदेशी सहयोग की गुंजाइश को दिखाया गया है। इस उद्योग सूची को बनाते समय सरकार ने देशीय तकनीकी जानकारी की उपलब्धता तथा जटिल और तुलनात्मक रूप में प्रोद्योगिकी के नए-नए क्षेत्रों में अधिकाधिक तकनीकी आयात करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा है।

(ग) उपरिलिखित सूची अवश्य ही विस्तृत है। इस सूची में दिये गये उद्योगों के अतिरिक्त विदेशी सहयोग वाले प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा बशर्ते कि ये वे उद्योग हों जिन्हें विशेष रूप से विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी गई है।

(घ) सामान्यतः निर्माण के ऐसे क्षेत्रों में विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी जाती है जहां वाणिज्यिक विरोहन की देशीय जानकारी उपलब्ध है। केवल पर्याप्त निर्यातोन्मुख योजनायें अपवाद स्वरूप विचारणीय हैं।

मध्य प्रदेश में उप–निर्वाचन के दौरान सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग

3063. श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री शारदानन्द :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग को, मध्य प्रदेश में विधान सभा के स्थानों के लिये हाल में हुए उप-निर्वाचन के सम्बन्ध में कुछ संगठनों अथवा व्यक्तियों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी न्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के विरुद्ध इन निर्वाचनों में सरकारी व्यवस्था के दुरुपयोग के बारे में लगाये गये आरोपों की कोई जांच की है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) भविष्य में सरकारी व्यवस्था के इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिये निर्वाचन आयोग का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). निर्वाचन आयोग को आठ शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों के ब्यौरे देने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3995/70]**

(ग) हर शिकायत के प्राप्त होने पर निर्वाचन आयोग ने तत्काल उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजी और मुख्य निर्वाचन आफिसर को यह सुनिश्चित करने का निदेश भी दिया कि निर्वाचन निष्पक्ष और अबाध रूप में होते हैं। आयोग ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी। अभी तक दो शिकायतों के बारे में रिपोर्ट मिली है और रिपोर्ट मिली है कि इन दो मामलों में आरोप निराधार हैं। राज्य सरकार को स्मरण कराया गया है कि वह शेष छः मामलों में अपनी रिपोर्टें शीघ्र भेजे।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) निर्वाचन आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में यदि कोई कदम उठाए जाने हैं तो उनके उठाने का प्रश्न इस प्रश्न के भाग (ग) में निर्दिष्ट शेष छः शिकायतों पर रिपोर्टों के प्राप्त हो जाने के बाद ही उठेगा।

रेलवे स्कूलों पर किया गया खर्च

3064. श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री शारदानन्द :
श्री रामावतार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों की संख्या कितनी है तथा गत एक वर्ष में उन पर कुल कितना धन व्यय किया गया है ;

(ख) इन स्कूलों में कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं तथा प्रत्येक छात्र पर कितना धन खर्च होता है ;

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा प्रति छात्र पर किया गया व्यय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रति छात्र पर किये गये व्यय से बहुत अधिक है ; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इन स्कूलों को शिक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे में नैमितिक कर्मचारियों की संख्या

3065. श्री स० मो० बनर्जी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में अभी भी बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी नैमित्तिक रूप से कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1970 को ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी ; और

(ग) इन सेवाओं को नियमित कब तक कर दिया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). 1 अप्रैल, 1970 को नैमित्तिक कर्मचारियों की संख्या क्या थी यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है किन्तु पिछले वर्ष के दौरान स्थिति यह थी कि 31–3–1969 को नैमित्तिक कर्मचारियों की संख्या 3,29,041 थी। नियमित रूप से समाहित करने के लिए नैमित्तिक कर्मचारियों को एक चयन समिति के सामने उपस्थित होना पड़ता है। और जो उपयुक्त पाये जाते हैं उन्हें नियमित पदों पर नियुक्त किया जाता है बशर्ते रिक्तियां उपलब्ध हों।

रेलवे कर्मचारियों के श्रेणीवार संगठनों की संख्या

3066. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों के कितने संगठन श्रमिक संघ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं और इस समय काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या इन श्रेणीवार संगठनों को अपनी-अपनी शिकायतों के लिए अभ्यावेदन देने के अधिकार प्राप्त हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनकी शिकायतों को सुनने के लिए अन्य विकल्प क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) किसी भी माध्यम से आये हुए प्रतिवेदनों पर प्रत्येक मामले में यथोचित विचार किया जाता है। यदि प्रतिवेदन गैर मान्यता प्राप्त यूनियनों, जिनमें कोटिवार यूनियनें संगठन शामिल हैं, से मिलते हैं तो वैसे प्रतिवेदनों का न तो कोई उत्तर दिया जाता है न उस सम्बन्ध में उनसे कोई बातचीत की जाती है।

(ग) रेल कर्मचारियों के जिन दो संघों को बातचीत की सुविधाएं मिली हुई हैं उनके पदाधिकारियों में कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व पहले से है और उनके संगठन में इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र है कि सभी कोटियों के परिवेदनों पर ध्यान दिया जाता है।

उद्योग की प्रगति के लिटे विद्युत शुल्क का हटाया जाना

3067. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ प्रशासन की औद्योगिक विकास समिति ने औद्योगिक प्रगति के हित में उद्योग से विद्युत शुल्क उठाने के बारे में सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) और (ख). सरकार को, चण्डीगढ़ प्रशासन की औद्योगिक विकास समिति द्वारा की गई ऐसी किन्हीं सिफारिशों की सूचना नहीं मिली है।

स्टैंण्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई

3068. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री स्टैन्डेड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कपम्नी, बम्बई के बारे में 21 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6937 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार को पूरी जानकारी प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि न हों तो असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० र० कृष्ण) : मै० स्टैंडर्ड वैकम रिफाइनरी कम्पनी लिमिटेड, बम्बई और लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता के बीच हुए पत्र-व्यवहार के बारे में तथ्य उपलब्ध नहीं है क्योंकि अपेक्षित फाइल अब मौजूद नहीं है, इसे मई, 1964 में ही नष्ट कर दिया गया। संबंधित कम्पनी से अपेक्षित पत्राचार प्राप्त

करने के बारे में किये गये प्रयत्न भी सफल नहीं हुए क्योंकि उक्त कम्पनी ज्यादा पुराने रिकार्डों को नहीं रखती है। खेद है कि ऐसी स्थिति में, उपरोक्त पत्राचार को सभा-पटल पर नहीं रखा जा सकता है।

Stone and Bamboo Products Factory in Banda (U. P.)

3069. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether Government have received a proposal for setting up a factory in Banda District Uttar Pradesh for manufacturing products of stone and bamboo and, if so, the details thereof; and

(b) whether Government propose to set up such a factory there as stones and bamboos are available in abundance in district Banda ?

The Deputy Minister of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b) No, Sir. Central Government do not propose to set up any factory to manufacture products of stone and bamboo in the Banda district of U. P.

Railway Accidents on Northern Railway

3070. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway accidents that took place on the Northern Railway during the last year as also the names of places where the said accidents took place;

(b) the number of persons killed and injured as a result of the said accidents and the extent of loss of property thereby; and

(c) whether any compensation has been paid to the dependents of the deceased for the loss of life and property and, if so, the details thereof ?

The Minister for Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) During the period April, 1969 to March, 1970 there were 136 train accidents in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains on the Northern Railway Of these accidents 22 took place on Allahabad and Bikaner Divisions each, 23 on Firozpur Division, 29 on Delhi Division, 16 on Moradabad Division, 11 on Lucknow Division and 13 on Jodhpur Division.

(b) In these accidents 36 persons were killed and 50 injnred. The cost of demage to railway property was estimated at approximately Rs. 10,70,300/

(c) No compensation has been paid so far to the dependents of the deceased.

Admission for Training in Audit Companies

3071. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Commerce Graduates have to wait for a long time and have to face numerious difficulties for getting admission for training in the Audit Companies;

(b) if so, the measures proposed to be adopted by Government to obviate their difficulties;

(c) whether it is also a fact that the Audit Companies have the right to charge certain amount of money from the trainees;

(d) if not, whether Government are aware that some money is being charged from the trainees in an illegal manner; and

(e) if so, the action taken or proposed to be taken by Government to check this illegal act of the Audit Companies ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Chartered Accountants are prohibited from charging any premium from the articled clerks entering into articled service on or after the 18th day of July, 1964 under Regulation 31 of the Chartered Accountants Regulations, 1964.

(e) Does not arise.

Representation of Businessmen from Maroofganj in Patna City in Eastern Railway Advisory Committee

3072. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the former Railway Minister. Shri C. M. Poonacha, had, during his visit to Bihar in ,1969, assured the bussinessmen of Maroofganj in Patna city that one of their representatives would be included in the Eastern Railway Advisory Committee;

(b) if so, the reasons for which their representative has not so far been included in the said Committee;

(c) whether Government still propose to include a representative of those businessmen, in the said Committee, keeping in view the importance of Maroofganj from the business point of view; and

(d) if so, the time by which their representative would be included in the said Committee and, if not, the reasons therefor ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) There is no Committee called "Eastern Railway Advisory Committee". The question of assurance, therefore, does not arise. No representation was received from the businessmen of Maroofganj for representation on the Zonal/Divisional Railway Users' Consultative Committee of Eastern Railway for the current term.

(b) Does not arise.

(c) No.

(d) Does not arise.

Introduction of Express Train between Pakaur and Patna (Western Rly.)

3073. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the distance between Pakaur and Patna on the loopline of the Eastern Railway is about 360 kilometers;

(b) whether it is also a fact that in order to reach Patna from Pakaur one has to pass through three main junction stations namely Sahibganj, Bhagalpur and Jamalpur;

(c) whether it is further a fact that on such an important route only one Express train is operating;

(d) whether the public has been demanding for the introduction of atleast one more Express train on the said route; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) The actual distance is 376 kilometers.

(b) Yes, but without any change.

(c) Yes.

(d) Yes.

(e) The demand for an additional express train has been examined bnt has not been found justified on considerations of traffic.

औद्योगिक उपक्रमों के उत्पादन में विविधता तथा विस्तार सम्बन्धी नीति

3074. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक उपक्रमों के उत्पादन में विविधता लाने और उसे बढ़ाने सम्बन्धी नीति में कतिपय परिवर्तन करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या प्रस्तावित परिवर्तनों से इस समय बन्द पड़े सभी कारखाने चालू हो जायेंगे ; और

(ग) क्या बन्द पड़े कारखानों को पुनः चालू करने के लिये अपेक्षित कच्चा माल सप्लाई किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). सरकार ने उत्पादन में विविधता (नई वस्तु का बिना औद्योगिक लाइसेंस के निर्माण) लाने की नीति की पुनः परिभाषा की है। यह मुख्यतः इस उद्देश्य से किया गया है कि इस विषय पर पहले से विद्यमान अनुदेशों को संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति के अनुरूप किया जाये। इस संशोधित लाइसेंस नीति के अन्तर्गत बड़े-बड़े औद्योगिक समूहों तथा विदेशी

कम्पनियों से संबंधित अथवा नियंत्रित उपक्रमों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के उपबंधों से मुक्त नहीं किया गया है। ऐसी कंपनियों को जो बड़े औद्योगिक घरानो से संबंधित अथवा नियंत्रित है, अथवा जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक अंश विदेशी अंशधारियों के हैं, की नई वस्तुओं के निर्माण करने से रोका नहीं गया है किन्तु उन मामलों में पहले से ही औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक पद्धति अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जहां आवश्यक हो, स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। जब कभी भी ऐसे आवेदन प्राप्त होंगे तो उन पर लागत कौशल, निर्यात संवंधन, आयात प्रतिस्थापन इत्यादि को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। इस हेतु 19 जुलाई, 1970 को जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति 11 अगस्त, 1970 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2357 के उत्तर के साथ सभा-पटल पर रखी गई थी। सरकार यह समझती है कि विद्यमान संयंत्र तथा मशीनों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से लाइसेंस नीति को पर्याप्त रूप से उदार बना दिया जाय।

(ग) विविधिकरण हेतु लाइसेंस प्राप्त करने की छूट का लाभ उठाने के लिए रखी गई शर्तों में से एक यह है कि पूंजीगत वस्तुओं के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आयात,पर कच्चे माल अथवा पूंर्जो के आयात पर विदेशी मुद्रा का कोई व्यय न हो। पर ऐसे एककों को जिन्हें अपने उत्पादन में विविधता लाने के लिए कच्चे माल के आयात की आवश्यकता है, पहले औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस दशा में ऐसे औद्योगिक उपक्रमों पर लाइसेंस प्राप्त अथवा पंजीयित औद्योगिक उपक्रमों द्वारा आयात किये जाने वाले कच्चे माल पर लागू होने वाली नीति लागू होगी। जहां तक देशीय कच्चे माल के आवंटन का संबंध है इस प्रयोजन के लिए चालू नीति लागू होगी।

औद्योगिक उत्पादन

3076 **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में देश में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में इन आंकड़ों का उद्योगवार व्यौरा क्या है ; और

(ग) श्रमिक, उत्पादिता और मजदूरी की औसत मजूरी में यदि कोई वृद्धि हुई है तो कितनी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). कुछ चुने हुए उद्योगों के जनवरी-मई, 1970 की अवधि में 1969 की इसी अवधि के मुकाबले में अधिकांश उद्योगों के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है जबकि कुछ ही उद्योगों मे उत्पादन में मामूली कमी आई है।

(ग) सभी उद्योगों के बारे में श्रमिकों का उत्पादन शक्ति का पता लगाने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है अतः श्रमिकों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि की दर के बारे में ठीक-ठीक कुछ बताना असम्भव है।

स्टेण्डर्ड मोटर कम्पनी, मद्रास का बन्द होना

3077. श्री लोबो प्रभु : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इस बात का पता किस आधार पर लगाया कि स्टेन्डर्ड मोटर फैक्टरी में उत्पादन कम हो गया है और इसकी 1951 के उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने हेतु बिना किसी औचित्य के बन्द कर दिया था ;

(ख) सरकार द्वारा 22 मई, 1970 के फैक्टरी के नोटिस में दिये गये 'क्लोजर' पर विचार न किये जाने के क्या कारण है ;

(ग) जांच समिति ने 1 जून की अपनी नियुक्ति से लेकर आज तक क्या कार्य किया है ;

(घ) जांच समिति द्वारा जारी की गई लम्बी प्रश्नावलि किस हद तक सरकारी अधिसूचना में दिये गये जांच के उद्देश्य से संगत है ;

(ङ) कितने प्रतिशत मजदूर प्रबन्धकों की शर्तों पर पुन: काम पर आने को तैयार हैं और तदनुसार फैक्टरी को न खोले जाने के क्या कारण है ; और

(च) कोई भी कार्यवाही किये जाने से पूर्व समिति के निष्कर्षों का उत्तर देने के लिए कम्पनी को अवसर न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (मं० र० कृष्ण) : (क) मेसर्स स्टेन्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया का उत्पादन प्रतिदिन कम होता जा रहा था और इसकी पराकाष्ठा कारखाने के बन्द होने में हुई। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 15 के अधीन इसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए यह तथ्य पर्याप्त कारण माना गया है।

(ख) प्रबन्ध समिति ने सरकार को कारखाने को बन्द करने के सम्बन्ध में सूचना दी थी और इस बात को भी ध्यान में रखा गया।

(ग) आशा है कि जांच समिति अपनी नियुक्ति से लेकर छ: महीने के अन्दर रिपोर्ट पेश कर देगी। अब तक समिति ने जो कार्य किया है उसके बारे में कोई पता नहीं है क्योंकि समिति से यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि वह जांच में हुई प्रगति की समय-समय पर रिपोर्ट पेश करे।

(घ) जिन परिस्थितियों में कारखाना बन्द किया गया उनकी पूर्ण रूप से जांच करने के लिए ऐसी कोई भी जानकारी एकत्र करने के लिए जांच समिति सक्षम है जो वह आवश्यक समझती है।

(ङ) और (च) प्रबन्ध समिति की शर्तों पर काम पर पुन: आने के इच्छुक कर्मकारों के प्रतिशत के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है कारखाने को पुन: चालू करने तथा जांच

समिति के निष्कर्षों के बारे में कम्पनी को जवाब देने का मौका दिये जाने सहित अन्य प्रश्नों पर जांच समिति की रिपोर्ट मिल जाने पर विचार किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर कारखाना स्थापित करने के लिए विदेशी फर्म को लाइसेंस दिया जाना

3078. श्री सूरज पाण्डेय :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए एक विदेशी फर्म को लाइसेंस मंजूर करने के बारे में कहा है ;

(ख यदि हां, तो विदेशी फर्म का नाम क्या है ; और

(ग) उसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

माल डिब्बों में से चोरी करने वालों की गतिविधियों के कारण पश्चिम बंगाल में रेलवे के माल की क्षति

3079. श्री समर गुह : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल डिब्बों में चोरी करने वालों की गतिविधियों के कारण गत दो वित्तीय वर्षों में पश्चिम बंगाल में रेलवे के माल की कितनी क्षति हुई है ;

(ख) रेलवे पुलिस और माल डिब्बों में से चोरी करने वालों के बीच कितनी हिंसात्मक मुठ भेड़े हुई हैं ; और

(ग) माल डिब्बों में से चोरी करने वाले ऐसे व्यक्तियों के साथ निपटने के लिये जिन्होंने पश्चिम बंगाल में नियमित गिरोह बना लिये हैं, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

वे स्टेशन जिन पर राष्ट्रपति शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में आक्रमण हुए

3080. श्री समर गुह : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के पश्चात् अनेक रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण हुए हैं और रेलगाड़ियों के आने जाने में गड़बड़ी हुई है ;

(ख) जिन स्टेशनों पर आक्रमण हुए है उनके नाम क्या हैं, रेलवे सम्पत्ति को कितनी हानि हुई और इसके परिणामस्वरूप रेलगाड़ियों के आने जाने में कितनी बार गड़गड़ी हुई ; और

(ग) इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) अराजक तत्वों द्वारा रेल सम्पति को क्षति और बरबादी से बचाने के लिए और ऐसी स्थितियों को सम्हालने में राज्य पुलिस की सहायता करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल। रेलवे सुरक्षा विशेष दल के दस्ते अधिकाधिक संख्या में लगाये जा रहे हैं। कानून और व्यवस्था का काम देखने वाले राज्य पुलिस के अधिकारियों से निकटतम सम्पर्क रखा जाता है ताकि उनकी मदद ली जा सके ।

संसद् में एक विधेयक पेश किया गया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, रेल सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या नष्ट करने पर निवारक दण्ड की व्यवस्था की गयी है ।

जनता को रेल सम्पति जैसी राष्ट्रीय परिसम्पतियों की बरबादी के घातक प्रभावों से परिचित कराने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

सियालदह स्टेशन क्षेत्र से विस्थापितों को हटाया जाना

3081. **श्री समर गुह** : क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी बंगाल से आने वाले विस्थापितों ने कलकता के सिलायदह रेलवे स्टेशन को हाल ही में एक काम चलाऊ पनाह-घर में परिवर्तित कर दिया गया है ;

(ख) क्या पिछले कुछ महीनों से सियालदह स्टेशन स्थायी रूप से विस्थापितों से खचाखच भरा रहा है ;

(ग) क्या यह विस्थापित सामान्य रूप से तथा विशेषकर रोजाना यात्रा करते यात्रियों के लिए यातायात तथा सफाई सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं ;

(घ) क्या सियालदह स्टेशन के रेलवे प्राधिकारियों ने शरणार्थी पुनर्वास विभाग से इन विस्थापितों को आवाजाही शिविरों में तथा पुनर्वास स्थलों पर हटाने के लिए प्रार्थना की है ; और

(ङ) यदि हां, तो रेलवे स्टेशनों से अब तक हटाए गए तथा हटाये जाने वाले विस्थापितों के आंकड़े क्या हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). समय-समय पर पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में विस्थापितों के आते रहने के कारण ये विस्थापित सियालदह स्टेशन शरण में लेते हैं

ग्रौर स्टेशन परिसर में उपलब्ध सभी जगह घेर लेते है जिसके कारण इस स्टेशन पर भीड़-भाड़ बनी रहती है।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) 21–4–70 से 10–8–70 तक की ग्रवधि में लगभग 70,400 विस्थापितों को हटाया गया। लगभग 64,000 विस्थापितों को ग्रभी हटाया जाना है।

दिल्ली रेलवे स्टेशन की इमारत के सामने वाले भाग में लगे हिन्दी में लिखे 'उत्तर रेलवे' वाले 'नियोन साइन' बोर्ड का हटाया जाना

3082. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि कुछ विज्ञापनों को स्थान देने के लिये दिल्ली रेलवे स्टेशन की इमारत के सामने वाले भाग पर लगे 'हिन्दी' में लिखे 'उत्तर रेलवे' वाले 'नियोन साइन' बोर्ड को ग्रन्य स्थान पर लगाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञों की राय इसके विरूद्ध होने पर भी ऐसा किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को छोड़ दिया है ताकि ग्रत्यधिक प्रमुख स्थान पर गन्दे विज्ञापनों द्वारा इमारत के सामने के भाग को विकृत न किया जाये ; ग्रौर

(घ) इस मामले में विशेष रूचि रखने वाले ग्रधिकारियों का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). सवाल ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम के कार्य संचालन के परिणाम

3083. श्री वि० कु० मोडक :
श्री भगवानदास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **ग्रौद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम के इसके उद्घाटन से लेकर ग्राज तक कार्य-संचालन के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) क्या उनका ध्यान 10 जून, 1970 के "स्टेट्समैन" में इस शीर्षक 'एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन स्टेट स्टिल साइलेन्ट ग्रान शेयर केपिटल इश्यू' के ग्रन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ग्रोर दिलाया गया है ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह एक ऐसा मामला है जिस पर भारत सरकार के संबंधित मन्त्रालयों द्वारा ध्यान दिया जाना है ।

लेलैंड मोटर्स की सहायता से स्टेन्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड को फिर से चालू करना

3084. श्री जे० के० चौधरी :
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेलैंड मोटर्स, स्टेन्डर्ड मोटर्स प्रोडक्टस आफ इण्डिया लिमिटेड के ब्रिटिश सहयोग कर्त्ता ने मद्रास के कारखाने को फिर से चालू करने और यदि आवश्यक हुआ तो चार दरवाजों वाली वर्तमान हल्ड गाडी के स्थान पर एक बड़े मॉडल की गाड़ी का निर्माण करके इसे लाभप्रद बनाने में अपनी सहमति व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जे० आर० डी० टाटा द्वारा कार निर्माण करने का प्रस्ताव

3085. श्री जे० के० चौधरी :
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी के अध्यक्ष श्री जे० आर० डी० टाटा ने देश में सवारी मोटर कारों का निर्माण करने के लिए अपनी सहमती व्यक्त की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्तसम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं और इस बारे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख) . मै० टाटा इन्जी० एण्ड लोकोमोटिक कं० से प्राप्त सवारी कारों के उत्पादन

का कोई प्रस्ताव सरकार के पास अनिर्णीत नहीं है। इस मंत्रालय के साथ हुए अनौपचारिक वार्तालाप में कम्पनी के निदेशक तथा उपाध्यक्ष ने इस विषय मे कुछ रुचि दिखलाई हैं। कारों के निर्माण क्षमता में विस्तार सम्बन्धी सरकारी नीति की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को हुई हानि

3086. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को चालू वर्ष में बहुत अधिक घाटा हुआ है ;

(क) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में उसे कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) हानि के क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त निगम को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). अस्थायी लेख के अनुसार जिनकी इस समय लेखा परीक्षा की जा रही है, वर्ष 1969-70 में 16.31 करोड़ के लगभग घाटा होने का अनुमान है। वर्ष 1968-69 मे 14.66 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

(ग) घाटे के कारण निम्नलिखित है : —

(1) क्षमता में धीरे धीरे वृद्धि ;

(2) उपलब्ध क्षमता का पूरा उपभोग न होना ;

(3) आरम्भिक अवस्था में अपर्याप्त उत्पादन ;

(4) बस्ती, पूंजी पर ब्याज आदि के लिए निश्चित प्रभार।

(घ) सामान्यतः इस आकार की प्रायोजनाओं को लाभप्रद स्तर तक पहुँचने मे कई वर्ष लग जाते हैं। उत्पादन और उत्पादिता में क्रमिक वृद्धि से आगामी वर्षों में कार्य परीणाम अच्छे रहेंगे। कारपोरेशन घाटे को कम करने के लिए कोशिश कर रही है।

दिल्ली में इस्पात की कमी

3087. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात की कमी के कारण राजधानी में भवन निर्माण की गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कनाठिई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करमे का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं। सभी प्रकार के इस्पात को, जिसमें निर्माण कार्य में काम आने वाला इस्पात भी शामिल है, इस्पात प्राथमिकता समिति के क्षेत्राधिकार में देकर वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठाये गये हैं। देश में इन श्रेणियों की उपलब्धि बढ़ाने हेतु इनका निर्यात भी विनियमित किया जा रहा है।

खड़गपुर तथा बरहामपुर के बीच दोहरी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अतिरिक्त धन

3088. श्री स० कुन्डू : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर तथा बरहामपुर (दक्षिण पूर्व रेलवे) के बीच दोहरी लाइन के अग्रेतर निर्माण के लिए उसके कुछ भागों के बन जाने तथा उसके चालू करने के लिए दिये जाने के पश्चात अतिरिक्त धन की मन्जूरी दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु खड़गपुर तथा खुरदा डिवीजन में कितने धन की मंजूरी दी गई हैं ;

(ग) क्या खड़गपुर तथा भाद्रक के बीच दोहरी लाइन के कुछ भाग बनकर पूरे हो गये थे तथा उनको चालू करने के लिये दे दिया गया था और क्या लाइन चालू करने वालों ने इसे चालू करने से इन्कार कर दिया था, और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(घ) इस भाग को इस योग्य बनाने को अधिकारी उसे चलाना स्वीकार कर ले और कितने धन की मंजूरी दी गई है ;

(ङ) क्या लाइन को अधिकारियों को सौंपने से पूर्व दोनों लाइनों के अधिकारियों द्वारा इसकी कोई जांच निरीक्षण नहीं किया गया था ; और

(च) उन ठेकेदारों के नाम क्या है, जिनको खड़गपुर से बरहामपुर के बीच लाइन को दोहरा बनाने के लिए निर्धारित की गई राशि को व्यय करने का ठेका दिया गया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) । (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) जलेश्वर और आमर्दा रोड स्टेशनों के बीच वाले भाग को छोड़कर खड़गपुर और भद्रक के बीच की सम्पूर्ण दोहरी लाइन चालू लाइन प्राधिकारियों के हवाले कर दी गयी है। प्राधिकारियों ने उसे लेने से इन्कार नहीं किया। जलेश्वर और अमर्दा रोड के बीच वाला भाग दिसम्बर, 1970 तक पूरा हो जायेगा।

(घ) कोई अतिरिक्त रकम मंजूर नहीं की गयी।

(ङ) चालू लाइन अधिकारियों द्वारा लाइन को अपने अधिकार में लेने से पहले चालू लाइन अधिकारियों और निर्माण अधिकारियों ने मिलकर जांच पड़ताव कर ली थी।

(च) प्रश्न के भाग (क), (ख) और (घ) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

बोकारों इस्पात कारखाने का निर्माण

3089. श्री स० कुन्डू : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण–कार्यक्रम में अब तीसरी बार परिवर्तन किया गया है, यदि हां, तो कब और परिवर्तित निर्माण–कार्यक्रम क्या है ;

(ख) यदि नहीं तो निर्माण कार्यक्रम को दूसरी बार परिवर्तित होने के बाद प्रत्येक बड़े निर्माण क्षेत्र में कितनी कमी रही थी ;

(ग) ऐसी कमी के क्या कारण थे और क्या किसी उच्च स्तरीय समिति ने इन कारणों का पता लगाया था और जिम्मेदारी निर्धारित करने की सिफारिश की थी ;

(घ) क्या उनके मंत्रालय की परामर्शदात्रि समिति की बंगलौर में 30 जून, 1970 को हुई बैठक में संसद सदस्यों और विशेषज्ञों की एक बैठक ऐसी समिति की स्थापना की मांग की थी और यदि हां, तो सरकार की इस मांग के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) बोकारो इस्पात कारखाने की पहले तथा दूसरे चरण में निर्माण लागत में निर्माण कार्यक्रम और पूरे होने की संभावित तिथि के अनुसार व्यय करने में विलम्ब के कारण क्या अनुमानित वृद्धि हुई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : (क) जी, हां। जुलाई 1969 में तय किये गये संशोधित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम धमन भट्टी समूह को दिसम्बर, 1971 तक और 1·7 मिलियन टन इस्पात पिण्ड के वार्षिक उत्पादन के सम्पूर्ण प्रथम चरण को मार्च, 1973 तक पूरा किया जाना है।

(ख) और (ग). जून 1970 को खत्म होने वाली तिमाही में हुई कमी और कमी के प्रमुख कारणों को 28 जून, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 357 के उत्तर में बताया गया है। देरी के कारणों का पता लगाने या जवाबदेही निश्चित करने के लिये न कोई समिति नियुक्ति की गयी है और न तो उससे कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

(घ) 30 जून, 1970 को बंगलोर में हुई परामर्शदातृ समिति की बैठक में कुछ सदस्यों ने प्रस्ताव किया था कि बोकारों इस्पात प्रायोजन की विभिन्न समस्याओं की छानबीन के लिये परामर्शदातृ समिति की एक उपसमिति की नियुक्ति होनी चाहिए। प्रस्ताव पर ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात यह तय हुआ कि समिति के सदस्यों को समय समय पर सभी सम्बद्ध

जानकारी दी जायेगी और इसलिए इस विशेष उद्देश्य से उपसमिति की नियुक्ति आवश्यक नहीं होगी।

(ङ) निर्माण कार्यक्रम में संशोधन केवल कारखाने के प्रथम चरण के सम्बन्ध में है। अतः चालू करने में विलम्ब का असर प्रथम चरण के निर्माण लागत पर पड़ेगा जो कि प्रशासनिक और अन्य ऊपरी खर्चों के रूप में लगभग 25 लाख रुपये मासिक की दर से बढ़ेगा। प्रथम चरण के पूरा होने का कार्यक्रम भाग (क) के उत्तर में दे दिया गया है। द्वितीय चरण के निर्माण का कार्यक्रम अभी तय नहीं किया गया है।

Performance of Mining and Allied Machinery Corporation

3090. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Virendrakumar Shah :

Wil the **Minister of Steel & Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the performance of the Mining and Allied Machinery Corporation is unsatisfactory and if early steps are not taken to improve the performance, it will be difficult for the Corporation to function ; and

(b) if so, the details thereof and the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b). The main reasons for the ineffective functioning of the plant may be ascribed to the following :-

(i) Lack of adequate orders for the types of coal mining machinery for which the plant was set up ;

(ii) Problems of diversification ;

(iii) Lack of orders of repetitive nature for batch production even under diversification ;

(iv) Low Productivity ;

(v) Industrial unrest ;

(vi) Imbalance in loading of the various shops and sections ;

(vii) Heavy overheads due to expensive machinery and equipment, interset charges and depreciation ;

(viii) Organisational problems of production departments;

The following steps have been taken to overcome the difficulties :

(i) A specific programme of diversification has been drawn up for loading the shops and sections fully. The main items of diversification inclued :

(a) Bulk handling equipment for ports and power houses ;

(b) Components for agricultural tractors ;

(c) Coal and ore beneficiation plants ;

(d) Pipeline transportation of sand and coal ;

(e) Castings and forgings and spare parts for various industries ;

(f) Gear boxes and loaders for export to U. S. S. R.

(g) Conveying and stacking system for steel plants.

(ii) The initial problems of diversification such as technical collaboration design dacumentations of products, development of technology, tooling etc., are being resolved. In many cases, design documentations are being purchased instead of being developedin the plant to cut design the time cycle of manufacture. Long term planning has also been taken up for arradowning shop loading and procurement of materials againts the programme of diversificationgand current orders in hand for uninterrupted production ;

(iii) In order to get orders for repetitive nature for batch production, negotiations are in progrees with Soviet agencies for the manufacture and export of heavy duty gear boxes and loaders to U. S. S. R. Orders are also being secured for castings, and forgings components for agricultural tractors to ensure continuous load of repetitive nature ;

(iv) An incentive scheme has been introduced from March. 1970. After resolving initial difficulties and disputes in connection with the introduction of the incentive scheme, most of the shops have now started responding to the scheme. Many of the incentive groups have crossed the minimum productivity level of 35% and have earned incentive payments. The skills of workmen are also being improved through schemes of job training with the help of Soviet instructors. The supervision and progress and planning activities are also being streamlined to aid production ;

(v) After a period of industrial unrest, agreements were entered into in May, 1970 with the two major Trade Unions operating in the company. All the major disputes have been resolved and the industrial climate has improved ;

(vi) Stress has been laid on streamlining the progress and planning section for regular flow of material from shop to shop.

जालंधर सिटी (उत्तरी रेलवे) में कुलियों की लाइसेंस फीस में वृद्धि

3091. **श्री हेमराज :** क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जालंधर सिटी में कुलियों की लाइसेंस फीस अचानक 3·50 पैसे प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 5·50 पैसे प्रतिवर्ष कर दी गई है

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कुलियों की लाइसेंस फीस निर्धारित करने के लिये कोई सिद्धांत बनाया गया है और क्या एक डिवीजन या जोन के सब स्टेशनों में एक दर से लाइसेंस फीस निर्धारित की जाती है या यह दर प्रत्येक स्टेशन के लिये भिन्न भिन्न होती है और ये दर किस आधार पर निर्धारित की जाती है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जालंधर सिटी में भारिक की लाइसेंस फीस 3·60 रु० से बढ़ाकर 5·00 रु० प्रति मास कर दी गयी है।

(ख) जालधर सिटी के भारिको की लाइसेंस फीस में संशोधन भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित नीति के अनुसार किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जाय की लाइसेंस प्राप्त भारिकों की योजना, यथासम्भव, 'न लाभ न हानि' के आधार पर चल रही है।

(ग) रेलों को हिदायत है कि जहां तक सम्भव हो, लाइसेंस फीस इस ढंग से निर्धारित की जाय जिससे लाइसेंस-प्राप्त भारिकों से सम्बन्धित वर्दियों और पर्यवेक्षण की लागत पूरी हो जाये। तुलनात्मक महत्व के स्टेशनों पर एक समान लाइसेंस फीस निर्धारित करने के उद्देश्य से, स्टेशनों को चार श्रेणियों में बांटा गया है—छोटे, मध्यम, बड़े और विशेष रूप से बड़े स्टेशन। रेलों के मार्गदर्शन के लिए यह निर्धारित किया गया है कि लाइसेंस फीस का क्रम, छोटे स्टेशनों पर 1 रु० और 2 रु० के बीच, मध्यम स्टेशनों पर 3 रु० के आसपास और बड़े स्टेशनों पर 5 रु० के आस पास प्रति भारिक प्रति मास होनी चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल इन मानों में परिवर्तन करने की अनुमति रेलों को है।

नैरो-गेज सैक्शन के लिये डीजल इंजनों का निर्माण

3092. श्री हेम राज : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में सरकार का विचार नैरो-गेज सैक्शन के लिये भारत में डीजल के रेल इंजनों का निर्माण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कितने रेल इंजन निर्मित किये जायेंगे तथा उनका निर्माण किस कारखाने में होगा ;

(ग) क्या उन रेल इंजनों में से कुछ इंजनों को उत्तर रेलवे का कांगड़ा घाटी रेलवे सैक्शन में चलाये जाने का कोई उपबन्ध रखा गया है तथा यदि हां, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितने इंजन चलाये जायेंगे, तथा

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नैरो-गेज अनुभाग के लिये कितने यात्री डिब्बे तथा कितने माल डिब्बे बनाने का विचार है तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी अनुभाग में उन डिब्बों में से कितने डिब्बे आवंटित किये जायेंगे ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में छोटी लाइन के 10 इंजन।

(ग) जी नहीं।

(घ) चौथी योजना में छोटी लाइन के 168 सवारी डिब्बे और 1181 माल डिब्बे बनाने की व्यवस्था की गई है। इन सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के आवंटन का विनिश्चय विभिन्न खण्डों, जिनमें उत्तर रेलवे का कांगड़ा-वैली खण्ड भी शामिल है, के सापेक्ष प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। इसके अलावा, छोटी लाइन के अन्य खण्डों पर चलने के लिए, 1970-71 के बजट में 20 यूनिट डीजल रेलकारों की व्यवस्था की गयी है।

फीरोजपुर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में रेलवे स्टेशनों पर भुनी हुई मूंगफली बेचने पर रोक

3093. श्री हेम राज : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फीरोजपुर डिवीजन में सभी रेलवे स्टेशनों पर फेरी वालों द्वारा भुनी हुई मूंगफली बेचने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जबकि अन्य डिवीजनों में सभी स्टेशनों पर मूंगफली बेचने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और क्या सरकार का विचार मूंगफली बेचने की अनुमति देने का है और यदि नहीं, तो क्यों ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) फिरोजपुर मंडल के स्टेशनों पर भुनी हुई मूंगफली की बिक्री इसलिए बन्द कर दी गयी थी ताकि अधिक सफाई रहे।

उत्तर रेल प्रशासन को अब यह हिदायत दे दी गई है कि इस पाबन्दी को हटा लिया जाये और फिरोजपुर मंडल के जिन स्टेशनों पर जनता की मांग हो, मूंगफली बेचने की अनुमति दे दी जाये।

वाराणसी डिजल लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा डीजल से चलने वाले रेल इंजनों के निर्यात का कार्यक्रम

3094. श्री हिम्मत सिंहका : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या वाराणसी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्यात करने का कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक उत्पादन, विस्तार तथा विकास कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए योजना की मुख्य बातें क्या हैं, जिसके अन्तर्गत ऐसा निर्यात सम्भव होगा, और

(ग) योजना की लागत क्या है तथा इसमें विदेशी मुद्रा की मात्रा कितनी है ?

रेलवे (मन्त्री श्री नन्दा) : (क) से (ग). वाराणसी स्थित डीजल रेल इंजन कारखाने का इस समय जो उत्पादन है उससे भारतीय रेलों की आवश्यकता ही पूरी हो पाती है। फिर भी, इस यूनिट की वर्तमान क्षमता के भीतर कुछ डीजल इंजन उन देशों को निर्यात करने का प्रयास किया जा रहा है जहां कि मांग और आवश्यकता ऐसे ही टाइप के इंजनों की है जैसे कि वाराणसी में बनाये जाते हैं।

बिना टिकट यात्रियों से वसूल हुए जुर्माने

3095. श्री नं० कु० सोंधी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों में क्षेत्रवार बिना टिकट के कितने यात्रियों को पकड़ा गया, कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया तथा कितने व्यक्तियों की दोष सिद्धी की गई ; और

(ख) इन चार महीनों में कुल कितनी राशि के जुर्माने किये गये और क्या सरकार द्वारा किये गये कठोर उपायों के कारण बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या में कोई कमी हुई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). इस समय, मई 1970 तक की सूचना उपलब्ध है। फरवरी से मई, 1970 तक के चार महीनों के दौरान बिना टिकट या अनुचित टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या, जिन पर मुकद्दमा चलाया गया और दण्ड दिया गया उनकी संख्या रेलवेवार इस प्रकार है :

रेलवे	बिना टिकट या अनुचित टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या	जिन पर मुकद्दमा चलाया गया उनकी संख्या	दण्डित व्यक्तियों की संख्या
मध्य	80,561	7,547	4,071
पूर्व	66,691	24,131	8,378
उत्तर	67,218	5,360	3,572
पूर्वोत्तर	36,557	5,603	3,588
पूर्वोत्तर सीमा	36,231	4,463	3,373
दक्षिण	67,458	7,910	4,990
दक्षिण मध्य	48,469	5,050	3,349
दक्षिण पूर्व	58,044	2,970	2,430
पश्चिम	1,10,903	11,800	4,360
जोड़	5,72,132	74,834	38,111

इस अवधि के दौरान न्यायालयों द्वारा बिना टिकट यात्रियों पर किये गये अधिप्रभारों और जुर्मानों की रकम तथा वसूल की गयी रकम इस प्रकार है :—

अधिप्रभार की रकम)	45,43,159
रेलवे मजिस्ट्रेटों द्वारा)	
किये गये जुर्माने और)	
वसूली की रकम)	5,17,635

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इन चार महीनों के दौरान बिना टिकट यात्रा में 81·9 प्रतिशत की कमी हुई है।

माल यातायात में कमी

3096. **श्री नं० कु० सांघी : क्या रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों में गत तीन वर्ष की इसी अवधि की तुलना में माल यातायात में भारी कमी हुई है;

(ख) 30 जून, 1970 को समाप्त होने वाले तीन महीनों में तथा गत वर्ष की इसी अवधि में (सभी श्रेणियों को मिलाकर) कुल कितने मीट्रिक टन माल का यातायात हुआ तथा इसमें से कितना माल ऊँची श्रेणी का था; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) 1970–71 में 30 जून को समाप्त होने वाले 3 महीनों में 1969–70 की इसी अवधि की तुलना में भाड़ा यातायात में मामूली कमी हुई है जिसका मुख्य कारण यह था कि इस्पात कारखानों ने कोयले सहित कम मात्रा में कच्चा माल लिया इस्पात कारखानों से तैयार माल कम मात्रा में भेजा गया और पर्याप्त मांग न होने के कारण अन्य उपयोगकर्ताओं को कम कोयला भेजा गया।

(ख) 30-6-70 को समाप्त होने वाले 3 महीनों में उपार्जक और अनुपार्जक दोनों तरह का कुल 470·4 लाख मीट्रिक टन यातायात ढोया गया जबकि 1969-70 की इसी अवधि में 487·4 लाख मीट्रिक टन यातायात ढोया गया था।

एक सूची संलग्न है जिसमें ऊंची दर वाली वस्तुओं की वे 46 मदें दी गयी है जिनके संचालन पर रेल विशेष रूप से निगरानी रखती हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3996/70]** 30–6—1970 को समाप्त होने वाले 3 महीनों में ऊंची दर वाली इन 46 वस्तुओं से सम्बन्धित कुल 47·36 लाख मीट्रिक टन यातायात ढोया गया (इसमें दक्षिण पूर्व रेलवे के आंकड़े अभी उपलब्ध न होने के कारण शामिल नहीं किये गये हैं) जबकि 1969-70 की इसी अवधि में 43·94 लाख मीट्रिक टन यातायात ढोया गया था।

(ग) रेलों की ओर अधिक यातायात आकर्षित करने के लिए रेलों पर विपणन और बिक्री संगठनों की स्थापना की गयी है ताकि व्यापारियों के साथ निकट सम्पर्क रखा जा सके और रेलों के लिए अधिकाधिक यातायात प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उपाय किये जा सकें। रेलों में सेवा का स्तर सुधारने के लिए व्यापारियों के यहां से माल लाने और उनके यहां माल पहुंचाने की व्यवस्था, कंटेनर सेवा और तेज सुपर एक्सप्रेस मालगाड़ियां चलायी गयी हैं। समय-समय पर समाचार पत्रों और विपणन और बिक्री संगठनों द्वारा व्यक्तिगत रूप से व्यापारी वर्ग के नोटिस में यह बात लायी जाती है कि माल डिब्बे आसानी से उपलब्ध होते हैं।

मोटर उद्योग कम्पनी को आशय-पत्र का जारी किया जाना

3097. श्री न० कु० सांघी : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मोटर उद्योग कम्पनियों को उनकी विस्तार सम्बन्धी योजना के लिये कुछ शर्तों पर आशय-पत्र जारी किया था ; और

(ख) यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं और क्या आशय-पत्र जारी करते समय सब मामलों में ये ही सामान्य शर्तें होती हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ख) आशय-पत्र में लगाई गई शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

(1) विदेशी सहयोग की शर्तें सरकार की तुष्टि के अनुसार तय की जानी चाहिए।

(2) पूंजीगत वस्तुओं का आयात भी सरकार की तुष्टि के अनुसार की जानी चाहिए।

(3) प्रावस्थाबद्ध निर्माण कार्यक्रम भी सरकार की तुष्टि के अनुसार तय किया जाना चाहिए।

(4) फर्म अपने वार्षिक उत्पादन के 25 प्रतिशत तक के निर्यात की गारंटी देगी और यह आंतरिक आवश्यकताओं को गम्भीर रूप से आधात न पहुँचाते हुए अपने उत्पादन के 40 प्रतिशत तक का निर्यात करने का प्रयास करेगी।

(5) फर्म विदेशी अशंधारिता को कम से कम 51 प्रतिशत तक लायेगी।

संख्या 1 से 3 तक की शर्तें सभी आशय-पत्रों पर लगाई जाती है अधिष्ठापित उपक्रमों को पर्याप्त विस्तार की अनुमति देते समय निर्यात संबंधी उपयुक्त सामान्यत: सभी ऐसे उपक्रमों पर लगाई जाती है जिनसे अपने उत्पादन के कुछ अंश को निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित करने की अपेक्षा की जाती है।

शर्त नम्बर 5 भी कोई असामान्य नहीं है क्योंकि यह सरकार की नीति रही है कि कंपनी की गतिविधियों के विस्तार अथवा विविधीकरण की अनुमति देते समय विदेशी बहु अंशधारिता में कमी की जाये।

फोम रबड़ के स्थान पर रबड़दार नारियल जटा का प्रयोग

3098. **श्री न० कु० सांधी :** क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(ख) रबड़दार नारियल जटा उद्योग में गम्भीर संकट को ध्यान में रखते हुए, जिसके कारण देश में इसके 8 कारखानों में से 5 कारखाने बन्द हो गये हैं, क्या रेलवे विभाग का विचार फोम रबड़ के स्थान पर रबड़दार नारियल जटा का प्रयोग करने का है, विशेषकर जब कि रबड़दार नारियल जटा फोम रबड़ से सस्ती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) गद्दी के लिए रबड़दार नारियल जटा की अच्छी तरह अजमाइश की गयी है लेकिन रेलों पर इस्तेमाल के लिए उसे अनुपयुक्त पाया गया है।

Proceeds from Contracts given to Private Firms and Railway Porters for Loading and Unloading of Goods and Parcels on Central Railway

3099. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the names of the private firms and the Railway porters who were given contracts for loading and unloading of goods and parcels in different divisions of the Central Railway during the last three years, years wise ; and

(b) the total proceeds from the said contracts ?

The Minister for Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) A statement is attached.

Statement

(a) The names of the Private contractors to whom loading and unloading contracts for goods and parcels have been given during the last 3 years on Central Railway are as under :–

Year	Name of the Contractor
1967–68	1. Wadi Bandar & Carnac Bandar Kamagar Sahakari Society Ltd., Bombay.
	2. Shri Mohd. Ishaque Mohd. Hanif, Murtazapur.
	3. M/s. Daryanamal & Co. Jabalpur.
1968–69	1. Akola Zillah Sharm Vahatuk Sahakari Sanstha Ltd., Akola.
	2. Shri K. M, Patil, Kherwadi.
1969–70	1. Shri Mohd. Ishaque Mohd. Hanif, Murtazapur.
	2. Akola Zillah Sharm Vahatuk Sahakari Sanstha Ltd., Akola.
	3. M/s. Daryanamal & Co,, Jabalpur.
	4. M/s. Ramesh Chandra Agarwal, Agra.

No contract was given to Railway Porters.

(b) No amount is realised from such contracts except earnest money and security deposits which are refunded subject to compliance with specified conditions. On the other hand, the Railways pay for the work done by the contractors,

Industrial Estates in M. P.

3100. **Shri G C Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the number of Industrial Estates established so far in the State of Madhya Pradesh and the amount spent on each of them ;

(b) the number of similar Industrial Estates proposed to be set up in that State;and

(c) the nature of other facilities being extended to the owners of industries in such estates ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) to (c). The information is being collected from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the Table of the House.

Small Scale Industries in Madhya Pradesh

3101. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the total number of small scale industrial units functioning under the State Industrial Corporation, Madhya Pradesh ;

(b) whether some of these units have been closed down ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the assistance being given by the Central Government for the proper and afficient functioning of all these units ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishana) : (a) to (d) . The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

औद्योगिक संस्थानों में इन्जीनियरों को रोजगार दिलाने के लिए विधान

3102. **श्री रामकिशन गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इन्जीनियरों को रोजगार दिलाने के लिये विभिन्न औद्योगिक गृहों को उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार इंजीनियरों को रखने के लिए बाध्य करने हेतु कानून बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० र० कृष्णा) :

(क) और (ख) . यों तो सरकार के विचाराधीन ऐसा बाध्य करने वाला कोई कानून बनाने का प्रस्ताव नहीं है, फिर भी, पूर्ण रूपेण प्रयास किया जा रहा है कि औद्योगिक गृह अपनी योग्यता प्राप्त इन्जीनियरों की मांग को पूरा करने के लिए व्यावहारिक रूप में अधिकाधिक इन्जीनियरों को अपने यहां स्थान दें।

देश में उत्पादित आक्सीजन तथा अन्य गैसों और उपकरणों में मैसर्स इण्डियन आक्सीजन कम्पनी लिमिटेड का भाग

3104. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा आक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और आर्गन गैस, ऐसीटिलीन, इलैक्ट्रोड और गैस कटिंग और वैल्डिंग उपकरणों की अनुपातिता कितनी है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : निम्नलिखित विवरण में देश के आक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन तथा ऐसीटिलीन गैसों,

इलेक्ट्रोड तथा गैस कटिंग और वेल्डिंग उपकरणों के कुल उत्पादन में मैसर्स इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के अंश की प्रतिशत दी गई है —

आक्सीजन	60
नाइट्रोजन	88
हाइड्रोजन	10
आर्गन	57
एसीटिलीन	53
वेल्डिंग इलैक्ट्रोड्स	40
गैस वेल्डिंग तथा काटने वाले उपकरण	96

दुर्गापुर के इस्पात सन्यन्त्र में अशान्ति

3105. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में चल रहे प्रबन्धक तथा श्रमिकों के बीच विवाद के कारण उसके कार्य पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त अवधि में कई कारीगरों को निलम्बित या बर्खास्त कर दिया गया है या उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या श्रमिकों में अशान्ति का प्रमुख कारण यही है ; और

(घ) क्या यह सच है कि उक्त कारखाने के प्रबन्धक मान्यता-प्राप्त दुर्गापुर इस्पात कर्मचारी संघ. की उपेक्षा करके इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से बातचीत कर रहे है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) विक्षुब्ध मालिक मजदूर सम्बन्धी अर्थात जान-बूझ कर काम से गैर हाजिर रहने, धीमी गति से काम करने, अपने से बड़े अधिकारियों का आज्ञा का पालन करने से इन्कार करने, अचानक काम बन्द करने, घेराव करने, मजदूर सघों की पारस्परिक प्रतिद्वन्दिता इत्यादि से दुर्गापुर इस्पात कारखाने के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

(ख) पिछले तीन महीनों में उचित जांच करने के पश्चात दो कामगरों को ड्यूटी पर एक अधिकारी पर हमला करने के कारण बर्खास्त किया गया है। कुछ दूसरे कामगरों को 2–3 दिन के लिए निलम्बित किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी, नहीं।

Control on Paper Industry

3106. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) whether Government propose to impose any control on paper industry; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Compensation for Land Acquired for Construction of Crossing Station At Mathura-Hathras Metre Gauge Line

3107. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have given compensation at the rate of Rs. 350/- per bigha for the land acquired for the construction of a croosing station of the Mathura-Hathras metre gauge line, whereas the land-owners had claimed compensation at the rate of Rs. 1500/- per bigha;

(b) if so, the basis on which the compensation has been fixed; and

(c) the attitude of Government in regard to giving adequate compensation to the farmers for their land ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Compensation for the land acquired is decided by the revenue authorities. Final awards from Collector are awaited.

(b) Does not arise.

(c) The proposed award prepared by the Land Acquisition Officer, Mathura for sanction of special rates of compensation for land has been forwarded by the Collector, Mathura, to the State Government of Uttar Pradesh, Lucknow, on 30-6-1970. It is the responsibility of the revenue authorities to fix the necessary compensation.

Enquiry report re : Train accident between Hindaun City and Gangapur City (Western Railway)

3108. Shri Meetha Lal Meena: Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have conducted a final enquiry in regard to the collision between a Railway train and a truck between Hindaun City and Gangapur City on the Western Railway in May last;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether it is a fact that Railway crossing where the said collision took place was open at the time of the collision ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) & (b) Yes. According to the finding of the inquiry committee the collision between Up Holiday Special and the motor truck at level crossing No. 200 B situated beyond the Up Advanced Starter of Hindaun City on 19-5-1970 was caused by the gateman opening the level crossing gate when it was not safe to do so and failing to show a danger signal to the approaching train. The driver of the motor truck also contributed materially to the cause of the accident by

permitting people to sit in the vehicle in such a manner as to hamper him in his control of the vehicle and by driving the vehicle in a manner which was dangerous to the public. The passengers who crowded the driver's cab of the motor truck and hampered the motor truck driver in his control of the vehicle at the time of the accident also contributed partially to the casuse of the accident.

(c) Yes.

Relief to Victims of Train Accident Between Hindaun City and Gangapur City (Western Railway)

3109. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the nature and amount of relief provided to the persons who were killed or injured as a result of the collision between a train and a truck between the Hindaun City and Gangapur City (Western Railway) in May last;

(b) whether the afore said relief was adequate;

(c) if not, the action proposed to be taken by Government to provide more relief to the persons affected;

(d) if no such action is proposed to be taken, reasons therefor;

(e) whether the Central Government have also asked the State Government to provide some relief to the persons concerned; and

(f) if so, the details thereof and the nature of relief provided by the State Government directly or indirectly ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) So far only ex-gratia payment has been made to next of kin of persons killed and to the persons seriously injured. The total amount thus paid is Rs. 18,800/-.

(b) to (d) The above was only a relief to meet the immediate financial liabilities of funeral expenses and medical expenses. Claims for compensation will be considered under the law of torts when received. So far only two claims under the law of torts and one claim under the Workmen,s Compensation Act have been received and they are under consideration.

(e) No.

(f) Does not arise.

Acreage of agricultural land under Kota and Jaipur Divisions (Western Railway)

3110. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the acreage of agricultural land falling under the jurisdiction of the Railways in Kota and Jaipur Divisions of the Western Railway;

(b) the basis on which the said land is allotted to the farmers for cultivation;

(c) whether it is a fact that the Railway authorities indulge in corrupt practices in the allotment of said land to the farmers; and

(d) if so, whether Government would conduct any enquiries in this regard and consider the desirability of the allotment of the said land through the Divisional Railway Users, Consultative Committee ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) :

(a) (i) Kota Division 224.70 acres
(ii) Jaipur Division 306.97 acres.

(b) Surplus cultivable Railway lands are normally handed over to State Govt. for licensing to cultivators on payment of licence fee. Where State Govts are reluctant to take over surplus Railway land for management and where the law protects the land from accrual of tenancy rights, the Railway themselves make arrangements for ditect licensing to the cultivators. In terms of the extant rules, Railway land between stations along the Rrilway line, is licensed to cultivators of adjoining fields. Where the adjacent cultivators are not interested, the land is licensed to any other applicants. Large and compact plots of land are licensed through an open action. The licences are granted for a period of one or two years.

Railway land in station yards and the Railway colonies is licensed to the Railway emplopees on annual or biennial licence basis.

(c) No.

(d) Does not arise, in view of reply to (c) above.

पावन कस्बों तथा नगरों में मद्य निषेध लागू करना

3111. डा० सुशीला नैयर :
श्री बं० कृ० दास चौधरी :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के पवित्र कस्बों/नगरों में मद्य निषेध लागू करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में स्थित पावन कस्बों में मद्य निषेध न लागू करने का निर्णय किया है ;

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(घ) देश के सभी पावन कस्बों में मद्य निषेध लागू करने का निर्णय किस तारीख तक लिये जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (घ) : मद्यनिषेध को लागू करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होने के कारण पवित्र कस्बों/नगरों में उसे लागू करना राज्य सरकारों का ही काम है ।

(ख) और (ग) : राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

गुजरात :	सारे राज्य में पूर्ण निषेध लागू है और पवित्र कस्बे एवं स्थान भी उसी के अन्तर्गत हैं।
केरल :	पवित्र कस्बों/नगरों में मद्यनिषेध लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
महाराष्ट्र :	सारे राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध लागू है और पवित्र कस्बे एवं स्थान भी उसी के अन्तर्गत हैं।
उड़ीसा :	पवित्र कस्बों/नगरों में मद्यनिषेध लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
राजस्थान :	पवित्र कस्बों/नगरों में मद्यनिषेध लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो भी जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा तहसील झाड़ोल, खेरवाड़ा, कोटाड़ा, गाँगडा, धारियावाड़ तथा उदयपुर जिले के सारदा नामक स्थान पर मद्यनिषेध लागू है।
उत्तर प्रदेश :	हरिद्वार, ऋषिकेश, वृन्दावन के पवित्र कस्बों/नगरों में 1-4-1963 से पूर्ण मद्यनिषेध लागू है। राज्य सरकार ने इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा और अयोध्या में 1-8-1970 से मद्यनिषेध लागू करने की घोषणा की ; इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे-आर्डर जारी कर दिए।
तामिलनाडु :	सारे राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध लागू है ; पवित्र स्थान और कस्बे भी उसी के अन्तर्गत हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप-समूह दादरा और नगर हवेली गोवा, दमन और दिऊ लक्कादीव, मिनीकाय, और अमीनदीव द्वीपसमूह मनीपुर पांडीचेरी	कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। इन क्षेत्रों में कोई पवित्र नगर नहीं हैं,
हिमाचल प्रदेश :	पवित्र कस्बों/नगरों में मद्यनिषेध लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शहो परगने तथा चम्बा जिले के कुरासी तथा सिरमूर जिले की रेणुका भील के पास के दो मील के क्षेत्र में, रेणुका मेले के दौरान, मद्यनिषेध लागू रहता है।

शेष राज्यों और सघ क्षेत्रों से जानकारी जल्दी से प्राप्य नहीं।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कार्य की जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन

3112. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, श्री दिलीप मजुमदार एम० एल० ए० द्वारा कलकत्ता में 10 जुलाई, 1970 को जारी किये गए वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कार्य की जांच करने के लिये तकनीकी विशेषज्ञों की एक जांच समिति नियुक्त करने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार श्री मजुमदार द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार एक जांच समिति नियुक्त करने के बारे में विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) निम्न उत्पादिता का मुख्य कारण विक्षुब्ध औद्योगिक सम्बन्ध हैं, अतः सरकार की दृष्टि में एक जांच समिति नियुक्त करने का जिसका श्री मजुमदार ने सुझाव दिया है कोई औचित्य नहीं है।

विशाल उद्योग समूह के नियंत्रणाधीन कम्पनियों की प्रगति के बारे में आंकड़े

3113. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाल उद्योग समूहों (एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार) के नियन्त्रण के अधीन कम्पनियों को प्रदत्त पूंजी, आस्तियों, कुल बिक्री कम्पनियों की संख्या और लाभों की प्रगति से सम्बद्ध नवीनतम आंकड़े 1963–64 के बाद उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में अगर कोई उपाय किये जा रहे हों तो उनका ब्यौरा क्या है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 75 व्यापारिक समूहों में 1536 कम्पनियां सम्मिलित थीं। रिपोर्ट के अनुसार, 1963–64 में उनकी प्रदत्त पूंजी तथा परिसम्पत्तियाँ, क्रमशः 646·3 करोड़ रु० तथा 2605·9 करोड़ रुपयों की थीं। दत्त समिति द्वारा, निर्धारित, औद्योगिक गृहों की संरचना के आधार पर, इस विभाग के अन्वेषण तथा सांख्यकीय प्रभाग द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार, इन 75 औद्योगिक गृहों में 1641 कम्पनियां सम्मिलित थीं, जिनकी 1967-68 में कुल, प्रदत्त पूंजी 907·3 करोड़ रु० व परिसम्पत्तियां, 4032·4 करोड़ रुपयों की थीं। इनके व्यापारावर्त तथा लाभ की प्रगति से सम्बन्धित आंकड़े, उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

टाटा बन्धुओं को लाइसेंसों का दिया जाना

3114. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों में टाटा बन्धुओं ने नई औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन

के लिये कितने लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र दिये तथा उनको कितने लाइसेंस दिए गए और लाइसेंस दिये जाने के यदि कोई विशिष्ट कारण हैं तो क्या ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : गत दो वर्षों (1968 और 1969) में टाटा समूह द्वारा नियंत्रित कंपनियों से 15 आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा विद्यमान उपक्रमों में नई वस्तुओं के उत्पादन के लिए 7 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे। सात लाइसेंसों में से चार 1968 से पहले प्राप्त आवेदनों के विषय में थे। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त अवधि में उन्हें 9 आशय पत्र भी जारी किये गये थे। इनमें से आठ 1968 के पहले प्राप्त आवेदनों में से हैं। लाइसेंस/आशय पत्र प्रत्येक मामले पर उचित रूप से विचार करने के पश्चात गुणावगुण के आधार पर जारी किए जाते हैं।

पंडौल तथा खजौली स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) पर यात्रियों के लिये प्रतिक्षालय

3115. श्री शिव चन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दरभंगा जिले में पंडौल तथा खजौली रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इन स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों की व्यवस्था करने जा रही है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क). जी हां, लेकिन दोनों स्टेशनों पर तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों की व्यवस्था है।

(ख) और (ग) : इन स्टेशनों पर ऊंचे दर्जे का बहुत कम यातायात होता है, इसलिए प्रतीक्षालयों की व्यवस्था का औचित्य नहीं समझा जाता।

देश से जाति व्यवस्था तथा जातिवाद समाप्त करने के लिए विधान

3116. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश से जाति व्यवस्था और जातिवाद के अभिशाप को दूर करने के लिये कोई विधान बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये विधेयक कब तक लाया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार महसूस करती है कि विधेयक से उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा।

मैसर्स मणीन्द्र काटन मिल लिमिटेड, पश्चिम बंगाल द्वारा की गई अनियमितताएं ।

3117. श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोसिम बाजार, पश्चिम बंगाल की मणीन्द्र काटन मिल लिमिटेड ने जिसका कि मुख्य कार्यालय कलकत्ता में है अपना सभी काम बन्द कर दिया है कोसिम बाजार में अपनी फैक्ट्री बन्द कर दी और अनेक वर्षों से अपना कोई वार्षिक संतुलनपत्र नहीं दिया है और वार्षिक सामान्य बैठकें नहीं की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता स्थित कम्पनियों के रजिस्ट्रार तथा समवाय कार्य विभाग द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत इस कम्पनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) कम्पनी तथा इसके निदेशकों पर, 31-3-65 तथा 31-3-66 की वर्ष समाप्ति के के लेखे की बाबत रजिस्ट्रार को वार्षिक विवरणियों व तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि के लेखे प्रस्तुत न करने व वार्षिक साधारण बैठक न करने की चूके करने के लिये, मुकदमे दायर किये गये थे । 31-3-65 के वर्ष की बाबत, एक को छोड़ कर, कम्पनी के सभी निदेशकों में से प्रत्येक पर, प्रत्येक मामले में 15 रु० तथा कम्पनी पर, 10 रु० जुर्माना किया गया । अधिनियम की धारा 614 क (1) के अन्तर्गत, न्यायालय के आदेशों को पालन करने में असफल रहने पर, प्रत्येक निदेशक पर, प्रत्येक अपराध के लिए, 35 रु० और जुर्माना किया गया ।

31-3-66 को वर्ष समाप्ति के लिये, निदेशकों में से प्रत्येक पर, प्रत्येक अपराध के लिये 20 रु० जुर्माना किया गया था । धारा 614 के अन्तर्गत न्यायालय के निर्देशन अभी उनके द्वारा पालन करने हैं । इसको परवर्ती वर्षों के लिये भी कम्पनी को चूक तथा कारण बताओ नोटिस, प्रेषित कर दिये गये हैं, तथा यह विषय अभी विचाराधीन है ।

मैसर्स बंगाल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, पश्चिम बंगाल द्वारा की गई अनियमितताएं

3118. श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड जोकि एक कताई मिल कम्पनी है ; जिसका कारखाना कोसिम बाजार पश्चिमी बंगाल में है; और जिसका रजिस्टर्ड मुख्य कार्यालय कलकत्ता में है, की गत दो वर्षों से वार्षिक सामान्य बैठक नहीं हुई है और न ही इसने कलकत्ता में कम्पनियों के रजिस्ट्रार को अपने सन्तुलन पत्र दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता स्थित कम्पनियों के रजिस्ट्रार तथा समवाय कार्य विभाग द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के सम्बन्धित उपबन्धों के अन्तर्गत इस कम्पनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). यह कम्पनी वर्ष 1963 से दोषी पाई गई है। 30-6-63 और 30-6-64 को संतुलन-पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण कम्पनी और उसके निदेशकों पर मुकदमा चलाया गया था और क्रमशः 300 रुपये और 900 रुपये जुर्माना किया गया था। 30-6-65 और 30-6-66 को समाप्त होने वाले वर्षों की गलतियों के सम्बन्ध में कम्पनी के निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 633 के अधीन राहत के लिये उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर रखी है और न्यायालय ने एक अंतरिम निषेधाज्ञा की मंजूरी दे दी थी जिसके द्वारा रजिस्ट्रार को निदेश दिया गया है कि कम्पनी की याचिका के निपटने तक कोई मुकदमा न चलाया जाये। इस लिये यह मामला अभी तक विचाराधीन है।

बाद के वित्तीय वर्षों के बारे में भी रजिस्ट्रार ने कम्पनी तथा इसके निदेशकों को नियम उल्लंघन सम्बन्धी नोटिस दिये हैं। इस सम्बन्ध में आगे की जाने वाली कार्यवाही विचाराधीन है।

Applications for Setting up of Cement Factories

3120. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the policy of Government in regard to the setting up of new cement factories;

(b) the number of applications received by Government during the last two years for setting up cement factories;

(c) whether Government propose to set up any factory at Barhwah in West Nimar District of Madhya Pradesh;

(d) whether Government are aware that raw materials required for the production of cement are available in sufficient quantities in Madhya Pradesh; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) It is the policy of the Government to encourage the setting up of additional capacity for production of cement in the deficit areas and generally to discourage the coming up of additional capacity in the surplus areas.

(b) Since the cement industry was not subject to licensing under the licensing provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, during the years 1968 and 69, no applications were received.

(c) No, Sir.

(d) Yes, Sir.

(e) It will be in consonance with the general policy stated as at (a) above.

Plywood Factory in West Nimar (Madhya Pradesh)

3121. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Plywood factory in West Nimar in Madhya Pradesh keeping in view the abundance of wood in west Nimar and the surroundings districts; and

(b) if so, the time by which it is likely to be set up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) . (a) and (b) The information is being collected and will be laid no the Table of the House.

Allotment of Scooters to Government Servants on Priority Basis

3122. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scooter is allotted on priority basis by his Ministry to the official in whose case recommendation is made by the Department concerned for allottment of scooter on priority basis on the ground that the official concerned is required to sit late in office for official work;

(b) whether a separate list of such officials is maintained and, if so, the details thereof as on the 31st March, 1970 showing the number, names and designations of the officials together with the names of their offices and the time since when they have been waiting for allotment of scooter;

(c) if no separate list is maintained, the reasons therefor; and

(d) whether there are some such officials whose names have not been included in this list and, if so, the reasons therefor in each case ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) . (a) The allotment of scooters, out of the Central Government quota, is made inter alia to the employees of the Central Government, Departments and public sector undertakings, strictly on the basis of their applications arranged in chronological order, depending upon the pay and nature of their duties. However, in exceptional cases, allotment of scooters is made on priority basis on the recommendations of the concerned Ministries/Departments, on the merits of eachcase.

(b), No. Sir,

(c) As each case is considered on its merits, the question of maintaining a separate list does not arise,

(d). Does not arise.

भारतीय रेलवे परामर्शदात्री सेवा

3123. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में रेलवे लाइनें बिछाने के लिए भारतीय रेलवे परामर्शदात्री सेवा लोकप्रिय हो गई हैं :

(ख) विद्यमान ठेकों के उल्लेख सहित परामर्शदात्री सेवा अन्य देशों को किन शर्तों पर दी जाती है ;

(ग) क्या विद्यमान परामर्शदात्री सेवा में ऐसा भी कोई अनुबन्ध है कि भारत आवश्यक रेल पटरियों, माल डिब्बों, इंजनों आदि की भी सप्लाई करेगा ;

(घ) यदि हां, तो कितने मामलों में ऐसा अनुबन्ध है ; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस बारे में कोई प्रयास किया गया है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) भारतीय रेलों ने हाल में सीरिया और ईराक में नयी रेलवे लाइनों के लिए व्यावहारिकता अध्ययन करने के लिए इन देशों को परामर्श सेवा प्रदान की है।

(ख) इस परामर्श सेवा के अन्तर्गत भारतीय रेलों के विशेषज्ञों को इन देशों में व्यावहारिकता अध्ययन के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। इन विशेषज्ञों का सामान्य वेतन और भत्ते और अन्तर्राष्ट्रिय मार्ग व्यय भारत सरकार ने वहन किया जबकि इन देशों के भीतरी परिवहन, दैनिक भत्ता, निवास स्थान आदि का स्थानीय व्यय सम्बन्धित आतिथेय सरकार ने दिया।

(ग) जी नहीं। परामर्श सेवा इस चरण में केवल व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रदान की गई है, सामान सप्लाई करने के लिए नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

(ङ) भारत से सामान सप्लाई करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब सम्बन्धित देश रेलवे लाइनों के निर्माण का वस्तुतः निर्णय कर लें।

सहयोग की नीति

3124. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आजकल प्रचलित सहयोग करारों में से गोपनीयता खण्ड हटाने और निर्यात पर प्रतिबन्ध हटाने की वांछनीयता पर विचार किया है ;

(ख) कितने सहयोग करारों में ये खण्ड इस समय मौजूद हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सहयोगकर्ताओं के साथ बातचीत की गई है और यदि हां, तो इस मामले में उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग) : विदेशी सहयोग के प्रस्तावों की स्वीकृति देते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सहयोग करार निर्मित उत्पादकों के निर्यात पर रोक लगाते और इस बात की भी करार में व्यवस्था की जाती है कि यदि आवश्यक हो तो सरकार की स्वीकृति के अधीन तकनीकी जानकारी को उन शर्तों पर अन्य भारतीय कम्पनी को दिया जा सके जिन पर सभी सम्बन्धित

पार्टियों जिनमें विदेशी सहयोगी भी सम्मिलित हैं सहमत हों। ऐसे विदेशी सहयोग के करारों के सम्बन्ध में जिनकी नीति को नया रूप देने के पूर्व स्वीकृति प्रदान की गई थी उन निरोधात्मक शर्तों को हटाने का आग्रह करना व्यावहारिक नहीं होगा, जो पालिसी को नया रूप देने के पूर्व अधिकांश करारों में विद्यमान हैं। इन में से अधिकांश समझौते सामान्य परिस्थितियों में कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जायेंगे। यदि सम्बन्धित पार्टियां उन समझौतों के नवीकरण के लिए जब भी सरकार के पास आयेगी तो सरकार उस समय की चालू नीति के अनुसार नवीकरण पर, यदि उसे अन्यथा अनिवार्य समझा गया, विचार करेगी।

बच्चों के लिये राष्ट्रीय नीति बनाना

3125. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के लिये एक राष्ट्रीय नीति बनाने में सरकार ने कोई प्रगति की है ;

(ख) इस बारे में विभिन्न सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) समाज कल्याण विभाग ने बाल–सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति संकल्प का एक प्रारूप तैयार कर लिया है। केन्द्रीय मंत्रालय प्रारूप पर सहमत है।

(ख) संकल्प को राज्य सरकारों के पास उनका दृष्टिकोण जानने के लिए भेजा गया। सात राज्यों अर्थात् गुजरात, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, केरल, मैसूर, उड़ीसा और पंजाब तथा चार संघ क्षेत्रों अर्थात् अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, गोवा, दमन और दिऊ, पांडीचेरी तथा लक्कादीव ने प्रारूप पर अपनी सहमति भेज दी है। शेष राज्यों के उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ग) इस विषय पर शेष राज्यों के दृष्टिकोण मिल जाने पर।

वारनिशों और पेन्ट (रंगों) के लिए कच्चा माल

3126. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेंट (रंगों) और वारनिशों का उत्पादन 1967 में 78499 टन था जो 1969 में घटकर 60338 टन रह गया है और इस का कारण अन्य वस्तुओं के साथ कच्चे माल का अभाव भी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पेंट उद्योग को प्राथमिकता प्राप्त उद्योग माना जाता है किन्तु रेड आक्साइड एरोमैक्स पेराफोरमडिहायड जैसी वस्तुओं के आयात को उदारता से स्वीकृति नहीं दी जाती है ;

(ग) भारत में तेलशोधक कारखानों ने सोलवेंट 2445 जो खनिज टरपेनटाइन के लिए स्वदेशी स्थानापन्न पदार्थ है और जो पेंट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है को आगे न बनाने का निर्णय किया है और इससे कच्चे माल के अभाव की समस्या और विकट हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो पेन्ट और वारनिश उद्योग को पर्याप्त कच्चा माल देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है क्योंकि गत कुछ वर्षों में इस उद्योग की 65 प्रतिशत क्षमता से अधिक का उपयोग नहीं हुआ ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र कृष्ण) : (क) जी, नहीं। वास्तव में संगठित क्षेत्र में तैयार रंगलेपों व वार्निशों का उत्पादन जो 1967 में 52 536 मी० टन था वह 1969 में बढ़कर 62,106 मी० टन हो गया है।

(ख) रगलेपों के उत्पादकों की आवश्यकता वाले अत्यावश्यक कच्चे माल के आयात की अनुमति दी जाती है। वास्तविक प्रयोजनाओं को रेड आक्साइड (पर्सियन गल्फ), कृत्रिम आयात आक्साइड रंगों (445,446 और 473 नं० के रंगों को छोड़कर) के आयात की अनुमति दी जाती है। ऐरोमैक्स के उत्पादन पर एक स्वामी का पूर्ण अधिकार है। पैराफार्मल डिहाइड का प्रयोग रंगलेपों के उत्पादन में किया जाता है ; तथापि रेजिन उत्पादकों को उसका आयात करने की अनुमति दी जाती है। जो उसका प्रयोग ऐसे मध्यवर्ती पदार्थों के बनाने में करते हैं जो रंगलेप बनाने के काम में आते हैं।

(ग) केवल ऐस्सो रिफाइनरी ने ही जून, 1968 में खनिज तारपीन के तेल का उत्पादन कम किया था और जुलाई, 1969 में उसका उत्पादन बंद कर दिया था और उस सीमा तक ही रंगलेप उद्योग पर प्रभाव पड़ा था।

(घ) सरकार ने बैयली और मद्रास के सरकारी क्षेत्र तेलशोधक कारखानों से विशेष मिट्टी का तेल उपलब्ध किया था। इस तेल से खनिज तारपीन के तेल के स्थान पर काम लिया गया और भारतीय रंगलेप संघ ने इस विशेष मिट्टी के तेल को खनिज तारपीन के तेल के स्थान पर एक उपयुक्त तेल के रूप में स्वीकार किया। ऐस्सो कम्पनी से विचार विमर्श भी किया गया था और उन्होंने जुलाई, 1970 से खनिज तारपीन के तेल का उत्पादन फिर से आरम्भ कर दिया है। ऐस्सो कम्पनी सहित अन्य तेल कम्पनियां भी खनिज तारपीन के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये सहमत हो गई हैं।

जन तथा सहायक उद्योग मशीन निगम के कर्मचारियो के लिये बढ़ा हुआ वेतन

3127. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रबन्धकों तथा कर्मचारी संघ के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप खनन तथा सहायक उद्योग मशीनरी निगम के कर्मचारियों को अधिक वेतन मिलेगा और इस से निगम को प्रतिवर्ष 40 लाख रुपये अधिक व्यय करने होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के समझौते का क्या औचित्य है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल से इंजीनियरी उद्योग के लिये मालिकों की संस्थाओं तथा मजदूर संघों के बीच राज्य-स्तर पर हुए त्रिपक्षीय वेतन समझौते की शर्तों के अनुसार माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन ने कम्पनी की दो बड़ी मजदूर यूनियनों के साथ कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि तथा यूनियनों के मांग-पत्रों में रखी गई दूसरी मांगों पर समझौते किये हैं : वेतन वृद्धिसे वर्ष में 33 लाख रुपया अधिक खर्च होगा।

इस्पात का आयात

3128. **श्री वीरेंद्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों में कितने टन तथा कितनी कीमत की इस्पात का आयात किया गया और वर्ष 1970-71 के लिये कितने आयात का लक्ष्य है ;

(ख) तार की रस्सियों के लिये प्रयोग में आने वाले उच्च कार्बन वाली तार-छड़ों प्रीस्ट्रस्ड कंक्रीट तार, ए० सी० एस० आर० कन्डक्टरों, टायर-बीड तारों आदि का उक्त अवधि में कितनी मात्रा में तथा कितनी कीमत का आयात किया गया और वर्ष 1970-71 में इस के आयात का लक्ष्य कितना है ; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने चौथी योजना में इस्पात का उपयोग करने वालों की आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वर्ष 1967-68 और 1969-70 में आयात किये गये इस्पात का विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3997/70]** इस समूचे वर्ष 1970-71 में आयात किये जाने वाले इस्पात की मात्रा के बारे में ठीक रूप से नहीं बताया जा सकता क्यों कि आयात का बड़ा भाग बहुत से वास्तविक उपभोक्ताओं का होगा।

(ख) जैसा कि पूछा गया है श्रेणीवार सविस्तार ब्यौरा नहीं रखा जाता है और अब यदि इसे इकट्ठा करने का प्रयत्न किया गया तो उसमें बहुत समय लगेगा, और काफी खर्च आयेगा। उपर्युक्त (क) में बताई गई स्थिति के कारण वर्ष 1970-71 के लिए लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् से अगले कुछ वर्षों में इस्पात की मांग का मूल्यांकन रिपोर्ट लिखने के पश्चात् ही मांग और पूर्ति के अन्तर के आधार पर आयात की भावी आवश्यकताओं का पता लगाया जा सकता है।

भिलाई इस्पात संयंत्र के उत्पादन

3129. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की प्रति वर्ष 25 लाख टन इस्पात पिण्डों के उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता है और इस ने जनवरी, 1969 में परीक्षण संचालन के समय उक्त वार्षिक क्षमता को सफलतापूर्वक पूरा किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संयंत्र ने उक्त उत्पादन क्षमता को प्राप्त कर लिया था और 15 जनवरी, 1969 के समाप्त होने वाले सप्ताह में क्षमता इससे बढ़ गई थी और इस का बहुत प्रचार किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो जनवरी, 1969 से भिलाई इस्पात संयंत्र के उत्पादन का जनवरी, 1969 से महीनेवार उत्पादन का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) **इन बातों के बावजूद** कि देश में इस्पात की अत्यधिक कमी महसूस की जा रही है और जनवरी, 1969 में, उत्पादन क्षमता प्राप्त कर ली गई थी, अधिष्ठापित क्षमता से वास्तविक उत्पादन कम होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : यह ठीक है कि भिलाई की अधिष्ठापित क्षमता प्रति वर्ष 25 लाख टन इस्पात पिण्ड का उत्पादन करने की है और 9 से 15 जनवरी 1969 के एक सप्ताह में परीक्षार्थ परिचालन में यह निर्धारित क्षमता प्राप्त की गई थी ।

जलपान ठेकेदारों की लाइसेंस फीस में वृद्धि

3130. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिमल घोष समिति की सिफारिशों के अनुसार जलपान ठेकेदारों की लाइसेंस फीस में वृद्धि कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या है ; और

(ग) क्या लाइसेंस फीस में की गई वृद्धि में बिजली, पानी और किराये में की गई वृद्धि भी शामिल है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : खान पान/खोमचों के ठेके के लिए लाइसेंस शुल्क के परिशोधन के विषय में रेलवे खान-पान और यात्री सुविधा समिति, 1967 ने श्री परिमल घोष की अध्यक्षता में निम्नलिखित सिफारिशें की थीं—

"समिति के विचार हैं कि लाइसेंस शुल्क की उगाही करने में एकरूपता के अभाव में विभिन्न रेलों पर काफी असमानता है और यह सिफारिश करती है कि तत्काल ही एकरूपता सम्बन्धी कुछ कार्य किया जाये। विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए

समिति यह भी महसूस करती है कि लाइसेंस शुल्क कुल-बिक्री के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और सम्बन्धित रेल प्रशासनों को यथासम्भव ठीक ठीक कुल बिक्री का आवधिक निर्धारण करना चाहिए।"

यह सिफारिश सरकार द्वारा मान ली गयी है और 30-5-68 को क्षेत्रीय रेलों को हिदायतें भेज दी गयीं जिनका कार्यान्वयन विभिन्न रेलों पर विभिन्न चरणों में है। जिन मामलों में लाइसेन्स शुल्क की उगाही बहुत कम थी उनमें वृद्धि हो सकती है जबकि अन्य मामलों में वर्तमान लाइसेन्स शुल्क में कमी होने की सम्भावना है।

(ग) जी नहीं।

राजधानी एक्सप्रेस के साथ चलने वाले रेलवे कर्मचारियों को भत्ता

3131. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी एक्सप्रेस शनिवार को दिल्ली पहुँचती है और कुछ घंटों के बाद उसी दिन कलकत्ते के लिये रवाना हो जाती है ;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों को जो लगातार 36 घंटे से अधिक ड्यूटी देते हैं, जिसमें कि उन्हें कुछ समय का अवकाश मिलता है परन्तु उस में भी कुछ काम दे दिया जाता है ; अतिरिक्त भत्ते के रूप में मुआवजा दिया जायेगा ;

(ग) यदि नहीं, तो उनके साथ उदारता से व्यवहार न करने और उन्हें काम का मुआवजा न देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उन्हें रनिंग भत्ता न देने के क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों को टिकट जारी करना

3132. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी एक्सप्रेस के कर्मचारियों को अन्तिम क्षण में टिकट जारी करने के आदेश नहीं दिये गये हैं चाहे उक्त गाड़ी में कुछ सीटें खाली ही क्यों न हों; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अपने नियमों में संशोधन करेगी जिस से इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि यदि अन्तिम क्षणों में प्रतीक्षा सूची में दर्ज किये यात्री न आयें तो गाड़ी खाली न जाये ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : राजधानी एक्सप्रेस के निर्धारित प्रस्थान समय से 5 मिनट पहले तक यात्रियों को टिकट देने का प्रबन्ध हवड़ा और नयी दिल्ली दोनों स्टेशनों पर मौजूद है। सामान यान को ताला बन्द करने और उसमें ताला लगाने से पहले कम से कम इतना समय यात्रियों के सामान की बुकिंग और लदान के लिए चाहिए।

मैसूर में उद्योग

3133. **श्री क० लकप्पा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने की दृष्टि से मैसूर राज्य में सरकारी क्षेत्र के नये उद्योग स्थापित करने के लिये मंत्रालय ने हाल ही में कोई सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो मैसूर राज्य में योजना में नये उद्योगों की स्थापना के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग) : मैसूर राज्य में स्थापित केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं ये हैं :— हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (घड़ी के कारखाने सहित), बंगलौर, भारत टेलीफोन उद्योग, बंगलौर, मैसूर आयरन तथा स्टील वर्क्स (मिश्र इस्पात में परिवर्तन), भद्रावती, कुरकुन्ता सीमेंट प्रोजेक्ट (सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया), कुरकुन्ता। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इन परियोजनाओं तथा तुंगभद्रा स्टील वर्क्स को पूरा करने विस्तार करने के लिए प्रावधान कर दिया गया है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता कि सरकार विद्यमान उद्योगों के विस्तार का अथवा मैसूर राज्य में नये उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन नहीं दे रही है।

Sale of Wine in Cooperative Markets of Madhya Pradesh

3134. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the sale of wine is being arranged in the cooperative markets in Madhya Pradesh on a suggestion given by a Minister of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of the Central Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Department of Social Welfare (Snri Jagannath Rao) :(a) Government of Madhya Pradesh have intimated that they have no such proposal under cousideration.

(b) Does not arise.

Posting of Armed Police Guards in Passenger Trains to Check Ticketless Travelling

3135. **Shri Yeshwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Railways** be pleased to the state steps proposed to be taken by Government to post armed Police Guards in the passenger trains on the railway lines in those areas where there is comparatively more ticketless travel and also where ticketless passengers misbehave with the Railway checking staff ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : No steps are proposed to be taken to post armed Police Guards in passenger trains. Special Ticket Checking Squads during their drives against ticketless travel in particular areas are assisted by adequate force of the Railway Protection Force/Railway Protection Special Force and Government Railway Police. Contingents of armed Police are also deputed by the State Government as and when asked for.

Additional III Class Coaches for Janta Trains

3136. Shri Yeshwant Singh Kushwah : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to attach more ordinary Third Class Coaches to the Janta Trains, keephg in view the fact that majority of passengers of those trains travel in ordinary III Class Coaches instead in Sleeper Coaches and reserved compartments ; and

(b) if so. the details there of ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) Does not arise.

Increase in transportation capacity for Agriculture produce on Gowalior Sheopur Gwalior-Bhind Lines (Central Railway)

3137. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Railways be pleased to state:–

(a) the scheme of Government in regard to the Gwalior-Sheopur and Gwalior-Bhind lines of the Central Railway to increase the transportation capacity for the agricultural produce increase or likely to increase as a result of the availability of power from the Chambal Hydel project; and

(b) the Schemes proposed to be undertaken by Government to connect the aforesaid lines with the nearest Railway routes in Uttar Pradesh and Rajasthan ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Adequate line capacity exists on these sections. With regard to provision of additional rolling stock, this is under examination.

(b) Recently, a High Powered Committee known as the Uneconomic Branch Lines Committee 1969 went into the question of the working of the uneconomic branch lines in the country. This Committee has not made any recommendation for the extension of Gwalior-Bhind or the Gwalior-Sheopur Kalan lines to connect the rail heads in U. P. and Rajasthan.

अजमेर डिवीजन में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में सुझाव

3138. श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिवीजनल कमर्शियल सुपरिन्टेन्डेन्ट, अजमेर, डिवीजन, (पश्चिम रेलवे) ने कई वर्ष पूर्व अजमेर स्टेशन पर 10 पार्सल क्लर्क, फालना स्टेशन पर एक बुकिंग क्लर्क

कान्डला बन्दर स्टेशन पर 3 मार्कर, भुज स्टेशन पर एक सफाई वाला और रखने सम्बन्धी प्रस्ताव रखे थे लेकिन उनकी संख्या में डिवीजनल एकाउण्ट्स आफिसर के असहयोग के कारण वृद्धि नहीं की जा सकी और जिसके परिणामस्वरूप काम तथा कर्मचारियों को हानि हो रही है;

(ख) डिवीजनल एकाण्ट्स आफिसर को उक्त सुझाव सर्वप्रथम कब भेजे गये थे उपर्युक्त प्रत्येक मामले में निर्णय लेने में विलम्ब होने के क्या कारण है ;

(ग) बिलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाहो की जा रही है ; और

(ख) उक्त मामलों की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिमी रेलवे के स्टेशनों पर विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को काम का सोंपा जाना

3139. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के अजमेर स्टेशन पर केवल एक क्लर्क को ही तीन खिड़कियों का काम, अर्थात् सामान को बुक करना, तीसरे श्रेणी के यात्रियों के लिए आरक्षण करना और तीसरे दर्जे के यात्रियों को पी० टी० ओ० (रियायती टिकट) जारी करना है, सोंपा गया है और फलस्वरूप यात्रियों को लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अजमेर स्टेशन का सामान घर 11 बजे म० पू० से 12 बजे मध्यान्ह तक और 11 बजे म० पू० से 6 बजे म० पू० तक बन्द रहता है और इस प्रकार 31 अप जनता एक्सप्रेस तथा चेतक एक्सप्रेस से आने वाले यात्रियों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आबू रोड के स्टेशन पर भी केवल एक ही क्लर्क है जो तीसरे दर्जे और उच्च दर्जे की दोनों खिड़कियों पर काम करता है और इस प्रकार यात्रियों को काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(घ) यदि हां, तो यात्रियों की असुविधा दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) क्या सरकार रेलवे के अन्य स्टेशनों पर इसी प्रकार की कमियों का पता लगवाने के लिए पूर्ण जांच के लिए आदेश देगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा): (क) प्रातः 6 बजे से सायं 6 बजे के बीच कार्यभार कम रहने के कारण एक क्लर्क की ड्यूटी होती है। सायं 6 बजे और रात 10 बजे के बीच जबकार्यभार

अधिक होता है, दो क्लर्कों की ड्यूटी होती है। खिड़कियों पर यात्रियों को असामान्य रूप से लम्बे समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती।

(ख) सामान घर प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक और मध्यान्ह 12 बजे से 11 बजे रात तक खुला रहता है और मध्यान्ह 11 बजे से 12 बजे तक और 11 बजे अपराह्न से प्रातः 6 बजे तक बन्द रहता है। लेकिन सामानघर के कार्य-काल का पुनरीक्षण किया जा रहा हैं।

(ग) चूंकि कुछ ही उच्चश्रेणी के टिकटों की बिक्री होती है, इस लिए एक क्लर्क उच्च श्रेणी और तृतीय श्रेणी की बुकिंग को संभालता है। मौसमी भीड़भाड़ के दौरान एक अतिरिक्त कर्मचारी को लगाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जाय कि यात्रियों को लम्बे समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है।

(घ) कार्यभार के अनुपात में दिये गये कर्मचारी पर्याप्त हैं।

(ङ) स्टेशन की टिकट खिड़कियों पर तैनात कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या के बारे में समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और जहां उचित समझा जाता है अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है।

पश्चिम रेलवे के कुछ स्टेशनों पर दावों का मोके पर भुगतान

3140. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे मन्त्री** पश्चिमी रेलवे के कुछ स्टेशनों पर 200 रुपये तक के दावों के भुगतान के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4644 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन स्टेशनों पर मोके पर दावों के भुगतान की योजना कार्यान्वित की गई है, क्या वहां पर उसके लिए कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो अतारांकित प्रश्न संख्या 4644 के भाग (क) में उल्लिखित सभी स्टेशनों पर अलग अलग कितने-कितने क्लर्क रखे गये हैं ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके ब्यौरेवार कारण क्या हैं ; और

(घ) वहां पर इसके लिए कर्मचारियों को कब तक भेज दिया जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ) : चूंकि स्टेशनों पर पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले और मण्डलों में तैनात अधिकारियों द्वारा तय किये जाने वाले दावों की संख्या थोड़ी होती है, इसलिए अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात करने के बारे में समय-समय पर रेल प्रशासनों द्वारा समीक्षा की जायेगी और जब अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात करने का औचित्य होगा तो इस पर विचार किया जायेगा।

आगरा फोर्ट स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के पार्सल क्लर्कों की मुअत्तिली.

3141. श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के आगरा फोर्ट स्टेशन के दो पार्सल क्लर्कों को गत छः महीनों से मुअत्तिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे कर्मचारियों को मुअत्तिल करने के बारे में सामान्य शर्तें क्या है;

(घ) उक्त भाग (क) में उल्लिखित कर्मचारियों को इतने लम्बे समय से मुअत्तिल रखने का क्या औचित्य है; और

(ङ) इनको कब तक बहाल किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ). पश्चिम रेलवे के आगरा फोर्ट स्टेशन के दो कर्मचारियों अर्थात् प्रधान सामान क्लर्क और वरिष्ठ सहायक सामान क्लर्क के धोखाधड़ी के मामले में शामिल होने का सन्देह था जिसमें उन्होंने नियमों का पालन किये बिना एक गलत व्यक्ति को कीमती दवाओं की सुपुर्दगी कर दी थी। 20-2-1970 को उन्हें गिरफ्तार करके विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट, आगरा के सामने पेश किया गया और उसी दिन शाम को उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। चूंकि उन पर नैतिक भ्रष्टाचार के गम्भीर मामले में शामिल होने का सन्देह किया गया था जिसकी कि जांच पड़ताल हो रही थी इसलिए उन्हें निलम्बित कर दिया गया।

रेलवे कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियमों के अन्तर्गत, जब किसी दण्डनीय अप्-राध के सम्बन्ध में किसी कर्मचारी के विरुद्ध किसी मामले में छानबीन, जांच या मुकदमा चल रहा हो तो अन्य बातों के साथ-साथ उसे निलम्बित किया जा सकता है।

जांच पड़ताल चल रही है इसलिए कर्मचारियों को निलम्बित रखा गया है। जांच-पड़-ताल समाप्त होने और उसका अन्तिम परिणाम मालूम होने पर ही यह कहा जा सकता है कि इन कर्मचारियों को फिर से बहाल किया जा सकेगा या नहीं और किया जा सकेगा तो कब।

भावनगर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के स्टेशनों के नाम पर डाले गए न्यून शुल्क तथा ट्रैफिक डेबिट्स बढ़ाने सम्बन्धी नियम

3142. श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लेखा कार्यालय द्वारा स्टेशनों के नाम पर डाले गये न्यून शुल्क का निर्धारण करने के सामान्य नियम क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भावनगर डिवीजन, रेलवे के स्टेशनों में तेल की टंकी के डिब्बों के लिए ट्रैफिक बाकी के रूप में एक बड़ी धनराशि बकाया है;

(ग) यदि हां, तो लेखा कार्यालय द्वारा बताये गये इस प्रकार के न्यून शुल्कों जैसे, त्रुटि सूचना (एरर एडवांस) का क्रमांक तथा दिनांक, स्टेशन का नाम, नामखाने में कितनी राशि है, माल भेजने वाले तथा माल पाले का नाम और बीजक का क्रमांक तथा दिनांक का विस्तृत व्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि ये न्यून शुल्क वर्ष 1965 से 1969 तक की अवधि के थे परन्तु इन न्यून शुल्कों को 1970 को ही सूचित किया गया है;

(ङ) रेलवे द्वारा इन न्यून शुल्कों को सम्बद्ध पक्षों से एकत्रित करने में क्या क्या प्रयास किये गये तथा अब तक कितनी धनराशि वसूल कर ली गई है; और

(च) क्या यह भी सही है कि यद्यपि इन न्यून शुल्कों के लिए उत्तरदायी व्यापारियो का पता लगाया जा सकता है यद्यपि रेलवे कर्मचारियों से इन न्यून शुल्कों का भुगतान करने को कहा गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जब स्टेशनो द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विवरणियों की आन्तरिक जांच में कोई गलती पकड़ी जाती है और स्टेशन लेखे के निरीक्षण द्वारा लेखे की जांज से यह पता चलता है कि रेलवे राजस्व की स्पष्ट वित्तीय हानि हुई है, तो कम वसूल की गयी, अवप्रभार अथवा लेखे में न दिखायी गयी पूरी की पूरी रकम को उत्तरदायी स्टेशन के नाम खाते में डाल दिया जाता है और इसके लिए अशुद्धि पत्र जारी किया जाता है जिसमें पूरा विवरण दिया होता है। सिवाय विशेष परिस्थितियों के और उन मामलों के जिसमें स्टेशन लेखे के निरीक्षक और लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा गलती पकड़ी जाती है, साधारणतया स्टेशन विवरणियों में लेन-देन के हिसाब-किताब वाले महीने से छः महीने बाद कोई रकम नाम खाते में नहीं डाली जाती।

(ख) जी हां। लेखा परीक्षा के परिणामस्व 64459 रुपये की रकम यातायात नाम खाते के रूप में डाली गयी।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा—पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) अवप्रभार 1965 से 1969 के वर्षों में हुए लेन–देन से सम्बन्धित हैं लेकिन यह सही नहीं है कि ये सब 1970 में नाम खाते में डाले गये। इनसे सम्बन्धित अशुद्धि पत्र सितम्बर, 1968 से जनवरी, 1970 तक की अवधि में जारी किये गये हैं।

(ङ) वाणिज्यिक निरीक्षकों और स्टेशन मास्टरों को हिदायत दी गयी है कि वे परेषितियों से बात–चीत करके उन्हें अवप्रभार का भुगतान करने के लिए कहें। उपर्युक्त (ख) के अनुसार नाम खाते में डाली गयी कुल रकम में से अभी तक 4291 रुपये वसूल हुए हैं/निबटाये गये हैं।

(च) यद्यपि जिन कर्मचारियों ने सही प्रभार का वसूल नहीं किया, वे इसके लिए उत्तरदायी हैं, फिर भी सम्बन्धित व्यापारियों से रकम वसूल करने के प्रयास किये जा रहे हैं। यदि ये प्रयास सफल नहीं हुए तो कर्मचारियों से प्राप्य रकम की वसूली का प्रश्न उठ सकता है।

रेलवे कर्मचारियों के गैर मान्यता प्राप्त संघों को विचार–विमर्श सम्बन्धी सुविधाएं

3143. श्री ओंकार लाल बेरवा:
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **रेलवे मंत्री** संघों की मान्यता देने के सम्बन्ध में 7 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5469 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे कर्मचारियों के संघों को विचार विमर्श सम्बन्धी सुविधाएं देने के सम्बन्ध में सामान्य नियम क्या है;

(ख) जब राष्ट्रीय भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ एक मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसे विचार विमर्श सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे कर्मचारियों के अन्य सभी संघों को भी यही सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(घ) यदि नहीं तो, रेलवे कर्मचारियों के संघों से उक्त भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का क्या कारण हैं; और

(ङ) रेलवे कर्मचारियों के सब संघों को उक्त सुविधायें देने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) रेल प्रशासनों के स्तर पर, यूनियनों को मान्यता सम्बन्धित नियमों के अनुसार दी जाती है। दो अखिल भारतीय संघों को, जिनसे सम्बद्ध मान्यता प्राप्त यूनियनें हर रेलवे में हैं केन्द्रीय स्तर पर विचार–विमर्श की सुविधाएं दी गयी हैं।

(ख) इस संघ की विचार–विमर्श की सुविधाएं देने का कारण यह है कि यह क्षेत्रीय रेलों पर मान्यता प्राप्त यूनियनों को सम्बद्ध करने वाला निकाय है।

(ग) नेशनल फेडरेशन आफ इण्डियन रेलवे मैन के अलावा एक दूसरे फेडरेशन यानी आल इण्डिया रेलवे मैन्स फेडरेशन को भी जो मान्यता प्राप्त यूनियनों को संघबद्ध करने वाला निकाय है, विचार विमर्श की सुविधाएं दी गई हैं।

(ग) और (ङ) और यूनियनों की मान्यता देने और संघों को विचार विमर्श की सुविधाएं देने का कोई विचार नहीं है क्योंकि इससे ट्रेड यूनियनें छिन्न-भिन्न और अधिक संख्या में हो जायेंगी और इस काम में किसी प्रकार का भेद भाव नहीं किया गया।

डीज़ल लोकोमोटिव वर्क्स की पूरी क्षमता का उपयोग

3144. श्री रवि राय : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के पास डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की पूरी क्षमता का उपयोग करने का साधन नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो यह उत्पादन कार्य कब आरम्भ करेगा; और

(ग) सरकार ने रेलवे के साधनों का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की है जिससे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके।

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) डीज़ल रेल इंजन कारखाने की बढ़ती हुई क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जा रहा है ताकि भारतीय रेलों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

(ख) डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में उत्पादन 1963-64 से प्रारम्भ हुआ।

(ग) डीज़ल रेल इंजन कारखाने की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए एक उत्पादन कार्य-क्रम निर्धारित किया गया है ताकि बढ़ते हुए यातायात की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

रूरकेला के निकट गोन्डमुन्डा रेलवे स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा स्कूल में शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में हड़ताल

3145. श्री रविराय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला के निकट रेलवे हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने हड़ताल की क्योंकि अधिकारी उक्त स्कूल में उड़िया भाषा को शिक्षा के एक माध्यम के रूप में दर्जा देने सम्बन्धी अपने वचन को पूरा करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विद्यार्थियों की लम्बी अवधि से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए तुरन्त कोई कार्यवाही की है; और

(ग) इस बारे में उन्होंने क्या ठोस कार्यवाही की है?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दक्षिण पूर्व रेलवे पर सिगनल और दूर-संचार व्यवस्था की देख रेख करने वालों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

3146. श्री रविराय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में सिगनल और दूर-संचार अवस्था की देख रेख करने वालों के प्रशिक्षण केन्द्रों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि दुर्घटनाओं सम्बन्धी वांचू आयोग ने देख-रेख करने वालों को प्रशिक्षण देने सम्बन्धी जो सिफारिशें की थी, उनको क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). 6 अगस्त 1969 की अपनी रिपोर्ट में रेल दुर्घटना जांच समिति, (1968) ने जो सिफारिशें की थीं उनकी जांच के फलस्वरूप, 18–6–1970 को रेल प्रशासनों को हिदायत दी गयी है कि प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर भलीभांति उपस्करों से युक्त प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था की जाये। जिनमें इस कोटि के कर्मचारियों के प्रारम्भिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम रहे। तदनुसार दक्षिण-पूर्व रेलवे एक विस्तृत प्रशिक्षण स्कूल के निर्माण और स्थापना के लिए कार्रवाई कर रही है, जो खडगपुर में स्थित वर्तमान सिस्टम ट्रेनिंग स्कूल के साथ सम्बद्ध होगा जिसमें अपेक्षित शिक्षा कर्मचारी रहेंगे; साथ ही प्रशिक्षार्थियों के लिए आवास की व्यवस्था के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय रेलवे में सिगनल/दूरसंचार बनाये रखने वालों के लिए कार्य विश्लेषण

3147. श्री रविराय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत पच्चीस वर्षों से सिगनल तथा दूरसंचार बनाये रखने वालों के बारे में कोई कार्य विश्लेषण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इस मामले में कर्मचारियों द्वारा कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सभी क्षेत्रीय रेलों में स्वतः मुद्रण टिकट मशीनों की व्यवस्था

3148. श्री मंगलाथुमाडम : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में हाल ही में एक नई स्वतः मुद्रण टिकट मशीन का परीक्षण किया गया है;

(ख) क्या ऐसी मशीनें सभी रेलों में लगाई गयी हैं;

(ग) यदि हां, तो किन-किन डिवीजनों/रेलवे में इन्हें लगाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या उन्हें भारतीय रेलवे के सभी खण्डों में लगाकर देखा जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अलावा सभी क्षेत्रीय रेलों ने प्लेट फार्म टिकट व यात्रा टिकट जारी करने के लिए स्वतः चालित टिकट मुद्रण मशीनें लगा ली हैं। विभिन्न रेलों पर जिन मण्डलों में ऐसी मशीनें लगायी गयी हैं उनके नाम नीचे दिये गये हैं :—

रेलवे का नाम	**मंडल का नाम**
मध्य	बम्बई
पूर्व	हवड़ा और सियालदह
उत्तर	इलाहाबाद और दिल्ली
दक्षिण	मद्रास
दक्षिण मध्य	सिकन्दराबाद
दक्षिण पूर्व	खड़गपुर
पश्चिम	बम्बई

यातायात के औचित्य आदि को देखते हुए रेल प्रशासनों द्वारा यह तय किया जाता है कि ऐसी मशीनें कहाँ लगायी जायें।

इस्पात की कमी

3149. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात सप्लाई की वर्तमान असंतोषजनक स्थिति के और अधिक बिगड़ने की संभावना है जिससे मांग और पूर्ति का अन्तर मार्च, 1971 तक 10 लाख मीट्रिक टन तैयार इस्पात से अधिक हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) निरन्तर कमी के कारण इस्पात की जमाखोरी के अतिरिक्त निर्यात तथा विदेशी मुद्रा के अर्जन का और प्रतिरक्षा आर्डरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (घ). इस समय देश में चादरों, प्लेटों और तार-छड़ों आदि जैसे वर्गों के इस्पात की आम कमी है। यह कमी अंशतः अर्थ व्यवस्था में पुनः सुधार होने के फलस्वरूप मांग में वृद्धि के कारण और अंशतः कुछ इस्पात कारखानों में श्रमिक अशांति तथा तकनीकी कठिनाइयों के कारण उत्पादन में कमी होने से हुई है। अभी यह कहना कठिन है कि मार्च, 1971 में बढ़ती हुई मांग पर अपूर्ति की स्थिति का क्या असर होगा परन्तु सरकार ने राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् से कहा है कि वह अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में इस्पात की अनुमानित मांग का फिर से अध्ययन करे।

जहां तक वर्तमान कमी को पूरा करने का प्रश्न है, सरकार ने कई कदम उठाये है जैसे इस्पात कारखानों की कठिनाइयों को यथासम्भव दूर करके उनके उत्पादन को बढ़ाना, देशीय

आपूर्ति में वृद्धि करने के विचार से दुर्लभ किस्म के इस्पात के आयात की अनुमति देना, निर्यात पर रोक, आदि। इन उपायों के अतिरिक्त इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा इस्पात के विवरण की नीति में भी समुचित सुधार किया गया है जिससे वास्तविक उपभोक्ताओं को इस्पात मिल सके और इसको जमा करने की संभावना कम की जा सके। इस कमी के कारण निस्सन्देह पिछले वर्ष की तुलना में विदेशी मुद्रा के अर्जन में कमी आयेगी परन्तु इसका कोई चारा नहीं है। वर्तमान कमी से हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

लाइसेंसों के लिय आवेदन

3150. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्योगपतियों को लाइसेंस देने में विलम्ब के कारण कुछ राज्यों में औद्योगिक विकास की गति में काफी बाधा आई है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष में सरकार को राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए ;

(ग) कितने आवेदकों को उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस दिये गये;

(घ) आवेदनों को निपटाने के लिए सरकार ने कितनी अवधि निर्धारित की हुई है; और

(ङ) शेष आवेदनों के निपटाने में बिलम्ब के क्या कारण हैं और उन्हें शीघ्रता से निपटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (मं० र० कृष्ण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). गत वर्ष 1969 में औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए 1420 आवेदन पत्र आए थे जिनमें से 221 औद्योगिक लाइसेंस तथा 331 आशय-पत्र जारी किए गए प्राप्त आवेदन पत्रों का राज्य वार विवरण तथा जारी किए गए लाइसेंस/आशय पत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य	1969 में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	1969 में जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	1969 में जारी किए गए आशय पत्रों की संख्या
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	74	5	15
असम	12	1	1
बिहार	52	8	5
दिल्ली	25	2	4

1	2	3	4
गोश्रा	5	–	2
गुजरात	139	19	39
हिमाचल प्रदेश	3	–	–
हरियाणा	92	6	13
जम्मू तथा काश्मीर	7	–	2
केरल	45	2	10
मध्य प्रदेश	23	3	1
तमिलनाडु	100	13	22
महाराष्ट्र	380	81	122
मनीपुर	1	–	–
मैसूर	96	5	25
उड़ीसा	10	3	1
पाण्डिचेरी	4	–	–
पंजाब	29	1	11
राजस्थान	36	–	7
त्रिपुरा	1	–	–
उत्तर प्रदेश	91	8	24
पश्चिम बंगाल	110	64	26
चण्डीगढ़	6	–	–
एक से अधिक राज्य	72	–	1
राज्य नहीं दिया गया	7	–	–
योग	1,420	222	331

(घ) और (ङ). लाइसेंस स्वीकृति के लिए आए सभी आवेदन पत्रों पर आवेदन पत्रों को भेजने की तिथि से अथवा पार्टियों द्वारा दी गई अतिरिक्त सूचना से, जो भी अन्तिम हो, तीन मास के अन्दर अन्दर लिए गए निर्णय से पार्टियों को सूचित करना होता है। फिर भी कुछ मामले में देरी इसलिए हो जाती है। क्योंकि आवेदक गण अपनी योजनाओं के महत्वपूर्ण पहलुओं पर पूर्ण जानकारी नहीं देते हैं जैसे प्रावस्थाबद्ध उत्पादन कार्यक्रम, विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए गए प्रबन्ध तथा विदेशी सहयोग की शर्तों आदि अतः स्पष्टीकरण अतिरिक्त सूचना के लिए उन्हें लिखना पड़ता है। कुछ मामलों में कोई उद्योग विशेष संवीक्षाधीन हो सकता है और अन्यों में सरकार द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के उत्तर में निर्धारित समय सीमा के अन्दर बहुत से आवेदन पत्र प्राप्त हो सकते हैं। दूसरे प्रकार के प्रकरणों में सभी आवेदन पत्रों पर साथ-साथ विचार किया जाता है जिससे कि केवल बहुत उपयुक्त योजनाओं को ही लाइसेंस दिया जाए। आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए तथा प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के लिए यथा संभव शाघ्रातिशीघ्र प्रयत्न किए जा रहे हैं। कुछ किस्म के मामलों को निबटाने हेतु बिना लाइसेंस समिति को पूछे ही प्रशासनिक मंत्रालयों को अग्रेतर शक्ति भी प्रत्यायोजित कर दी गई है। लाइसेंस समिति की प्रायः बैठकें होती रहती हैं। प्रत्येक पखवाड़े में एक बार देरी के कारणों

पर विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया जाता है तथा समिति के अध्यक्ष द्वारा निदेश दिए जाते हैं जिनमें सभी सम्बन्धित आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटाने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है हाल ही के मासों में अनिर्णीत आवेदन पत्रों को निपटाने में पर्याप्त प्रगति हुई है।

24 घंटे या इससे अधिक समय तक चलने वाली रेलगाड़ियों में भोजन-यान व्यवस्था

3151. श्री न० रा० देवघरे : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में कुछ ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो 24 घटे से अधिक समय तक चलती हैं परन्तु उनमें भोजनयान की व्यवस्था नहीं होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या 24 घटे या इससे अधिक समय तक चलने वाली रेलगाड़ी के साथ भोजन-यान की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) गाड़ियों में भोजन यान की व्यवस्था तभी की जाती है जब स्टेशनों पर स्थित भोजनालयों और दुकानों से यात्रियों की आवश्यकताएं संतोषजनक ढंग से पूरी करना संभव न हो।

(ग) जी नहीं।

फोटोग्राफी के कागज की कमी

3152. श्री न० रा० देवघरे : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में फोटोग्राफी के सामान की बहुत कमी है और इसके फलस्वरूप भारत के बाजारों में फोटोग्राफी का सारा सामान बहुत अधिक मूल्यों पर बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण): (क) फोटो ग्राफी के कागज की कमी तथा इसके मूल्य में हुई खास वृद्धि के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं।

(ख) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से तथा फोटोग्राफी के तैयार कागज की सप्लाई और आयात को बढ़ाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। लघु क्षेत्र उद्योगों तथा बड़े पैमाने के उद्योगों को अतिरिक्त विदेशी मुद्रा जारी की जा रही है जिससे कि ये कच्चे माल का अधिक से अधिक आयात करने में समर्थ हो सकें तथा अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकें। दि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म लि० भी अपने फोटो ग्राफी के कागज के उत्पादन में वृद्धि कर रहा है।

अन्तर्राज्यीय विवाहों के लिए पुरस्कार

3153. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अन्तर्राज्यीय विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार प्रदान करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार को ऐसे पुरस्कार आरम्भ करने की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होती।

शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे को बन्द करने का नोटिस

3154. **श्री शारदानन्द :**
श्री वंश नारायण सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स मार्टिन बर्न लिमिटेड ने 1 सितम्बर, 1970 से शाहदरा सहारनपुर लाइट रेलवे को बन्द करने का नोटिस दिया है, जोकि शाहदरा-सहारनपुर रेलवे लाइन के आसपास रहने वाले लोगों की यात्रा तथा परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को अब तक पूरा करती आ रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस रेलवे के बन्द हो जाने से हजारों लोग बेरोजगार हो जायेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को असुविधा का सामना पड़ेगा;

(ग) क्या इन बातों को देखते हुए सरकार का उक्त रेलवे लाइन का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है ताकि इस रेलवे सेवा को चालू रखा जा सके; या दिल्ली को सीधे सहारनपुर से और अन्य सीमावर्ती कस्बों से मिलाने के लिए एक नई बडी लाइन अथवा मीटर लाइन बिछाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और सरकार इसको कब तक क्रियान्वित कर देगी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि उक्त रेलवे लाइन के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना नहीं है, तो सरकार का विचार क्या वैकल्पिक प्रबन्ध करने का है जिससे कि इस रेलवे लाइन के बन्द हो जाने के फलस्वरूप लोगों तथा रेलवे कर्मचारियों को होने वाली असुविधा को दूर किया जा सके।

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : शाहदरा (दिल्ली) सहारनपुर लाइट रेलवे कम्पनी लि० ने सहारनपुर-शाहदरा लाइट रेलवे को 1–9–1970 से बन्द करने की सूचना दी है।

(ख) सहारनपुर-शाहदरा लाइट रेलवे पर लगभग 1,100 कर्मचारी काम करते हैं जो इस रेलवे के बन्द होने पर वर्तमान काम से बेकार हो जायेंगे। इस बन्दी के कारण रेल उपयोग कर्ताओं को तब तक असुविधा होगी जब तक इस यातायात की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सड़क सेवा को पर्याप्त रूप में नहीं बढाया जाता।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकार सहारनपुर शाहदरा लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहती क्योंकि वित्तीय दृष्टि से इसका औचित्य नही है। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित किया गया है कि सड़क सेवा में वृद्धि करने तक यदि प्रदेश सरकार इस सेवा को जारी रखना चाहे तो केन्द्रीय सरकार इस रेलवे पर रेलवे (आपात व्यवस्था) अधिनियम लागू करेंगी तथा इसका प्रबन्ध उत्तर प्रदेश सरकार को दे देगी। मार्टिन बर्न ग्रुप कम्पनियों के अध्ययन से भी निवेदन किया गया है कि इस लाइन को बन्द करने की अवधि तीन महीने के लिए स्थगित करने के प्रश्न पर विचार करें तांकि सड़क सेवा में वृद्धि करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त समय दिया जा सके। स्वतन्त्र रूप में दिल्ली को सहारनपुर से जोड़ने के लिए बड़ी लाइन का सर्वेक्षण किया जा रहा है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच के बाद ही इस सम्बन्धी विनिश्चय किया जायेगा।

(ङ) उत्तर प्रदेश सरकार को सड़क सेवा में वृद्धि करने का सुझाव दिया गया है। इसी बीच, यदि उत्तर प्रदेश सरकार इस रेलवे को चलाने ने लिए सहमत हो जाती है तो जनता को असुविधा की समस्या नहीं पैदा होगी।

Distribution of Steel

3155. **Shri Lakhan Lal Kapoor :** Will the **Minister of Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the faulty distribution of steel has hampered the development of small scale industries in the country ;

(b) the quota of billets especially for small scale industries, State-wise ;

(c) whether it is also a fact that only a nominal quota of billets has been allotted to Assam and Bihar and, if so, whether Government propose to raise it ; and

(d) whether it is further a fact that iron of the value of about rupees 10 crores is being imported every year and, if so, the policy of Government in regard to the distribution thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No, Sir.

(b) and (c). At present in view of the acute shortage, billets are allotted only to Registered Re-rollers in accordance with their capacities as assessed by the Technical Committee, irrespective of the regions where they are situated. Un-Registered Re-rollers are not entitled to get billets. They work on re-rollable scrap. However, in the allocation

of billets, some quotas have been earmarked for special sections like baling hoops, twisted deformed bars, wire rods, Railway materials etc. As such the quota of billets to Re-rollers who do not either export or produce special sections are likely to be low as compared with those who do. The allocation policy provides that the minimum quota to any Registered Re-roller should not be less than 150 tonnes per month. The interest of the Smaller Re-rollers in all States including Assam and Bihar is therefore safe-guarded.

(d) No precise estimate of the steel to be imported during the current year can be given, as imports will also be made by actual users. However, apart from the imports to be made by the actual users. Hindustan Steel Ltd. is making bulk imports for distribution to export oriented Engineering industries as well as small scale industries. For the latter, the proposal is to import up to Rs. 10 crores worth of steel materials which will be distributed in consultation with the Directors of Industries and Small Scale industries Corporations.

पंखों के मूल्य में वृद्धि

*** 3156. श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ निर्माताओं ने छत पटल तथा पेडस्टल पंखों के मूल्यों में वृद्धि कर दी है, और यदि हां तो कितनी ;

(ख) क्या मूल्यों में की गई वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले मुनाफे की गुंजाइश का कोई अध्ययन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक प्रकार के पंखे पर मुनाफे की औसतन कितनी गुंजाइश है ; और

(घ) क्या इस क्षेत्र में प्रयोगताओं को हानि पहुँचा कर अत्यधिक मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां। खुदरा कीमतों में 12 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

(ख) बड़े बडे पंखा उत्पादकों से उत्पादन कीमतों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कर लिया गया है तथा उस पर विचार किया जा रहा है। इसके उपरान्त यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

Reports on Engineering and Traffic Survey for Construction of Broadgauge Line between Barabanki and Gonda and Conversion of Gonda-Gorakhpur Metre-Gauge into Broad-Gauge Line

3157. Shri Molahu Prashad : Will the **Minister of Railways** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1736 on the 19th May, 1970 regarding construction of broad-gauge line between Barabanki and Gonda and conversion of Gonda-Gorakhpur metre gauge line and state ;

(a) whether the Engineering and Traffic Survey reports have since been examined ; and

(b) if so, the findings thereof and the details of the further action taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). The examination of the survey reports is still in progress. An economic study of this conversion scheme is also being made, and a separate traffic assessment, assuming that there will be broad gauge from right up to Katihar, is being carried out. This study is expected to be completed within the next few months.

Report of Inquiry Commission on British India Corporation

3158. **Shri Molahu Prashad :** Will the **Minister of Industrial Development and Internal Trade** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 10256 on the 19th May, 1970 regarding the report of the Inquiry Commission on British India Corporation and state :

(a) whether Government have examined the serveral suggestions made by the Inquiry Commission to ensure smooth working of the British India Corporation ; and

(b) if so, the outcome thereof and the action being taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government have examined the Report of the Investigating Authority, Shri Sarjoo Prasad Singh and issued suitable directions to the management of the Corporation on the 25th July, 1970 under Section 16 (1) of the Industries (Development and Regulation) Act, a copy of which is attached **[Placed in Library, see No. L. T. 3998/70]** With regard to the malpractices allegedly committed by some officers of the Leather Branches, an F. I. R. has been filed with the C. B. I. The Corporation has also been requested to take necessary action against persons in the organisation who have attracted adverse notice in the Investigating Authority's Report.

Lokanathan Commiteee Report on Small Scale Industries

3159. **Shri Molahu Prashad :** Will the **Minister of Industrial Development and Internal Trade** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 10253 on the 19th May, 1970 regarding the Lokanathan Committee Report on Small Scale Industries and state :

(a) whether Government have since considered the main recommendations of the Small Scale Industries Board ; and

(b) if so, the conclusions arrived at and the action being taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R Krishna) : (a) and (b). The recommendations are under consideration of the Government and no final decision regarding them has yet been taken.

Acts/S. R. Os translated by Law Ministry

3160. **Shri Molahu Prashad :** Will the **Minister of Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9383 on the 12th May, 1970 and state the names of the translated Acts, Rules and Orders and the details of the other Acts, Rules and Orders, the translation work in regard to which has since been completed ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : A statement (Appendix A and B) containing the required information, is laid on the Table of the House. **[Placed in Library see No LT 3999/70.]**

सहायक इंजीनियरों को प्रथम श्रेणी की रेलवे सेवा में लेना

3161. श्री विद्याधर बाजपेयी : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन 20 से 50 के छोटे छोटे बैंचों में अस्थाई सहायक इंजीनियरों की अवर वेतनमान में समय समय पर भर्ती करता रहा है और प्रत्येक बैंच को ऐसा कहा गया था कि उनको प्रति वर्ष 6 व्यक्तियों की दर से प्रथम श्रेणी की सेवा में ले लिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1958 से लेकर विभिन्न बैंचों में भर्ती किये गये किसी भी अस्थाई सहायक इंजीनियर को स्थाई न करने के क्या कारण हैं, जब कि उम्मीदवारों को दिये गये उक्त आश्वासन के अनुसार उनके अधिकांश बैंचों को नौकरी पर लगाने के 4 से 8 वर्ष के अन्दर स्थायी कर दिया गया होता ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 1955 से 1964 तक अस्थाई सहायक इंजीनियरों की भर्ती बैंचों में की गयी। प्रारम्भ में, इन अस्थायी इंजीनियरों को सूचित किया गया था कि प्रति-वर्ष होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर होने वाली सीधी भर्ती के प्रति अधिक से अधिक 6 रिक्तियों पर श्रेणी 1 सेवा में स्थायी नियुक्ति के लिए अस्थायी सहायक इंजीनियरों के साथ अस्थायी इंजीनियरों के बारे में विचार किया जायेगा। लेकिन बाद में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अस्थायी सहायक इंजीनियरों की स्थायी नियुक्ति का कोटा बढ़ाने का विनिश्चय किया गया जैसा कि नीचे बताया गया है : –

1957 से 60 तक की परीक्षाएं—	8 प्रति परीक्षा
1961 से 65 तक की परीक्षाएं—	15 प्रति परीक्षा
1966 और उसके बाद की परीक्षाएं—	समाहित करने की दर संघ लोक सेवा आयोग के जरिये लिए जाने वालों की वास्तविक संख्या का 60% है।

(ख) अब तक, 112 अस्थायी सहायक इंजीनियरों को प्रथम श्रेणी सेवा में स्थायी रूप से नियुक्त किया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किए गए अधिकारियों का स्थायीकरण

3162. श्री विद्याधर बाजपेयी : क्या **रेलवे मंत्री** संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये अधिकारियों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4557 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किये गये एक परिपत्र संख्या एफ 1/98/55-आर में उम्मीदवारों के सूचनार्थ यह बताया गया था कि रेलवे मंत्रालय

की प्रथम श्रेणी की रेलवे सेवा के अन्तर्गत 50 सहायक इंजीनियरों (राजपत्रित) की भर्ती और यहां तक कि नियुक्ति पत्र में भी 'अवर्गीकृत' राजपत्रित सेवा का उल्लेख नहीं किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों को बाद में 'अवर्गीकृत राजपत्रित' कहने के क्या कारण हैं जब कि इन अधिकारियों का समय-मान, कार्य और शैक्षणिक अर्हताएं, 'प्रथम श्रेणी' के अधिकारियों जैसी ही हैं ; और

(ग) ऐसे अधिकारियों की स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) संघ लोक सेवा आयोग ने 50 अस्थायी सहायक इंजीनियरों की नियुक्ति के बारे में अपनी पुस्तिका "उम्मीदवारों के लिए सूचना" सं० एफ-1/98/55-आर० में गलती से इन पदों का उल्लेख "रेल सेवाएं श्रेणी 1 (राजपत्रित)" के रूप में किया था चूंकि इन अस्थायी सहायक अधिकारियों को न तो श्रेणी 1 में और न ही श्रेणी II में बल्कि केवल मात्र राजपत्रित के रूप में रखा जाना था इसलिए आयोग से अनुरोध किया गया कि वह अपनी पैम्फलेट के लिए एक शुद्धि पत्र जारी करे। नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को जो प्रस्ताव भेजे गये उनमें केवल इसी बात का उल्लेख किया गया था कि पद राजपत्रित है और उनमें श्रेणी का कोई उल्लेख नहीं था।

(ग) अस्थायी सहायक अधिकारियों को श्रेणी 1 (कनिष्ठ वेतनमान) में उनके लिए अलग रखी गयी रिक्तियों के वार्षिक कोटे में स्थायी रूप में समाहित किये जाने के बारे में विचार किया जाता है।

रेलवे अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण

3163. श्री विद्याधर बाजपेयी : क्या **रेलवे मंत्री** रेलवे अधिकारियों की वरिष्ठता के निर्धारण के सम्बन्ध में 24 मार्च, 1970 अतारांकित प्रश्न संख्या 3965 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकदम अस्थायी स्थानों और स्थायी किन्तु अनिश्चित समय चलते रहने वाले पदों के लिए भर्ती किये गये लोगों की वरिष्ठता, स्थायित्व तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में क्या अन्तर होता है ;

(ख) क्या वह आदमी जो सेवा आयोग के माध्यम से ऐसे पद के लिए भर्ती किया जाता है जो अनिश्चित काल तक चलने वाला होता है, 3 वर्ष की सेवा के पश्चात् स्वयं ही अर्ध-स्थायी बन जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या ये अर्ध-स्थायी कर्मचारी उन लोगों से पदोन्नति आदि के मामले में कनिष्ठ समझे जाते हैं जो उसी वेतनमान तथा संवर्ग वाले स्थायी पदों पर सीधे भर्ती होकर आते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सभी अस्थायी अधिकारी सेवा की उन्हीं शर्तों से शासित होते हैं जो उनके सामने रखी जाती हैं और उनके द्वारा स्वीकार की जाती हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

आशुलिपिकों का दर्जा बढ़ाया जाने के लिये विभिन्न मापदण्ड

3164. श्री विद्याधर बाजपेयी : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जनवरी, 1965 में जारी किए गए आदेशों के अनुसार, उत्तर रेलवे में आशुलिपिकों के पदों का दर्जा बढ़ाये जाने के लिए एक अलग मापदण्ड अपनाया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर रेलवे मुख्यालय ने रेलवे बोर्ड के उक्त आदेशों के अनुसार 210-425 रु० के ग्रेड में अपेक्षित पद भरने के लिए आशुलिपिकों का तीसरी बार चयन किया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर रेलवे के वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय में काम करने वाले आशुलिपिकों को उनकी बकाया राशि दे दी गयी है तथा उनका वेतन 1 अप्रेल, 1965 से निर्धारित कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या उत्तर रेलवे मुख्यालय में किये गये तीन चयनों के फलस्वरूप जिन आशुलिपिकों की तालिका बनाई गई थी उनका वेतन भी उसी तरह से निर्धारित किया जा रहा है जैसा कि वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय में किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जाएगा और यदि नहीं तो इसके क्या क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ). सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में रेलवे स्टेनोग्राफरों के लिए आवास

3165. श्री विद्याधर बाजपेयी : क्या **रेलवे मंत्री** अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के आवास के सम्बन्ध में 9 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3290 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने स्टेनोग्राफरों को सरकारी आवास प्राप्त नहीं हैं;
(ख) दिल्ली में कुल कितने स्टेनोग्राफर हैं ;

(ग) दिल्ली में सभी स्टेनोग्राफरों को कब तक आवास के मिल जाने की संभावना है ;

(घ) क्या सरकार की नीति के अनुसार स्टेनोग्राफरों और कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए कार्यालय के समीप ही क्वार्टर बनाने पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 175

(ख) दिल्ली क्षेत्र में 223 स्टेनोग्राफरों ने क्वार्टर के आवंटन के लिए अपना नाम रजिस्टर करा रखा है।

(ग) स्टेनोग्राफरों सहित तृतीय श्रेणी के सभी कर्मचारियों को ठीक उनकी रजिस्ट्रेशन की तारीख के अनुसार क्वार्टरों का आवंटन किया जाता है और इसलिए कोई सम्भावित तारीख निर्धारित नहीं की जा सकती।

(घ) और (ङ) सभी कोटियों के कर्मचारियों के लिए धन की उपलब्धता के अनुसार एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर क्वार्टर बनाये जा रहे हैं ।

विकी मोल्ड के लिये टायरों और ट्यूबों की कमी

3166. श्री राजदेव सिंह : क्या **ओद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकी मोल्ड $23 \times 2{\cdot}50$ के लिये प्रसिद्ध मार्क के टायरों और ट्यूबों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस कमी को दूर करने का विचार है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके मूल्य को इस बात को ध्यान में रखते हुए नियमित करेगी कि दुकानदार उन्हें ऊंचे मूल्यों पर बैच रहें हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) :
(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सभी प्रकार के टायर व ट्यूब आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं और राज्य सरकारों को, यदि वे आवश्यक समझें, उनके विक्रय तथा वितरण को नियमित करने का अधिकार दिया हुआ है।

सूवो कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विभिन्न रेलवे स्टेशनों की अचानक जांच

3167. श्री राजदेव सिंह ; क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11 सूची कार्यक्रम की क्रियान्विति के सम्बन्ध में विभिन्न रेलवे स्टेशनों की कितनी बार अचानक जांच की गई ;

(ख) किन-किन स्टेशनों और स्थानों पर अचानक छापे मारे गये ;

(ग) विभिन्न राज्यों में ऐसे छापे मारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) इन छापों के क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). स्टेशनों पर अचानक जांच की योजना जून, 1970 में शुरू की गयी थी। जून और जुलाई, 1970 के महीनों में 223 स्टेशनों पर जांच की गयी थी। इन स्टेशनों की एक सूची अनुबन्ध में दे दी गयी है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल. टी.** 4000/70]

(ग) इस प्रकार की जांच रेलवे-वार की जा रही है, राज्य-वार नहीं।

(घ) इस प्रकार जांच के दौरान पायी गयी अनेक अनियमितताओं या कमियों को मौके पर ही दुरुस्त कर दिया गया था। अन्य के सम्बन्ध में आवश्यक उपचारी कार्यवाही शुरू कर दी गयी हैं।

सिगरेटों का उत्पादन

3168. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के दौरान भारत मे विभिन्न एककों द्वारा निर्मित सिगरेटों के एकक-वार आंकड़े क्या है;

(ख) वर्ष 1947 से उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) सरकार ने भारतीय सिगरेट निर्माताओं की सहायता के लिए क्या उपाय किए है ?

औद्योगिक विकास तथा आँतरिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 40,8300 लाख नग।

(ग) सरकार की नीति इस उद्योग में भारतीय कम्पनियों के अंश बढ़ाकर भारतीय कम्पनियों के द्वारा किए गए सिगरेटों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की रही है। सिगरेटों के कारखाने स्थापित करने के लिए चार भारतीय कम्पनियों को स्वीकृति दे दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	एकक का नाम	प्रतिवर्ष दस लाख मिलियन नग उत्पादन 1967-68	1968-69	1969-70
1.	इम्पीरीयल टोबैको क० (न्यू इण्डिया टोबैको कं०) कलकत्ता	30,954	30,307	30,929
2.	वजीर सुल्तान टोबैको कं० हैदराबाद ।	10,293	12,025	11,818
3.	गोदफ्रे फिलिप्स, बम्बई	3,556	4,053	4,437
4.	गोल्डन टोबैको कं० बम्बई	7,135	8,378	7,198
5.	नेशनल टोबैको कं० कलकत्ता	4,553	5,715	5,271
6.	डी० मेकरोपोलो बम्बई	5	5	5
7.	मास्टर्स टोबैको कं० बम्बई	140	41	87
8.	क्राटन टोबैको कं० बम्बई	6	6	6
9.	इन्टरनेशनल टोबैको कं० गाजियाबाद	400	526	781

सिगरेटों का निर्माण करने वाले समवाय

3169. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 10 वर्षों में बन्द हुए सिगरेटों का निर्माण करने वाले उन एककों की संख्या कितनी है जिनके मालिक भारतीय है: और

(ख) क्या बन्द पड़े इन एककों का विदेशी समवायों ने अभिग्रहण कर लिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ख). पिछले दस वर्षों की अवधि में एक भारतीय स्वामित्व वाली सिगरेट कम्पनी बन्द हुई हैं और उस कम्पनी के संयंत्र तथा मशीनें अधिकांश विदेशी स्वामित्व वाली एक सिगरेट कम्पनी ने खरीद लिए हैं ।

बैलर्ड एस्टेट, बम्बई में तीसरे टर्मीनल की योजना

3170. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैलर्ड एस्टेट बम्बई में एक तीसरा टर्मिनल बनाने की योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उनके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) बम्बई में एक तीसरे टर्मिनल के लिए जिसमें टर्मिनल तक पहुंच लाइन भी होगी, व्यावहारिकता एवं आर्थिक अध्ययन किया जा रहा है ।

(घ) आशा है कि तीसरे टर्मिनल और पहुंच लाइन के लिए व्यावहारिकता अध्ययन और प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण का काम 1970 के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

टेक्टार स्टेशन (पूर्वोत्तर रलवे) पर सभी जोनल रेलवे के टिकटों की बिक्री

3171. श्री भोगेन्दर झा : रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुहम्मदपुर और कमतौल स्टेशनों के बीच में टेक्टार स्टेशन 1963 से काम कर रहा है किन्तु अभी तक वहां अन्य जोनल रेलवे के टिकट नहीं बेचे जाते हैं; और वहां पर यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय कक्षा भी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) गत तीन वर्षों मे वर्षवार अब तक टिकटों की बिक्री से कितनी राशि प्राप्त होती रही है और ठेके पर टिकटें बेचने की पद्धति को समाप्त कर दिया गया है, तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) क्या इस स्टेशन को स्थायी स्टेशन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). टेक्टार, मुहम्मदपुर और कमतौल स्टेशनों के बीच ठेकेदार द्वारा संचालित गाड़ी हाल्ट है जो 1963 से अस्तित्व में है । वहां एक छोटे टिकट घर व तीसरे दर्जे के प्रतीक्षा शेड की व्यवस्था है । ऐसे हाल्टों पर बहुत कम यातायात होने के कारण वहां से अन्य रेलों के स्टेशनों के टिकट सामान्यत: नहीं बेचे जाते ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान टेक्टार स्टेशन पर टिकटों की बिक्री से निम्नलिखित रकम प्राप्त हुई है :—

अवधि	रकम
1967-68	30,500 रु०
1968-69	37,650 रु०
1969-70	45,950 रु०

वहां टिकट अब भी हाल्ट ठेकेदार द्वारा बेचे जाते हैं ।

(घ) इस गाडी हाल्ट को फ्लैग स्टेशन में बदलने की व्यावहारिकता की जांच की गयी थी लेकिन वित्तीय दृष्टि से इसका औचित्य नहीं पाया गया ।

आरक्षण तथा पूछताछ कार्यालय दरभंगा (पूर्वोत्तर रेलवे) के लिए नियंत्रण फोन की व्यवस्था

3172. श्री भोगेन्दर झा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दरभंगा के आरक्षण तथा पूछताछ कार्यालय में न तो नियन्त्रण फोन है और न ऐसा फोन है, जो सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय से जुड़ा हो; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है जिससे, यह कमी दूर की जाये जिससे गाड़ियों के आने के बारे में ठीक स्थिति की जानकारी उपलब्ध हो सके ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) दरभंगा रेलवे स्टेशन के पूछताछ एवं आरक्षण कार्यालय में टेलीफोन लगाने का विचार है।

27 जुलाई, 1970 को रेलगाड़ी सेवाओं का ठप होना

3173. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि 27 जुलाई, 1970 को विभिन्न राज्यों में रेलगाड़ी सेवाएं ठप हो गई थीं जो भारतीय रेलवे के लिए अभूतपूर्व अनुभव था ;

(ख) यदि हां, तो सउका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यात्री और माल यातायात के ठप हो जाने के कारण रेलों को (खन्ड-वार) कितनी हानि हुई ;

(घ) रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा और यात्रा करने वाले लोगों को होने वाली असुविधाओं को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) 27 जुलाई, 1970 को खण्ड-वार कुल कितनी रेलगाड़ीयों की सेवा को रद्द किया गया था ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) 27-7-70 का "उड़ीसा बन्द" मनाने के सम्बन्ध में दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्यतः उड़ीसा राज्य में पड़ने वाले भाग की रेल सेवा अस्त-व्यस्त हो गयी। कर्मचारी-उपद्रव के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर और आदरा मंडलों की गाड़ी सेवाएं 25 तारीख से छिन्न-भिन्न हो गयीं। कटिहार और अलीपुर दुआर मंडलों में कर्मचारी-उपद्रव के कारण पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर 23-7-70 से 2-8-70 तक गाड़ियों का आना जाना अस्त-व्यस्त रहा।

(ग) और (ङ) "उड़ीसा बन्द" के कारण 27-7-70 को दक्षिण-पूर्व रेलवे तथा दक्षिण मध्य रेलवे पर, जिसे कि दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए गाड़ियां वापस भेजने का काम सम्हालना

पड़ा, जितनी गाड़ियों को रद्द करना पड़ा और जितने मालडिब्बा दिनों की हानि हुई और उनके कारण जितनी क्षति हुई उसका विवरण नीचे दिया गया है:–

रद्द की गयी सवारी (गाड़ी) की संख्या	मालडिब्बा दिन हानि	क्षति
28	10,000	लगभग 10 लाख रुपये

दक्षिण पूर्व रेलवे की गाड़ियों की इस अस्त-व्यस्तता की प्रतिक्रिया समीप की रेलों, विशेष कर दक्षिण मध्य रेलवे पर पड़ा जैसे कुछ गाड़ियां का जाना गन्तव्य स्टेशन से पहले ही समाप्त कर देना, दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए माल गाड़ियों का वापस भेजना आदि तथा परिणामस्वरूप हानि ।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर 23-7-70 से 2-8-70 तक चलने वाली लोको तथा अन्य कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर सीमा और पूर्वोत्तर रेलों पर 27-7-70 को 39 सवारी गाड़ियां और 49 माल-गाड़ियों को रद्द किया गया ।

(घ) रेल सम्पत्ति के बचाव और यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोपाय के रूप में पुलिस की सहायता के लिए रेलवे सुरक्षा दल की टुकड़ियां तैनात की गयी थीं । प्रभावित गाड़ियों के यात्रियों के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किये गये थे जिनमें खान-पान की व्यवस्था भी शामिल है ।

छीलन (स्क्रेप) का निर्यात

3174. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या इस्पात तथा भारी ईंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में छीलन (स्क्रेप) के निर्यात की क्या स्थिति रही और क्या उसके निर्यात के कारण भारत में उद्योगों की आवश्यकता-पूर्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) वर्ष 1969-70 में 4, 17, 201 टन रद्दी-लोहे का निर्यात किया गया । रद्दी लोहे की केवल उन किस्मों का उस मात्रा में ही निर्यात करने की अनुमति दी गई थी जिनकी देशीय उद्योग को या तो आवश्यकता न थी अथवा जिन्हें देशीय आवश्यकताओं से अधिक पाया गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ओलावा क्कोट (केरल) के क्रिअसोटिंग कारखाने का मैसूर में स्थानान्तरण

3175. श्री ई० के० नायनार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में ओलावाक्कोट स्थित क्रिग्रासोटिंग कारखाने को मैसूर में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

इस्पात का उत्पादन

3176. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 में इस्पात पिण्ड तैयार इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ था ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : वर्ष 1969-70 में प्रमुख इस्पात उत्पादकों का पिण्ड इस्पात और विक्रेय इस्पात का उत्पादन क्रमशः 6.3 और 4.9 मिलियन टन था। वर्ष 1969-70 में मिश्र इस्पात के प्रमुख उत्पादकों का तैयार मिश्र और विशेष इस्पात का उत्पादन 0.13 मिलियन टन था।

कटक स्टेशन के निकट रेलवे पुल का निर्माण

3177. **श्री अ० दीपा :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कटक स्टेशन के निकट रेलवे पुल के निर्माण के लिए जनता से तथा उड़ीसा राज्य सरकार से काफी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) कटक स्टेशन के उत्तरी सिरे पर स्थित शिकारपुर समपार की जगह एक उपरी सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव जांच की प्रारम्भिक अवस्था में है और राज्य सरकार तथा कटक इम्पूवमेंट ट्रस्ट के परामर्श से रेल प्रशासन इस के ब्योरों को अन्तिम रूप दे रहा है।

रेलगाड़ियों का समय पर चलना

3178. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु अपने कार्यक्रम के एक भाग के रूप में रेलगाड़ियों के समय पर चलने को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस अभियान के क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) लम्बी दूरी 17 जोड़ी डाक : एक्सप्रेस गाड़ियों के समय-पालन में सुधार करने के लिए 1-8-1970 से एक विशेष अभियान चलाया गया है। रेलवे बोर्ड कार्यालय में उनके चालन पर दैनिक निगरानी रखी जाती है ताकि चालन में विलम्ब होते ही उच्चतम स्तर पर पूछताछ की जा सके।

(ग) दक्षिण-पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा रेलों पर हड़ताल होने से उन रेलों पर चलने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में हमारे प्रयास व्यर्थ ही जाते हैं। अन्य जोड़ी गाड़ियों में कुछ सुधार दिखायी पड़ा है, लेकिन खतरे की जंजीर के खींचे जाने से हमारे मार्ग में अब भी बाधा पड़ रही है, विशेष रूप से अपर इंडिया एक्सप्रेस, हवड़ा-दिल्ली जनता एक्सप्रेस और हवड़ा-देहरादून एक्सप्रेस गाड़ियों के सम्बन्ध में।

हिन्दुस्तान मशीनटूल्स से प्रतिमा पलायन

3179. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को, जो सरकारी क्षेत्र में आरम्भिक परियोजनाओं में से एक है, अपने डिजाइन विभाग से होने वाले प्रतिमा पलायन की गम्भीर समस्या का सामना है ;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक डिजाइन इंजीनियर, जिन्होंनेकई वर्षों तक हिन्दुस्तान मशीन-टूल्स में दक्षता प्राप्त की है, इस उपक्रम को छोड़कर गैर-सरकारी उपक्रमों में जहां वेतन अधिक और कार्य की आकर्षक शर्तों के साथ-साथ और छोटे-मोटे लाभ भो है, जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह भो सच है कि इस के परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता पर कुप्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) (क) और (ख) : कुछ डिजाइन इंजीनियर गैर-सरकारी उपक्रमों में उच्च वेतन वाले पदों पर हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को छोड़ कर चले गये हैं।

(ग) यदि कोई उपयुक्त स्थानापन्न व्यक्ति समय पर नहीं मिलता है तो डिजाइन कर्मचारियों की रिक्तता से विशेष प्रकार की मशीनों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है।

(घ) अच्छे भविष्य के लिए तकनीकी व्यक्तियों का एक एकक से अन्य एकक में जाना कोई असामान्य बात नहीं है। फिर भी, कंपनी द्वारा गठित एक विशेष समिति समस्या का गहराई से अध्ययन कर रही है, ताकि पर्याप्त प्रतिमा के आरक्षण को बढ़ाकर और उन्हें आवश्यक भत्ते आदि देकर सप्रभावी ढंग से इस समस्या का समाधान हो सके।

दिल्ली में उद्योगों का अस्वीकृत क्षेत्रों से स्वीकृत क्षेत्रों में स्थानांतरण

3180. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अनिष्टकर तथा खतरनाक उद्योगों का अस्वीकृत क्षेत्रों से स्वीकृत क्षेत्रों में स्थानान्तरण बहुत मन्द गति से हो रहा है ;

(ख) अस्वीकृत क्षेत्रों में कितने औद्योगिक एकक हैं और उन एककों की संख्या कितनी है जिन्हें गत तीन वर्षों में स्वीकृत क्षेत्रों में जगह का आंवटन किया गया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उद्योगपतियों को अपने उद्योगों का स्थानान्तरण करने के लिए दिया गया ऋण अपर्याप्त था, और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस उद्देश्य के लिए कितना धन बांटा गया ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उद्योगों के स्थानान्तरण में विलम्ब होने से संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास पर कुप्रभाव पड़ रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो उद्योगों का तेजी से स्थानान्तरण करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) (क) से (ङ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

27 जुलाई, 1970 को रेलवे कर्मचारियों द्वारा किया गया प्रदर्शन

3181. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में संसद् के सत्रारम्भ के दिन रेलवे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रत्येक मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) कर्मचारियों की मांगें ये है –

1. 70 रुपये मासिक की अन्तरिम सहायता मंजूर की जाये।
2. रेल कर्मचारियों के लिए आवश्यकता पर आधारित लगभग 250 रु० मासिक न्यूनतम मजदूरी दी जाये।
3. वेतन आयोग में कर्मचारियों का प्रतिनिधि शामिल किया जाये।

पहली दो मदें पहले ही वेतन आयोग के विचाराधीन हैं। जहां तक तीसरी मद का सम्बन्ध है, आयोग की वर्तमान गठन के रूप में नियुक्त करने से पहले सरकार इस मामले पर विचार कर चुकी है।

गोआ में रयन ग्रेड की लुगदी बनाने वाले कारखाने की स्थापना

3182. श्री हिम्मत सिंहका : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में रेयन ग्रेड की लुगदी बनाने लाले 100 टन की क्षमता वाले एक कारखाने की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां.तो परियोजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समय प्रस्ताव की क्या स्थिति है और क्या सरकार ने इस का अनुमोदन कर दिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

उद्योगों को फिर से सक्रिय बनाने के लिए पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता

3183. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के उपद्रव ग्रस्त राज्यों में उद्योगों को फिर से सक्रिय बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार का विचार 10 करोड रुपये की विशेष वित्तीय सहायता देने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता में से राज्य में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को कितनी कितनी राशि मिलेगी ; और

(ग) इस राज्य में उद्योगों को फिर से सक्रिय बनाने के लिए और क्या कदम उठाये जा रहे है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). सरकार पश्चिम बंगाल राज्य में औद्योगिक स्थिति के बारे में काफी चिन्तित रही है । केवल इस राज्य को 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करने का कोई विशेष प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । इस राज्य में उद्योगों को सक्रिय बनाने के लिए राज्य वित्तीय निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सहायता देने सहित अन्य कई उपाय सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं । राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिये रियायती दर पर वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त कुछ पिछड़े जिलों का भी चुनाव किया जा रहा है जिनमें कारखाने लगाने वालों को 10 करोड़ रुपये की कुल राशि में से कुछ वित्तीय राज-सहायता भी दी जायेगी जो देश व्यापी आधार पर निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने के लिये रखी गई है । पश्चिम बंगाल राज्य में उद्योगों को सक्रिय रूप देने के लिए इन वित्तीय उपायों के अतिरिक्त उन्हें अधिक कच्चा माल देना और ब्याज आदि के भुगतान आदि के सम्बन्ध में सुविधाएं देना सम्मिलित है । इसके साथ साथ कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये भी

कार्यवाही की जा रही है। ऐसे उद्योगों में जिनमें अप्रयुक्त क्षमता है वस्तुओं के निर्माण में विविधता लाने से और कई वस्तुओं और मन्दी की स्थिति के बाद विभिन्न वस्तुओं के क्रयादेश जिनमें सरकारी उपक्रमों से प्राप्त क्रयादेश भी सम्मिलित है, पश्चिम बंगाल में स्थित बहुत से औद्योगिक कारखानों को देने से आशा है कि पश्चिम बंगाल में वर्तमान उद्योगों को एक नई गति मिलेगी।

विभिन्न मदों में विदेशी सहयोग

3184. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में उन 121 मदों की दृष्टान्त सूची जारी की है जिसके लिए विदेशी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है और विदेशी समवाय को पूंजी लगाने के लिये अनुमति दी जा सकती है ;

(ख) यदि हां, तो वह मुख्य सिद्धान्त क्या हैं जिनके आधार पर इन मदों का चयन किया गया है ; और

(ग) क्या इस सूची में उद्योग के अतिरिक्त मदों को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). सरकार ने ऐसी 121 वस्तुओं की एक विस्तृत सूची प्रकाशित की है जिनमें देश के वर्तमान आर्थिक ढांचे को देखते हुए पर्याप्त व्यवधान विद्यमान है और विदेशी सहयोग की गुन्जाइश है। इस सूची को तैयार करते समय सरकार ने उपलब्ध देशी तकनीकी जानकारी तथा कुछ जटिल वस्तुओं और तकनालोजी के नए क्षेत्रों में तकनालोजी के अभाव की आवश्यकता को ध्यान में रखा है।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार को इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री की फेडरेशन से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि यह सूची विस्तृत है अतः इस सूची में प्रकाशित उद्योगों के अलावा उद्योगों मे विदेशी सहयोग आवेदनों पर भी विचार करने को सरकार तैयार होगी। किन्तु यह प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर निर्भर करेगा और यदि यह किसी ऐसी वस्तु से सम्बन्धित न हो जिसके बारे में विदेशी सहयोग को विशेष रूप से मना कर दिया गया है।

मोहाली (चण्डीगढ़) में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना

3185. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में, चंडीगढ़ के निकट मोहाली ट्रैक्टर बनाने का कारखाना स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वहां बनने वाले ट्रैक्टरों का व्यौरा क्या है; और उस कारखाने की लाइसेन्स प्राप्त उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ग) क्या तकनीकी जानकारी और इसके सारे पुर्जे स्वदेशी होंगे और यदि हां, तो इसका डिजायन किस एजेंसी द्वारा तैयार किया गया था ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). चण्डीगढ़ के समीप मोहरमी में ट्रैक्टर का कारखाना स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेन्स के लिए सरकार के पास इस समय दो आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। इनमें से एक आवेदन पत्र पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम का है जो 20 और 30 अश्व शक्ति के स्वराज ट्रैक्टरों के उत्पादन के बारे में है तथा जिसकी कुल वार्षिक क्षमता 12,000 ट्रैक्टर होगी; और दूसरा आवेदन पत्र मैं० बाई फोर्ड प्राइवेट लि० नई दिल्ली ने प्रस्तुत किया है जो 20 और 35 अश्व शक्ति के "शिवौरा" ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए है, जिसकी कुल वार्षिक क्षमता 7000 ट्रैक्टर होगी।

(ग) मैं० बाई फोर्ड प्रा० लि० का प्रस्ताव जापान की एक फर्म के साथ सहयोग करने का है। "स्वराज्य" ट्रैक्टर जिसका कि उत्पादन पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जाना है, का नमूना तथा विकास केन्द्रीय यांत्रिक इन्जीनियरी अनुसन्धान संस्थान, दुर्गापुर ने किया है, ऐसी आशा है कि जब काफी मात्रा में ट्रैक्टरों का उत्पादन होने लगेगा तो सभी पुर्जे देश में ही बनाए जाएंगे।

मद्रास स्थित बेतार तथा तार घर (दक्षिण रेलवे) में सुविधाओं की व्यवस्था

3186. **श्री चित्तिबाबू :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में मद्रास स्थित बेतार तथा तार घर एन० जी० ओ० भवन के निर्माण पर कुल कितना व्यय हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि दोपहर को सभी बत्तियां बुझा दी जायें; तो वहां बिल्कुल अन्धेरा हो जाता है और इसलिये बेतार प्रचालकों तथा सिगनेलरों को 24 घन्टे बिजली की रोशनी में काम करना पड़ता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस भवन में पीने के पानी की सुविधायें जैसे कि पानी के कूलर, जलपान कमरा; डी० आई० जी० टी० आर० डब्ल्यू० टी० एस० आदि के लिए भंडार कक्ष और रोशनदान तथा गन्दी वायु के निकास तथा कुछ कर्मचारियों के लिए मेज तथा कुर्सियों की व्यवस्था नहीं है ;

(घ) क्या उक्त सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) 65,000 रुपये।

(ख) जी नहीं, लेकिन जैसाकि आमतौर पर सभी कार्यालय इमारतों में होता है, प्राकृतिक प्रकाश के साथ साथ बिजली बत्तियों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है।

(ग) इस इमारत में जल शीतल और भोजन कक्षों की व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि बगल की प्रशासनिक कार्यालय की इमारत में ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं और बेतार और तार कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी भी उनका उपयोग करते हैं। डी० आई० सी० ओ० एम० टी० और डब्ल्यू० टी० एस० के लिए अलग भंडार कक्ष आवश्यक नहीं समझे जाते क्योंकि बगल के परिसर में यहां सुविधाएं उपलब्ध हैं। खिड़कियों से हवा आदि की पर्याप्त व्यवस्था हो जाती है लेकिन एयर सर्कुलेटरों और अधिक पंखों की व्यवस्था करके और सुधार करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है फर्नीचर की जो व्यवस्था की गयी है वह रेलवे द्वारा निर्धारित वर्तमान मानक के अनुसार है।

(घ) और (ङ). सवाल नहीं उठता।

दक्षिण रेलवे में सूक्ष्म तरंग संचार पद्धति को आरम्भ करना

3187. **श्री चित्तिबाबू :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने जनवरी, 1970 के अपने पत्र संख्या ई० (एन० जी०) II/68 आर० ई० आई० 0/94 में यह बताया है कि सूक्ष्म तरंग संचार पद्धति को आरंभ करने से बेतार प्रचालक आवश्यकता से फालतू होने की कोई सम्भावना नहीं है और 8 जनवरी, 1970 के अपने पत्र संख्या पी० सी० 69/एस० पी० आई०/एस० टी० 6 में यह बताया है कि दक्षिण रेलवे में सूक्ष्म तरंग संचार पद्धति को आरम्भ करने में बेतार प्रचालक फालतू हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे परस्पर विरोधी बातों के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) रेलवे बोर्ड के 31–1–1970 के पत्र सं० ई (एन जी)2-68 आर० ई० 1/94 में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि माईक्रोवेव संचार व्यवस्था चालू करने से दक्षिण और कुछ अन्य रेलों पर वायरलेस आपरेटर फालतू नहीं हुए हैं। वायरलेस आपरेटरों के फालतू होने की सम्भावना नहीं है। माइक्रोवेव टेलीप्रिंटर सेवा में लगाये गये वायरलेस आपरेटरों को विशेष वेतन देने के सिलसिले में जारी किये गये 8–1–1970 के पत्र सं. पी० सी० 0-68 एस० पी० आई०/एस० टी०-6 में यही कहा गया था कि अब वायरलेस आपरेटर फालतू हुए हैं लेकिन उन्हें माइक्रोवेव में टेलीप्रिंटर आपरेटर के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

(ख) इसमें कोई असंगति नहीं है। माइक्रोवेव प्रणाली शुरु किये जाने के फलस्वरूप उच्च आवृत्ति वाले वेतार के तार सम्पर्कों के बन्द होने की सम्भावना को देखते हुये वायरलेस आपरेटरों को रेडियो टेलीप्रिंटर के काम में प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें दक्षिण रेलवे में माइक्रोवेव टेलीप्रिंटर सर्किटों पर नियुक्त किया गया। इसके परिणामस्वरूप दक्षिण रेलवे में कोई भी वायरलेस आपरेटर फालतू नहीं हुआ है, यद्यपि केवल वायरलेस के काम से वे अस्थायी रूप से फालतू हो गये हैं।

दक्षिण रेलवे के दूर मुद्रकों पर कार्य करने वाले बेतार प्रचालकों को विशेष वेतन

3188. श्री चित्तिबाबू : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 150–240 रुपये के वेतनमान में दूर मुद्रकों पर कार्य करने वाले प्रवर तार बाबुओं को विशेष वेतन दिया जाता हैं जबकि वे उच्चतर वेतनमान में है और वहां कार्य करते हैं जो 110–200 रुपये के भर्ती वेतनक्रम में दूर मुद्रक पर कार्य कर रहे तार बाबुओं (सिगनलों) द्वारा किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 210-380 रुपये के वेतनमान में कार्य करने वाले मुख्य टेलीफोन संचालकों को 10 प्रतिशत विशेष वेतन दिया जाता है जबकि वे उच्चतर वेतनक्रम में हैं और वे वहां कार्य करते हैं जो दक्षिण रेलवे में 110–180 रुपये के भर्ती वेतनमान में कार्य करने वाले टेलीफोन संचालकों द्वारा किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो दूर मुद्रकों पर कार्य करने वाले बेतार संचालकों को विशेष वेतन न देने के क्या कारण हैं जबकि भर्ती वेतनमान से उच्चतर वेतनक्रम में कार्य करने वाले अन्य अनेक कर्मचारियों को विशेष वेतन दिया जाता है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) तारबाबू को, चाहे वे 150–240 रु० या 110-200 रु० के अधिकृत वेतनमान में हों, जब टेलीप्रिंटर आपरेटर के काम पर लगाया जाता है, तो उन्हें अपने वेतनमान में वेतन के अलावा 15 रु० प्रतिमास विशेष वेतन मंजूर किया जाता है।

(ख) सभी क्षेत्रीय रेलों पर 210–380 रु० के अधिकृत वेतनमान में प्रधान टेलीफोन आपरेटरों को जिन्हें अन्य टेलीफोन आपरेटरों के काम का पर्यवेक्षण भी करना पड़ता है, 210-380 रु० के वेतनमान 320 रु० वेतन तक वेतन का 10 प्रतिशत विशेष वेतन मंजूर किया जाता है जिसमें 320 रु० से ऊपर लेकिन 352 रु० के नीचे उस सीमा तक उपान्त समंजन किया जाता है जितना कि वेतन 352 रु० से कम होता है। ऐसे कर्मचारियों को, जो 210-380 रु० के अधिकृत वेतनमान में उस सीमा से ऊपर वेतन लेते हैं, कोई विशेष वेतन नहीं दिया जाता।

(ग) दक्षिण रेलवे पर 150-300 रु० अधिकृत वेतनमान में वायरलेस आपरेटरों को सूक्ष्मतरंग टेलीप्रिंटर सेवा में लगाया जाता है और सामान्यतया बेवारी बारी से वायरलेस या टेलीप्रिंटिंग का काम करते हैं टेलीप्रिंटिंग पर काम करने वाले वायरलेस आपरेटरों को कोई विशेष वेतन नहीं दिया जाता जिसके कारण ये हैं :—

(1) सूक्ष्म तरंग लेटीप्रिंटर सेवा में काम की आवश्यकताएं 110–180 रू० के पदक्रम में टेलीप्रिंटर आपरेटरों की नियुक्ति से पूरी हो जाती है ;

(2) वायरलेस आपरेटरों पर लागू 150–300 रुपये का वेतनमान 110-200 रुपये के वेतनमान और 15 रुपये मासिक विशेष वेतन और टेलीप्रिंटर आपरेटरों के काम पर लगाये गये तार बाबुओं पर लागू 150–240 रुपये और 15 रुपये मासिक विशेष वेतन से अधिक हैं ; और

(3) दक्षिण रेलवे पर सूक्ष्मतरंग प्रणाली शुरू करने पर वायरलेस आपरेटर फालतू हो गये हैं लेकिन, फिर भी, उन्हें टेलीप्रिंटिंग काम में लगाया जाता है और 150–300 के उच्चतर वेतनमान में पूरा संरक्षण किया जाता है जिस का लाभ वे पहले उठा रहे थे।

सूक्ष्मतरंग (दक्षिण रेलवे) के बारे में बेतार प्रचालकों का प्रशिक्षण

3189. **श्री चित्तिबाबू :** क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे ने अप्रैल, 1968 से जनवरी, 1970 तक का लगभग 2 वर्षों की अवधि में सूक्ष्म तरंग तकनीक तथा टेलिप्रिंटिरों के संचालन के बारे में सभी बेतार प्रचालकों को प्रशिक्षण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रशिक्षण पर यात्रा भत्ते आदि के रूप में कुल कितना व्यय हुआ है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसे प्रशिक्षण के बाद बेतार प्रचालकों को टेलिप्रिंटिर के संचालन कार्य पर लगा दिया जाता है जिस के लिये टेलिप्रिंटिरों पर पहले ही काम कर रहे सिगनेलर इस कार्य के लिए निम्न वेतनमान में उपलब्ध हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) (क) से (घ) : सूचना इट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दक्षिण रेलवे के वायरलेस आपरेटरों को अर्जित छुट्टी दिया जाना

3190. **श्री चित्तिबाबू :** क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में कार्य करने वाले मद्रास के वायरलेस आपरेटरों को वर्ष 1967 में अर्जित छुट्टी (औसत वेतन पर छुट्टी) लेने की अनुमति नहीं दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों का उपयोग ठीक ढंग से नहीं किया गया है और उनसे नियमित पदों पर काम कराया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या जमा छुट्टियों का हिसाब लगाने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) सवाल नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 7755 दिनांक 28-4-1970 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

Correcting statement to the anwser to Unstarred Question No. 7755 dated 28-4-1970.

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : 28-4-1970 के अतारांकित प्रश्न सख्या 7755 के भाग (क), (ख) और (ग) का निम्नलिखित उत्तर दिया गया था :—

(क) जी, हां।

(ख) कृपया परिशिष्ट 'क' देखिये।

(ग) कृपया परिशिष्टत 'ख' देखिये।

उपर्युक्त उत्तर को निम्नलिखित रूप से ठीक कर लीजिए :—

परिशिष्ट'क'के पृष्ठ 2 पर क्रम संख्या 7 के अन्तर्गत यात्रा की तिथियां इस प्रकार पढ़िये :- 20-3-1969 से 24-3-1969.

Shri Shri Chandra Jha (Madhubani) : I want to raise a point of order under rule 225. I have given notice for privilege motion. It is written therein that-

> "The Speaker, if he gives consent under rule 222 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall after the question and before the list of business is entered upon, call the member concerned who shall rise in his place.........",

Mr. Speaker : I have received your notice and I am sending it. As soon as reply comes I shall see to it,

Shri Shiv Chandra Jha : Please allow me to rise it.

Mr. Speaker : I will allow you at the appropriate time.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

देश के अनेक भागों में सूखे की स्थिति।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : मैं खाद्य तथा कृषि मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

> "मैसूर, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, काश्मीर तथा देश के अन्य भागों में व्याप्त सूखे की स्थिति के समाचार"

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जैसा कि सदन को विदित है, सूखा सहित प्राकृतिक विपदाओं के लिये सहायता प्रदान करना राज्य का विषय है। तथापि, जहां कहीं भी आवश्यक होता है केन्द्रीय सहायता निर्धारित कार्य-विधि के अनुसार दी जाती है और राज्यों को दी गई सहायता के बारे में इस सदन को समय-समय पर

सदन के पटल पर रखे गए विवरणों के द्वारा सूचित किया जाता रहा था। पिछला विवरण 28 अप्रैल, 1970 को सभा के पटल पर रखा गया था। जैसा कि उस विवरण में उल्लेख किया गया था, 1969 में अपर्याप्त तथा/अथवा असामयिक वर्षा के कारण बिहार, गुजरात, मध्य-प्रदेश, मैसूर, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल में सूखे की स्थिति पैदा हो गई थी।

सूखे की स्थिति का मौके पर ही जायजा लेने तथा केन्द्रीय सहायता की सीमा की सिफारिश हेतु केन्द्रीय दलों ने 1970 में बिहार, गुजरात तथा राजस्थान का दौरा किया था; इसी वर्ष में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने पश्चिमी बंगाल तथा मध्य प्रदेश का भी दौरा किया था।

राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राहत कार्यों पर रोजगार सुलभ करने, वृद्ध एवं अपंगों को मुफ्त सहायता प्रदान करने, पशुओं के प्रवर्जन तथा उनके लिये चारे की व्यवस्था करने, पेयजल सप्लाई करने तथा कृषकों को ऋण सुलभ करने जैसे आवश्यक राहत उपाय किए गए हैं।

राज्य सरकारों से प्राप्त अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार अब तक चालू मानसून मौसम के दौरान अच्छी वर्षा होने के कारण स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। गुजरात तथा मध्य प्रदेश में पर्याप्त वर्षा हुई है। राजस्थान, जो लगातार कई वर्षों से सूखे की लपेट में रहा है, में दूर दूर तक वर्षा हुई है। इससे राज्य सरकार को 16-8-1970 से राहत कार्य बन्द करने में मदद मिली है। तथापि, पश्चिमी राजस्थान के कुछ भाग बीच बीच में सूखे की लहर तथा रेतीले तूफानों से प्रभावित हुए हैं जिस से गतिरोध उत्पन्न हो गया था। राज्य सरकार स्थिति को आवश्यकताओं के प्रति पूर्णतः जागरूक है और केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को, यदि आवश्यक हुआ तो कृषकों की सहायता हेतु कृषि कार्यों को पुनः शुरु करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया था। पश्चिम बंगाल में भी मानसून के पहुंचने से स्थिति में सुधार हुआ है और केवल कुछेक जिलों में ही बड़े पैमाने पर सहायता कार्य जारी रखने की आवश्यकता है। जहां तक आंध्र प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर का सम्बन्ध है, वहां के कुछ भागों में अपर्याप्त वर्षा हुई बताई जाती है लेकिन बाद में दूर दूर तक वर्षा हुई जिसका स्थिति पर लाभदायक प्रभाव पड़ने की आशा है। मैसूर के भागों में असामान्य वर्षा तथा बीच बीच में सूखे की लहर से आगामी खरीफ की फसलों की सम्भावनाओं पर प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां कहीं भी आवश्यक हो वहां राहत कार्य खोले जाएं।

माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि स्थिति काफी नियंत्रण में है और इस बारे में चिन्तित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। खाद्यान्नों की उपलब्धता सम्बन्धी स्थिति संतोषजनक है। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि दोनों केन्द्र तथा राज्य सरकारें स्थिति पर निगरानी जारी रखेंगी और जहां कहीं भी आवश्यक होगा पर्याप्त तथा समय पर सहायता प्रदान करेंगी।

श्री क० लकप्पा : माननीय मन्त्री का वक्तव्य न तो उत्साहवर्धक है और न ही प्रभावशाली है। इसमें विभिन्न राज्यों में विद्यमान सूखे की स्थिति के बारे में ठीक आंकड़े भी नहीं दिए गए हैं। उन्होंने सूखे की स्थिति पर गत अनेक वर्षों से नियंत्रण नहीं किया है। प्रत्येक सत्र में सूखे की स्थिति पर चर्चा की जाती है।

माननीय मन्त्री ने अपने वक्तव्य में विभिन्न राज्यों के बारे में ठीक आंकड़े नहीं दिये है। मैसूर में लगभग प्रत्येक वर्ष सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लोग अनाज की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद के हाल के सर्वेक्षण में बताया गया है कि 19 में से 14 जिले सूखे से प्रभावित हैं और कभी कभी तो वर्षा 7 50 मिलिमीटर से भी कम होती है। कई क्षेत्रों में तो कभी कभी बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र तथा मैसूर में प्रायः सूखे की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। मैसूर राज्य में सूखे की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। केवल कोलार में 867 गांवों पर सूखे का प्रभाव पड़ा है और इस प्रकार तुमकुर में 1408 गांव सूखाग्रस्त हैं। चितरादुर्गा में 572 गांव सूखाग्रस्त है। इसी प्रकार मन्दपा में 1110 गांव सूखे का शिकार हुए हैं। माननीय मंत्री ने वक्तव्य देते समय इन सभी बातों को ध्यान में नहीं रखा है। मैसूर राज्य की उपेक्षा की गई है। मुझे एक तार प्रपत हुआ है जिस में बताया गया है कि वहां पर सूखे की स्थिति बहुत गम्भीर है तथा चिन्ताजनक है। परन्तु माननीय मन्त्री ने इस बारे में अपने वक्तव्य में स्पष्टरूप से कुछ नहीं बताया है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि राज्य में असामान्य वर्षा हुई है। क्या भारत सरकार ने मैसूर राज्य सहित देश के विभिन्न भागों को सूखे से मुक्ति दिलाने के लिए स्थायी रूप से कोई उपाय किये हैं ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? क्या यह सच है कि सरकार मैसूर राज्य के प्रति अपने कर्त्तव्य में असफल रही है क्यों कि वहां सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया गया है ? इन बातों को देखते हुए क्या सरकार मौके पर स्थिति का अनुमान लगाने के लिये वहां पर कोई विशेषज्ञ समिति भेजेगी और कोई उपचारात्मक कार्यवाही करेगी ?

वक्तव्य के अनुसार एक विशेषज्ञ समिति भेजी गई थी। परन्तु इस समिति ने केवल बिहार, गुजरात और राजस्थान का ही दौरा किया था। परन्तु मैसूर राज्य द्वारा अनुरोध किये जाने के बावजूद वहां पर कोई विशेषज्ञ समिति नहीं भेजी गई है। क्या इससे राज्य के प्रति केन्द्रीय सरकार के सौतेली मां के व्यवहार का पता नहीं लगता और क्या ऐसा केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के बीच राजनैतिक मतभेद होने के कारण नहीं हैं? यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह राज्य के हितों को जो कि सूखाग्रस्त है रक्षा करे ? सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : अप्रैल 1970 में सभा के समक्ष एक विस्तृत प्रतिवेदन रखा गया था। इस के पश्चात मैसूर राज्य में वर्षा हुई है परन्तु वह अपर्याप्त तथा असामान्य है। इससे 11 जिलों की फसलों पर प्रभाव पड़ा है और हासन, बीजापुर तथा तुमकुर जिलों में स्थिति कुछ गम्भीर है। राज्य सरकार ने हमें सूचित किया है कि उसने सहायता कार्यों के लिए एक करोड़ रुपये दिये हैं और इनमें लगभग 40,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। पीने का पानी सप्लाई करने के लिए भी प्रबन्ध किये गये हैं। बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए इन तीन जिलों में 1 सितम्बर 1970 से आपात कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा जिसमें लगभग 3 लाख लोग लाभ उठा सकेंगे। राज्य सरकार स्थिति के प्रति जागरूक है और उसने उचित उपाय कर स्थिति को नियन्त्रणाधीन रखा हुआ है। राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर ही उसको वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री क० लकप्पा : क्या मैसूर राज्य सरकार ने तुरन्त सहायता के लिये कोई अनुरोध किया है अथवा नहीं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न स्थिति में सहायता देने हेतु प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा कुछ धनराशि व्यय की जाती है। यदि व्यय अत्यधिक सीमा में अधिक किया जाता है तो केन्द्रीय सरकार उसका 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में तथा 25 प्रतिशत ऋण के रूप में देती है। इस उद्देश्य हेतु केन्द्रीय सरकार के अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए जाते है। चालू वर्ष के लिए स्थिति का जायजा लिया जायेगा और उसके आधार पर मैसूर राज्य को सहायता दी जायेगी। जहां तक ऐसे क्षेत्रों की सहायता का सम्बन्ध है जहां निरन्तररूप से सूखा पड़ता है हमने वर्तमान योजना में 100 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। इस के लिए 40 जिलों को चुना गया है। 23 जिलों के बारे में हमने निर्णय कर लिया है और शेष के बारे में शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा। इन 23 जिलों में से 2 जिले अर्थात चिन्तलादुर्ग तथा बीजापुर मैसूर राज्य में हैं।

श्री क० लकप्पा : तुमकुर में भी निरन्तर सूखा पड़ता रहता है। उन्होंने केवल दो जिलों को चुना है और इस जिले के साथ भेदभाव किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसको रिकार्ड में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री क० लकप्पा : **

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैंने पहले ही बताया है कि मैसूर राज्य में अब तक दो जिलों अथात चिन्तलदुर्ग और बीजापुर को चुना गया है। समूचे देश से 17 और जिलों को अभी चुना जाना है। इस के लिए समूचे देश से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। इन 17 जिलों का चयन कुछ सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर किया जायेगा।

राज्य सरकार से सहायता के लिए अभी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर एक विशेषज्ञ दल को स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां पर भेजा जायेगा।

श्री क० लकप्पा : क्या माननीय मंत्री तुरन्त स्थिति का जायजा लेने के लिए तुरन्त किसी दल को वहां पर भेजेंगे!

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : अनुरोध प्राप्त होने पर ही दल को वहां पर भेजा जायेगा।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : It appears as this stathment was prepared some months back. Latest information in regard to the drought has not been furnished in the statement I would like to know from the hon. Minister the effect of the drought on the crops? Secondly we have been receiving reports that drinking water is not available in many areas espicially in Jammu and Kashmir and Rajasthan. May I know the areas where security of drinking mater has arisen due to drought and the steps taken by Government to remove it ?. Is it also feared that same people will die of starvation in drought effected areas. May I know whether some sort of experiment has been carried out to artificial rain such areas. I wouid also iike to know the names of the state which have sought help from the central Government in this regard. I would also like to know

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recorded.

the steps taken by Government to in regard to the two irrigation schemes supposed to have been sent by Government of Bihar for clearance ? May I also know whether Gavernment is prepared to amend the famine code ?.

Last time several allegations were levelled against the Sukhadia Government for misusing the money given to them to relief measures by the central Government May I know whether an enquiry has been held in the metter or not. If so, the results thereof.

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : अकाल संहिता में संशोधन करने का मामला राज्य सरकार के ऐकाधिकार के अन्तर्गत आता है। अधिकांश राज्य सरकारों ने अकाल संहिता को नवीनतम बनाने का प्रयास किया है। यदि किसी राज्य में अकाल संहिता में कोई परिवर्तन वांछनीय है और माननीय सदस्य यदि इस बारे में मेरा ध्यान आकर्षित कराते हैं तो उस मामले की ओर सम्बन्धित राज्य सरकार का ध्यान दिलाऊंगा।

राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बारे में समय समय पर ऐसे आरोप लगाये जाते रहे हैं कि वहां पर कुछ लोगों की भुखमरी से मृत्यु हुई है। सम्बन्धित राज्य सरकारों का ध्यान इन आरोपों की ओर आकर्षित कराया गया था। जांच करने पर यह बात सिद्ध नहीं हो सकी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु भुखमरी से हुई है। यदि माननीय सदस्य तार की एक प्रति मुझे दे दें तो मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा। अप्रेल में जो वक्तव्य सभापटल पर रखा गया था उसमें विस्तृत जानकारी दी गई थी। उसके बाद वर्षा आरम्भ हो गई थी परन्तु जुलाई में फिर कुछ समय सूखा पड़ा है। अगस्त में बिहार दक्षिण भागों तथा मैसूर के कुछ भागों को छोड़कर पुनः समूचे देश में वर्षा हुई है। अतः चार वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष अधिक वर्षा हुई है। इस बर्ष किसी राज्य सरकार ने हम से अभी तक सहायता नहीं मांगी है। सहायता सम्बन्धी अनुरोध प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जायेगा।

लाल किले पर ध्वजारोहण समारोह के बारे में

RE. FLAG HOSTING CEREMONY AT RED FORT

श्री रा० को० अमीन (ढंढका) : 15 अगस्त को झण्डा फहराने में प्रधानमंत्री से एक भयानक गलती हुई है। इस बार झण्डा प्रधान मंत्री द्वारा नहीं बल्कि वायुसेना के एक अधिकारी द्वारा फहराया गया है। प्रधान मंत्री को सभा में खेद प्रकट करना चाहिए।

श्री रंगा (श्रीमाकुलम) : प्रधान मंत्री को झण्डा फहराने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार राष्ट्रपति का है। दस वर्ष पूर्व मैंने इसका विरोध किया था और तब से मैं इस समारोह का बहिष्कार कर रहा हूं।

श्री रा० को० अमीन : वित्त विधेयक के पुरः स्थापन में गलती होने पर हम सब को रात्रि के दस बजे बुलाया गया था। क्या इसी प्रकार यह समारोह भी पुनः किया जायेगा ?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : It is very serious matter. It is strange that this news has neither been repudiated nor any action has been taken to remove the dissatisfaction amongst the people even after the appearance of this news in the newspaper. If it is true that Prime Minister reached there little late,the Government should have expressed there regret.

The Minister of Defence (Shri Jagjiwan Ram) : The Prime minister reached at the sortium at twenty nine and a half minute past seven of the clock.

The instructions to the commanding officer were that he should salute after half minute. of reaching the Prime Minister at the sortium. Some how the affair who was standing behind on seeing that flag has not been unfurled, in nervousness unfurled the flag. The Prime minister then tied the rope of the flag I have not tried to cenceal any thihg.

श्री रा० की० अमीन : क्या आप यह समारोह पुन: करने जा रहे हैं ?

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : 15 अगस्त को जबकि लाल किले पर झंडा फहराया जा रहा था उसी समय देश के कुछ भागों में भारत के साम्यवादी दल तथा साम्यवादी मार्क्सवादी दल द्वारा झण्डा जलाया जा रहा था। इस सभा को इन सभी लोगों की निन्दा करनी चाहिए।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा नियम, 1970, जो दिनांक 10 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1037 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग (अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम, 1970, जो दिनांक 2 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1122 में प्रकाशित हुये थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3986/70**]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत लागत लेखापरीक्षा (अर्हता) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

जी० एस० आर० 1048 में प्रकाशित हुये थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3987/70]

(3) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत भारतीय पर्यटन विकास निगम विलय आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 28 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1199 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3988/70]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1968–69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1968–69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3989/70]

श्री अ० डांगे, संसद सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में

RE. ARREST OF SHRI S. A. DANGE, MP.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैंने पहले ही आपको लखीमपुर–खेरी के सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट के विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव भेजा है। श्री डांगे सीतापुर जेल में बन्द हैं। उनकी 71 वर्ष की आयु है और वह अस्वस्थ हैं। उन्हें वहां आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य दें.... (व्यवधान)....**

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया।
Expunged as ordered by the Chair.

अध्यक्ष महोदय : यह एक राज्य में हुआ है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, I rise on a point of order. Is it proper to use the word *for a chief Minister ?

Dr. Ram Subhag Singh (Buxer) : This remark is totally uncalled for...... (Interruption).

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : क्या एक राज्य के मुख्य मंत्री के बारे में ऐसे शब्द कहना उचित है ।

अध्यथ महोदय : यदि ऐसे कहा गया है तो यह रिकार्ड में नहीं जायेगा ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Sir, a question was raised here that why Government of India issued a certificate of identity to Shri B. P. Koirala for going to Europe? I had said that India has done a right thing by doing so, but the 'Indian Nation' has reported wrongly saying that I opposed this act of Government. It is wrong. I had stated that Government has done a right thing.......

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Sir, I support the point raised by Shri Banarjee. It is correct that a dictatorship has been established in U. P. and Shri Charan Singh said that punctive detention law has been enforced on the instance of Shrimati Indira Gandhi. The former M. L. As and M. Ps are not being treated properly in jails there. We have received letters in this regard.

Mr. Speaker : I will consider the matter so far as the members of the house are concerned. In regard to state I can not do any thing.

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Spoaker, Sir, if proper facilities are not provided to members while they are in detention, it may be discussed here, but how can it be tolerated that smuglling of arms takes place through Nepal and those arms are passed on to communist party of India for or revolution here ?

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देनी है कि राज्य सभा ने 5 अगस्त, 1970 को हुई अपनी बैठक में भारतीय औषधि केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1970 पास कर दिया है ।

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में भारत औषधि केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1970, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

Expunged as ordered by the Chair.

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

सत्तावनवें प्रतिवेदन में सम्मिलित सिफारिशों के उत्तरों का विवरण

श्री एम० बी० राना (भडौंच) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 57वें प्रतिवेदन के अध्याय–5 में सम्मिलित सिफारिशों के उत्तरों का एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं जिन्हें प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा समय पर नहीं भेजा गया था।

सदस्य की रिहाई
RELEASE OF MEMBERS

अध्यक्ष महोदय : (एक) मुझे सभा को, जेल अधीक्षक, मोतीहारी, से प्राप्त दिनांक 17 अगस्त, 1970 के एक तार की सूचना देनी है जिसमें बताया गया है कि लोक सभा के सदस्य श्री कमला मिश्र 'मधुकर' को 17 अगस्त, 1970 को हिरासत से रिहा किया गया।

(दो) सभा को, पुलिस उप-अधीक्षक, प्रोडातूर, से प्राप्त दिनांक 17 अगस्त, 1970 के एक बेतार संदेश की सूचना देनी है जिसमें बताया गया है कि लोक सभा के सदस्य, श्री वाई० ईश्वर रेड्डी को, जिन्हें प्रोडातूर तालूक में नीलापुरम् के समीप अरक्षित बन की बंजर भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से नीलापुरम् गांव से 41 व्यक्तियों के एक जत्थे का नेतृत्व करने के कारण 16 अगस्त, 1970 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन गिरफ्तार किया गया था, ज्े० एस० सी० एम० प्रोडातूर, के समक्ष पेश किया गया और आवश्यक प्रतिभू देने के बाद जमानत पर रिहा किया गया।

मंत्री द्वारा वक्तव्य
STATEMENT BY THE MINISTER

The Minister of Industrial Development and Internal Trade (Shri Dinesh Singh). Mr. Speaker, Sir,

As the House is aware, Government decided last year to set up a public sector unit for the manufacture of scooters and appointed a high-powered group of technical experts to see if it was possible to work out a suitable indigenous design and programme of production. The Committee of Technical Experts has since submitted its report and Government have examined it. While the Committee has recommended that the establishment of a scooter project in the public sector with an initial capacity of 100,000 scooters per year on double shift, with a built-in provision for expansion, would be economically feasible, they have stated that no indigenously developed design of a scooter is readily available. According to the Committee, the development of a new design of a scooter starting from the drawing board would take about 4 to 5 years and there-after the project planning and implementation might take a further period of three years. They

have also pointed out that, to set up a successful project for manufacture of scooters to cater to both the domestic and international markets, it is necessary that the model selected should be competitive with the best designs of the world.

2. There is already a large pent-up demand for scooters in the country and it is growing every day. There are also good prospects for exports. It will, therefore, not be desirable to wait many years for a completely indigenous design to be developed for meeting this large and growing demand.

3. Government have accordingly decided to take up in the proposed public sector project a scooter model of a proven foreign design so that production can be established with a little delay as possible.

4. Steps are being taken to select a suitable model on this basis and establish manufacture of scooters in the public sector as speedily as possible.

अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक
ADVOCATES (SECOND AMENDMENT) BILL

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को, जो राज्य सभा द्वारा 16 दिसम्बर, 1968 को पास किया गया था तथा 18 फरवरी, 1969 को इस सभा के पटल पर रखा गया था, वापस लेने के लिये इस सभा द्वारा अनुमति दिये जाने से राज्य सभा सहमत हो।"

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, I rise on a point of order. This bill has been passed by Rajya Sabha. After its reference to Lok Sabha, it was sent to a select committee. The committee held its sittings and took evidence. After all this now this bill is sought to be withdrawn. I can not underetand it.So much public money has been spent. Who is responsible for all this ?

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : I feel that the hon. Member is aware of the full facts. It was felt in select committee that the bill in its present from is not complete particularly in regard to the office of President of the Bar council. Thus this bill needs changes. It was decided that Government will bring forward on comperehensive bill incorporating the necessary changes. It is due to this that it is sought to be withdrawn now.

Mr. Speaker : Very often it happens like that, If they want to bring this bill again. The reasons should be given

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : It has been stated that during the course of evidénce some things came to notice. I want to know whether these modifications can not be brought by Government in the from of amendments.

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : मुझे प्रसन्नता है कि नये सिरे से एक विधेयक लाया जायेगा। सरकार को अब सभी सुझावों को नये विधेयक में स्थान देना चाहिये। इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये।

श्री जगन्नाथ राव : इस में विधि मन्त्रालय का कोई दोष नहीं है। यह विधेयक दिसम्बर 1968 में राज्य सभा में पारित हुआ था। फिर यहां से प्रवर समिति को भेजा गया। इस विधेयक में अनेक संशोधन सुझाये गये जो नियमों के अन्तर्गत इस विधेयक से सन्बन्धित नहीं थे।

मेरे से पहले के मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि एक व्यापक विधेयक लाया जायेगा। मार्च 1970 में एक समिति कानूनी सहायता और इस कार्य के लिये एक निधि बनाने के लिये गठित की गई थी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक नया और व्यापक विधेयक लाने का निर्णय किया गया है। मैं उस विधेयक को इसी सत्र के दौरान प्रस्तुत कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

> "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को, जो राज्य सभा द्वारा 16 दिसम्बर, 1968 को पास किया गया था तथा 18 फरवरी, 1969 को इस सभा के पटल पर रखा गया था, वापस लेने के लिये इस सभा द्वारा अनुमति दिये जाने से राज्य सभा सहमत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर चार मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई)।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at four minutes past fourteen of the clock.

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए}
{Mr. Deputy Speaker in the Chair}

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने दुर्गापुर के श्रमिकों को प्रबन्धकों द्वारा दी गई चेतावनी के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसे स्वीकार नहीं किया गया। क्या आप मंत्री महोदय से उस बारे में वक्तव्य देने को कहेंगे कि वे चेतावनी पर दृढ़ रहेंगे अथवा मिल-बैठ कर समस्या का कोई समाधान निकालेंगे ?

Shri Shasi Bhushan (Khargone) : The menace of Dacoits in Madhya Pradesh is on the increase. Recently they kidnaeppd 15 children. They possess modern arms as

are not available with the police. A minimum of 1000 dacoits are there in the state.

Shri Randhir Singh (Rohatak) : Hon. Home minister may please make a statement. This is some thing very serious. Govt. should take serious note of it. The menace has to be met.

Shri Yashwant Singh Kushawah (Bhind) : The problem is not having attention either of central Govt. or of state Government. The discussions may please be allowed on the subject.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I gave notice against Indian Nation but it was not allowed and I was told that the edition has been addressed in the matter.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपका अभिप्राय नियम 225 से है तो मामला यहां उठाने से पहले अध्यक्ष की अनुमति लेनी चाहिए।

श्री शिव चन्द्र झा : पहले भी ऐसे मामले सभा के सम्मुख आए और सदस्यों को अपनी बात कहने के अवसर दिये गये। मेरे मामले में ही पत्र के सम्पादक को लिखा गया है। मुझे तथ्य सभा के सम्मुख रखने की अनुमति मिलनी चाहिए थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सम्पादक से उत्तर मिलने के पश्चात् मामला सभा में रखा जा सकेगा।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : American Drug companies are selling drugs to India and Pakistan at $1\frac{1}{2}$ to 5 thousand percent higher prices. Please ask the hon. Minister to give a statement on the subject.

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय इसकी विधिवत सूचना दे।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I want to draw the attention of the Hon. Minister to the notice of one days token strike on the 20th given by the workers of Bokaro steel plant. The hon. Minister may intervence and try to avert the proposed strike.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त तथा अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव-जारी

MOTION RE. REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AND COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY CONTD.

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishaber) : It is pity that a satisfactory solution to the problems of Harijans could not be found even after twenty-three years of independence. In the constructive works carried on by Gandhiji uplift of Harijans had a significant place. Every problem, whether of Harijans, Hindu Muslim unity, prohibition of National language came before us in a grave manner.

Harijans will be given appropriate representations in Parliament and Assemblies but thier interests are not protected in economic and social spheres. Concrete steps ought to be taken in the matter.

The British Government used to ignore these classes in the matter of recruitment to services who had revolted against them. Harijans are still being ignored in that sphere too. The namings of various regiments should not continue to be on the basis of different classes.

There are various classes among the Harijans which are not mentioned in our religious books. It is necessary that research may be carried on to remove the misunderstandings.

Our research scholars should also investigate where from the word "Bhangi" was taken. An elaborate research should be undertaken based on scientific aspect and litrative at Government level to find out law various castes came into being.

In the past the rulers had a say in the determination of castes but today they have no powers to give ruling in the matter. Research should also be made for the organisation of caste system in an appropriate manner.

There are certain families who possess wealth, land and are educated. They are suitably engaged in business or services. But on the other hand there are families who do not possess either of these Our Government should seriously consider the situation and find out remedies so that every body may be engaged in some profession. It is a pity that a poor man who wants to live a honest life does not get any work to do. He can not get justice at the hands of the police or courts as he is not in a position to engage an advocate.

The economic condition of 'Mushar' people is deteriorating day after day. They do not haveany houses to live in. They put up small huts under the shadow of a tree one day and have to shift to some other places the next day. Their pitiable condition is beyond description. These people have not been included in the list of sheduled castes or scheduled tribes. Their grievences should be looked into.

Plans have been prepared both by the Government and by the political parties for the distribution of land to the landless. Harijans not posessing their own homes may be given lands to build their houses. Arrangements may also be made for grazing of their cattle. If these people are given lands for houses and for cultivation of vegetables together with some profession, it will solve most of their problems.

I hope that vigerous efforts would be made urgently at all levels to end discriminations among various castes. Harijans should be given opportuniteis to serve in the armed forces.

Shri N.E. Moro (Khumti) : The member of scheduled castes and scheduled tribes belong to the original inhabitants of India. When the Aryans came in India, they had to encounter with these people with the passage of time. Their condition deteriorated. Those people who accepted the severeignty of Aryans were called Harijans and those who did not comply with this situation shifted to mountains and forests etc. and were called Adivasis

Their conditions did not change till now. The Congress party has been indifferent to the upliftment of Adivasis and Harijans. Though many recommendations to this effect has been made but even then their conditions are worst. It seems that the Government have no sympathy with these people because no implementation of those recommedations has been made. I can quote an example. The economy of Harijans and Adivasis is based mainly on land Not only the money lender and other big people, but even the Government had taken away their lands. The Government is committed to recover those lands which have been transferred illegally to Harijans and Adivasis but even then they take away their lands without giving any compensation. Generally the Government acquire lands of those persons who are regarded weak and poor, for setting up industries or projects etc. But no compensation is given to them. The Government provides money and housing facilities to the refugees coming from East and West Pakistan But no attention is given to these people who have been uprooted due to setting up industries etc.

The Government has sent many officers to other countriee for studying the rehabiliation work. I have personally seen how the Government of West Germany rehabilitated regugees from East Germany I want to know from the Government what they have done for the tribals and non tribals people uprooted due to the setting up Heavy Enigneering Plant in Ramhi. They were promised to be compensated by lands but money was given to them in lieu thereof. The Government knows that the people are connected with no other professions but agriculture. As such it was the duty of the Government to give them training for some trades. The Government is answerable to this. The Government should declare through a law that unless full arrangements of land, housing, education etc. is made, the land will not be taken for any projects under public secotor private sector. The Government have not been honest in this cause.

I warn the Government that the situation in the tribal areas is very explosive. Have the Government ever tried to know the real cause of land grab movement ?. All these things are happening because the Government have not been true to their responsibility.

During the President rule in Bihar. a law was enacted to recover those lands which have been illigally transferred to the tribal people. May I know what the Government have done to settle such cases. We do not want to resort to agitation. The Government may do it peacefully. The tribal people know that progress of the country can not take place in the absence of peace. So we urge the Government to bring radical changes for their progress and honestly implement the recommendations. In this way socialism can down on India and democracy will be saved. To day the congress party is losing power in many states and instability has come in it. If you go deep in this aspect then you will find that the people of lower class is trying to come up. You may like it or not but these people will come into power, one day.

There are many good recommendations made in this report. I want that these should be implemented in the right earnest. But neither the State Government nor the centre is giving any attention in this direction. The Governor has got some power in the constitution but no Governor takes care to look after the tribal people. you can see the report. It is blank. An Hon Member has pointed out that the report on Linguistice Minorities say that education should be imparted in mother tongue. Our tribal people have their own languages But nothing has been done in this direction. Actually the whole machinery is totally unsympathetic towards this class. They do not help Government in implementing their programme for the welfare of the tribal people. You will have to think over it. Otherwise violance and revolt will prevail. The congress party talks of the

upliftment of tribal and Harijans. I would like to ask them whether they would be prepared to give the post of Prime Minister to Harijans. Probably they will not be able to do so.

Our leaders talk of apartheid in south Africa but they have set up a seprate colony of Harijans in my constituancy. As such the people of the area want a separate state namely Jharakhand state. Unless a separate state for them comes into existence, the people of that area can not progress. For the last 22 years we have been feeling that neither the state Government nor the centre has any sympathy with us. A kind of exploitation is going on I want to know what is the justification of creating small states on linguistic and other basis. I want to point out that the area is explosive. The People are agitated. Unless Jharkhand state comes into existance, the people of that area cannnot progress. Does it look good to India that they condemn the aparthied policy of south Africa but adopting the policy of discrimination towards their own people.

I would like to urge the Government to look into it and complete the work. You should know that they contribute 90 percent of our population. It is our duty to uplift them. If no heed is given to them then all these violent demonstrations and land grab movement will go on. The Government should do some positive work in this regard.

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों की समस्या बहुत बड़ी है परन्तु मैं मुख्यतः दो बातों—शिक्षा और भूमि की समस्या के बारे में अपने विचार रखूंगा। शिक्षा तथा भूमि की समस्या के कारण ये बेचारे व्यक्ति अपने आपको असमर्थ पाते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि शिक्षा के मामले में उनके लिये कुछ नहीं किया गया है। आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि समूचे देश में सामान्य प्रगति की तुलना में इनकी प्रगति के लिए विकास कार्य नगण्य हैं। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र तथा राज्य स्तर पर इनके लिए भेदभाव बरता गया है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने इस कार्य को ईमानदारी से नहीं किया।

सामान्य स्कूलों तथा सुविधाओं से भी इन गरीब व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं मिलता। यह मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में देखा है। वहां रहने वाले हरिजनों को पूरा भोजन उपलब्ध नहीं होता है। इसी कारण वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। जब तक उनको भोजन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा तब तक वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पायेंगे। देश में पंच–वर्षीय योजनाओं के बावजूद भी इन बेचारे व्यक्तियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप उनको दिन का भोजन उपलब्ध कराइये। यही एक ऐसा आकर्षण है जिससे वे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकेंगे। वे अपने बच्चों को इसलिए घर पर ही रखना चाहते हैं क्योंकि वे उनके काम में हाथ बंटाते हैं। यदि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो उससे उनके आय के साधन में कमी होगी। अतएव आप उन्हें पहले भोजन उपलब्ध कराइये। एक स्कूल चलाने और उनको अपने बच्चे वहां भेजने को कहने से कोई लाभ नहीं होगा। प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि कुछ राज्य दिन का भोजन देते हैं। यह भी कहा गया है कि तमिलनाडु में प्रति भोजन के लिए केवल 6 पैसे और केरल में 5 पैसे स्वीकृति दी हुई है। 5 पैसे या 6 पैसे का भोजन देना एक असम्भव बात है। इसका तात्पर्य यह है कि उनके साथ ईमानदारी नहीं बरती जा रही है। यदि हम कहें कि हम उन्हें 5 पैसे या 6 पैसे प्रति भोजन देते है तो सारा विश्व हम पर हंसेगा परन्तु यह वास्तविकता है। मेरा सुझाव यह है कि

दिन के भोजन के अलावा इन बच्चों को वस्त्र भी दिए जाएं। वस्त्र के अभाव में वे स्कूल कैसे जा सकते हैं ? इसके अलावा उन्हें पुस्तकें, लेखन सामग्री, स्लेट आदि दी जायें। केवल तभी हम कह सकते हैं कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। परन्तु क्या सरकार ने गत 23 वर्षों में उनके लिए कुछ किया है ?

आश्रम स्कूलों की स्थापना एक अच्छी योजना है। परन्तु समूचे भारत में आदिम जाति क्षेत्रों में कितने आश्रम स्कूल है ? इन आश्रमों के बिना जंगलों में दूरवर्ती क्षेत्रों के बच्चों को स्कूलों में लाना असम्भव है। यह सही है कि जंगलों में तीन या चार मकानों का एक गांव बनता है और हम इनके लिए हर जगह स्कूलों का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं। अतएव इनको आश्रम का स्कूल बना कर उन्हें वहां रखा जा सकता है तथा भोजन और शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें दी जा सकती हैं। आश्रम स्कूल का विचार बड़ा ही सुन्दर है परन्तु दुर्भाग्यवश इन आश्रम स्कूलों को बड़े पैमाने पर नहीं चलाया गया है। मेरा यह सुझाव है कि जहां तक आदिम जाति क्षेत्रों का सम्बन्ध है वहां आश्रम स्कूल होने चाहिए।

ऐसे भी कई दूरवर्ती और छोटे गांव है जहां हरिजन रहते है। उन गांवों के बच्चों की भलाई के लिए हमें रिहायशी स्कूल खोलने चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि इन छात्रावासों में उनके बच्चों को रखा जाये तथा भोजन व शिक्षा आदि की व्यवस्था की जाये। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं लाया जा सकता। मैं यह केवल अनु-सूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए ही नहीं कह रहा हूं अपितु यह उनके लिए भी है जो गरीब हैं।

सरकार का दृष्टिकोण इस ओर ठीक नहीं रहा है। केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय स्कूल इसलिए आरम्भ किये हैं ताकि वे राज्य सरकारों और स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए एक आदर्श बन सकें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के नवीनतम प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि देश के 118 केन्द्रीय स्कूलों में हरिजन बच्चों की स्थिति ठीक नहीं है वहां उनकी बुरी तरह से उपेक्षा की गई है। यह भारत सरकार पर एक कलंक है।

आप महिलाओं के लिए शिक्षा की समस्या को ही लीजिए। सरकार दावा करती है कि वह इसमें विशेष रूचि लेती है क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। जब एक लड़की को शिक्षा दी जाती है तो उसके माता बनने पर वह चाहेगी कि उसके बच्चे भी शिक्षित बनें। भावी माता को सर्वप्रथम शिक्षित बनाना चाहिए। इस कारण से सरकार राज्य सरकारों को अनुदान देती है जो कि छात्रावास के निर्माण के लिए होते हैं। परन्तु इन छात्रावासों का क्या हो रहा है ? आयुक्त के नवीनतम प्रतिवेदन में इनका शोचनीय चित्र प्रस्तुत किया गया है। सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह यह पता लगाये कि राज्यों में प्राप्त अनुदान को किस प्रकार व्यय किया है और क्या छात्रावास बनाये गये हैं या नहीं? यदि राज्य सरकार इस बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित नहीं करती है तो केन्द्रीय सरकार को आगामी वर्ष के लिए अनुदान नहीं देना चाहिए, यह एक छल है जो कि भारत सरकार की निधि के साथ किया जा रहा है। इस बात को सहन नहीं किया जाना चाहिए।

मैंने इन बच्चों की शिक्षा में सुधार तथा उसके विस्तार करने के बारे मे कुछ सुझाव दिये हैं। सबसे पहले आप बच्चों को स्कूल लाइये और फिर शिक्षा में सुधार करिये। इसके लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज देश में शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं को इसलिए सुलझाया नहीं जा सका है क्योंकि सरकार इस पर नहीं के बराबर धन व्यय करती है। शिक्षा के बजट को यदि आप देखेंगे तो यह पायेंगे कि कुल 3,500 करोड़ रुपयों में से लगभग 100 करोड़ रुपये का प्रावधान शिक्षा के लिए रखा गया है। परन्तु इस 100 करोड़ रुपयों में से केवल लगभग 25 करोड़ रुपया शिक्षा विशेष पर व्यय किया है और शेष धन संग्रहालयों, पुरातत्वीय विभागों, मानचित्र बनाने आदि पर व्यय किया जाता है। अतएव भारत सरकार वस्तुत: शिक्षा पर नगण्य धन राशि व्यय करती है। हमारे संविधान के निदेशक सिद्धान्त में यह कहा गया है कि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह संविधान के लागू होने के 15 वर्ष के भीतर प्रत्येक बच्चे को शिक्षित बनाये। परन्तु आज इसका क्या परिणाम है ? मैंने यह अनुमान लगाया है कि स्कूल जाने वाले बच्चों में से 25 प्रतिशत सड़कों पर भटक रहे हैं। यदि इसके लिए किसी को दोष दिया जाये तो वह केन्द्रीय सरकार है क्योंकि वह शिक्षा पर कुछ भी धन व्यय नहीं करती है। भारत सरकार को इस पर धन व्यय करना चाहिए।

मैं जानता हूँ कि यह सब क्यों हो रहा है। यह उस नीति के कारण है जो हमें ब्रिटिश सरकार से विरासत में मिली। ब्रिटिश सरकार शिक्षा में कोई रूचि नहीं लेती थी अतएव उसने इसका भार राज्य सरकारों पर डाल दिया जिसके पास धन की कमी थी। हम अभी तक उसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं। आज राज्यों के पास प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के लिए पर्याप्त धन नहीं है। यदि आप इसको राज्य सरकारों पर छोड़ेंगे तो विशेषकर प्राथमिक शिक्षा की समस्या कभी न सुलझ सकेगी। अतएव मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह कुल व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत राज्य सरकारों को सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए दें, तभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के बच्चो को शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी।

मैं भूमि समस्या के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। आज हम उन लोगों और दलों को दोष दे रहे हैं जो कि भूमि छीनो आन्दोलन में भाग ले रहें हैं। परन्तु गरीब जनता कब तक प्रतीक्षा करेगी। यह वचन दिया गया था कि इन गरीब व्यक्तियों को भूमि दी जायेगी परन्तु क्या ऐसा किया गया ? भूमि हीनों को कोई भूमि नहीं दी गई तो निश्चय ही वे आन्दोलन का सहारा लेंगे। जब भी कोई भूमि दी जाती है तो वह ऐसी होती है जिस पर कुछ नहीं उगाया जा सकता है तथा वह बंजर भूमि होती है। उस पर कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। अतएव मैं यह सुझाव दूंगा कि उनको उपजाऊ भूमि दी जाये।

मैं मैसूर के समुद्रतटीय क्षेत्र से आया हूं। मैंने अपने जिले में देखा है कि वहां नारियल के बड़ी संख्या में बगीचे हैं तथा उसमें हरिजनों की झोंपड़ियां हैं जो कि शताब्दियों से वहां रहते आये हैं परन्तु वह भूमि उनकी नहीं हैं। वे जमींदारों की है। मेरा सुझाव यह है कि वह भूमि उन हरिजनों में वितरित कर दी जाये।

यह एक दुःख की बात है कि सरकार इस बात पर गर्व महसूस करती है कि वह भूमि का वितरण कर रही है,परन्तु इन गरीब लोगों को हजारों वर्ष बेकार पड़ी भूमि दी जाती है। उनको उपजाऊ भूमि दी जानी चाहिए।

मकान के स्थानों की भी एक समस्या है, गरीब व्यक्तियों को मकान देने की बात अलग है, उनको तो इसके लिए स्थान भी नहीं दिया जाता है। मैंने मैसूर के समुद्र तटीय इलाकों में अपनी आंखों से देखा है कि हरिजनों की झोपड़ियां जमींदारों की भूमि में है जिसके कारण उन्हें उनका गुलाम बन कर रहना पड़ता है। अस्पृश्यता पर इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि इन वर्षों में केवल 6 प्रतिशत लोगों को मकानों के लिए स्थान मिले हैं। यदि इसकी यही गति है तो सभी हरिजनों को मकानों का स्थान देने में एक शताब्दि लग जायेगी।

इस देश के कई राज्यों में कृषक दासता अथवा बन्धक श्रमिक की प्रथा चल रही है जो कि एक लज्जा की बात है। बंधक श्रमिक की प्रथा के अनुसार जब तक किसान साहूकार अथवा जमींदार से लिया हुआ ऋण नहीं चुकाता है तब तक वह उसके अन्तर्गत कार्य करता है। यह प्रथा व्यापक है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को कठोर कदम उठाने चाहिए।

{श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए}
{Shri Shri Chand Goyal *in the Chair*}

उनको यह देखना चाहिए कि यह श्रमिक दासता शीघ्र ही समाप्त हो।

ढेबर आयोग ने आदिम जाति के लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए सिफारिशें की थी परन्तु उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रतिवेदन में यह तथ्य बताया गया है। आदिम जाति के लोग अपनी भूमि से हाथ धो रहे हैं। ढेबर आयोग ने इस बारे में ठोस सिफारिशें की थी परन्तु उस पर कुछ नहीं किया गया।

मैंने जो कुछ कहा है उसका सार यह है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें इन लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए रूचि नहीं दिखा रही हैं। यदि भारत सरकार इस बारे में गंभीर है तो उसे इस पर और अधिक धन व्यय करना चाहिए। आयोग तथा समितियों को नियुक्त करने और वक्तव्य देने का कोई लाभ नहीं है।

संविधान में यह विशेष व्यवस्था की हुई है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को प्रतिवर्ष इस बारे में प्रतिवेदन सम्बन्धित मंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना चाहिए। परन्तु गत तीन वर्षों से संसद में इस प्रतिबेदन पर कोई चर्चा नहीं हुई। यह बात सरकार की उपेक्षा पूर्ण नीति की ओर इंगित करती है। मैं इस विषय पर और अधिक नहीं कहूंगा। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकारों को यह परिपत्र जारी करे कि यदि वे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा तथा अन्य सुविधाओं पर जितना अधिक व्यय करेंगे, उसका एक भाग केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। यह एक ऐसा प्रलोभन है जिससे राज्य सरकारें उन पर अधिक धन व्यय करेंगी।

Shri T. Ram (Araria) : Mr. Chairman Sir, volumnious reports are presented in respect of welfare of tribals, harijans and small farmers, but the recommendations made therein are not implemented. I would like to know whether any attenton is paid to the suggestions given or the views expressed by the members during discussion on these reports. Various schemes for welfare of these people prepared during last 22 years but the conditions of these peoples did not improve. Harijans are being treated as football by

the high caste people. For me the land grab movement is a movement to make the land free from the possession of caste Hindues.

We are socially and economically free only if we are educationally forward so, more educational facilities should be given to us. I would like to mention one thing that the amount of scholarships of the students of the scheduled castes and the scheduled tribes remained as it was, though pay and allowances, pensions and remunerations have been increased several times. In view of the high cost of living the amount of these scholarships should be increased. More hostel facilities should be given to Harijan students. Other caste students should be asked to live with Harijan students in the hostels so that the inferiority complex among Harijan students may be removed. Adequate reservations should be provided to Harijans in all the fields including legislatures executives and services. Their interests should also be safeguarded in matter of promotions and confirmations. It is also reported in some cases that Harijan employees are not regularly paid their salaries. Similarly scholarship to Harijan students is paid yearly or half yearly basis with the result that the purpose of scholarship is forfeited. Government should see that the Harijan employees and students are paid regularly i. e. on monthly basis.

I do not oppose as to why the land is being provided to the refugees who are coming from East Pakistan. But I plead that the land should be given to landless people including adivasis, who have been living in India since their birth. We are all aware of the land problem in our country. If the land problem is not legally and peacefully solved, there will be a blood revolution in the country in near future.

Till now the problem of the scheduled castes and the scheduled tribes is being treated as the problem of scheduled caste and tribal people only. Unless this problem is treated as a national problem, it can not be solved. Only discussion on this report will not do. The recommendations contained therein should be implemented.

Shri Ram Swarup Vidyarthi (Karol Bagh) : Mr. Chairman, Sir, prior to the commencement of the discussion on a report in the house 'action taken report' regarding previous reports is also laid on the table of the house. Since the Government have not followed the procedure, these reports should not have been discussed. Besides the report of Elaya Perumal committe has been attached with the other reports of the commissioner. It has been done with the intention that the report should not come before the house and the hon. Members could not hold the discussion on it.

Although there has been discussion for thirteen hours on this subject not even a single Government's representative has come in the house to clarify the points. Evidently the Government do not want the upliftment of Harijans and the scheduled tribes. Whenever any information is sought by the commissioner for scheduled castes and scheduled tribes, the Social Welfare minister has been unable to provide the data. I want to quote the report of Elaya perumal committee which says.

"It is noteworthy that even though many central Government departments furnished us information called for, there was no reply from the socail welfare Department which is in charge of the welfare of scheduled castes." If such is a position what more we can expect from the Government.

In the 18th report of scheduled castes committee, it has been mentioned that the scheduled caste employees would be confirmed after three years service and their seniority would be counted from the date of confirmation. But Ministeries did not comply with the recommendations of the committee.

Same is the case with the dereservation of services. In the report a case has been mentioned where on a reserved post, a candidate belonging to another community was appointed and approval was not sought from the Home Ministry in regard to the dereservation. When commissioner for scheduled castes and scheduled Tribes took up the matter with the Home Ministry, they replied that since seven years have already passed, it is not possible to remove the other person from service and appoint a scheduled caste candidate there.

In 1955, the Home Ministry issued a circular regarding some rules in connection with the scheduled castes and scheduled tribe and it was stated that if these rules are ignored, Head of the Departments would be held responsible for this. May I know against how many officers action was taken for not complying with the rules ? If no action was taken, do the Government feel that these personels are fulfilling their duties honestly ?

Whenever there is recruitment, posts are filled with candidates belonging to other commnnties on the ground that suitable&scheduled caste candidates are not available. But according to the Home Ministry's memorandum dated 13th March 1968 the appointing authorities while making a reference for dereservation of reserved posts to the ministry of home affairs, have to give full details in support of the proposals for the dereservation such as number of reserved vacancies, the qualifications, the experience etc. prescribed for the post, the number of candidates called for interview/test, where this was necessary, the efforts made to get suitable candidates from scheduled caste/scheduled tribes, the precise reasons for non-selection of scheduled caste/tribes candidates. But it is a matter of regret that neither the social welfare ministry nor the Home Ministry paid any heed to the memorandum. In fact, the Government is not interested in the upliftment of Harijans.

A commissioner for scheduled castes/Scheduled tribes has been appointed to protect the rights of scheduled castes/scheduled tribes but his status is very low. When commissioner asks any department for giving any reason for the termination of services of a scheduled caste employee, he is replied that he should come personally to discuss the matter when such a lower status has been given to him, how he will be able to impress others ?

So I request that his status should be equal to that of the election commissioner or the Auditor General. Generaally any retired Government employee is appointed as commissioner. As a result he can not criticise the Government openly,I would request that selection should be made from the public so that he may express his views fearlessly.

In 1964, a seminar was held under the auspices of Planning commission in which it was mentioned that a central executive authority fully qualified with power to nominate candidates against reserved vacancies should be established. In addition to services this authority should be in general charge of proper implementation of the entire programme.

At that time late Shri Jawahar Lal Nehru wrote to all the chief Ministers of the states to take personal interest in seeing that complete action follow on these recommendations. Six years have passed but nothing has been done in this connection. In fact, Government do not want the upliftment of Harijans. On the other side Jansangh Administration has taken bold steps in providing land to landless people in Delhi. Before the Administration came in power, the percentage of scheduled castes/tribes candidates was not more than three and a half prcent in class 3 services but now the percentage is much more and the credit goes to the Administration. Government should stop the step motherly treatment being meted out to the scheduled castes/scheduld tribes.

During survey operation it was found that Rehabilitation Ministry had constructed Colonies where there is no population. Now, if the Government constructs triple storeyed or multi storeyed buildings where people are living, this problem can be solved. But Government are not prepared to make amendment in the Master plan.

The percentage of minimum qualifying marks for admission in colleges has been increased. This has created many problems for the scheduled castes/scheduled tribes students. The reserved quota is not filled up on the plea that they do not fulfil the requirement of marks, In such cases I would request that a merit list should be prepared of such students and the top students should be given admission.

I would like to make one mare point and that is if Government really want the up liftment of Harijans the office of commissioner for scheduled castes and scheduled tribes may be attached to the cabinet secretariat and the hon. Prime Minister should be the incharge of the department.

श्री कृ० मा० कौशिक (चांदा) : मैं इस बात से सहमत हूं कि आज़ादी मिले बीस वर्ष बीत जाने के बाद भी अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। मेरे विचार में अनुसूचित जातियों की अपेक्षा जन जातियो की हालत और भी खराब है और उनके सुधार की बहुत आवश्यकता है अनुसूचित जातियों के लोगों में फिर भी कुछ न कुछ जागृति आयी है। परन्तु जन जातियों के लोगों में अभी भी वही पिछड़ापन व्याप्त है। इनका कोई व्यक्ति उच्च पद पर नियुक्ति नहीं पा सका है।

सरकार की ओर से जो रियायतें दी गई हैं, अनुसूचित जातियों के लोगों ने उनका पूरा लाभ उठाया है परन्तु जन जातियों के लोगों ने ऐसा नहीं किया है। सरकार को इस पहलू पर विचार करके न्यायोचित निर्णय करना चाहिये।

1952 में अनुसूचित जातियों और जन जातियों के प्रथम सम्मेलन में भाषण करते हुए प्रधान मन्त्री नेहरू ने कहा था कि जनजाति क्षेत्रों में संचार व्यवस्था तथा सड़कों को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिये। 1967–68 में आम चुनाव के बाद सभी राज्यों के समाज कल्याण मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ था। श्री अशोक मेहता ने उसकी अध्यक्षता की थी। जन–जातियों के क्षेत्रों के प्रतितिधि की हैसियत से मैं भी उस सम्मेलन में आमन्त्रित था। मुझे चूंकि चुनाव के दिनों में अपने क्षेत्र, जो कि एक प्रमुख जनजाति क्षेत्र है, में घूमने का अनुभव था, मैंने वहां की स्थिति का ब्यौरा दिया था। उन क्षेत्रों में सड़कें नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां कोई सुधार नहीं हुआ है। श्री अशोक मेहता ने मुझे आश्वासन दिया था कि वह इन क्षेत्रों के लिये 25 लाख रुपया तुरन्त मन्जूर करेंगे और 25 लाख रुपया बाद में दिलायेंगे। वास्तव में उन्होंने एक करोड़ रुपया मन्जूर भी किया था परन्तु बाद में इस निर्णय में परिवर्तन कर दिया गया। यह सरकार अब इस रुपये को अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल में ला रही है। सरकार मंत्रियों की सुख सुविधा पर पानी की तरह रुपया बहा रही है और अत्यावश्यक मदों के लिये रुपया नहीं दिया जा रहा है।

सरकार धन का बहुत अधिक अपव्यय कर रही है। बड़े बड़े अधिकारियों की संख्या बढ़ायी जा रही है। उनके पास चाहे काम हो या न हो। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं

कि जो राशि मंजूर की गई थी उसे वापस क्यों ले लिया गया है। मेरा उनसे अनुरोध है कि यह राशि पुन: मंजूर की जाये।

जन जातियों के किसानों के पास भूमि नहीं है। वह अच्छे कारीगर नहीं है। उनमें बहुत अधिक पिछड़ापन है। वह जंगलों में रहते रहे हैं। उनमें अधिकांश ने रेलगाड़ी देखी तक नहीं है।

जहां तक उनका सेवाओं में आने का प्रश्न है, उनमें बहुत अधिक निरक्षरता होने के कारण वे उनके लिये आरक्षित स्थानों पर भी नियुक्त नहीं हो सकते। अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन से इस बात की पुष्टि होती है। उनमें शिक्षा है ही नहीं। अत: उन्हें कृषि पर ही निर्भर करना पड़ता है। सरकार को उन्हें भूमि देनी चाहिये। सरकार की गलत नीति का यह परिणाम है कि आज भूमिहीन लोग भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। मेरा दल इस आन्दोलन का समर्थन नहीं करता।

महाराष्ट्र राज्य में बीड़ी के पत्तों के उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। इससे निर्धन लोगों की पहले वाली कम आय और भी कम हो गई है। सरकार को इन लोगों की सहायतार्थ कुछ करना चाहिये।

जनजाति के लोग केवल अपनी भाषा ही समझते हैं। उन्हें उनकी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिये। ऐसे अध्यापकों की व्यवस्था की जाये जो उनकी भाषा जानते हों। राजगोंड जाति के लोगों की जाति को 1950 के अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदेश की सूची से निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह करना गलत होगा। यदि आप स्वयं जाकर देखें तो पायेंगे कि यह लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। उनके रीति रिवाज पहले की भांति चले आ रहे हैं। वे जंगलों में रहते हैं। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि उनको जो रियायतें मिली हुई हैं, वह उन्हें दी जाती रहें। राजगोंड और मारियागोंड जाति के लोग मेरे क्षेत्र तथा बस्तर जिले में है। अब तर्क यह दिया जा रहा है कि इन जातियों के कुछ लोग जमींदार हैं और एक अथवा दो भूतपूर्व नरेश हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि इन जातियों के सभी लोग उन्नत हैं। मैं उनकी वास्तविक स्थिति जानता हूं। उन्हें आरक्षण आदि की सुविधाएं मिलती रहनी चाहिये।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के नाम से भी हमारी सेना में एक रेजिमेंट बनायी जानी चाहिये। वे लोग बहुत निर्भिक और बहादुर हैं। इससे भी उन्हें सभ्य बनाने में सहायता मिलेगी। मैं आशा करता हूं मन्त्री महोदय इन सुझाओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

Shrimati Minimate Agamdas Guru (Janjjir). The problems of Harijans and Tribals are being discussed here. Their problems are very intricate It is a fact that there is some improvement in their lot, but much remains to be done. The untouchability (Abolition) Act should be amended and it should be made more stringent. Our country can not make progress until these people are brought at par socially and economically with other communities.

The untouchability should be abolished first of all. We see reports in newspapers every now and then that Harijans are being done to death and are being harassed. Go-

vernment should take stern action to curb these targic happenings. The Central Government should not treat this as a mere law and order subject. It should take steps to stop the recurrence of these things.

The amount of scholarships of students should be increased. The amount of Rs. 6/- is very small amount. It should be increased keeping in view the rise in expenses on education.

The number of scholarships for scheduled castes and scheduled tribes students should also be increased. Another difficulty experienced by students is that they are not paid full amount of their scholorships. This should be checked and they may be paid full amount.

In regard to the working of office commissioner, I want to say that it is a very big organisation. The officers of this office go on tour in different states. They submit their reports to the Government. The recommendations made in those reports are not implemented by Government. This should be looked into.

I know that the amount for the welfare of backward classes has been increased progressively during these plans. Inspite of all this the condition of Harijans and tribals has not improved. Government should work for the welfare of these people in a missionary spirit. I do not like this tip sympathy being shown to Harijans. If Government is sincere in its profession, it should take concrete steps to end untouchability.

During this discussion on reports, Government spokesmen and others make speeches showing concern for the Harijans. It is not enough. There should be parctical action for their amelioration.

I want to warn here that Harijans will not tolerate any unhuman treatment. Their patience has exhausted. We find christians becoming popular among these castes what is the reason for that ?. The christians missioneries show real sympathy to them. The Hindus will have to change their attitude. I have toured my area. There is drought for the last four years. The people in large numbers are facing great difficulty. I have seen that christian missionaries are running relief camps at four places. The poor people are embracing christianity due to poverty. Christian missionarjes are providing them other facilities. Government should pay attention to these matters. The Harijan departments should be under the charge of Chief Ministers and it should be under the Prime Minister in the centre. Hostels have not been provided in the districts. Students belonging to all communites should be lodged in those hostels. I would like hostels for girls to be opened. Some private institutions are running hostels, but their working needs much improvement.

The land grab movement has been started in certain parts of the country. I do not know as to how this can be successful ?. It is not going to be helpful to the landless or Harijans in any way.

If land is given to the landless, then, I can say, this movement is good. Government should bring about land reforms. The land ceilings have not been fixed in many states. I am not against this movement, but it should be ensured that land will be given to the landless and Harijans.

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : I find that those persons, who have no knowledge or experience of difficulties, plead for the steps being taken to improve the lot of Harijans. These persons themselves live in palatial buildings,

The caste system had been established long back. It is strange that a person who cleanses is untouchable and a person who spreads filth is a high caste person. This caste system should be for the benefit of mankind and not for discriminating between man and man. The castes should be based on the principle of division of labour.

There should not be any high or low caste people in society. All should be equal. The division of labour should be made on the basis of one's merit and ability.

These maladies came into our societies during the mediaval period. Swami Dayananda had suggested a solution. He said that the wrong things that have been done duri g medieval period should be un done. How can you call a leader like Dr. Ambedkar a Harijan. The caste distinctions should be done away with. The main criterion should be ability and merit.

We should stop thinking of Harijans as a seperate class. There should be joint hostels etc. for all. We had enough of talking. Now we should take concerete steps for the uplift of Harijans.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Mr. Ghairman, Sir, Government should realise that they allotted only 20 hours for this debate. I have been seeing these reports since I came to Parliament. I have seen these reports too There is not even a single report in which something has not been said against the Government. Government do not pay attention to what is said against them in these reports. Government did nothing to ameliorate the condition of scheduled castes and scheduled tribes.

I agree with my hon. friend who said that nothing substantial can be gained by begging. Harijans will also gain nothing if they beg. There is a feeling among the Harijans that they do not have the same status in the society as the other castes have. The creation of such a feeling among them is the greatest sin committed by those who are responsible for it. Such a feeling should be removed from the minds of these people. The moment the Harijans realised that the country can not exist without them, their condition will be improved. They will come out of the vicious circle in which they are forced to lie. If circumstances will not allow them to rise, they will resort to blood revolution. I would like to warn the Government that there will be a revolution in the country very soon. Harijans are backward in all the spheres social, political, educational and economic. How long will they continue to bear this injustice ?.

As regards the central Government, I want to say that they are not doing as much as they can for uplift of Harijans. Reservations in services are made by one hand and they are taken away by another. People of other castes are being appointed on the posts reserved for scheduled castes and scheduled tribes. If Government is sincere in doing justice to Harijans all catering on the Railways should be given in the hands of Harijans. only Harijans shouldbe employed for giving drinking water to the people on railway stations This should be done in the case of other public undertakings. Central Government should see that Harijans are taken in Border Police-Industrial security police andRailway protection force, because these forces are under the control of central Government.

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता के बारे में चर्चा

DISCUSSION REGARDING INTERIM RELIEF TO CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES.

सभापति महोदय : अब सभा में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दिये जाने के प्रश्न पर चर्चा की जायेगी ।

श्री ए० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है क्योंकि अन्तरिम राहत के भुगतान में असाधारण विलम्ब किया जा रहा है। 19 सितम्बर 1968 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की जो हड़ताल हुई थी, उससे ही उसमें व्याप्त असंतोष का पता चलता था। उसमे लगभग साढे सात लाख कर्मचारियों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय श्रम आयोग की भी एक सिफारिश ऐसी ही थी। इन्ही के परिणामस्वरूप सरकार को वेतन आयोग की नियुक्ति करनी पड़ी। उक्त नियुक्ति की घोषणा के समय ही सर्व श्री नाथपाई, नम्बियार एस. एम. जोशी और म, ला. सोंधी ने अन्तरिम राहत के प्रश्न को उठाया था। सरकार ने उस प्रश्न को भी वेतन आयोग को सौंपने का आश्वासन दिया, हालांकि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और सरकार स्वयं ही इस बारे में निर्णय कर सकती थी। मैं माननीय मंत्री श्री शुक्ल से यह अनुरोध करता हूं कि वह सभा में अन्तरिम राहत के बारे में अभी घोषणा करें या वेतन आयोग से कहें कि अन्तरिम राहत सम्बन्धी अपना प्रतिवेदन वह उसी महीने में दे दे।

श्री अटलबिहारी बाजपेयी द्वारा 5 अगस्त 1970 को प्रस्तुत किये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में वित्त मन्त्री श्री यशवन्तराव चहवाण ने यह स्वीकार किया है कि कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है और उस वृद्धि का प्रभाव मुख्य रूप से वेतन भोगी लोगों पर पड़ा है। अतः अन्तरिम राहत न देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत शीघ्र ही दी जानी चाहिए।

सामान्यतः यह कहा जाता है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अधिक वेतन मिलता है और उनकी स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। किन्तु आंकड़े के आधार पर यह बात सिद्ध नहीं होती। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी को न्यूनतम वेतन 141 रुपये मिलता है जबकि जीवन बीमा निगम में 202 रुपये, रिजर्व बैंक में 208 रुपये, हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन में 200 रुपये, हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड में 185 रुपये, ग्लेक्सो लेबोरेटरीज में 328 रुपये और बर्माशैल तथा एस्सो जैसी तेल कम्पनियों में 271 रुपये हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सभी संगठनों ने यह मांग की है कि केन्द्रीय सरकार के 350 रुपये तक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों को 70 रुपये की अन्तरिम राहत दी जाये और शेष कर्मचारियों को वेतन का 20 प्रतिशत अन्तरिम सहायता के रूप मे दिया जाये और यह उन्हें 1 फरवरी 1969 से दिया जाये। सरकार समाजवाद की बात करती है किन्तु मूल्य स्थिर करने में वह बुरी तरह विफल हुई है। सरकार के कर्मचारियों ने सरकार के प्रत्येक प्रगतिशील निर्णय का स्वागत और समर्थन किया है किन्तु सरकार ने उनके लिए क्या किया। उन्हें अन्तरिम सहायता भी सरकार नहीं दे रही है, सरकारी कर्मचारियों को 70 रुपये की अन्तरिम सहायता देने की बात तर्क संगत है। उसे असगत नहीं कहा जा सकता।

दिल्ली में 1957 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार ही आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन की मांग की गई हैं। किन्तु दूसरे वेतन आयोग ने उस मांग पर विचार भी नहीं किया था। मुझे प्रसन्नता है कि तीसरे वेतन आयोग के निर्देश-पदों में यह मांग भी सम्मिलित कर ली गई है। अन्तरिम सहायता का प्रश्न भी वेतन आयोग को सौंप दिया गया

है । किन्तु हमें यह पता चला है कि अन्तरिम सहायता के भुगतान में विलम्ब होगा । मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि सरकार अन्तरिम सहायता के बारे में घोषणा करने में असमर्थ है तो वह वेतन आयोग से तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन शीघ्र देने के लिए कहें और उन्हें अन्तरिम सहायता उसी महीने दे दी जाये, अन्यथा पूरे देश में उसके लिए आन्दोलन शुरू हो जायेगा । श्रमिकों या कर्मचारियों को हम ऐसा करने से अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : यद्यपि गजेन्द्र गडकर आयोग ने महंगाई भत्ते की दर कम निश्चित की थी, फिर भी इस सन्दर्भ में उसकी कुछ सिफारिशों को उद्धृत करना उचित होगा । पहले उसकी इस सिफारिश पर ध्यान दिया जाये "चाहे मूल्यों में वृद्धि न हो, परन्तु इस श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-मानों में वृद्धि के प्रश्न पर प्रत्येक दो वर्ष के बाद विचार किया जायेगा ।" इससे आगे यह कहा गया है । "जिन सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में वेतन आयोग की नियुक्ति या अन्य प्रकार से वृद्धि की जाने वाली है, उन्हें सरकार द्वारा उचित अन्तरिम सहायता दी जानी चाहिये । गजेन्द्र गडकर आयोग ने यह सिफारिश भी की थी कि यदि 12 महीनों की अवधि में सूचकांक 245 से अधिक बढ़ जाता है तो कर्मचारियों के सभी वेतन-मानों में वृद्धि के लिए विचार किया जाये । किन्तु सरकार ने उन्हें मिठाई की गोलियां देकर ही बहका दिया ।

अन्तरिम सहायता की मांग की औचित्यता तो इस बात से ही सिद्ध हो जाती है कि मूल्यों में वृद्धि हुई है । गजेन्द्र गाड़कर आयोग की सिफारिशों के अनुसार तो वेतन-मानों की वृद्धि के प्रश्न पर हर दो वर्ष बाद विचार होना चाहिए, चाहे मूल्य-वृद्धि न भी हो । अब चूंकि सरकार ने वेतन आयोग की नियुक्ति कर दी है, इसलिए उसे अन्तरिम सहायता की बात भी मान लेनी चाहिए, क्योंकि मूल्यों में वृद्धि हुई है ।

कर्मचारी हर बार यह मांग करते रहे हैं कि वेतन आयोग में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए । उनकी यह मांग उचित भी है । यदि समस्या का सही समाधान खोजना है तो कर्मचारियों का प्रतिनिधि भी वेतन आयोग में होना चाहिए । परन्तु सरकार ने अभी तक उनकी यह मांग स्वीकार नहीं की । सरकार को कर्मचारियों के वेतन आयोग में प्रतिनिधित्व की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए और फिर वेतन आयोग के प्रतिवेदन को प्रचार के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए । मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बहुत अधिक वेतन दिया जाये परन्तु मैं यह अवश्य चाहती हूँ कि उनके वेतन ढांचे को युक्तियुक्त बनाया जाये ।

सरकार ने संयुक्त व्यवस्था में निर्वाह मजूरी की बात को स्वीकार किया है । पन्द्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन मे मजदूरों ने आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी के बारे में एक प्रस्ताव पास किया था । और सरकार ने सिद्धान्तरूप में इसको स्वीकार कर लिया था । इसके बावजूद भी सरकार ने आवश्यकता पर आधारित मजूरी देने के बारे में स्पष्ट रूप से कोई आश्वासन नहीं दिया है । सरकार को एक आदर्श मालिक के रूप में कार्य करना चाहिए । यदि सरकार अपनी ही कसौटी पर पालन नहीं करती तो उसे बने रहने का तथा यह कहने का कि इसके पास एक से अधिक कर्मचारी है, कोई अधिकार नहीं है ।

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की मजूरी में 5 से 22 प्रतिशत तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की मजूरी में 16 से 84 प्रतिशत कमी हुई है। पहले तथा दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को तथा सरकार द्वारा दी गई वृद्धि को यदि देखा जाय तो यह स्पष्ट रूप से पता लगता है कि वेतन में सात और दस, पन्द्रह और चौदह, चौबीस और अठाईस तक कटौती हुई है।

सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दिये जाने का पूरा औचित्य है। स्वयं सरकार भी इसके लिए वचन बद्ध है। विरोधी दलों द्वारा सरकार को इसके लिए बाध्य भी किया जा सकता है क्योंकि सत्तारूढ़ दल के 218 अथवा 220 सदस्य ही इस सभा में हों। बहुमत विरोधी दलों का है। यदि सभी विरोधी दल मिलकर दबाव डालें तो सरकार को कर्मचारियों की मांग मानने पर बाध्य किया जा सकता है। इस बात का सम्बन्ध विभिन्न दलों के राजनैतिक विचारों से नहीं है। अतः इस बारे में मुझे विरोधी दलों से शिकायत है। हमें अपनी स्थिति का लाभ उठाकर सरकारी कर्मचारियों को अन्तरीम सहायता दिलानी चाहिये।

श्री शशि भूषण (खारगोन) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) - मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : इन दोनों सहयोगियों को आपस में लड़कर सरकारी कर्मचारियों के हित को हानि नहीं पहूँचानी चाहिए।

Shri Shasi Bhushan : The Government propose to announce the interim relief very soon.

श्री स. मो. बनर्जी : मैं माननीय सदस्य को याद दिला दूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर श्री अटल बिहारी बाजपेयी के प्रस्ताव पर हम सब ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दिये जाने के पक्ष में मत दिये थे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मेरी शिकायत यह है कि हम अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : I thank you for giving me an opportunity to speak on this matter. Shrimati Tarkeshwari Sinha was once deupty Finance Minister and she did nothing for the central Government employees. And she is raising here and cry for them.

I thank shri Banerjee to raising this discussion. All the hon, members of this house are in favour of granting some interim relief to the central Government employees. But it is not time to say that only opposition parties are representing the employees. We are not only presenting the demands of the employees but we are also doing some thing for them. We have also sympathy for them. Several changes have been incorporated in the labour laws. The employees and workers can not resort to strike and agitations wheras in 1947 they were not allowed to speak even a single word in support of their demands.

I congratulate the Prime Minister and, Shri Chawan to acceding to the demands of the Non-Gazetted officers of Himachal Pradesh.I would request the hon. Minister to bring at per the Central Government employees in Himachal Pradesh with their counter parts in so far as C. C. A, is concerned.

I hope the Central Government will soon announce the interim relief for his employees and thereby they will depireve other people from taking under advantage from this situation.

I will also appeal to the Central Government employees not to be misled by the people who want to take undue advantage from the present situation. I will also warn the political parties not to play with the feelings of the Government employees and make a political capital out of it. I would also request the Government to accede to the demand of interim relief.

श्री लोबो प्रभु (उदीदी) : मैं समझता हूं कि अन्य सदस्यों की अपेक्षा सरकारी कर्मचारियों से मुझे अधिक सहानुभूति है क्योंकि मैं स्वयं सरकारी कर्मचारी रह चुका हूँ, मैं यह चाहता हूं कि कर्मचारियों को जो सहायता दी जाये वह भ्रामक न हो। जो सहायता उनको दी जाए वह वास्तविक होनी चाहिये। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही सहायता की घोषणा होती है वैसे ही बाजार में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। यदि महंगाई भत्ता दिये जाने के साथ उत्पादन में वृद्धि नहीं होती तो इसका अर्थ केवल आपको एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुँचाना है। क्या सरकार ऐसा करना चाहती है ?

माननीय मन्त्री यह तर्क दे सकते हैं कि मूल्यों में दस प्रतिशत वृद्धि नहीं हुई है। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि मूल्य-सूचिकांक की गणना का ढंग ठीक नहीं है। सरकार ने देश में पूंजी निर्माण के वातावरण को नष्ट कर दिया है और इसलिए उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। सरकार करों में लगातार वृद्धि करती जा रही है। बजट के पश्चात मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। अतः करों में वृद्धि नहीं की जानी चाहिये। अतः इसी प्रकार मूल्यों को भी बढ़ने से रोका जाना चाहिये। यदि करों को न बढ़ाया जाये तो मेरे विचार में मूल्यों में भी वृद्धि नहीं होगी क्योंकि करों को मूल्यों में जोड़ दिया जाता है। परन्तु सरकार को मूल्यों के मामले में इस प्रकार से भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये जिस प्रकार उसने औषधियों के मूल्यों के बारे में किया है। नियन्त्रण से मूल्यों में और वृद्धि हुई है। अतः सरकार को अधिक नियन्त्रण आदि लागू नहीं करने चाहिये।

मजूरी के बढ़ने पर भी रोक लगाई जानी चाहिये क्योंकि मैं समझता हूं कि इससे मजदूरों को वास्तविक रूप से लाभ होगा अन्यथा जितनी मजूरी बढ़ेगी उतनी ही मूल्यों में वृद्धि हो जावेगी। अतः कर्मचारियों को वास्तव में कोई लाभ नहीं होगा। हम सब को गम्भीरता से इस मामले पर विचार करना चाहिये। अतः करों मूल्यों और मजूरी के बढ़ने पर रोक लगाई जानी चाहिये। सरकार को इस मामले पर देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों से जो कि राजनीतिज्ञ नहीं है, विचार-विमर्श करना चाहिये। सरकार कुछ न जानते हुए भी मूल्य निर्धारित कर देती है और मांग होने पर उनको पुनः निर्धारित करती है और इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है जो कि लोगों को बहुत महंगी पड़ती है। हमें एक ओर मजदूरी बढ़ाने तथा

दूसरी ओर मूल्यों को बढ़ाने के खिलवाड़ को समाप्त करना चाहिये क्योंकि इससे वास्तव में मजदूरों को ही हानि होती है।

श्री म. ला. सोंधी (नई दिल्ली) : हमें कर्मचारियों के प्रति न केवल सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए बल्कि इस विषय पर उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

यह सच है कि सरकार कुछ तथ्यों के आधार पर ही अपनी नीति निर्धारित करती है परन्तु इस बारे में सरकार संदिग्ध आंकड़े प्रस्तुत करती है। जनमत तथा संसद को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यह पूछे जाने पर कि मूल्य वृद्धि को पूरी तरह निष्प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है तो उत्तर दिया जाता है कि इस बारे में सरकार द्वारा कर्मचारियों के साथ मिलकर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि सरकार उस कार्यवाही के बारे में भी कर्मचारियों से विचार-विमर्श करने को तैयार नहीं है जिसके बारे में स्वयं कर्मचारी चाहते हैं कि वह कार्यवाही की जाये।

इस वर्ष जनवरी में सूचकांक में 215 पर था परन्तु आज यह 225 है। आज जब हम बारह महीने की औसत की बात कर रहे हैं। सरकार कहती है कि उसने दस रुपये महंगाई भत्ता दिया था जब मूल्य सूचाँक 215 पर था। प्रश्न यह है कि सरकार अन्तरिम सहायता के प्रश्न को कितने समय तक लटकाना चाहती है और विलम्ब का कारण क्या है। क्या सहायता पर्याप्त रूप में दी जायेगी अथवा समस्या से खिलवाड़ किया जाएगा।

आज सुबह सरकारी कर्मचारियों की पत्नियां प्रधानमन्त्री से मिलने गई थी। उनकी भेंट प्रधानमन्त्री से नहीं हो सकी। अत: उन्होंने एक ज्ञापन दे दिया है जिसमें उन्होंने अपनी दशा का उल्लेख किया है।

मजदूरों तथा कर्मचारियों, जो इस राष्ट्र को अपनी बुद्धि तथा मेहनत से सभ्य देश रूप में चलाते हैं, के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी इस संसद पर है। कर्मचारियों की दशा दयनीय है। प्रत्येक गृहलक्ष्मी के समक्ष एक गम्भीर समस्या हैं। सरकार अपनी आर्थिक गलतियों के लिए कर्मचारियों का बलिदान क्यों कर रही है। मेरे विचार में सरकार तथा इसके कर्मचारियों के बीच टक्कर होना अनिवार्य है क्योंकि आपसी विश्वास 1968 में टूट चुका हैं। ऐसा लगता है कि सरकार और शक्तियां ग्रहण कर रही है और इनका प्रयोग सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध किया जायेगा। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार तथा कर्मचारियों के सम्बन्धों के बीच जो असंतुलन उत्पन्न हो गया है सरकार उसको स्वीकार करे। परन्तु सरकार यह चाहती है कि कर्मचारी पूरी तरह आत्म-समर्पण करदे। क्या इससे लोकतन्त्र को लाभ पहुँचेगा। लोकतन्त्र का आधार ही वार्ता है और इसमें झूठी प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार स्वयं ऐसी योजना प्रस्तुत करे जिससे हम आर्थिक समानता के साथ सुरक्षा को निभा सके।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार उसी ढांचे को बनाये रखना चाहती है जो उसको ईस्ट इण्डिया कम्पनी से विरासत में मिला है और मजदूरों के वर्गीकरण को ध्यान में रखकर रोजगार से ढांचे का आधुनिकीकरण नहीं मानी चाहती।

हमें कर्मचारियों से यह अपील करने का अधिकार है कि वे राष्ट्र-निर्माण में पूरी दक्षता से काम करे परन्तु इससे पूर्व हमें उनके लिए इतनी मजदूरी सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे वे दो समय का खाना खा सकें। हमारे विभिन्न श्रम सम्मेलनों की सिफारिशें है तथा हम जानते है कि आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी की किस प्रकार व्याख्या की गई है। मेरा निवेदन है कि आर्थिक प्रगति में नौकरशाही को बाधा बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रधान मंत्री कहती है कि उनको मूल्य वृद्धि के बारे में कोई चिन्ता नहीं है। फिनलेंड में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में केवल 2·7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि उत्पादन में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है इन वास्तविक आंकड़ों से सरकार को कुछ सबक लेना चाहिए। मंत्री महोदय नई दिल्ली में आतंक फैलने के लिए जिम्मेदार हैं।

श्री शशि भूषण : यह व्यक्तिगत आक्षेप है।

श्री म० ला० सोंधी : लोकतंत्र में विरोधी सदस्यों को सरकार की आलोचना करने क. अधिकार है। आज के संकट के बारे में संसद की जो जिम्मेदारी है वह स्पष्ट है। यह सरकार अल्प-साख्यक एवं अन्तरीम सरकार है। अतः इसे सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देनी चाहिए।

श्री जी० विश्वनाथन (बन्डीबाश) : यदि समस्या को राजनीतिक समस्या में बदल दिर गया तो कर्मचारियों की समस्या को भुला दिया जायेगा। सभी दल कर्मचारियों को अन्तरि सहायता देने के पक्ष में है। पता नहीं फिर भी उनके साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है कर्मचारियों की स्थिति के बारे में सबको पूरी जानकारी है। रुपये के वास्तविक मूल्य में क हुई है। 1962 से 1970 के बीच रुपये का मूल्य कम होकर 58 पैसे रह गया है। इस ठ कोई इन्कार नहीं कर सकता कि मूल्य वृद्धि का प्रभाव हुआ है और इसको निष्प्रभाव वि जाना चाहिए। अतः वास्तविक मजूरी में कमी हो गई है और सरकार द्वारा इसको पूरा र किया गया है। कर्मचारियों को तुरन्त अन्तरिम सहायता दिये जाने की आवश्यकता है। ती वेतन आयोग को 28 लाख कर्मचारियों के बारे में विचार करना है और हो सकता है इस प्रतिवेदन 1972 अथवा 1973 में प्राप्त हो। हाल में 125 व्यक्तियों ने प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया है जिसमें कर्मचारियों को तुरन्त अन्तरीम सहायता देने की मांग की गई है। अ भारतीय श्रमिक संघ भी सहायता की मांग कर रहे हैं।

सभापति महोदय : क्या आप अपना भाषण एक अथवा दो मिनट में समाप्त कर देंगे ?

श्री जी. विश्वनाथम : मैं कुछ मिनमि और लूंगा।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार 19 अगस्त 1970/28 श्रावण 1892 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock at Wednesday the 19th Agus. 1970/28th Srawana, 1892 Saka.

Diamond Printing Press, Jaipur--3